राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 57

मूल्य ₹6 .00, नई दिल्ली, मंगलवार, 6 अगस्त 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

गृहमंत्री का वक्तव्य व्यापक और व्यावहारिक था। उन्होंने अतीत में हुए ऐतिहासिक अन्याय को सटीक तरीके से रेखांकित किया। साथ ही जम्मू-कश्मीर के भाई बहनों के लिए हमारे दृष्टिकोण को सामने रखा।

– **नरेंद्र मोदी,** प्रधानमंत्री

कश्मीर भारत का 'ताज' था, है और रहेगा। सरकार कश्मीर को विकास के नए रास्ते पर लेकर जाएगी। यहां आतंकवाद के खात्मे और विकास की राह में अनुच्छेद 370 सबसे बड़ी बाधा था।

– **अमित शाह,** गृहमंत्री

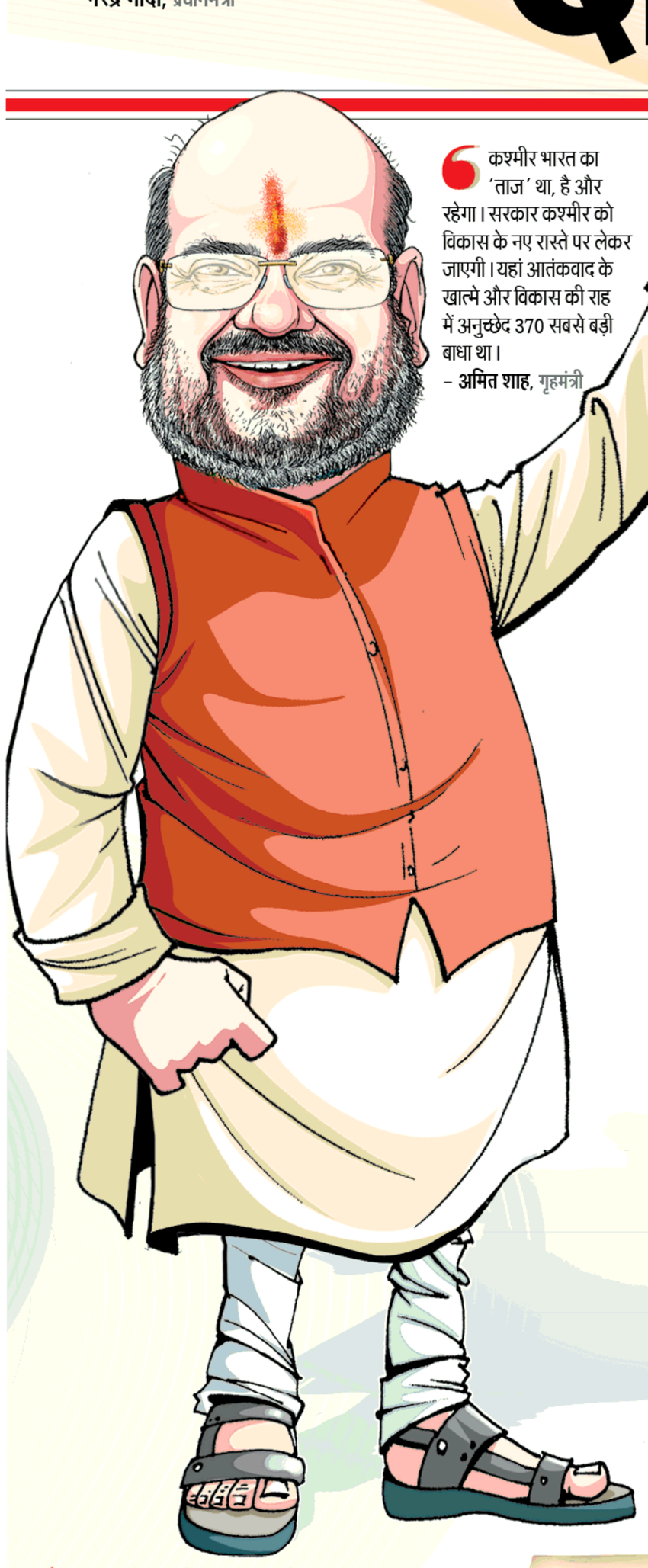

जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक स्थिति में होगा बड़ा बदलाव, छिन जाएगा विशेष राज्य का दर्जा

अनुच्छेद 370

संकल्पशक्ति, दृढ़ता, दूरदर्शिता और साहस ने वह कर दिखाया जो अब तक असंभव था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी ने जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए एक-एक कर रास्ते के सारे अवरोध ध्वस्त किए। फिर ऐसा राजनीतिक माहौल तैयार किया, जहां संख्या बल में कम होने के बावजूद सरकार को दो-तिहाई समर्थन मिल गया। सरकार और भाजपा के लिए तो यह अभूतपूर्व जीत है ही, भारत के लिए भी यह सपना साकार होने जैसा है। अपनी खूबसूरती के लिए भारत का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू-कश्मीर अब सही मायने में भारत का होने वाला है। सात दशक की भूल अब दुरुस्त होने वाली है। भारत का होने के बावजूद अलग संविधान, अलग विधान और अलग निशान से चलने वाला जम्मू-कश्मीर अब भारत के संविधान, विधान और निशान के साथ चलेगा। जम्मू-कश्मीर कुछ गिने-चुने नेताओं और अलगाववादियों की चपेट से बाहर आएगा। कश्मीर का दरवाजा अब हर भारतवासी के लिए खुलेगा। यह सच है कि इस कदम के साथ भाजपा ने अपनी वैचारिक जीत का भी एक झंडा गाड़ दिया है। इसके साथ ही यह भरोसा भी बढ़ गया है कि सरकार अपने किसी भी वादे को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

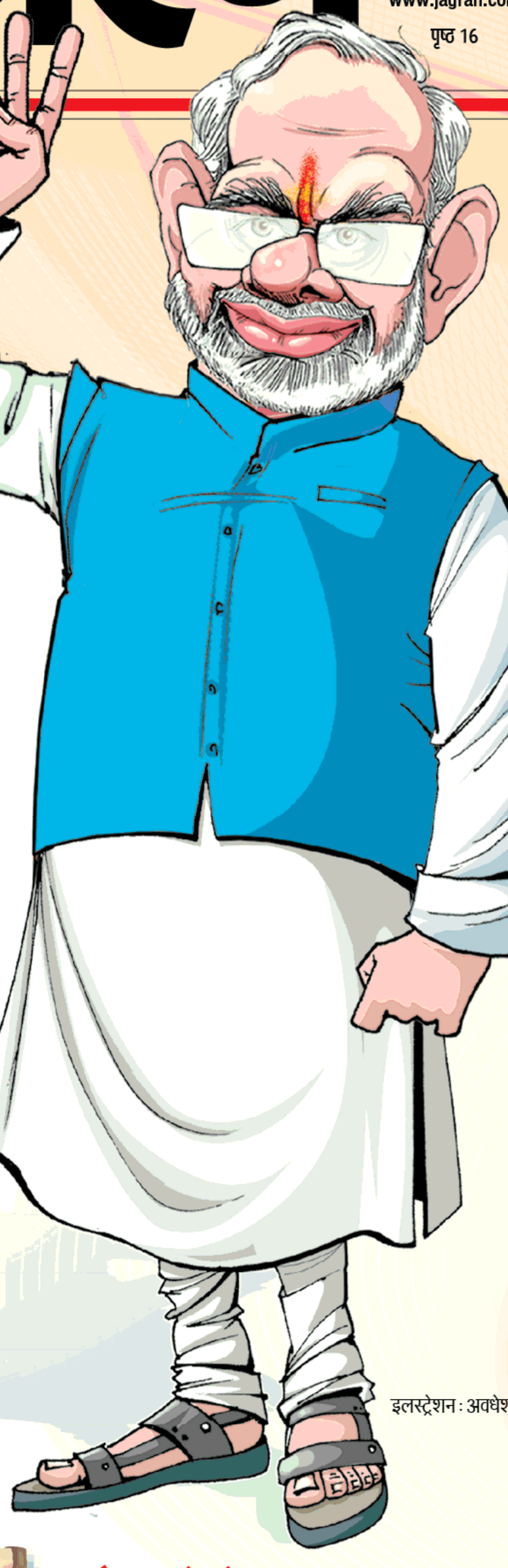

इलस्ट्रेशन : अवधेश

फैसले से पहले

- जम्मू-कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। यहां का अलग संविधान और ध्वज था।
- प्रदेश से बाहर के लोगों को यहां जमीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाने, संस्थानों में दाखिला लेने का अधिकार नहीं था।
- जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल छह साल का होता था। भारत की संसद यहां के संबंध में सीमित दायरे में ही कानून बना सकती थी। यहां पर राज्यपाल की नियुक्ति होती थी।
- रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावा किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती थी।
- जम्मू-कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती थी, तो उस महिला की जम्मू-कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी।
- यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती थी, तो उसके पति को भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी।
- राज्य में आपात स्थिति में राज्यपाल शासन लगाए जाने का प्रावधान था। कश्मीर में हिंदू, सिख आदि अल्पसंख्यकों को 16 फीसद आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था।
- सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सीएजी लागू नहीं होता था। यहां रणबीर दंड संहिता लागू थी।
- बाहरी राज्यों का व्यक्ति न मतदान कर सकता था और न ही चुनावों में उम्मीदवार बन सकता था।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले मान्य नहीं होते थे।

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

कानून और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग)

अधिसूचना, नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2019

जीएसआर .551(ई).-राष्ट्रपति का दिया आदेश आम जानकारी के लिए प्रकाशित।

संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू) आदेश, 2019

सी.ओ. 272

संविधान में अनुच्छेद 370 की धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों से राष्ट्रपति अब जम्मू और कश्मीर की सरकार के साथ मिलकर निम्न आदेश पारित कर रहे हैं।

1. (1) इस आदेश का नाम संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 है।
(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। और इसके बाद यह समय-समय पर यथासंशोधित होगा। यह संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954 पर प्रभावी होगा।

2. संविधान के सभी उपबंध (प्रावधान) समय-समय पर संशोधन के साथ जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे। यह बदलाव किस विषय में होंगे यह निम्न प्रकार से है:-
अनुच्छेद 367 में निम्न धाराएं जोड़ी जाएंगीं :-
"(4) संविधान, जहां तक यह जम्मू और कश्मीर के संबंध में लागू है, के प्रयोजनों के लिए-
(क) इस संविधान या इसके उपबंधों के निर्देशों को, उक्त राज्यों के संबंध में यथा लागू संविधान और उसके उपबंधों का निर्देश माना जाएगा।
(ख) जिस व्यक्ति को राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति की ओर से जम्मू और कश्मीर के सदर-ए-रियासत, जो तत्स्थानिक रूप से पदासीन राज्य की मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य कर कर रहे हैं, के रूप में तत्स्थानिक रूप से मान्यता दी गई है। उनके लिए निर्देशों को जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देश माना जाएगा।
(ग) उक्त राज्य की सरकार के निर्देशों को, उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देशों को शामिल करता हुआ माना जाएगा।
(घ) इस संविधान के अनुच्छेद 370 के परंतुक में खंड (2) में उल्लिखित राज्य की संविधान सभा अभिव्यक्ति को "राज्य की विधानसभा" पढ़ा जाएगा।

रामनाथ कोविंद
राष्ट्रपति।

(फा.सं 19(2)य2019-विधायी 1)
डॉ. जी.नारायण राजू, सचिव

अनुच्छेद 370 पर राष्ट्रपति की अधिसूचना का मूल पाठ

फैसले के बाद

- दोहरी नागरिकता, अलग संविधान और अलग ध्वज का प्रावधान खत्म हो जाएगा। तिरंगे और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अब अपराध माना जाएगा।
- देश का कोई भी नागरिक यहां संपत्ति खरीद सकेगा, व्यापार कर सकेगा और नौकरी पा सकेगा।
- जम्मू-कश्मीर अब दिल्ली की तरह विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। इसका कार्यकाल पांच साल होगा। लद्दाख पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश होगा।
- जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में अब उप-राज्यपाल का पद होगा। राज्य की पुलिस केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। जम्मू-कश्मीर कैडर के आइपीएस व आइएएस अधिकारी यूटी कैडर के अधिकारी हो जाएंगे।
- किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी के बाद जम्मू-कश्मीर की महिला के अधिकारों व नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को मिला विशेषाधिकार खत्म होगा।
- अब यहां अनुच्छेद 356 का भी इस्तेमाल हो सकेगा यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकेगा। अब अल्पसंख्यकों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
- सूचना का अधिकार और शिक्षा के अधिकार जैसे कानून लागू हो सकेंगे। भारतीय दंड संहिता भी प्रभावी होगी। नए कानून और कानून में होने वाले संशोधन खुद-ब-खुद जम्मू-कश्मीर में भी लागू हो जाएंगे।
- भारत का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर का मतदाता और चुनावों में उम्मीदवार बन सकेगा।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए फैसले अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर भी मान्य होंगे।

अखंड भारत

अंदर के पन्नों पर विशेष >>

पेज 1 मोदी-शाह के अदम्य साहस की एक और झलक

पेज 2 दोहरे खतरे को देख लिया दो टूक फैसला

पेज 3 लद्दाख को सात दशक बाद मिलेगी भेदभाव से आजादी

पेज 4 लद चुके अलगाववाद की सियासत के दिन

संपादकीय पेज
- कश्मीर पर बड़ा फैसला
- दुरुस्त हुई ऐतिहासिक गलती

ऐतिहासिक भूल सुधार

1949 में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देकर उसे एक तरह से भारत के संवैधानिक उपबंधों से अलग कर दिया गया। 1954 में अनुच्छेद 35 ए से जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता को और मजबूत कर दिया गया...

देश की आजादी की चाह में जिन राष्ट्र भक्तों ने हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दी, उनके अखंड भारत के सपनों को जम्मू-कश्मीर के यह विशेष प्रावधान मुंह चिढ़ाते रहे हैं। ये विशेष प्रावधान देश की अखंडता की राह में बड़ी बाधा साबित हो रहे थे। देश के मानचित्र में यह उसकी सीमारेखा के भीतर भले ही दिखता रहा हो, लेकिन आंतरिक नियम-कानूनों को लेकर शेष भारत से यह कटा रहा। कुछ खास मामलों को छोड़कर जम्मू-कश्मीर के लिए केंद्र सरकार कोई कानून नहीं लागू कर सकती थी। कोई वहां जमीन नहीं खरीद सकता था। निवेश के नाम पर कोई उद्योग वहां नहीं लगाया जा सकता था...आदि आदि इत्यादि। ये तमाम उपबंधों को बनाए रखने को लेकर कई स्थानीय राजनीतिक दल दबाव बनाने में जुटे थे। इनकी राजनीतिक विरासत ही इन्हीं मसलों पर टिकी रही। अब जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर इस ऐतिहासिक भूल को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है तो सही मायने में आजादी के मतवालों और शहीदों के अखंड भारत का सपना साकार हुआ है। आइए इस ऐतिहासिक भूल की पृष्ठभूमि पर डालते हैं एक नजर:

अनुच्छेद 370 का विशेष प्रावधान

बात आजादी के दो साल बाद यानी 1949 की है। अक्टूबर का महीना था। 17 तारीख थी। इसी दिन संविधान में इस अनुच्छेद को जोड़कर जम्मू-कश्मीर राज्य को भारतीय संवैधानिक प्रावधानों से अलग (अनुच्छेद एक और खुद अनुच्छेद 370 को छोड़कर) कर दिया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार यह राज्य अपना संविधान खुद तैयार कर सकता था। यह अनुच्छेद संसद की विधायी शक्तियों को जम्मू-कश्मीर पर लागू होने से रोकता है। राज्य के भारत में विलय संबंधी दस्तावेज (इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन) में जो हिदायतें दी गई हैं उसके अनुसार उसमें वर्णित मामलों पर केंद्रीय कानून बनाने के लिए भी राज्य से सलाह-मशविरा करना होगा। इसके इतर अन्य मामलों पर केंद्रीय कानून बनाने के लिए राज्य की अनुमति लेनी अनिवार्य है।

भारत में विलय संबंधी दस्तावेज

भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए भारतीय स्वतंत्रता कानून, 1947 लागू हुआ। इस कानून में 600 रियासतों की संप्रभुता को बरकरार रखते हुए उन्हें तीन विकल्प दिए गए थे। पहला, वे स्वतंत्र देश के रूप में अपना अस्तित्व बरकरार रख सकते थे। वे भारत में शामिल हो सकते थे और अंतिम विकल्प के तहत वे रियासतें पाकिस्तान के साथ जा सकती थीं। वे रियासतें जो भारत या पाकिस्तान के साथ जुड़ने की इच्छुक थीं, उनका विलय इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन के तहत किया गया। हालांकि इसका कोई तय मसौदा नहीं था, लेकिन हर रियासत शामिल होने की शर्तों को विशेष उल्लेख करने को स्वतंत्र थी। हालांकि इस समझौते में शामिल होने वाली रियासतों की शर्तों का सम्मान जरूरी था, विपरीत स्थिति में रियासत अपने मूल स्थिति में जाने को स्वतंत्र थी।

जम्मू कश्मीर रियासत के तत्कालीन महाराजा हरिसिंह के साथ हाथ मिलाते तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ● फाइल फोटो

कश्मीर के विलय की शर्तें

कश्मीर के भारत में विलय को लेकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन में प्रावधान किया गया कि रक्षा, विदेश मामले और संचार को छोड़कर केंद्रीय संसद राज्य को लेकर कोई कानून नहीं बना सकेगी। दस्तावेज के क्लाज पांच में जम्मू-कश्मीर के शासक तत्कालीन राजा हरि सिंह विशेष रूप से कहा, 'मेरे विलय के दस्तावेज में किसी भी कानून द्वारा या भारतीय स्वतंत्रता कानून द्वारा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है जब तक कि मुझे वह स्वीकार्य न हो।'

ऐसे हुआ विलय

तत्कालीन जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरिसिंह शुरुआत में तो स्वतंत्र रहने के इच्छुक थे और भारत और पाकिस्तान से यथास्थिति का समझौता करना चाह रहे थे। पाकिस्तान से इस आशय का समझौता वे कर भी चुके थे। लेकिन स्थिति को करवट लेते देर नहीं लगी। पाकिस्तान की नापाक नजरें इस रियासत पर शुरू से लगी हुई थीं। मुस्लिम बहुल इस रियासत को वह खोना नहीं चाहता था, इसीलिए अपने सैनिकों और जनजातियों के साथ रियासत पर हमला कर दिया। बेचारे हरिसिंह के पास अपनी रियासत को बचाने का विकल्प अब एक ही था। उन्होंने भारत से मदद मांगी। उसके बदले में उन्होंने भारत अपनी रियासत के विलय को स्वीकार कर लिया। 26 अक्टूबर, 1947 को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन (आइओए) पर हस्ताक्षर किए। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे 27 अक्टूबर, 1947 को स्वीकार किया। भारत की स्पष्ट नीति थी कि विलय के समय विवाद होने की स्थिति में उसके समाधान में रियासत के शासक के मनमाने निर्णय की जगह रियासत की जनभावना को ध्यान में रखा जाएगा। भारत के आइओए के स्वीकार करने पर लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, 'यह मेरी सरकार की इच्छा है कि जैसे ही जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था दुरुस्त होती है और वहां की जमीन से घुसपैठिए बाहर खदेड़े जाएंगे तो वहां की अवाम की भावना के अनुसार राज्य का विलय सुनिश्चित किया जाएगा।' 1948 के जम्मू कश्मीर पर भारत सरकार के श्वेत पत्र में विलय को विशुद्ध रूप से अस्थायी और तात्कालिक बताया गया।

लागू हुआ अनुच्छेद 370

इस अनुच्छेद का मूल मसौदा जम्मू कश्मीर सरकार ने मुहैया कराया। इसके बाद अनुच्छेद 306 ए (अब अनुच्छेद 370) में संशोधन और बदलाव के लिए 27 मई 1949 को इसे संविधान सभा से पारित कराया गया। 17 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया।

एक नजर में अनुच्छेद 370

नवंबर, 1956 में जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान का काम पूरा हुआ और 26 जनवरी, 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया। संविधान का अनुच्छेद 370 दरअसल केंद्र से जम्मू-कश्मीर के रिश्तों की रूपरेखा है। प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने पांच महीनों की बातचीत के बाद अनुच्छेद 370 को संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार, रक्षा, विदेश नीति और संचार मामलों को छोड़कर किसी अन्य मामले से जुड़ा कानून बनाने और लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान का अनुच्छेद 356 लागू नहीं होता। इस कारण भारत के राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 370 के चलते, जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा होता है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू-कश्मीर में आर्थिक आपालकाल नहीं लगा सकते हैं।

अनुच्छेद 35 ए

कश्मीर के महाराजा हरिसिंह ने सबसे पहले इस कानून को 1927 में पारित किया। इस कानून को लागू करने का उनका एकमात्र मकसद उत्तरी राज्य पंजाब से रियासत में आ रही लोगों की बाढ़ को रोकना था। कुछ रिपोर्टों में ये बात भी सामने आई कि ऐसा उन्होंने कुछ प्रभावशाली कश्मीरी हिंदुओं के आग्रह पर किया। अभी इस आशय का कानून गुलाम कश्मीर में लागू है। भारत में इस कानून का वर्तमान रूप 1954 में लागू हुआ। भारत के भीतर जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले कानूनी उपबंध अनुच्छेद 370 का इसे हिस्सा बनाया गया। 14 मई, 1954 को लागू हुए इस कानून के समय राज्य में जो लोग राज्य में रह रहे थे या उसके दस साल के बाद कभी भी जो लोग रहने आए, उन्हें राज्य का स्थायी निवासी माना गया। हालांकि राज्य की विधानसभा दो तिहाई बहुमत से कभी भी इस परिभाषा को बदलने की ताकत रखती थी। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के स्थायी निवासी ही यहां रोजगार, छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाओं के हकदार बने। सबसे बड़ा लाभ तो स्थायी निवासियों के लिए यह है कि सिर्फ वे ही वहां जमीन, संपत्ति आदि का स्वामित्व उन्हीं के पास होगा। इस तरह से प्रदेश को शेष भारत के संवैधानिक प्रावधानों से अलहदा ताकत दी ई।

विलय संधि के 72 साल बाद हुआ पूरा मिलन

1931

गोलमेज सम्मेलन में राजा ने साफ किया था अपना पक्ष

महाराजा हरि सिंह की ओर से जम्मू कश्मीर के देश में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लगभग 72 साल बाद अब राज्य का देश के साथ पूरा मिलन हो गया है। दावा किया जाता रहा कि अनुच्छेद 370 के आधार पर जम्मू कश्मीर भारत से जुड़ पाया, जबकि हकीकत यह है कि बाद में जोड़े गए प्रावधान ही राज्य को पूरे देश से मिलने से रोक रहे थे। अनुच्छेद 370 के पक्षकार यह भी कहते रहे कि राजा विशेष दर्जे के पक्ष में थे, लेकिन वह इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि 1930 के दशक में गोलमेज सम्मेलन में राजा ने साफ शब्दों में कहा था कि भारत जब एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा तो वह उसका हिस्सा बनेंगे।

यह है अधूरा सच

केंद्र सरकार के विधेयक से अब 72 सालों के अधिमिलन के बाद सोमवार को जम्मू कश्मीर का भारत से पूरा मिलन हो गया। इससे पूर्व जब इन प्रावधानों को हटाने की बात की जाती तो कहा जाता कि तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने विशेष परिस्थितियों में राज्य की विशेष पहचान के संरक्षण का यकीन दिलाए जाने पर ही विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए यह अनुच्छेद जरूरी है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है।

दंगों की जमीन हुई तैयार

इतिहास के जानकार मानते हैं कि अनुच्छेद 370 के पक्षकार इस तथ्य को नहीं नकार सकते कि राजा ने गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश राज को चुनौती देते हुए कहा था कि भारत और इसके लोगों के साथ-साथ और ब्रिटिश इंडिया से बाहर की सभी भारतीय रियासतों से बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। हालांकि इस सम्मेलन के बाद जम्मू कश्मीर का सियासी घटनाक्रम तेजी से बदला और महाराजा के खिलाफ अचानक विरोध की आवाज तेज हो गई। लाहौर और पश्चिमी पंजाब (फिलहाल पाकिस्तान में) से कई मुस्लिम लोगों का कश्मीर में आगमन हुआ और 1931 के दंगों की जमीन तैयार हुई।

मुस्लिम कांफ्रेंस का उभार

उसके बाद मुस्लिम कांफ्रेंस रियासत में विशेषकर कश्मीर घाटी में तेजी से उभरी। इसके प्रमुख नेता शेख अब्दुल्ला ने लाहौर, अलीगढ़ समेत अन्य राज्यों में अपने संपर्कों और कांग्रेस के तत्कालीन नेता जवाहर लाल नेहरू से अपने रिश्तों का पूरा इस्तेमाल किया। भारतीय उपमहाद्वीप में बदलते घटनाक्रम को देखते हुए शेख अब्दुल्ला ने गैर मुस्लिमों को जोड़ने के लिए अपने संगठन का नाम बदलकर नेशनल कांफ्रेंस कर दिया। इस दौरान आजादी तो मिली, लेकिन बंटवारे का दर्द भी दे गई। शायद राजा ने इसकी कल्पना नहीं की थी।

जवाहर लाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला

पाक ने कश्मीर पर हमला बोला

विशेषज्ञों के अनुसार, उस समय उनके लिए दोनों में से एक देश को चुनना शायद मुश्किल था और इसीलिए भारत-और पाकिस्तान दोनों के साथ हरिसिंह ने यथास्थिति कायम रखने का समझौता किया। महाराजा के लिए दोनों में किसी एक को चुनना तत्कालीन परिस्थितियों में मुश्किल था, क्योंकि जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य था और भारत -पाक विभाजन मजहब के आधार पर था। इससे पहले कि महाराजा अपना फैसला लेते अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने समझौता तोड़ कश्मीर पर हमला बोल दिया।

भारी पड़ा पाकिस्तान पर विश्वास

23 सितंबर 1947 को सरदार पटेल ने नेहरू को जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए उचित कदम उठाने की सलाह दी। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर हमले की महाराजा हरि सिंह को भी सूचना थी, लेकिन पाकिस्तान के धोखे को भांप नहीं पाए। उन्होंने भारत से संपर्क किया। 22 अक्टूबर 1947 को पाक सेना ने कबाइलियों के साथ मिलकर हमला बोल दिया और पुंछ का एक इलाका पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। दो दिन बाद 24 अक्टूबर को कबाइली और पाकिस्तानी सैनिक बारामुला तक पहुंच गए। महाराजा सदमे में थे और वह श्रीनगर छोड़ अगले दिन जम्मू पहुंच गए। उन्होंने अपने एसीडी से कहा था कि अगर दिल्ली से कोई सकारात्मक संदेश नहीं आता है और भारत विलय के लिए नहीं मानता है तो वह उन्हें गोली मार दें।

बाद में आया अनुच्छेद 370

इस बीच राज्य के प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन की दिल्ली में कोशिशें रंग लाई और गृहसचिव वीपी मेनन राज्य में पहुंचे। महाराजा के आगे शर्त रखी गई कि वह अंतरिम सरकार बनाएं और सभी अधिकार शेख अब्दुल्ला को सौंप दें। महाराजा ने विलय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। उस समय तक अनुच्छेद 370 कहीं नहीं था।

नेहरू की गलती सुधारी

इतिहासकार प्रो. हरि ओम का कहना है कि उस समय महाराजा ने अगर विलय में कुछ शर्तें रखी भी थी तो वह स्थायी नहीं थी। इन्हें बहुत पहले हटा देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उस समय एक गलती की थी जिसे अब केंद्र सरकार ने सुधार दिया है।

बाबा साहेब ने मना किया था मसौदा तैयार करने से

बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर

गोपालस्वामी अयंगर

संविधान निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर अनुच्छेद 370 के धुर विरोधी थे। उन्होंने इसका मसौदा तैयार करने से इनकार कर दिया था। आंबेडकर के मना करने के बाद शेख अब्दुल्ला नेहरू के पास पहुंचे। और प्रधानमंत्री के निर्देश पर गोपालस्वामी अयंगर ने मसौदा तैयार किया।

अब्दुल्ला को लिखा पत्र: अब्दुल्ला को अनुच्छेद 370 पर लिखे पत्र में आंबेडकर ने कहा था कि आप चाहते हैं भारत जम्मू-कश्मीर की सीमा की रक्षा करे, यहां सड़कों का निर्माण करे, अनाज सप्लाई करे। साथ ही कश्मीर को भारत के समान अधिकार मिले। लेकिन आप चाहते हैं कि कश्मीर में भारत को सीमित शक्तियां मिलें। ऐसा प्रस्ताव भारत के साथ विश्वासघात होगा, जिसे कानून मंत्री होने के नाते मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा।

पटेल को नहीं किया था सूचित: नेहरू ने पटेल को सूचित किए बिना ही शेख अब्दुल्ला के साथ अनुच्छेद 370 के मसौदे को अंतिम रूप दिया। संविधान सभा की चर्चा में मसौदे को पारित करवाने की जिम्मेदारी गोपालस्वामी अयंगर को मिली। लेकिन प्रस्ताव को सभा में मौजूद सदस्यों द्वारा फाड़ दिया गया। उस समय प्रधानमंत्री नेहरू अमेरिका में थे। सरदार और अब्दुल्ला के रिश्ते ठीक नहीं थे। ऐसे में अयंगर ने मदद के लिए वल्लभभाई पटेल का रुख किया। उन्होंने पटेल से कहा कि यह मामला नेहरू के अहम से जुड़ा है, नेहरू ने शेख को उनके अनुसार ही फैसले लेने को कहा है। लिहाजा, वल्लभभाई पटेल ने मसौदे को स्वीकृति दे दी।

हुआ था भारी विरोध: हालांकि जब पटेल ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में मसौदे को पेश किया तो सभी ने इसको भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बताया। यहां तक कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद ने भी इसका विरोध किया था।

कौन थे गोपालस्वामी अयंगर: उनका जन्म 31 मार्च, 1882 को तमिलनाडु में हुआ था। 1905 में वह मद्रास सिविल सेवा में शामिल हुए और डिप्टी कलेक्टर और राजस्व बोर्ड के सदस्य सहित कई पदों पर रहे। 1937-1943 तक कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे। 1943-1947 तक राज्य परिषद के सदस्य के रूप में रहे। वह संविधान सभा सदस्य भी थे। वह उस प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख भी थे जिसने कश्मीर पर लगातार विवाद में संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अयंगर को 1937 में दीवान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। यह एक ब्रिटिश वायसराय द्वारा दिया गया सर्वोच्च खिताब था। 1941 में, उन्होंने किंग जॉर्ज षष्टम से नाइटहुड प्राप्त किया। वह जम्मू-कश्मीर के महाराज हरि सिंह के दीवान भी रहे। 10 फरवरी, 1953 को उनका देहांत हो गया।

संयुक्त राष्ट्र पहुंचा जम्मू-कश्मीर का मामला: यह माउंटबेटन थे, जिन्होंने नेहरू को जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के लिए राजी किया था। इसलिए तो पाकिस्तान बार-बार कहता है कि कश्मीर विवाद को भारत ही संयुक्त राष्ट्र लेकर गया था।

एक देश-एक विधान का सपना साकार

भाजपा और जम्मू-कश्मीर का नाता बहुत पुराना है। इस कड़ी को बैरिस्टर, शिक्षाविद् डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्थापित किया था। वह अनुच्छेद 370 के खिलाफ थे। इसके चलते नेहरू की कैबिनट से इस्तीफा देने के बाद 1951 में उन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। 23 जून, 1953 को जम्मू-कश्मीर की जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। जम्मू-कश्मीर के लिए एक देश, एक विधान, एक प्रधान का जो सपना डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था और जिसके लिए हजारों लोगों ने शहादत दी। वो सपना अब साकार होता दिख रहा है।

नेहरू और शेख अब्दुल्ला में हुआ समझौता: भारतीय संघ के साथ जम्मू और कश्मीर के एकीकरण की प्रक्रिया लंबी और जटिल थी। बात आजादी के पांच साल बाद जुलाई, 1952 की है। शेख अब्दुल्ला ने नेहरू और उनके वरिष्ठ मंत्रियों के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता को परिभाषित करते एक समझौते का मसौदा तैयार किया गया। बैठक में तय हुआ कि जम्मू-कश्मीर का झंडा तिरंगे के साथ अगल-बगल फहराया जाएगा। यही नहीं आंतरिक गड़बड़ी के मामले में राज्य सरकार की अनुमति लिए बिना भारत सेना नहीं भेज सकता है, अवशिष्ट शक्तियां जम्मू-कश्मीर के पास रहेंगी और कोई भी बाहरी व्यक्ति राज्य में भूमि या संपत्ति नहीं खरीद सकेगा।

लेकिन शेख अब्दुल्ला और अधिक चाहते थे। उन्होंने घोषणा की कि केवल जम्मू-कश्मीर ही यह तय करेगा कि भारत को कौन सी शक्तियां दी जाएं और राज्य में सुप्रीम कोर्ट की रिट किस सीमा तक चलेगी। उन्होंने राज्य के प्रमुख डोगरा युवराज करण सिंह को सूचित किया कि यदि वे प्रतिक्रियावादी तत्वों का साथ देंगे तो उन्हें अपने पिता महाराजा हरि सिंह की तरह हटा दिया जाएगा। प्रतिक्रियावादी तत्वों से उनका मतलब जम्मू के हिंदुओं से था, जो भारत के साथ पूर्ण एकीकरण के लिए आंदोलन कर रहे थे, एक देश, एक विधान, एक प्रधान का नारा लगा रहे थे। जम्मू के हिंदू महाराजा के हरि सिंह के प्रति वफादार थे। इसके अलावा उन्होंने शेख अब्दुल्ला के जम्मू में समाजवादी भूमि सुधारों के विस्तार का विरोध किया। इस वजह से कश्मीर में बड़े (और ज्यादातर हिंदू) जमींदारों को अपनी भूमि खोनी पड़ी।

विरोध में थी एकमात्र स्थानीय पार्टी: घाटी में नेशनल कांफ्रेंस के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व प्रजा परिषद नामक पार्टी कर रही थी। इस पार्टी की स्थापना 1949 में स्थानीय नेता प्रेम नाथ डोगरा ने की थी। 1951 में नेशनल कांफ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर की सभी 75 सीटों पर जीत हासिल की। अनियमितताओं के चलते प्रजा परिषद ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। डॉ. मुखर्जी से मिले समर्थन से जम्मू के हिंदुओं की आवाज शेष भारत में गूंजी थी।

शुरू किया विरोध: संसद में मुखर्जी जम्मू-कश्मीर में सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने यह जानने की मांग की कि किसने शेख अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में फैसले लेने की अनुमति दी। उन्होंने जम्मू और लद्दाख को संघ के साथ एकीकृत करने की मांग की। 1952 में उन्होंने जम्मू का दौरा किया और प्रजा परिषद के न्यायपूर्ण और देशभक्ति आंदोलन के पक्ष में बात की। जैसे ही सरकार सर्दियों में श्रीनगर से जम्मू चली गई। परिषद ने अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ कई बार झड़पें हुईं थीं।

नेहरू को लिखा पत्र: जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ विलय करने के लिए परिषद के आंदोलन का समर्थन करते हुए जनवरी 1953 में मुखर्जी ने नेहरू को पत्र लिखा। कि यह राष्ट्रीय अपमान होगा यदि भारत अपने क्षेत्र को पुनर्प्राप्त करने में विफल रहा। उन्होंने नेहरू से पूछा कि पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए कश्मीर के हिस्से को वापस लेने का प्रस्ताव कैसे किया गया है। नेहरू और शेख अब्दुल्ला से मांग की कि प्रजा परिषद पर अत्याचार बंद हो। सभी हितधारकों की बैठक हो।

अब्दुल्ला सरकार ने किया गिरफ्तार: 8 मई, 1953 को श्रीनगर जाने के इरादे से श्यामा प्रसाद जम्मू के लिए निकले। शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उनके आंदोलन को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए और 11 मई को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें श्रीनगर की जेल में रखा गया। जेल में रहते उन्होंने कई पत्र लिखे। जून की शुरुआत में, वह बीमार हो गए। 22 जून को, उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 23 जून, 1953 को उनका निधन हो गया। अगले दिन उनका पार्थिव शरीर कोलकाता ले जाया गया। यहां लाखों लोगों की भीड़ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ी।

राजनीति की शुरुआत: महान न्यायविद् और शिक्षाविद् सर आशुतोष मुखर्जी के पुत्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1929 से राजनीति में थे और जम्मू-कश्मीर सहित कई मुद्दों पर असहमति के बाद नेहरू के मंत्रिमंडल से अलग हो गए थे। 21 अक्टूबर, 1951 को वह जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष बन गए। थे। नई पार्टी ने 1952 का चुनाव लड़ा, लेकिन संसद में केवल तीन सीटें मिलीं।

दिल्ली में शुरू किया आंदोलन

तमाम कोशिशों के बाद भी नेहरू और शेख अब्दुल्ला को मुखर्जी राजी नहीं कर पाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा कि परिषद को पहले आंदोलन बंद करना चाहिए। कोई आश्वासन न मिलने पर मुखर्जी ने दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन शुरू कर दिया। जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के साथ, पुलिस स्टेशनों के बाहर सत्याग्रह किया और गिरफ्तारी दी। अप्रैल 1953 तक हजारों गिरफ्तार हुए।

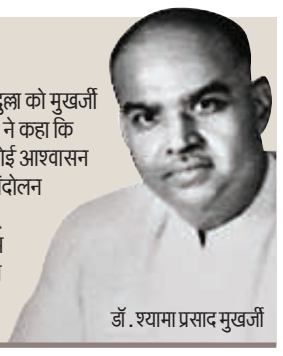

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

लोहे की काट बना लोहा

जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने लिए अनुच्छेद 370 का ही प्रयोग किया गया। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बजाए, सरकार ने इसी अनुच्छेद के खंड तीन द्वारा राष्ट्रपति को दी गई शक्ति का उपयोग करके इसे निष्क्रिय कर दिया।

क्या है खंड तीन

अनुच्छेद 370 (3) राष्ट्रपति को जम्मू-कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा किसी भी वक्त निष्क्रिय करने का अधिकार देता है। अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, उसे पूरा करने के लिए इस प्रावधान का उपयोग किया गया और राष्ट्रपति आदेश जारी किया गया, जिसकी पार्टी लंबे समय से मांग कर रही थी।

अनुच्छेद 370 (3) के अनुसार राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा यह घोषणा कर सकते हैं कि यह धारा निष्क्रिय होगी या किसी अपवाद और संशोधन के साथ सक्रिय होगी।

हालांकि धारा 370 को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। लेकिन अनुच्छेद 370(3) का इस्तेमाल कर सरकार ने बड़ी चतुराई से संशोधन मार्ग को दरकिनार कर दिया।

पुडुचेरी की तरह करेंगे काम

पुडुचेरी की विधानसभा

जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने और राज्य के पुनर्गठन किए जाने के बाद इसके दो हिस्से केंद्र शासित होंगे। जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा होगी जबकि लद्दाख विधानसभा रहित होगा।

भौगोलिक स्थिति: नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मौजूदा जम्मू और कश्मीर क्षेत्र शामिल होंगे।

- कानून व्यवस्था केंद्र के हाथ में रहेगी। अनुच्छेद 360 के तहत राज्य में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकेगा।

राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल: जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल होंगे।

पुडुचेरी की तरह शासन: केंद्र शासित पुडुचेरी पर अनुच्छेद 239ए के प्रावधानों के तहत कामकाज किया जाता है। यही प्रावधान जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पर भी लागू होंगे।

विधानसभा का कार्यकाल: नई विधानसभा का कार्यकाल छह साल की जगह पांच साल होगा।

विधानसभा की क्षमता: नई विधानसभा में 107 विधायक होंगे। इनमें से 24 सीटें गुलाम कश्मीर की रिक्त रखी जाएंगी।

मौजूदा विधानसभा: वर्तमान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 111 है जिनमें 87 का चुनाव होता है। दो मनोनीत होते हैं। गुलाम कश्मीर की 24 सीटें खाली रखी जाती हैं।

मनोनीत सदस्य: नए कानून के तहत उप राज्यपाल को अगर लगता है कि विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वे दो महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकेंगे।

राज्यसभा सीट: वर्तमान चार सदस्यों की संख्या बरकरार रहेगी।

लोकसभा सीट: जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए पांच और लद्दाख से एक सीट होगी।

उपराज्यपाल की सहमति जरूरी: विधानसभा से पारित सभी विधेयक उपराज्यपाल की सहमति के लिए भेजे जाएंगे। वे इसे अपने पास रख सकते हैं या राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेज सकते हैं।

संसद वरीय होगी: किसी भी अनियमितता की स्थिति में देश की संसद द्वारा पारित कानून को नई विधानसभा पर वरीयता होगी।

मंत्रिपरिषद: विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के दस फीसद से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकेंगे।

हाईकोर्ट: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एक ही हाईकोर्ट हो सकते हैं।

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 57

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, मंगलवार, 6 अगस्त 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

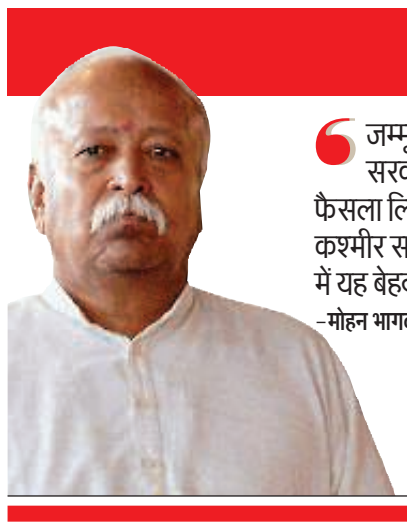

जम्मू-कश्मीर पर केंद्र सरकार ने साहसिक फैसला लिया है। जम्मू-कश्मीर समेत पूरे देश के हित में यह बेहद जरूरी था।

-मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख

अगस्त में आई एक और क्रांति

अनुच्छेद 370 निरस्त करने के प्रस्ताव पर दो तिहाई बहुमत से रास की मुहर

नीलू रंजन ● नई दिल्ली

भारत के इतिहास में अगस्त माह का विशेष महत्व रहा है। चाहे वह आठ अगस्त को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो या 15 अगस्त को मिली आजादी की। सोमवार को एक और क्रांति का आगाज हुआ, जब जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को लगभग 70 साल बाद निरस्त करने का रास्ता साफ हो गया। राज्यसभा ने इस प्रस्ताव पर ध्वनिमत से मुहर लगा दी है। अब संभवतः मंगलवार को लोकसभा से मंजूरी मिलते ही विशेष दर्जा और अनुच्छेद 370 दोनों खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर की नागरिकता निर्धारित करने वाला अनुच्छेद 35ए भी बेअसर हो जाएगा। विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद सरकार ने राज्य को दो भागों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दोनों को केंद्रशासित प्रदेश बनाने का पुनर्गठन विधेयक भी दो तिहाई बहुमत से पारित करा लिया। लद्दाख बिना विधानसभा के होगा, जबकि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा भी होगी। वैसे गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि जम्मू-कश्मीर में स्थिति सामान्य होते ही उसे दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा।

शाह जब अनुच्छेद 370 व 35ए को निरस्त करने का प्रस्ताव, राज्य को दो भागों में विभाजित करने व राज्य में आरक्षण संबंधी विधेयक लेकर आए तो राज्यसभा में हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन, शाह ने संविधान को ही सामने रखते हुए स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति को अधिकार है और उन्होंने मंजूरी दे दी है। चूंकि, राज्य विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, इसलिए अधिकार संसद के पास है कि वह प्रस्ताव करे और फिर राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाएं। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस ने भी 1952 और 1962 में अनुच्छेद 370 में संशोधन किया था। उन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से बात रखी और कुछ विपक्षी दलों के समर्थन के जरिए आसानी से इसे पारित करा लिया।

विपक्षी दलों ने भी किया समर्थन: सदन में कांग्रेस के नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने इसे इतिहास का काला दिन बताया। पीडीपी सांसद नजीर अहमद ने सदन के भीतर ही संविधान की प्रति फाड़ दी। राजग का सहयोगी दल जदयू भी विधेयक के खिलाफ दिखा, लेकिन बसपा, बीजद, वाईएसआर कांग्रेस और आप के सांसद विधेयक के पक्ष में खड़े हो गए। विधेयक का विरोध करने के बावजूद जदयू, तृणमूल कांग्रेस व राकांपा ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। आखिरकार राज्यसभा ने प्रस्ताव पर ध्वनिमत और विधेयक पर 61 के मुकाबले 125 के दो तिहाई बहुमत से अपनी मुहर लगा दी।

सुबह से ही शुरू हो गया था मंत्रणाओं का दौर: लंबे सोच-विचार और कानूनी सलाह-मशविरे के बाद सोमवार सुबह सुरक्षा से संबंधित कैबिनेट कमेटी ने जम्मू-कश्मीर के इतिहास में नई शुरुआत पर मुहर लगा दी। इसके पहले सुबह सात बजे ही कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शाह के घर पर एक घंटे तक विमर्श किया। बाद में शाह व डोभाल ने कैबिनेट की बैठक से पहले लगभग एक घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की।

प्रस्तावों और विधेयकों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की आशंका को देखते हुए पूरी तैयारी की गई। इसके लिए अनुच्छेद 370 के भीतर मौजूद कमजोरियों को हथियार बनाया गया। जम्मू-कश्मीर विधानसभा नहीं होने की स्थिति में राज्यपाल ने अनुच्छेद 370 के तहत मिले अधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति से अनुच्छेद 35ए के विशेष अधिकार देने वाले अनुबंधों को निरस्त करने की अनुशंसा की। साथ ही अनुच्छेद 370 के अस्थायी रूप से संविधान में शामिल किए जाने और जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की अनुशंसा पर इसे निरस्त करने के प्रावधान को हथियार बनाया गया। बताया गया कि जम्मू-कश्मीर में संविधान सभा की जगह विधानसभा ले चुकी है। विधानसभा नहीं होने की स्थिति में यह अधिकार राज्यपाल के पास आ जाता है। राज्यपाल ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए पूरे 370 को निरस्त करने की अनुशंसा कर दी। कैबिनेट से इन पर मुहर लगने के बाद राष्ट्रपति ने इन्हें निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। राष्ट्रपति के दोनों आदेशों को संसद की मंजूरी के लिए दो प्रस्तावों के रूप में राज्यसभा में पेश किया गया।

विशेष पेज ›› 2, 3, 4 व संपादकीय

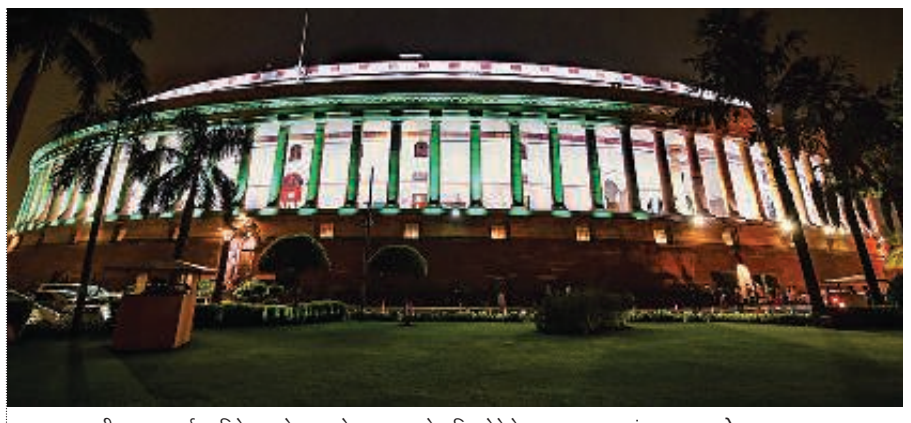

जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक सोमवार को राज्यसभा से पारित होने के बाद जगमगाता संसद भवन ● प्रेट्र

ऐतिहासिक दिन

- विरोध करने के बावजूद जदयू, तृणमूल कांग्रेस और राकांपा ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया
- लद्दाख बिना विधानसभा तो जम्मू-कश्मीर विधानसभा के साथ बनेगा केंद्रशासित प्रदेश
- आज लोकसभा से भी हो सकता है पास, अनुच्छेद 35ए भी हो जाएगा अलविदा
- अमित शाह बोले, स्थिति सामान्य होते ही जम्मू-कश्मीर को दोबारा दिया जाएगा पूर्ण राज्य का दर्जा

तिलमिलाए पाक ने कहा-जाएंगे संयुक्त राष्ट्र

इस्लामाबाद, प्रेट्र : अनुच्छेद 370 के संबंध में भारत सरकार के ऐतिहासिक फैसले से पाकिस्तान तिलमिला गया है। इस फैसले को अवैध और एकतरफा बताते हुए पाक ने कहा है कि वह इसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में अपील करने के साथ ही सभी संभावित विकल्पों पर विचार कर रहा है। पाक पीएम इमरान खान ने कहा कि इससे परमाणु क्षमता वाले दोनों पड़ोसियों के रिश्ते और खराब होंगे, जबकि राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने इस मुद्दे पर मंगलवार को संसद का संयुक्त सत्र बुलाया है।

सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इमरान खान ने भारत के फैसले को संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के विपरीत बताया। उन्होंने मलेशिया के प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद और तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप अर्दोगन से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। अर्दोगन से बातचीत में खान ने कहा कि भारत के इस कदम से क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर भी गंभीर असर पड़ेगा। वहीं, पाकिस्तान के विदेश विभाग ने कहा, 'भारत के एकतरफा कदम से न तो कोई बदलाव हो सकता है और न ही यह जम्मू-कश्मीर के लोगों व पाकिस्तान को स्वीकार होगा।' पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उनका देश इस फैसले को संयुक्त राष्ट्र, इस्लामिक सहयोग संगठन, मित्र देशों और मानवाधिकार संगठनों के समक्ष उठाएगा। जल्द आने वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के सामने भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा।

पीएमएल-एन ने कहा, फैसला स्वीकार नहीं : पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने भारत सरकार के फैसले को अस्वीकार्य बताया है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने सरगोधा में मंगलवार को इसके विरोध में रैली की घोषणा की है। वहीं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने इस फैसले की निंदा की है। पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री शीरीन माजरी ने भारत के फैसले के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत जाने की बात कही है।

कंगाल पाक ने कश्मीरियों की मदद का राग अलापा

समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक सूचना प्रसारण मामलों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सहायक फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि उनका देश कश्मीरियों को कूटनीतिक और राजनीतिक समर्थन जारी रखेगा। हैरानी की बात यह है कि उसने ऐसे समय में जम्मू-कश्मीर के लोगों की मदद की बात की है, जब वह खुद कर्ज में डूबा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद माना है कि उनके देश में 30 से 40 हजार आतंकी मौजूद हैं।

भारतीय उच्चायुक्त को बुला जताया विरोध

पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को विदेश विभाग में बुलाकर मोदी सरकार के फैसले पर विरोध जताया। पाक विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि विदेश सचिव सोहैल महमूद ने बिसारिया को तलब किया था। उन्होंने जम्मू-कश्मीर पर भारत के फैसले, वहां भारी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती पर एतराज जताया और भारत से अपने फैसले को पलटने की मांग की।

बसपा समेत कई विपक्षी दलों का समर्थन, कांग्रेस बोली 'बुनियादी भारी भूल'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को लेकर हुए फैसले पर मोदी सरकार को संसद के उच्च सदन में जहां अपनों के विरोध का सामना करना पड़ा, वहीं उसे धुर विरोधियों का साथ भी मिला। बीजद, अन्नाद्रमुक और वाईएसआरसीपी ने तो सरकार का समर्थन किया ही, आश्चर्यजनक ढंग से बसपा और आप भी सरकार के साथ खड़ी नजर आईं। जबकि भाजपा की सहयोगी पार्टी जदयू सरकार के फैसले के विरोध में थी। कांग्रेस, सपा, राजग, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी ने भी सरकार का विरोध किया। कांग्रेस ने फैसले को बुनियादी भारी भूल करार दिया। हालांकि, वोटिंग के समय जदयू, राकांपा और तृणमूल ने वाकआउट किया।

अनुच्छेद 370 के प्रस्ताव पर चर्चा में भाजपा के भूपेंद्र यादव ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बसपा के राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि उनकी पार्टी अनुच्छेद 370 ही नहीं किसी अन्य विधेयक का भी विरोध नहीं कर रही है। राजग की घटक शिवसेना के संजय राउत ने अनुच्छेद 370 को 'शैतान' की संज्ञा देते हुए इसके खात्मे की जरूरत बताई। वहीं, वाइएसआर कांग्रेस के सदस्य वी विजयसाई रेड्डी ने कहा कि अगर जवाहर लाल नेहरू ने जम्मू एवं कश्मीर की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी होती तो हमें इस पर अभी चर्चा की जरूरत नहीं पड़ती। बीजू जनता दल (बीजद) के प्रसन्न आचार्य ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि एक दिन पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ये शर्म की बात है कि केंद्र ने जम्मू एवं कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। चिदंबरम ने अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने को बुनियादी भारी भूल करार दिया। जदयू के रामनाथ ठाकुर ने कहा कि उनके दल का मानना है कि कोर्ट के निर्णय या आपसी समझौते से यह मामला हल हो। तृणमूल के डेरेक-ओ-ब्रायन ने बिल को 'काला सोमवार' तथा संविधान के लिए 'काला दिवस' बताया। राजद के मनोज झा ने कहा कि धारा 370 को खत्म कर लागू करना इस जीवन में संभव नहीं है। सपा के रामगोपाल यादव ने कहा कि अनुच्छेद 370 को संविधान संशोधन किए बिना हटाया ही नहीं जा सकता।

गृहमंत्री ने सदन में परमाणु बम विस्फोट कर दिया है। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि आप भारत का सिर बीच से काट देंगे। सत्ता के नशे में सरकार राज्य के इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रही है।

गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस नेता

अब केंद्रशासित प्रदेश हो जाएगा जम्मू-कश्मीर

प्रस्ताव व विधेयक पर संसद की मुहर लगते ही जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा बीते दिनों की बात हो जाएगी। भारत का संविधान पूरी तरह पूरे राज्य पर लागू हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर में हर कानून लागू होगा और भारत की जनता को वहां भी वही अधिकार मिलेंगे जो दूसरे राज्यों में लागू हैं। जम्मू-कश्मीर में लागू रनवीर पैनल कोड समाप्त हो जाएगा और आइपीसी व सीआरपीसी कानून लागू हो जाएंगे। पंचायतों व स्थानीय निकायों को अधिकार देने वाला संविधान का 73वां और 74वां संशोधन अभी तक जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं है, ये लागू हो जाएंगे। जम्मू-कश्मीर का विशेष झंडा खत्म हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर कैडर के आइपीएस व आइएएस अधिकारी केंद्रशासित प्रदेश कैडर के अधिकारी बन जाएंगे।

पहले अभूतपूर्व हंगामा किया फिर हताश हो गया विपक्ष

नई दिल्ली : प्रस्ताव पेश होते ही राज्यसभा में अभूतपूर्व हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने सदन में नारेबाजी की, धरना दिया। फिर भी बात नहीं बनने पर हताश विपक्ष न सिर्फ ठंडा पड़ा, बल्कि बहस में भी शामिल हुआ। ● पेज 2

महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला गिरफ्तार

श्रीनगर: पुलिस ने सोमवार शाम को जम्मू कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के अलावा सज्जाद लोन व इमरान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। नेशनल कांफ्रेंस अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला समेत एक दर्जन नेताओं के साथ कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज मौलवी उमर फारूक समेत कई अलगाववादी अपने घरों में नजरबंद रहे। रविवार को उमर, महबूबा, फारूक, पीपुल्स कांफ्रेंस के इमरान अंसारी, शाह फैसल, मुजफ्फर बेग, मुजफ्फर शाह, पीर मंसूर, गुलाम नबी हंजूरा, उसमान मजीद और मुहम्मद यूसुफ तारीगामी सकेत समेत मुख्यधारा के एक दर्जन नेताओं को नजरबंद रखा गया था। ● पेज 3

अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी छाया रहा मुद्दा

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत सरकार के फैसले की दुनियाभर में चर्चा हो रही है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया के कई प्रमुख अखबारों व टेलीविजन चैनलों ने इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है। ● पेज 4

अंदर पढ़ें

अयोध्या मामले के सजीव प्रसारण के प्रशासनिक पक्ष पर सुनवाई को शीर्ष कोर्ट राजी

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह अयोध्या मामले की दिन-प्रतिदिन सुनवाई के सजीव प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) या रिकार्डिंग मामले में दायर याचिका पर प्रशासनिक स्तर पर सुनवाई करने पर विचार कर सकता है। बता दें कि अयोध्या मामले की शीर्ष कोर्ट की संविधान पीठ में मंगलवार से रोजाना सुनवाई होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य ने एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने अयोध्या मामले की दिन-प्रतिदिन सुनवाई के सजीव प्रसारण या रिकार्डिंग का अनुरोध किया है। ● पेज 5

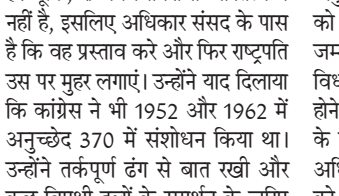

विधेयक पारित होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने ठोंकी अमित शाह की पीठ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राज्यसभा में करीब आठ घंटे की लंबी चर्चा के बाद जैसे ही जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ तो सत्ता पक्ष के खेमे में खुशी का ठिकाना नहीं था। साफ था कि उनका वर्षों पुराना सपना पूरा हो रहा था। यही वजह थी कि जैसे ही विधेयक पारित हुआ, सदन में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत ही सीट से उठकर पास की बेंच पर बैठे गृह मंत्री अमित शाह की पूरी गर्मजोशी के साथ पीठ ठोंकी। विधेयक पारित होने के बाद प्रधानमंत्री का उत्साह देखने ही बन रहा था।

मोदी इसके बाद विपक्षी बेंचों की ओर भी बढ़े। इस दौरान वह अन्नाद्रमुक समेत बसपा, द्रमुक और दूसरे दलों के सदस्यों से मिलते हुए कांग्रेस सदस्यों की बेंचों तक जा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा से हाथ मिलाया। इस बीच पिछली बेंच पर खड़े जयराम रमेश से भी मुखातिब हुए। इसके बाद वह प्रधानमंत्री से मिलने के लिए खुद उनके पास आए। वहीं मोदी को विपक्षी बेंचों की तरफ आया देख सदन में उपस्थित दूसरे दलों के सांसदों ने भी आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया। पीएम इस दौरान बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्र से भी गर्मजोशी से मिले और विधेयक का समर्थन करने के लिए उन्हें धन्यवाद भी कहा।

● विपक्षी बेंचों तक भी गए, आनंद शर्मा और जयराम रमेश सहित विपक्ष के तमाम सांसदों से मिले

राज्यसभा में सोमवार को जम्मू-कश्मीर को विभाजित कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के रूप में दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने का विधेयक पारित होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह की पीठ ठोंकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एएनआइ

विचलित दिखे आजाद: राज्यसभा में विधेयक पारित होने के बाद सत्ता पक्ष के खेमे का उत्साह देख कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद थोड़े विचलित दिखे। यही वजह रही कि जैसे ही विधेयक पारित हुआ, वह तेजी से सदन से बाहर निकल गए। जबकि उनके साथी सांसद काफी देर तक सदन में मौजूद थे। इससे पहले उन्होंने शाह के बोलने के बाद जिन मुद्दों को उठाया था, उनमें भी स्पष्टता नहीं थी।

अनुच्छेद 370 पर सरकार के फैसले को उद्योग जगत का समर्थन

नई दिल्ली, प्रेट्र : अनुच्छेद 370 को खत्म करने की मोदी सरकार की पहल का उद्योग जगत ने भी समर्थन किया है। इनका कहना है कि इस ऐतिहासिक कदम से न सिर्फ जम्मू-कश्मीर के लोग सशक्त होंगे, बल्कि भारत भी शक्तिशाली बनेगा। इससे जम्मू-कश्मीर में दीर्घकालिक निवेश होंगे जिससे राज्य का आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि आज का फैसला सही मायने में एतिहासिक है, इससे जम्मू-कश्मीर में विकास का मार्ग खुलेगा। लोग सशक्त होंगे और देश मजबूत। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष राजीव तलवार ने कहा कि इस अनुच्छेद के खत्म होने से जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश का रास्ता खुलेगा।

अनुच्छेद-370 पर कांग्रेस बंटी

नई दिल्ली, जेएनएन : अनुच्छेद-370 को खत्म करने के मसले पर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस में दरार पड़ती दिख रही है। दीपेंद्र हुड्डा, मिलिंद देवड़ा, जैसे युवा नेताओं के अलावा वयोवृद्ध पार्टी नेता जनार्दन द्विवेदी ने भी इसे खत्म करने का स्वागत किया है। द्विवेदी ने कहा कि इतिहास में की गई गलती को सुधारा गया है। केंद्र द्वारा लिए गए इस फैसले से देश को फील गुड होगा। खास बात यह रही कि तमाम छोटे-बड़े मुद्दों पर खुलकर सरकार को घेरने वाला गांधी परिवार इस अहम मुद्दे पर मौन साधे रहा। न तो राहुल गांधी का कोई बयान आया और सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी का।

राम मनोहर लोहिया हमेशा इसके खिलाफ थे : कुछ साल पहले तक सोनिया के बेहद करीबी माने जाने वाले जनार्दन द्विवेदी ने कहा, 'मैंने राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में राजनीति शुरू की थी। वह हमेशा इस अनुच्छेद के खिलाफ थे। आज इतिहास की एक गलती को सुधार लिया गया है।' अपने इस बयान को निजी राय बताते हुए द्विवेदी ने कहा कि एकमात्र चिंता का विषय जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाना है। हालांकि मेरा मानना है कि यह क्षेत्र के विकास में बाधक नहीं बनेगा।

वहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट कर कहा, 'मेरी व्यक्तिगत राय रही है कि 21वी सदी में अनुच्छेद-370 का औचित्य नहीं है और इसको हटना चाहिए। ऐसा सिर्फ देश की अखंडता के लिए ही नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर जो हमारे देश का अभिन्न अंग है, के हित में भी है। अब सरकार की यह जिम्मेदारी है की इसका क्रियान्वयन शांति और विश्वास के वातावरण में हो।' हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने अपना यह ट्वीट हटा लिया।

● वयोवृद्ध जनार्दन द्विवेदी समेत देवड़ा और दीपेंद्र हुड्डा समर्थन में उतरे

दूसरी ओर, मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट कर कहा कि दुर्भाग्य से इस मसले को उदारवादी और कट्टर की बहस में उलझाया जा रहा है। पार्टियों को अपने वैचारिक मतभेदों को किनारे कर भारत की संप्रभुता, कश्मीर की शांति, युवाओं को रोजगार और कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय के लिहाज से सोचना चाहिए।

कांग्रेस को विनाश पर उतारू बताकर चीफ व्हिप भुबनेश्वर कलिता ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली, प्रेट्र : संसद के उच्च सदन राज्यसभा में विपक्ष को सोमवार को बड़ा झटका लगा। अनुच्छेद 370 के उन्मूलन और जम्मू-कश्मीर को दो भागों में विभाजित करने के मुद्दे पर पार्टी के रुख से नाराज कांग्रेस के चीफ व्हिप भुबनेश्वर कलिता ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने आप को खत्म करने के रास्ते पर चल पड़ी है। वहीं, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सेठ ने भी अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सदन में दोनों का इस्तीफा स्वीकार करने की घोषणा की।

भुबनेश्वर कलिता ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया जब उन्हें अनुच्छेद 370 को खत्म करने और जम्मू-कश्मीर को दो भागों में बांटने के मुद्दे पर अपनी पार्टी के सदस्यों के लिए व्हिप जारी करना था। कलिता ने बयान जारी कर कहा, 'पार्टी ने मुझसे व्हिप जारी करने के लिए कहा था, लेकिन यह देश के मिजाज के खिलाफ है। पार्टी विनाश के रास्ते पर जा रही है और मैं इसमें उसका भागीदार नहीं बन सकता हूं।' असम से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य कलिता का कार्यकाल अगले साल नौ अप्रैल तक था। हाल के दिनों में राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले कलिता कांग्रेस के दूसरे सांसद हैं। इससे पहले अमेठी राजघराने के पूर्व सदस्य संजय सिंह ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। कलिता ने भाजपा में शामिल होने के सवाल पर कुछ नहीं कहा। वहीं, लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में अहम भूमिका निभाने वाले संजय सेठ ने भी समाजवादी पार्टी को जोर का झटका दिया है। नीरज शेखर और सुरेंद्र नागर के बाद राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले संजय सेठ समाजवादी पार्टी के तीसरे सांसद हैं।

बड़ा झटका

- अनुच्छेद 370 पर पार्टी के रुख से नाराज थे राज्यसभा सदस्य
- उत्तर प्रदेश से सपा के रास सदस्य संजय सेठ का भी इस्तीफा

भुबनेश्वर कलिता ● एएनआइ

साहसिक कदम | जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले विवादित अनुच्छेद-370 को अलविदा कहने का वक्त

मोदी-शाह के अदम्य साहस की एक और झलक

त्वरित टिप्पणी
प्रशांत मिश्र

जनता का भरोसा खरा साबित हुआ। बड़े संख्याबल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमान देकर बदलाव की आशा जताई थी और साहसिक कदम उठाकर मोदी ने यह जता दिया कि संकल्पशक्ति हो तो हर काम हो सकता है। 70 साल से देश के अंदर ही एक अलग देश की तरह चलते रहे जम्मू-कश्मीर को सही मायने में अभिन्न अंग बनाने का कदम पहली बार उठाया गया। विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा है। ऐसे कई लोग और दल हैं, जिन्हें यह कदम रास नहीं आ रहा है। लेकिन, उनसे ज्यादा बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जिनके लिए यह ऐतिहासिक दिन है। सही मायने में जम्मू-कश्मीर अब भारत और भारतवासियों का हुआ है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने एक चूक की थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुरुस्त किया है। 'मोदी है तो मुमकिन है' का दावा एक बार फिर साबित हो गया है।

पहले कार्यकाल में नोटबंदी और जीएसटी, फिर तीन तलाक और अब अनुच्छेद-370 का समापन। वह भी सरकार में आने के महज दो तीन महीने के अंदर। यही साबित करता है कि सरकार में संकल्पशक्ति अद्भुत है। इस कदम के साथ ही जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, भाजपा के युगपुरुष अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा को भी शांति मिली होगी। इतिहास गवाह है कि अब तक जिस तरह जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा के नाम पर अलग-थलग रखा गया, वह किसी के हित में नहीं था। बजाय इसके प्रदेश में अलगाववादियों का डेरा जमा, लूट खसोट बढ़ी। प्रदेश के ही लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया। पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले आतंकवादियों ने डर और आतंक का माहौल खड़ा कर दिया। प्रदेश भी पिछड़ा और प्रदेश के लोग भी।

सही मायने में जम्मू-कश्मीर अब भारत और भारतवासियों का हुआ, 'मोदी है तो मुमकिन है' का दावा एक बार फिर साबित हो गया

समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने भी अनुच्छेद-370 का विरोध करते हुए कहा था कि यह भारत के एकीकरण में बहुत बड़ी बाधा है। लेकिन, अब भी कांग्रेस समेत कुछ दल हैं, जो अड़े हैं कि यह दर्जा बरकरार रहना चाहिए। वह सिर्फ विरोध ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आगाह भी कर रहे हैं। यह सचमुच समझ से परे है कि ऐसे वक्त में जब अलगाववादी सहमे हुए हैं और राज्य में विकास की धारा तेज हो रही है तो विरोधी यह क्यों कह रहे हैं कि अनुच्छेद-370 को हटाना भूल होगी। वह कहीं अलगाववादियों को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं। वह देश के अंदर दो विधान, दो संविधान और दो निशान को क्यों बढ़ावा देना चाहते हैं। वह क्यों नहीं चाहते हैं कि घाटी भी निवेश के लिए खुले। पूरे देश से कश्मीर की आत्मीयता और बढ़े। सच्ची बात तो यह है कि विशेष दर्जे का सुख भोग कुछ लोगों तक ही सीमित था और प्रदेश की जनता समान अधिकार के हक से वंचित थी। लेकिन, कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी इस ऐतिहासिक फैसले में शामिल होने से चूक गई। ठीक उसी तरह जैसे तीन तलाक जैसे सामाजिक सुधार के बड़े कदम से जुड़ने में चूक गई थी। उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरे देश में कांग्रेस से सवाल पूछा जाएगा। अभी वक्त है। लोकसभा में कांग्रेस के दो शीर्ष नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी बैठते हैं। विधेयक और प्रस्ताव अब लोकसभा से भी पारित होना है।

पहले अभूतपूर्व हंगामा किया फिर हताश हो गया विपक्ष

अनुच्छेद 370 को खत्म करने के प्रस्ताव के विरोध में राज्यसभा में टूटीं विरोध की सीमाएं, कपड़े ही नहीं संविधान की प्रति भी फाड़ी गईं, बाहर निकाले गए पीडीपी सांसद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : संसद के विधायी इतिहास का अहम दिन बने सोमवार को जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने और सूबे को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव पेश होते ही राज्यसभा में अभूतपूर्व हंगामा हुआ। सरकार के फैसले से भौंचक विपक्षी दलों ने सदन में नारेबाजी और धरना देते हुए विरोध की हुंकार भरी। पीडीपी के एक सांसद ने तो संविधान की कॉपी फाड़ डाली तो दूसरे पीडीपी सांसद ने अपने ही कपड़े फाड़ लिए। मार्शलों के जरिये इन्हें जबरन सदन से बाहर निकाला गया। यह हंगामा इस लिहाज से भी खास रहा कि कुछ देर तक सदन में विरोध का उबाल खड़ा करने वाला विपक्ष आखिर में हताश होकर न केवल ठंडा पड़ गया बल्कि बहस में शामिल भी हुआ।

जम्मू-कश्मीर पर सरकार के किसी बड़े कदम की आहट से चौकन्ने विपक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिये इसे उठाने की कोशिश की। मगर सभापति ने गृह मंत्री के जम्मू-कश्मीर आरक्षण से जुड़े विधेयक समेत दो विधेयक और दो संकल्प पेश करने के बाद विपक्ष को बोलने का मौका देने की बात कही। इसके बाद गृह मंत्री ने अनुच्छेद 370 हटाने के संकल्प के साथ जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म कर इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने का विधेयक पेश किया। अमित शाह के संकल्प और विधेयक पेश करते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दलों, राजद, पीडीपी आदि विपक्षी दलों के सांसद हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गए। आक्रामक नारेबाजी और शोर-शराबे के बावजूद सरकार की दृढ़ता देख विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद समेत तमाम विपक्षी सांसद वेल में ही धरने पर बैठ गए। विपक्षी सांसदों की आक्रामकता को देखते हुए तीन मार्शल एहतियातन सभापति के आसन के दोनों तरफ खड़े हो गए।

हंगामे के दौरान वेल में काली पट्टी बांधे विरोध प्रदर्शन कर रहे पीडीपी सांसद एमएम फयाज अचानक इतने उद्वेलित हो गए कि खुद ही अपना कुर्ता आसन के सामने फाड़ लिया। फयाज के बाद पीडीपी के दूसरे सांसद नजीर अहमद लावे ने वेल में रिपोर्टर टेबल पर रखी संविधान की प्रति उठाकर उसके पन्ने फाड़ने शुरू कर दिए। सभापति ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि भारतीय संविधान हमारे लिए सबसे पवित्र है और यह हरकत बर्दाश्त करने लायक नहीं है। नजीर नहीं रुके तो सभापति ने मार्शलों को बुला लिया। मार्शलों के आने से पहले सत्ता पक्ष की ओर से विजय गोयल नजीर से संविधान की प्रति छीनने की कोशिश करने लगे और दोनों के बीच हाथापाई की नौबत भी आ गई। इस दरम्यान कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद ने हस्तक्षेप करते हुए विजय गोयल को थामा, लेकिन तब तक सदन में पहुंचे दर्जनभर से ज्यादा मार्शल नजीर और फयाज को बाहर ले गए। इसके बाद भी वेल में धरने पर बैठे विपक्षी सांसद शांत नहीं हुए। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को संविधान का दिया ऐतिहासिक प्रावधान था। मगर सरकार ने इसे हटाने का कदम उठाकर देश के लिए कुर्बानी देने वाले जम्मू-कश्मीर के लाखों लोगों की कुर्बानी को रौंद दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने संविधान की हत्या की है और वह इसकी निंदा करते हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया तो सपा के रामगोपाल यादव ने जम्मू-कश्मीर के विभाजन पर सवाल उठाए। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने में एक सेंकेंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से सूबे का बहुत नुकसान हो चुका है। गृह मंत्री ने सदन से संकल्प और विधेयक पर चर्चा कर इसे पारित करने का आग्रह करते हुए कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में इसे अभी तक नहीं हटाया गया था। अमित शाह के तर्क के बाद सदन में चर्चा शुरू हो गई और वेल में धीरे-धीरे विपक्ष के विरोध के सुर धीमे पड़ गए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस पर चुटकी भी ली कि विरोध सो गया है। उनको आराम करने दो, हम काम करेंगे। उल्लेखनीय है कि संसद के मौजूदा सत्र में विपक्ष को लगातार सरकार के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी है। संख्या बल कम होने के बावजूद सरकार अपने बिल पास कराती जा रही है।

नई दिल्ली में सोमवार को राज्यसभा में हंगामा करते विपक्षी दलों के सदस्य। ● एएनआइ

लोकसभा में प्रस्ताव आने से पहले ही दिखाए तेवर, पीएम के जवाब की मांग

- **हंगामा कर रहे सदस्यों ने नेताओं की नजरबंदी की बात उठाई**
- **'सुप्रीम कोर्ट (नंबर ऑफ जजेज)' व 'चिटफंड (अमेंडमेंट) बिल' पेश**

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने का प्रस्ताव लोकसभा में आने से पहले ही विपक्ष ने इस मुद्दे पर अपने तेवर दिखा दिये हैं। विपक्ष ने सोमवार को राज्यसभा में इस आशय का प्रस्ताव तथा जम्मू कश्मीर के विभाजन का विधेयक पेश होने के बाद लोकसभा में जोरदार हंगामा करते हुए प्रधानमंत्री के बयान की मांग की।

लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जम्मू कश्मीर का मामला उठाते हुए कहा, 'बहुत से राजनीतिक नेता हैं, उन सबको हाउस अरेस्ट कर दिया है। इंटरनेट बंद है, मोबाइल बंद है, यह क्या हो रहा है कश्मीर में? कश्मीर में क्या हो रहा है, हम सबको इसकी जानकारी देनी चाहिए।'' लोकसभा अध्यक्ष ने जब उन्हें बात रखने की अनुमति नहीं दी तो कोडीकुनील सुरेश, कनीमोरी, पीआर नटराजन सहित कांग्रेस, डीएमके, नेशनल कांफ्रेंस और आरएसपी के कई सदस्य कश्मीर की स्थिति पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग करते हुए लोकसभा अध्यक्ष के आसन के निकट आकर नारेबाजी करने लगे। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही चलती रही और सरकार ने दो महत्वपूर्ण विधेयक - 'सुप्रीम कोर्ट (नंबर ऑफ जजेज) अमेंडमेंट बिल' और 'चिटफंड (अमेंडमेंट) बिल' पेश किये गए। साथ ही ट्रांसजेंडर पर्सन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) बिल पर चर्चा हुई। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन में मौजूद नहीं थे।

इधर, जैसे ही विपक्षी सदस्यों को लोकसभा में पता चला कि सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विभाजन के लिए एक विधेयक पेश कर दिया है तो उन्होंने कश्मीर को मत बांटो के नारे लगाने शुरू कर दिये। दो दर्जन से अधिक विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग करते हुए नारेबाजी करते रहे। इस बीच, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शशि थरूर, द्रमुक नेता टीआर बालू और कनीमोरी, तृणमूल कांग्रेस नेता सौगत राय और महुआ मोइत्रा विपक्षी खेमे में खड़े होकर आपस में मंत्रणा करते नजर आए। इसके बाद कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई, राहुल गांधी और मनीष तिवारी किसी विधेयक पर चर्चा करते हुए नजर आए। उनके हाथ में एक विधेयक की प्रति और पुस्तक थी। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने खड़े होकर कुछ कहना चाहा लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें समय नहीं दिया।

इस बीच, सदन में ट्रांसजेंडर विधेयक पर चर्चा जारी रही। तृणमूल कांग्रेस की सदस्य शताब्दी राय जब इस विधेयक पर बात रख रहीं थी तभी कांग्रेस के दो सदस्य हीबी ईडेन और टीएन प्रथपन उनकी सीट के पास जाकर नारेबाजी करने लगे। तभी टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने इसका विरोध करते हुए दोनों सदस्यों को वहां से हटने के लिए आग्रह किया। वे आपस में नोंक-झोंक करते नजर आए।

अनुच्छेद 370 पर किस दल का क्या रहा रुख

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अनुच्छेद 370 को समाप्त करने तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बिल पर राज्यसभा में गरमा-गरम चर्चा हुई। इस दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने अपनी-अपनी पार्टी के पक्ष को विस्तार से सामने रखा।

भाजपा : भाजपा के भूपेंद्र यादव ने कहा, 'ये गौरव के ऐतिहासिक पल हैं। अनुच्छेद 370 खत्म होने से देश में सामाजिक न्याय लागू होगा।' यादव ने अनुच्छेद 370 के अस्थायी होने का दावा करते हुए सिक्किम की याद दिलाई जिसका एक राज्य के रूप में भारत में विलय किया गया था तथा किस तरह गोवा, दमन व दीव तथा पांडिचेरी को भारत में मिलाया गया था।

बसपा : बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि अनुच्छेद 370 खत्म होने से देश के अन्य हिस्सों के अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग जम्मू-कश्मीर में जाकर बस सकते हैं और प्रापर्टी बना सकते हैं। हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने बिल का समर्थन करने का निर्णय किया है।

शिवसेना : शिवसेना के संजय राउत ने इसे ऐतिहासिक फैसला करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इससे न केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बल्कि बाल ठाकरे का सपना भी पूरा हुआ है जो आज स्वर्ग में प्रसन्न होंगे। अब धमकियों की भाषा बंद होनी चाहिए। सरकार ने कठिन निर्णय लेने का साहस दिखाया है।

बीजद : बीजू जनता दल के प्रसन्न आचार्य ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि हम क्षेत्रीय पार्टी हैं, लेकिन हमारे लिए देश सबसे पहले है। उन्होंने सदन में पीडीपी सदस्यों की हरकत की निंदा की और कहा कि ये संसद के लिए काला दिवस है। मैं और मेरी पार्टी इसकी घोर निंदा करते हैं।

अन्नाद्रमुक : अन्नाद्रमुक के नवनीतकृष्णन ने बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अम्मा (जयललिता) इसे समाप्त करने के पक्ष में थीं।

कांग्रेस : कांग्रेस के पी चिदंबरम ने अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने को भारत के इतिहास का काला दिवस बताया। उन्होंने कहा कि थोड़े समय के लिए आपको लग सकता है कि आपकी जीत हुई है। सड़कों पर नगाड़ों के शोर से आप सोच सकते हैं कि आपने तथाकथित अन्याय को दुरुस्त कर दिया है। परंतु आने वाली पीढ़ियां महसूस करेंगी आज ये सदन भयानक गलती कर रहा है।

लोकतंत्र के लिए काला दिन : महबूबा

राज्य ब्यूरो, जम्मू : पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आज भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले के उपमहाद्वीप में भयावह परिणाम होंगे। भारत सरकार के इरादे स्पष्ट हैं। वे जम्मू-कश्मीर के लोगों को आतंकित करके क्षेत्र पर अधिकार चाहते हैं। कश्मीर पर भारत अपने वादों को निभाने में विफल हो चुका है। भारत सरकार की अनुच्छेद 370 को रद करने का एकतरफा निर्णय गैरकानूनी और असंवैधानिक है।

केंद्र ने विलय की बुनियाद पर खड़े किए सवाल : उमर : नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को बड़े जनआंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35ए को भंग कर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के भारत विलय की बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर दिए हैं। यह एकतरफा, अवैध, असंवैधानिक फैसला है, जिसका नेकां पुरजोर विरोध करेगी।

उमर ने कहा कि 1947 में विलय के समय जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारत में जो आस्था और विश्वास जताया था, आज उसको भारत सरकार ने समाप्त कर दिया है। केंद्र के फैसलों के दूरगामी और खतरनाक परिणाम सामने आएंगे। यह जम्मू कश्मीर के लोगों पर आक्रमण है।

भारत के राज्यों का संघ होने की अवधारणा खतरे में पड़ी : कांग्रेस

जताया विरोध

- **चिदंबरम ने संवैधानिक रूप से दैत्यकारी फैसला बताया**
- **कहा, इन कदमों से विघटन की शुरुआत हो सकती है**

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अनुच्छेद 370 को हटाने के एनडीए सरकार के कदमों का विरोध करते हुए कांग्रेस ने इसे संवैधानिक इतिहास का काला दिन करार दिया। सरकार पर संविधान के प्रावधानों की शरारतपूर्ण व्याख्या कर जम्मू-कश्मीर का बंटवारा करने का आरोप लगाते हुए पार्टी ने कहा है कि इस कदम से भारत के राज्यों का संघ होने की अवधारणा ही खतरे में पड़ गई है। सरकार पर वार करते हुए कांग्रेस ने यह भी कहा है कि उसके इन कदमों से भारत के विघटन की शुरुआत हो सकती है।

संसद के भीतर और बाहर अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध कर रही कांग्रेस ने सरकार के फैसलों की जबरदस्त आलोचना तो की मगर राज्यसभा में बिल पारित होते-होते उसके विरोध के सुर कुछ धीमे पड़ गए। राज्यसभा में अनुच्छेद 370 पर शुरू हुआ कांग्रेस का विरोध धीमा पड़ते हुए जम्मू व कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर आकर ठहरता दिखा।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भाजपा वोट बैंक की राजनीति कर जम्मू-कश्मीर की एकता और अखंडता से खिलवाड़ कर रही है। सदन के बाहर विपक्षी नेताओं के साथ मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस नेता व पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम ने अनुच्छेद 370 हटाने के संकल्प को संवैधानिक रूप से दैत्यकार फैसला करार दिया। उन्होंने आगाह किया कि सरकार यदि ऐसी ही राह पर चली तो देश में इससे विघटन का दौर शुरू होगा। चिदंबरम ने कहा कि हम मान रहे थे कि सरकार कोई हैरतअंगेज कदम उठाएगी मगर हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि अनुच्छेद 370 खत्म करने के साथ जम्मू-कश्मीर का अस्तित्व ही बदलने जैसा विनाशकारी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांट केंद्र शासित प्रदेश बनाने का बिल राजनीतिक दलों से मशविरे के बिना कैसे लेकर आई है। चिदंबरम ने इसका समर्थन कर रहे तमाम क्षेत्रीय दलों को आगाह करते हुए कहा कि आज जम्मू-कश्मीर के साथ हुआ है कल आपके राज्य के साथ भी हो सकता है। कोई केंद्र सरकार सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू कर विधानसभा के सारे अधिकार हाथ में लेते हुए राज्य के बंटवारे का प्रस्ताव संसद में ला सकती है। संसद की मुहर लगते ही राज्य का विभाजन हो जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि वे हर पार्टी, राज्य और देश के हर नागरिक को आगाह कर रहे कि भाजपा सरकार किसी भी राज्य को विभाजित कर सकती है।

खुशी का इजहार

संसद में सोमवार को जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को खत्म करने की ओर कदम बढ़ाने का ऐतिहासिक एलान होते ही पूरे देश में उल्लास छा गया। केंद्र सरकार के इस फैसले से प्रफुल्लित लोग सड़कों पर उतर आए और तिरंगा लेकर झूमते, मिठाइयां बांटते और पटाखे फोड़ते हुए जमकर जश्न मनान लगे। मुंबई में एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाते लोग। ● एएफपी

जम्मू-कश्मीर को सबसे विकसित राज्य बनाएंगे : शाह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : 'कश्मीर की जनता ने 70 साल अनुच्छेद 370 के साथ बिताए हैं। अब हमें इसके बिना पांच साल दीजिए। हम जम्मू-कश्मीर को देश का सबसे विकसित राज्य बनाएंगे।' केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में सरकार के फैसले पर उठाए सवालों के जवाब देते हुए अपनी मंशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए जैसे प्रावधानों को हटाए बगैर राज्य में आतंकवाद का सफाया संभव नहीं है।

अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के कारण जम्मू-कश्मीर में पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी बड़ी कंपनियां नहीं जा पाती हैं। निवेश नहीं हो पाता है। अब इन अवरोधों के हट जाने के बाद नई कंपनियों के वहां जाने का रास्ता साफ हो जाएगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसी अवरोध के चलते जम्मू-कश्मीर भेजी गई केंद्रीय मदद की धनराशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रही है। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों से होने वाली मुश्किलों का विस्तार से जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि राज्य में रहने वालों के साथ जबर्दस्त भेदभाव होता रहा है। उनके अधिकार छिन गए हैं। उन्हें वहां की नागरिकता तक नहीं दी गई। शाह ने कहा कि बंटवारे के समय पाकिस्तान छोड़कर आए मनमोहन सिंह और इंद्रकुमार गुजराल को इस देश ने प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन उस समय जम्मू-कश्मीर में बस गए लोगों को ग्राम पंचायत प्रमुख बनने तक का अधिकार नहीं दिया गया। यह प्रावधान तो अस्थायी तौर पर लगाया गया था, जिस पर नेहरू ने उसी समय कहा था कि घिस-घिस कर स्वतः खत्म हो जाएगा। लेकिन वोट बैंक के कारण इसे नहीं हटाया जा सका। लेकिन मोदी कैबिनेट ने हिम्मत दिखाकर और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में यह फैसला लिया है। शाह ने कहा कि हम घाटी के युवाओं को गले लगाना चाहते हैं। उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा भविष्य, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार देना चाहते हैं।

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है भारत

कसी कमर

- **फैसले के बारे में प्रमुख देशों को सूचना दे रहा है भारत**
- **संयुक्त राष्ट्र समेत अन्य वैश्विक मंचों पर होगी कूटनीतिक लड़ाई**

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य के पुनर्गठन संबंधी भारत के ऐतिहासिक फैसले का पाकिस्तान ने कड़ा विरोध करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने की बात कही है। विदेश मंत्रालय इस खतरे को समझ रहा है। यही वजह है कि उसने इस बारे में राज्यसभा में विधेयक पेश करने के कुछ ही घंटे बाद नई दिल्ली में विदेशी राजनयिकों को इसके बारे में जानकारी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। भारत यह भी समझ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अभी यह लड़ाई लंबी चलेगी। इसको देखते हुए भी जबरदस्त तैयारी है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर दूसरे मंचों पर पाकिस्तान की हर साजिश का कूटनीतिक तरीके से जवाब देने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है।

विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को दोपहर बाद से संयुक्त राष्ट्र स्थायी परिषद के पांच सदस्य देशों के अलावा अन्य दूसरे देशों को अनुच्छेद-370 के संबंध में जानकारी देने का सिलसिला शुरू किया गया है। कई राजनयिकों ने अपने स्तर पर सरकार के इस फैसले के बारे में जानकारी मांगी थी और उन्हें विदेश मंत्रालय की तरफ से उपलब्ध कराई गई है। भारत ने इन सभी देशों को स्पष्ट तौर पर बताया है कि यह भारत का आंतरिक मामला है और ये कदम समूचे जम्मू व कश्मीर के समग्र विकास, सामाजिक न्याय व गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए उठाये गये हैं। भारत ने दक्षिणी अमेरिकी देशों से लेकर सभी प्रमुख अफ्रीकी देशों और आसियान समूह के सदस्य देशों को भी अपने फैसले के बारे में जानकारी दी है। सनद रहे कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मेहमूद कुरैशी ने जम्मू व कश्मीर संबंधी भारत के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि पाकिस्तान भारत सरकार के इस फैसले को संयुक्त राष्ट्र, इस्लामिक सहयोग संगठन, मित्र देशों और मानवाधिकार संगठनों के समक्ष उठाएगा और उनसे इस मुद्दे पर चुप नहीं रहने का अनुरोध करेगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है लेकिन सूत्रों ने पाकिस्तान विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयानों को बेवजह में दूसरे देशों के मामलों में टांग अड़ाने वाला बताया है। सूत्रों के मुताबिक भारत कूटनीतिक स्तर पर पूरा सक्षम है कि पाकिस्तान की तरफ से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर मुद्दे को उठाने का जवाब दे सके। साथ ही भारत ने किसी भी अंतरराष्ट्रीय कानून या नियम का उल्लंघन नहीं किया है जिससे उसे डरने की कोई जरूरत हो। वैसे भी भारत ने ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा में कोई फेरबदल की है और ना ही नियंत्रण रेखा की मौजूदा स्थिति में बदलाव किया है और ना ही लद्दाख के साथ जुड़ी सीमा का उल्लंघन किया है। इसलिए किसी भी दूसरे देश को परेशान होने की जरूरत नहीं है।

राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में यादगार फैसला : जेटली

नई दिल्ली, आइएएनएस : वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण जेटली ने केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में यादगार फैसला करार दिया है।

जेटली ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 'ऐतिहासिक बड़ी गलती' सुधारने के लिए बधाई दी।

डॉ. मुखर्जी की शहादत का सम्मान हुआ : राम माधव

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा महासचिव राम माधव ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के भारत में संपूर्ण विलय से पार्टी विचारक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत का सम्मान किया गया है। देश काफी लंबे समय से जम्मू-कश्मीर के संपूर्ण विलय की मांग कर रहा था। उन्होंने ट्वीट किया, 'कितना गौरवशाली दिन है।'

राष्ट्रीय एकता की दिशा में साहसिक कदम : आडवाणी

नई दिल्ली, एएनआइ : भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा, 'अनुच्छेद 370 को खत्म करने के सरकार के फैसले से मैं बहुत खुश हूं। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में यह साहसिक कदम है।

साहसिक और ऐतिहासिक फैसला : सुषमा स्वराज

पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने केंद्र सरकार के फैसले को साहसिक और ऐतिहासिक करार दिया। सुषमा ने ट्वीट किया, 'एक साहसिक व ऐतिहासिक फैसला। हम हमारे महान भारत-एक भारत को सलाम करते हैं।'

मोदी जी ने कमाल कर दिया : शाहनवाज हुसैन

पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने ट्वीट कर कहा, 'प्रधानमंत्री जी ने कमाल कर दिया। देश की उम्मीदों पर खरे उतरे। अनुच्छेद 370 के संबंध में इस ऐतिहासिक फैसले पर मोदी जी और अमित शाह जी को बहुत-बहुत बधाई। इसने जम्मू-कश्मीर के लिए तरक्की का रास्ता खोल दिया है।'

भारत सही मायने में आज आजाद हुआ है : उद्धव

मुंबई, प्रेट्र : शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि 'आज हमारा देश पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया है।' विपक्षी दल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश की संप्रभुता का समर्थन करें। अनुच्छेद 370 पर सरकार के इस फैसले ने दिवंगत बाल ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को पूरा करने का काम किया है। शिवसेना की युवा इकाई युवा सेना के प्रमुख और उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार के फैसले को 'गर्व का क्षण' और 'ऐतिहासिक दिन' करार दिया।

जोरदार रणनीति अफगानिस्तान में पाकिस्तान और अमेरिका के नये समीकरण से सतर्क हुआ भारत, आपत्तियों के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मध्यस्थता का प्रस्ताव देने से मजबूत हुई आशंका

कश्मीर पर मंडराते दोहरे खतरे को देख लिया दो टूक फैसला

जयप्रकाश रंजन ● नई दिल्ली

- **अमेरिकी मध्यस्थता से पाक जुटा कश्मीर का अंतरराष्ट्रीयकरण करने में**
- **अफगान में तालिबान की वापसी के बाद आतंकवाद के बढ़ने का खतरा**

क्या दो हफ्ते पहले वाशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान पीएम इमरान खान के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता ने भारत को कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला करने पर मजबूर कर दिया? इस बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि पीएम मोदी ने उन्हें कश्मीर में मध्यस्थता करने को कहा है, इसे भारत ने एक सिरे खारिज कर दिया था। हालांकि दस दिनों बाद ट्रंप ने अपनी बात फिर दोहरायी थी।

जानकारों की मानें तो अफगानिस्तान से बाहर निकलने की राह खोज रहे ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह से पाकिस्तान के साथ नए समीकरण बैठाने शुरू किए हैं, उससे भारत को अपनी रणनीतिक सुरक्षा को लेकर कई तरह की चुनौतियां पैदा होती दिख रही हैं। एक तरफ कश्मीर मुद्दे का नये सिरे से अंतरराष्ट्रीकरण होने का खतरा तो दूसरी तरफ सीमा पार आतंक का खतरा। इन भावी चुनौतियों की वजह से ही भारत ने कश्मीर पर दो टूक फैसला करने में अब देरी नहीं करने का फैसला किया।

ब्रह्मा चेलानी बोले, भारत और अमेरिका के रिश्तों पर नहीं पड़ेगा कोई असर : देश के प्रमुख रणनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी का कहना है कि, 'ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान से आग्रह किया था कि वह उन्हें अफगानिस्तान से निकाले। ऐसा करके वह कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आक्रामक रवैये को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि इससे भारत व अमेरिका के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।' चेलानी ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की तरफ से रविवार को भी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कश्मीर में मध्यस्थता की अपील को दोहराने के संदर्भ का भी जिक्र किया है। यह दस दिनों में दूसरा मौका है जब पाकिस्तान सरकार की तरफ से ट्रंप के प्रस्ताव को कश्मीर मसले को सुलझाने के एक रास्ते के तौर पर पेश किया गया है।

भारत के पक्ष में भू-राजनीतिक हालात : जानकारों की मानें तो अभी जो भू-राजनीतिक हालात हैं उसने भी भारत सरकार को इतना बड़ा फैसला लेने की ताकत दी है। अमेरिका अभी एकमात्र बड़ी ताकत नहीं है और राष्ट्रपति ट्रंप तमाम प्रमुख देशों को अलग-अलग मुद्दे पर नाराज कर चुके हैं। ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय ताकतें और रूस ब्रेक्जिट, आर्थिक मंदी समेत अन्य समस्याओं में उलझे हैं। चीन की अपनी समस्या है लेकिन भारत लगातार उसके साथ अपने रिश्ते को सुधारने में जुटा है। कश्मीर पर नजर रखने वाले इस्लामिक देशों के संगठन (ओआइसी) के अधिकांश देशों के साथ भारत सरकार ने हाल के वर्षों में करीबी रिश्ते बनाए हैं। ये सारे देश पूर्व में कश्मीर मुद्दे पर भारत पर दबाव बनाते रहे हैं।

हर कीमत पर अफगानिस्तान से अपनी सेना की वापसी चाहते हैं ट्रंप

जानकारों की मानें तो आगामी चुनाव को नजदीक आते देख राष्ट्रपति ट्रंप हर कीमत पर अफगानिस्तान से अपनी सेना की वापसी करना चाहते हैं। यह बात पाकिस्तान को भी बखूबी मालूम है और वह अपनी तरफ से ट्रंप के इस काम को सफलतापूर्वक पूरा करने का आश्वासन दे रहा है। लेकिन इसके बदले वह चाहता है कि कश्मीर पर उसके हितों का अमेरिका ख्याल रखे। ट्रंप की तरफ से दो बार मध्यस्थता के प्रस्ताव की बात को भारत इसी संदर्भ में देख रहा है। यही नहीं भारत को इस बात की आशंका है कि अफगानिस्तान से अमेरिका के बाहर निकलते ही पाकिस्तान और चीन के गठबंधन की वजह से भविष्य में नियंत्रण रेखा को लेकर उसकी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। तालिबान की मदद से पाकिस्तान कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद को और खतरनाक मोड़ दे सकता है। पूर्व में भी जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान समर्थित तालिबान शासन में था तब वहां भारत विरोधी गतिविधियों को खूब बढ़ावा दिया गया। जैश-ए-मुहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर को भारतीय जेल से रिहा करवाने में तालिबान की अहम भूमिका रही।

संरा की भारत और पाक से संयम बरतने की अपील

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने भारत और पाकिस्तान से अधिकतम संयम बरतने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि स्थिति अब और ज्यादा न बिगड़े। दोनों देशों की सीमा पर एकाएक बढ़े तनाव के मद्देनजर गुतेरस ने यह अनुरोध किया है। यह जानकारी महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने दी है।

महासचिव की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षक दल ने बताया है कि हाल के दिनों में नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं। इसका कारण दोनों देशों के बीच तनाव का बढ़ना है। ऐसे में दोनों देशों को टकराव से बचने के लिए अधिकतम संयम बरतने की आवश्यकता है। ऐसा कोई कार्य न किया जाए जिससे स्थिति और बिगड़े। संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक दल ने जम्मू-

नियंत्रण रेखा पर बढ़ी सैन्य गतिविधियों से हरकत में आई शीर्ष संस्था

कश्मीर स्थित नियंत्रण रेखा पर हो रहे युद्धविराम उल्लंघन पर अपनी रिपोर्ट महासचिव को दी है। इस पर्यवेक्षक दल का गठन जनवरी 1949 में किया गया था। यह तभी से नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखता है। भारत ने 1972 में हुए शिमला समझौते के बाद इस पर्यवेक्षक दल की निगरानी को गैरजरूरी बता दिया था। कहा था कि समझौते के बाद दोनों देशों के बीच जम्मू-कश्मीर को लेकर समझ बन गई है। अब शिमला समझौते के दायरे में ही दोनों देश वार्ता करेंगे। शिमला समझौते तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था।

महबूबा और उमर अब्दुल्ला गिरफ्तार, शांत रही कश्मीर घाटी

फारूक समेत कई नेता व अलगाववादी नजरबंद, शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद

उमर अब्दुल्ला

महबूबा मुफ्ती

सूरत-ए-हाल

- समूची कश्मीर घाटी में टेलीफोन, इंटरनेट सेवा और केबल नेटवर्क भी बंद रखा गया
- कई जिलों में रात का कर्फ्यू जारी, बढ़ाई गई विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : अनुच्छेद 370 हटाए जाने की ओर कदम बढ़ाए जाने के बाद पुलिस ने सोमवार शाम को जम्मू कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला के अलावा सज्जाद लोन व इमरान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। जबकि नेकां अध्यक्ष व सांसद डॉ. फारूक अब्दुल्ला समेत मुख्यधारा के एक दर्जन और कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज मौलवी उमर फारूक समेत प्रमुख अलगाववादी घरों में नजरबंद रहे। कश्मीर में सामान्य जनजीवन ठप रहा है। अफवाहों पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने वादी में सभी टेलीफोन व इंटरनेट सेवाओं को बंद रखा। जबकि जम्मू में इंटरनेट सेवा बंद रही, लेकिन टेलीफोन सेवा को बहाल रखा गया। प्रशासन ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी है। सभी शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया।

सुबह प्रशासनिक पाबंदियों का असर लखनपुर से उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा तक नजर आया। सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सड़कें सूनी रहीं। विभिन्न सड़कों पर कंटीले तार और अन्य अवरोधक लगाए थे। सुबह कुछ लोगों ने घरों से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षाबलों ने घरों में लौटा दिया। रविवार को उमर, महबूबा मुफ्ती, फारूक, पीपुल्स कांफ्रेंस के इमरान रजा अंसारी, शाह फैसल, मुजफ्फर हुसैन बेग, मुजफ्फर शाह, पीर मंसूर, गुलाम नबी हंजूरा, उसमान मजीद और मुहम्मद यूसुफ तारीगामी सकेत समेत मुख्यधारा के एक दर्जन नेताओं को प्रशासन ने नजरबंद रखा। इनमें सिर्फ महबूबा, उमर और पीपुल्स कांफ्रेंस के सज्जाद लोन व इमरान अंसारी को पुलिस ने उनके घरों से गिरफ्तार किया। उन्हें चश्माशाही गेस्ट में रखा है। अलगावादी खेमे से गिलानी, मीरवाइज मौलवी उमर फारूक, हिलाल वार, जावेद, मुसदिक, मसरूर अंसारी, मुख्तार वाजा, जफर फतेह समेत प्रमुख नेताओं को पुलिस ने घरों से बाहर नहीं निकलने दिया। इंटरनेट और टेलीफोन सेवाओं के चलते वादी में आम लोग संपर्क भी नहीं कर पाए। केबल टीवी बंद रहे। जिनके पास सैटलाइट चैनल देखने की सुविधा थी, वही जान पाए कि दिल्ली में क्या हुआ है और उन्होंने अपने पड़ोसियों व रिश्तेदारों तक 370 व 35ए को समाप्त करने की खबर पहुंचाई। सिर्फ महबूबा और उमर दोपहर तक किसी तरह अपने बयान जारी कर पाए।

जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों में स्थिति बनी रही सामान्य

जम्मू परिक्षेत्रमें भी दिनभर कर्फ्यू जैसे हालात रहे। प्रशासन ने धारा 144 लगा रखी है। कश्मीर की अपेक्षा जम्मू में स्थिति कम तनावपूर्ण थी। कुछ जगहों पर दुकानें भी खुली नजर आई और सड़कों पर आम लोगों की आवाजाही देखी गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वादी में दोपहर बाद कई क्षेत्रों में तनाव महसूस किया गया पर कोई हिंसक घटना नहीं हुई है। सुरक्षाबलों पूरी तरह से अलर्ट हैं। स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है। प्रशासन ने वादी में सवा लाख अर्धसैनिकबलों केा तैनात कर रखा है। 30 हजार केंद्रीय अर्धसैनिक बल बीते पांच दिनों में कश्मीर पहुंचे हैं। प्रशासन ने वादी में कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने की कवायद करीब दस दिन पहले ही शुरू कर दी थी।

दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों को केंद्र सरकार ने किया अलर्ट

जम्मू शहर में चौकसी बरतते भारतीय सेना के जवान। जागरण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 को खत्म करने की ओर कदम बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों को सुरक्षा से जुड़ा हाई अलर्ट जारी किया है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को भी पूरी तरह से चौकन्ना रहने को कहा है। केंद्र ने फिलहाल यह अलर्ट देश के कुछ हिस्सों में असामाजिक तत्वों की ओर से गड़बड़ी पैदा करने की आशंकाओं को देखते हुए लिया है।

गृह मंत्रालय ने सोमवार को राज्यों को जारी किए गए इस अलर्ट में कहा है कि 'जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हित के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर से संबंधित कुछ निर्णय लिए हैं। ऐसे में जरूरी है कि देश के किसी हिस्से में असामाजिक तत्वों को सुरक्षा, शांति और लोगों के बीच आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाए।' केंद्र सरकार ने यह अलर्ट सभी राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित क्षेत्रों को लेकर जारी किया है। इस दौरान राज्यों से अफवाहों और सोशल मीडिया के जरिये फैलाए जानी वाली झूठी सूचनाओं पर भी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले लोगों और छात्रों की सुरक्षा का विशेष इंतजाम करने को कहा है।

लद्दाख को सात दशक बाद मिलेगी भेदभाव से आजादी

विवेक सिंह • जम्मू

जम्मू-कश्मीर का 70 फीसद क्षेत्र लद्दाख में है। यह क्षेत्र दो देशों पाक और चीन की सीमाएं साझा करता है। 70 वर्षों से कश्मीर केंद्रित सरकारों की सियासत में लद्दाख पिस रहा था। मात्र चार सीट होने के कारण दिल्ली से लेकर जम्मू-कश्मीर की सरकारों ने लद्दाख को तरजीह नहीं दी। आजादी के बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने की चिंगारी सुलगने लगी, जिसे अंजाम तक पहुंचने में लंबा समय लगा। आज लद्दाख के लेह और कारगिल जिलों में जश्न का माहौल है।

वर्ष 1947 से क्षेत्र में यह मांग बुलंद हो रही थी कि लद्दाख को कश्मीर से अलग कर केंद्रशासित क्षेत्र बनाया जाए। 1989 में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने अपने गठन के साथ ही इस मांग को लेकर आंदोलन छेड़ा था। इस मांग को लेकर लेह व कारगिल जिलों में सियासी दल एकजुट थे। वर्ष 2002 में लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट के गठन के साथ मांग और तेज हो गई थी।

लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल : वर्ष 2005 में लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट ने लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल की 26 में से 24 सीटें जीत लीं। इसके बाद लद्दाख ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। इसी मुद्दे पर वर्ष 2004, 2014 व 2019 में लद्दाख ने सांसद जिताकर दिल्ली भेजे।

यूनियन टेरिटरी ही सभी मसलों का हल : 2019 में यूनियन टेरिटरी फ्रंट की मांग को लेकर चुनाव लड़ने वाले भाजपा के जामियांग त्सीरिंग नांग्याल सांसद बने। नांग्याल का कहना है कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख क्षेत्र के सभी मसलों का हल है। विकास के क्षेत्र में आने वाली मुश्किलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पहले लद्दाख को अलग डिवीजन बनाया। अब यूनियन टेरिटरी की मांग पूरी हो गई। उन्होंने कहा, सरकार बनाने की प्रक्रिया में लद्दाख को कमजोर करने के लिए क्षेत्र में विधानसभा की सीटों को चार तक सीमित रखा। अब भाजपा ने इंसाफ किया है।

लद्दाख की जीत के हीरो हैं थुप्स्तन छिवांग : लद्दाख को यूनियन टेरिटरी फ्रंट बनाने के मुद्दे पर दो बार सांसद चुने गए थुप्स्तन छिवांग लद्दाख की जीत के असली हीरो हैं। पिछले 40 वर्षों से इस मांग को लेकर जद्दोजहद करने वाले छिवांग ने वर्ष 1989 में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की कमान संभाली थी।

पंडित बोले, घर वापसी की राह होगी आसान

इंदौर में सोमवार को जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के मोदी सरकार के फैसले पर खुशी जताते कश्मीरी पंडित। प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : वर्ष 1990 में कश्मीर से विस्थापित पंडितों ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने संबंधी सरकार के कदम का जोरदार स्वागत किया है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए उम्मीद जताई है कि अब वे सम्मान व मर्यादा के साथ अपने घरों को लौट सकेंगे।

ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायसपोरा (जेकेपीडी) ने कहा कि इस निर्णय से भारत की क्षेत्रीय, राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता मजबूत होगी। उसने एक बयान में कहा कि पांच अगस्त 2019 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और अन्य महान नेताओं के त्याग के प्रति श्रद्धांजलि है।

कश्मीर समिति दिल्ली के समीर चांगरू ने कहा कि वर्ष 1990 के आसपास 7.5 लाख कश्मीरियों को घाटी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। लाउड स्पीकर से उद्घोषणा कर लोगों को घाटी छोड़ने की चेतावनी दी गई। पद्मश्री से सम्मानित केएन पंडित ने कहा, 'पांच अगस्त कश्मीर के मुक्ति दिवस के रूप में जाना जाएगा। वंशवादी शासन से मुक्ति, भ्रष्टाचार से मुक्ति, अत्याचार से मुक्ति।'

आइएएनएस के अनुसार, जम्मू-कश्मीर विचार मंच के सदस्य मनोज भान ने कहा, 'निश्चित तौर पर यह ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय है। इससे कश्मीर के लोग जल्द ही भारत सरकार के करीब होंगे। दोनों नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।' कश्मीरी पंडितों के एक अन्य नेता सतीश महलदार ने कहा, 'इस ऐतिहासिक उपाय के लिए हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को निश्चित रूप से धन्यवाद करना चाहिए।' दोनों नेताओं ने कहा कि इस कदम से जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यस्था और सुदृढ़ होगी और इलाके में उद्योगों की स्थापना की राह खुलेगी।

महलदार ने कहा, 'सरकार को 30 साल पहले हुए नरसंहार की जांच के लिए एसआइटी का भी गठन करना चाहिए। हमारी मांग है कि दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और निर्वासित कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए।'

सियासी दांव से एक-एक किला ध्वस्त करते गए मलिक

सत्यपाल मलिक

- पहली बार अलगाववादी सोच के खिलाफ राजभवन से बुलंद हुई आवाज
- सियासी दलों के भ्रष्ट तंत्र और अलगाववादियों के डर पर सीधा बोला हमला

चुनाव बहिष्कार पर भी निशाना

मलिक ने पंचायत और निकाय चुनाव में बहिष्कार के मसले पर पीडीपी और नेकां को निशाना साधते हुए कहा, ये सियासी अहमियत घटने के डर से चुनावों में भाग नहीं ले रहे हैं। मलिक कई बार बयानों को लेकर विवादों में भी घिरे। उन्होंने कहा, अगर आतंकियों को किसी को मारना है तो वह इन नेताओं को मारें, क्योंकि कश्मीर और कश्मीरियों को इन्होंने ही तबाह किया है। हालांकि बाद में इस मुद्दे पर सफाई भी दी। पत्थरबाजों और अलगाववादियों के खिलाफ सख्त संदेश जारी करते हुए कहा,कोई फौजी पर पत्थर मारेगा तो गुलदस्ते की नहीं, गोली की उम्मीद करे।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : केंद्र सरकार ने पिछले साल जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद पर पहली बार ठेठ सियासी पृष्ठभूमि से आए सत्यपाल मलिक को चुना तो सबने हैरानी जताई। कई बड़े नौकरशाहों पर उनको वरीयता मिली। इसके बाद से ही कयास लगने लगे कि केंद्र ने किसी बड़े सियासी मिशन को अंजाम देने के लिए ही उन्हें चुना है। स्वभाव से शांत मलिक जहां आमजन से सीधा संवाद बनाने में सफल रहे। वहीं, अलगाववादियों और मुख्य सियासी दलों के चेहरे से पर्दा हटाने में भी कामयाब रहे। यही वजह है कि जो लक्ष्य पूर्व सैन्य अधिकारी और नौकरशाह हासिल नहीं कर पाए उसे मलिक ने पूरा किया।

2008 में राज्यपाल बनने से पांच साल पहले तक एनएन वोहरा जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार के वार्ताकार रहे। जून 2018 में जब तत्कालीन पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार भंग हुई तो राज्यपाल शासन के दौरान उन पर सबकी नजरें लगी रहीं, लेकिन अनुच्छेद 35ए पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई टालने की सिफारिश कर उनके भाजपा की राज्य इकाई से मतभेद सामने आ गए। टकराव बढ़े उससे पूर्व ही सत्यपाल मलिक को राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया। वह वैचारिक रूप से संघ के करीबी नहीं थे और 2004 में ही भाजपा में शामिल हुए थे। वैचारिक रूप से समाजवादी नेता माने जाने वाले मलिक चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह और चंद्रशेखर के करीबी रहे हैं। मलिक के आने के बाद जम्मू कश्मीर का राजभवन सुर्खियों में आ गया। उन्होंने सूबे की सियासत और प्रशासन पर न सिर्फ बेबाकी से राय रखी, बल्कि सीधा हमला करने से भी नहीं चूके। अलगाववादियों के खिलाफ पहली बार बुलंद आवाज राजभवन से ही सुनाई दी। सियासी घरानों को कटघरे में खड़ा करने से भी नहीं चूके।

भ्रष्टाचार को निशाना बनाया : राज्यपाल प्रशासनिक तंत्र में फैले भ्रष्टाचार को निशाना बनाकर सियासी घरानों का सच सामने रखते गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तेज करते हुए कई सौदे रद किए। फारूक अब्दुल्ला,महबूबा मुफ्ती जांच के घेरे में हैं। पूर्व शिक्षामंत्री नईम अख्तर से पूछताछ हो चुकी है। जेके बैंक घोटाले ने पूरे सियासी तंत्र को ही घेरे में ला दिया।

मलिक ने सियासी नेता की तरह राजभवन में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। प्रतिष्ठा पर सवाल उठा तो कहा, मैं अपनी काबलियत से राजभवन में हूं। हुर्रियत नेताओं की घटती लोकप्रियता का हवाला देते हुए कहा, कल तक ये लोग वार्ता के नाम पर दरवाजे बंद कर लेते थे, अब चाहते हैं कि कोई बातचीत करे।

मंझे हुए सियासतदां : राज्य में जब हलचल बढ़ी और सुरक्षाबलों की तैनाती के साथ अटकलों का दौर शुरू हुआ तो उन्होंने मंझे हुए सियासतदां की तरह हालात को संभालते हुए कहा कि आज ऐसी कोई सूचना नहीं कि संवैधानिक बदलाव होगा। लेकिन कल का भरोसा नहीं। कल मेरे हाथ में नहीं है।

वामदलों ने कहा, सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की

नई दिल्ली, प्रेट्र : अनुच्छेद 370 को खत्म करने के मोदी सरकार के फैसले को वामदलों ने लोकतंत्र की हत्या और संविधान पर हमला करार दिया है। उनका कहना है कि इससे जम्मू-कश्मीर के लोग और अलग-थलग पड़ जाएंगे।

भाकपा महासचिव डी राजा ने कहा, 'सरकार ने जो किया है वह प्रतिगामी है और आगे जम्मू-कश्मीर के लोगों को अलग-थलग कर देगा। यह लोकतंत्र की हत्या है।' माकपा ने इसे संविधान पर हमला करार देते हुए सोमवार को इसके विरोध में अन्य वामदलों के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि विरोध की अभी शुरुआत हुई है, हम सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। माकपा नेता बृंदा करात ने कश्मीर में हिरासत में लिए गए नेताओं को तुरंत रिहा करने की मांग की। आल इंडिया प्रोग्रेसिव वूमेन एसोसिएशन की सचिव कविता कृष्णन ने इसे मोदी सरकार का संविधान के खिलाफ तख्तापलट करार दिया। मोदी सरकार के फैसले का समर्थन करने के लिए उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा।

वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया है। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन बताया।

कैप्टन ने कहा कि इस तरह के फैसले को मनमाने तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। यह बुरी मिसाल है। इसका मतलब होगा कि केंद्र किसी भी राज्य को केवल राष्ट्रपति शासन लगाकर पुनर्गठित कर सकता है।

66 साल बाद रंग लाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी

पूरा हुआ सपना

- साकार हुआ जनसंघ के संस्थापक का एक विधान, एक निशान, एक प्रधान का ख्वाब
- पंडित प्रेमनाथ डोगरा के नेतृत्व में प्रजा परिषद के आंदोलन को बल देने आए थे श्यामा

संसद में सोमवार को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने से संबंधित बिल पेश होने के बाद मुंबई में भाजपा नेताओं ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। एएफपी

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू कश्मीर के पूर्ण विलय की मांग पर 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा दी गई कुर्बानी 66 साल के बाद रंग लाई। राज्य में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान का उनका सपना सोमवार को साकार हो गया। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ ही विशेष दर्जा खत्म हुआ और राज्य का अलग संविधान और अलग झंडा खत्म हो गए।

श्यामा प्रसाद को सच्ची श्रद्धांजलि : गुप्ता उस आंदोलन के चंद गवाहों में पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री चमन लाल गुप्ता प्रमुख हैं। उन्होंने एक युवा नेता के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। प्रो. गुप्ता का कहना है कि आज जम्मू कश्मीर के इतिहास का स्वर्णिम दिन है। मोदी सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अधूरे कार्य को पूरा कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। श्यामा ने संपूर्ण विलय के मुद्दे पर जबरदस्ती राज्य में प्रवेश कर स्वायतता के नाम पर अलगाववाद को शह देने वालों को कड़ी टक्कर दी थी। आज राष्ट्रवाद की जीत हुई है।

विकास की नई राह : निर्मल सिंह जम्मू कश्मीर में विधानसभा के स्पीकर और प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉ. निर्मल सिंह का कहना है कि आज जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों की जीत हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी के बाद से यह लड़ाई अनवरत जारी थी। विशेष दर्जे को समाप्त करना भाजपा का मुख्य संकल्प था। आज पार्टी ने इस संकल्प को पूरा कर जम्मू कश्मीर के विकास के लिए नई जद्दोजहद शुरू की है।

सम्मानित करेगा अखाड़ा परिषद

जागरण संवाददाता, हरिद्वार : जम्मू-कश्मीर में एक देश, एक संविधान और एक ध्वज की अवधारणा को मजबूत करने के लिए अनुच्छेद-370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को इस साहसिक कदम के लिए सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमहंत नरेंद्र गिरी ने सोमवार शाम जारी बयान में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने को सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को बधाई दी।

श्रीमहंत नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि मोदी सरकार के इस निर्णय से कश्मीर में दशकों से जारी आतंकवाद का खात्मा होगा और विकास को गति मिलेगी।

जम्मू-कश्मीर में अब नहीं उगेगी आतंकवाद की फसल

आदित्य राज • गुरुग्राम

मूल रूप से जम्मू के रहने वाले पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एनसी विज ने जम्मू-कश्मीर पर केंद्र सरकार के निर्णय को ऐतिहासिक करार दिया है। उनका मानना है कि अब जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की फसल नहीं उगेगी। जल्द ही आतंकवाद का समूल नाश हो जाएगा। बदली हुई तस्वीर से राज्य की तकदीर बदलेगी।

दैनिक जागरण से बातचीत में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एनसी विज ने कहा कि केंद्र सरकार खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ऐसा कदम उठाया है जिसकी प्रशंसा युगों युगों तक की जाएगी। आजादी के बाद से ही इस दिन का इंतजार था। यदि आजादी के बाद ही ऐसा कदम उठाया जाता तो आज जम्मू-कश्मीर कहां से कहां पहुंच जाता। इतना पैसा केंद्र सरकार से मिलने के बाद भी विकास नहीं हुआ। यदि विकास हुआ तो आतंकवाद का। पाकिस्तान ने आतंकवाद की फसल जम्मू-कश्मीर में उगाई। कई वर्षों तक उसने फसल भी काटी भी लेकिन अब समय समाप्त हो गया। सरकार ने देश के एक-एक व्यक्ति को गौरवान्वित किया है। आज पूरा देश खुशी से झूम रहा है।

हर क्षेत्र में होगा तेजी से विकास : उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग भी देश के अन्य राज्यों की तरह जीना चाहते हैं। चाहे किसी धर्म या जाति से संबंध रखने वाले लोग हों वे आतंकवाद को पसंद नहीं करते। जो लोग आतंकवाद को स्वीकार करते हैं वे भी मजबूरी में। हां कुछ अलगावावादी ताकतें हैं। उनकी मंशा पर केंद्र सरकार ने पानी फेर दिया है।

सरदार पटेल पाकिस्तान को कश्मीर देने के लिए तैयार थे : सिब्बल

नई दिल्ली, आइएएनएस : अनुच्छेद 370 हटाने के सरकार के कदम पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा, 'सरदार पटेल साहब उस समय गृहमंत्री थे। वह अनुच्छेद 370 लेकर आए। उस समय यह चर्चा हुई थी कि सरदार पटेल कश्मीर पाकिस्तान को देने को तैयार थे।' सिब्बल के इतना कहते ही सभापति ने उन्हें टोका और ऐसी बातों के जिक्र से बचने की सलाह दी, जो विवाद का कारण बन सकती हैं। भाजपा नेता भूपेंद्र यादव ने विरोध जताते हुए कहा कि सिब्बल का नजरिया सदन का नजरिया नहीं हो सकता है। इसके बाद अपना भाषण जारी रखते हुए सिब्बल ने कहा कि सरकार के प्रस्ताव में कई प्रावधान कानून के खिलाफ है।

मिलेगा हक | राज्य का विशेष दर्जा खत्म होने से महिलाओं को मिलेंगे अधिकार, अन्य राज्यों में शादी होने पर स्थायी नागरिकता गंवानी पड़ती थी

जम्मू-कश्मीर की बेटियां अब घर में नहीं होंगी पराई

रोहित जंडियाल • जम्मू

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के कारण महिलाओं को अपने अधिकार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। अन्य राज्यों में शादी होने पर बेटियों को राज्य की स्थायी नागरिकता गंवानी पड़ती थी, लेकिन जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद उन्हें हक मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी अब बेटियां पराई नहीं होंगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत सभी को बराबरी का हक मिला हुआ है। अन्य राज्यों में विवाह के बाद भी बेटियों को पूरे अधिकार मिलते हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं था। महाराजा हरि सिंह के समय से राज्य में स्थायी नागरिकता प्रमाणपत्र को जरूरी रखा था।

अपने अधिकारों की मांग को लेकर आवाज बुलंद करतीं महिलाएं। (फाइल फोटो)

डॉ. सुशीला ने वर्षों लड़ी कानूनी लड़ाई : वर्षों कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद डॉ. सुशीला सहनी के मामले में हाई कोर्ट की फुल बेंच ने उनके स्थायी नागरिकता प्रमाणपत्र को बरकरार रखने का आदेश दिया था। यह उनकी आधी जीत थी। बेटियों को इसके बाद न्याय के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा था। बेटियों को राज्य से बाहर शादी करने के बाद स्थायी नागरिकता का अधिकार तो मिल गया, लेकिन अगर उनकी मृत्यु हो जाती थी तो जायदाद पर बच्चों का हक नहीं होता था। कारण बच्चों का राज्य में स्थायी नागरिकता प्रमाणपत्र नहीं बन पाना था। यह मामला अभी भी कोर्ट के विचाराधीन है।

रंजना चाढ़क के बच्चों को मिलेंगे अधिकार : जम्मू संभाग के अखनूर की रंजना चाढ़क को पहला स्थायी नागरिकता प्रमाणपत्र बनवाकर देने वाले एडवोकेट असीम साहनी का कहना है कि महिलाओं को शादी के बाद स्थायी नागरिकता से हाथ नहीं गंवाना पड़ता है। उनके बच्चों को भी यह अधिकार मिले, यह मामला अभी कोर्ट में लंबित है। 35 ए खत्म होने के बाद उनके बच्चों को भी यह अधिकार मिलेंगे।

गोस्वामी ने कहा, अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा: महिलाओं के अधिकारों के लिए काम कर रहीं डॉ. अनुराधा गोस्वामी का कहना है कि एक ही संविधान में रहते हुए सभी को एक जैसे अधिकार होने चाहिए। अब अनुच्छेद 35 ए के खत्म होने के बाद महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा।

लंबी रही है महिलाओं के संघर्ष की कहानी : स्थायी नागरिकता प्रमाणपत्र के लिए राज्य की महिलाओं ने काफी दर्द सहा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कानूनी जंग लड़ी। जम्मू की रहने वालीं अंजली खोसला को अतिरिक्त जिला उपायुक्त जम्मू ने जो प्रमाणपत्र दिया वह केवल शादी से पहले तक मान्य था। बाहरी राज्य के व्यक्ति से शादी करने के बाद उसने फिर से प्रमाणपत्र के लिए आवेदन दिया। उसे अतिरिक्त जिला उपायुक्त ने जारी करने से इन्कार कर दिया। जम्मू की डॉ. आभा जैन को गायनोकॉलोजी में पीजी में प्रवेश के लिए उससे शादी के बाद स्थायी नागरिकता का प्रमाणपत्र मांगा गया। उसने अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी की थी। जब इसके लिए आवेदन किया तो इन्कार कर दिया। उसने इसे कोर्ट में चुनौती दी। सफलता मिली। जम्मू की रहने वालीं डॉ. सुशीला साहनी के मामले में हाई कोर्ट की फुल बेंच ने पहली बार ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बेटियों के शादी के बाद भी स्थायी नागरिकता प्रमाणपत्र को जारी रखा। उन्हें राज्य में जायदाद खरीदने का भी पूरा हक दिया गया था।

कश्मीर में सिखों को मिलेगा अल्पसंख्यक का दर्जा

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू-कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा हासिल करने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे सिख समुदाय को भी जम्मू-कश्मीर के बंटवारे से राहत मिलेगी। अब सिखों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकेगा। आनंद मैरिज एक्ट भी लागू होगा।

देश के इस पर्वतीय राज्य में कई दशक से सिख समुदाय मांग कर रहा था कि उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया जाए या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का क्षेत्राधिकार जम्मू-कश्मीर तक बढ़ाया जाए, लेकिन अनुच्छेद 370 आड़े आ रहा था। आनंद मैरिज एक्ट पूरे देश में लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में यह लागू नहीं है। सिख समुदाय ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और मुफ्ती मुहम्मद सईद के समक्ष इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिला। अब जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है।

केंद्र का निर्णय सही नहीं : सोराबजी

नई दिल्ली, एएनआइ : पूर्व अटर्नी जनरल सोली सोराबजी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने के प्रस्ताव का केंद्र सरकार का निर्णय बुद्धिमानी का नहीं है। 'मेरे विचार से इसमें कुछ भी क्रांतिकारी नहीं है। यह एक राजनीतिक फैसला है। इसके बावजूद यह एक समझदारी भरा फैसला नहीं है।' उन्होंने कहा कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नेशनल कांफ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को नजर बंद करना बहुत ही अप्रिय कदम था। इससे कश्मीर के लोगों को गलत संकेत गया है। मेरे विचार से उन्हें नजरबंद करने की जरूरत नहीं थी।

उलमा से लेकर नौजवान तक 370 हटाने के फैसले पर सरकार के साथ

जागरण संवाददाता, बरेली : तीन तलाक कानून पर सरकार का विरोध करने वाले उलमा जम्मू-कश्मीर से धारा-370 और अनुच्छेद-35-ए के हटाए जाने पर सरकार के फैसले के समर्थन में दिखाई दिए। सरकार का फैसला सामने आने के बाद उलमा-ए-कराम ने सरकार की सराहना की। अखंड और अटूट भारत की दिशा में उठे कदमों का बुजुर्ग और नौजवान मुसलमानों ने भी दिल खोलकर स्वागत किया और जश्न मनाया। वहीं दारुल उलूम समेत नगर के वरिष्ठ उलमा ने इस मामले में चुप्पी साध ली है। उन्होंने इसे सियासी मुद्दा बताते हुए कुछ भी बोलने से इन्कार कर दिया है।

मुसलमान भारत सरकार के साथ : तंजीम उलमा-ए-इस्लाम के महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, कश्मीर कभी जन्नत की नजीर थी। उस हसीन, जमील खूबसूरत वादी को आतंकवाद की नजर लग गई। आतंक, पत्थरबाजी, कर्फ्यू और हड़ताल, खौफ-यही कश्मीर की नई पहचान बनकर रह गई। इन हालात में कड़ा फैसला जरूरी था, जो सरकार ने लिया है। आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए मुसलमान भारत सरकार के साथ खड़ा है।

जम्मू-कश्मीर से लद चुके अलगाववाद की सियासत के दिन

नेशनल कांफ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी स्वायत्तता और सेल्फ रूल जैसे विवादित मसलों को देते रहे हवा

नवीन नवाज • श्रीनगर

राज्यसभा में सोमवार को जम्मू कश्मीर को विभाजित कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के रूप में दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने का विधेयक पेश होने के बाद जम्मू में खुशी मनातीं भाजपा की महिला कार्यकर्ता • जागरण

11 दिन पहले शुरू हुआ रियासत की सियासत में अटकलों और अफवाहों का दौर सोमवार को खत्म हो गया। इसके साथ ही यह तय हो गया कि कश्मीर के नाम पर ब्लैकमेल और अलगाववाद की सियासत के दिन अब लद चुके हैं। केंद्र सरकार के नए फैसलों के बाद अब ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल और आजादी जैसे सियासी मुद्दे भी इतिहास में दफन हो जाएंगे। लोकतंत्र की आड़ में जम्मू-कश्मीर में खानदानी सियासत करने वाले घरानों को अब नया रास्ता चुनने के विकल्प तलाशने होंगे।

केंद्र सरकार कुछ बड़ा करने वाली है, इसको लेकर लगातार कयासों का दौर चल रहा था। राज्य के विभाजन, अनुच्छेद 35ए और अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की अटकलें चल रही थीं। सुरक्षा बलों की बढ़ती तैनाती के बीच साफ था कि जो भी होगा बड़ा ही होगा। केंद्र ने अनुच्छेद 370 पर जो फैसला लिया, उससे यह मुद्दे ही नहीं, कश्मीर केंद्रित सियासत ही समाप्त हो गई। जम्मू-कश्मीर से लद्दाख अलग हो गया और जम्मू-कश्मीर भी अब केंद्र शासित राज्य हो गया है। ऐसे में लद्दाख का अब जम्मू-कश्मीर से कोई संवैधानिक, प्रशासनिक व सियासी संबंध नहीं रह गया है। सिर्फ एक सांस्कृतिक और एतिहासिक संबंध रह गया है। जम्मू व कश्मीर प्रांत बेशक अलग नहीं हुए हैं, लेकिन केंद्र शासित राज्य बनने के बाद प्रशासनिक और संवैधानिक तौर पर होने वाले बदलावों के बीच राजनीतिक समीकरण भी पूरी तरह बदलेंगे। स्थानीय सियासत में राज्य में अस्थायी रूप से बसे गैर रियासती नागरिक भी अब शामिल होंगे।

जम्मू-कश्मीर की सबसे बड़ी सियासी पार्टी नेशनल कांफ्रेंस भले ही भारत के साथ विलय पर साथ रही हो, लेकिन हमेशा स्वायत्तता का झंडा ही उठाती रही। नेशनल कांफ्रेंस दो दशकों तक राज्य की जनता की रायशुमारी (जनमत संग्रह) का मसला उठाती रही। उसके बाद भले ही उसने रायशुमारी की मांग तो छोड़ दी, लेकिन 1953 से पूर्व की संवैधानिक स्थिति की बहाली का आंदोलन चलाती रही और यही उसका सियासी एजेंडा है। लोकसभा चुनाव में भी उसने इसी मुद्दे को हवा दी। नेशनल कांफ्रेंस को सियासी चुनौती देने वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने सेल्फ रूल का नारा देकर अलगाववाद की विचारधारा को न केवल हवा दी बल्कि राज्य की सत्ता के शीर्ष पर भी पहुंची। हुर्रियत छोड़ मुख्य धारा की सियासत में आई पीपुल्स कांफ्रेंस बेशक ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल का नारा नहीं देती, लेकिन राज्य के विशेष दर्जे की हमेशा पक्षधर रही है। इंजीनियर रशीद व शाह फैसल के साथ आने से बना जेके पीपुल्स यूनाइटेड फ्रंट की नीतियां भी जम्मू-कश्मीर से जुड़ने वाली नहीं हैं।

कश्मीर केंद्रित सभी सियासी दलों ने हमेशा स्थानीय मुस्लिम आबादी को ही प्राथमिकता दी। उन्होंने गैर मुस्लिम समुदाय को अपने साथ अगर जोड़ा तो यह साबित करने के लिए कि वह मुस्लिम तुष्टिकरण से दूर हैं और सभी को साथ लेकर चलते हैं। उनकी इस हकीकत को सभी जानते हैं। इसलिए नेकां, पीडीपी या इन जैसा कोई अन्य दल कभी भी कश्मीर से बाहर गैर मुस्लिम इलाकों में अपनी पैठ नहीं बना पाए। यह दल अपनी अलग पहचान और राज्य में बहुसंख्यक होने के बावजूद देश में मुस्लिमों के अल्पसंख्यक होने का कार्ड खेलते रहे।

70 साल से सत्ता पर काबिज सियासी घरानों को तलाशने होंगे विकल्प

11 दिन से चल रहा अटकलों और अफवाहों का दौर हुआ खत्म

370 समाप्त नहीं हुई, कश्मीर मुद्दा ही खत्म हो गया

कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ और एकजुट जम्मू संगठन के महासचिव अजात जंवाल ने कहा कि आज अनुच्छेद 370 समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि कश्मीर मुद्दा ही समाप्त हो गया है। नेकां, पीडीपी और अलगाववादियों की सियासत खत्म हो गई है। आज जम्मू-कश्मीर किसी विवाद का हिस्सा नहीं है वह अब केंद्र शासित राज्य है, मतलब सीधा केंद्र के अधीन। इसके अलावा राज्य में स्टेट सब्जेक्ट का कानून भी खत्म हो गया है। इससे राज्य में रहने वाले लाखों गैर रियासती नागरिकों को भी विधानसभा में वोट डालने का अधिकार मिल गया है। वह लोग सेल्फ रूल या इस्लाम के नाम पर वोट नहीं देंगे। वह अपने हित देखेंगे। अगर रियासत की सियासत में बने रहना है तो सभी दलों को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा या फिर इन्हें अपने चेहरे पर लगे तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के मुखौटे को उतारना पड़ेगा। मौजूदा हालात में यह कौन सा रास्ता अपनाते हैं, यह इनके लिए तय करना बहुत मुश्किल है।

अब कहां जाएंगे विशेष दर्जे की सियासत करने वाले दल

फ्रेंड्स ऑफ साउथ इंडिया नामक संगठन के संयोजक सलीम ने कहा कि व्यक्तिगत राय अलग हो सकती है, लेकिन यह जरूरी था। सवाल इस समय कश्मीर के विशेष दर्जे की सियासत करने वाले राजनीतिक दलों के अस्तित्व का है। वह अब कहां जाएंगे, लोगों को किस मुद्दे पर जमा करेंगे। क्या वह हुर्रियत कांफ्रेंस व अलगाववादियों के साथ मिलकर कोई नया सियासी मंच बनाएंगे या फिर हिंदुस्तान के साथ अपने मुस्तकबिल को देखते हुए नीतियों में बदलाव करेंगे।

"वाह! ऐतिहासिक क्षण। धारा 370 खत्म हो रही है। साहसिक निर्णय।
-मधुर भंडारकर, फिल्म निर्माता

लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के लोगों की शांति, संपन्नता और सतत विकास के लिए बेहतरीन कदम। प्रधानमंत्री व गृहमंत्री को बधाई।
-दीया मिर्जा, अभिनेत्री

आज हमारी मातृभूमि को सही मायने में और पूरी आजादी मिली है। आज सही मायने में भारत एक हुआ है। जय हिंद!
-परेश रावल, अभिनेता व पूर्व सांसद

मैं फिलहाल न्यूयॉर्क में हूं। आज सुबह जब जगा तो कश्मीर को लेकर मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी खबर सुनने को मिली... भारत को बधाई।
-अनुपम खेर, अभिनेता

क्या नरक मचा हुआ है? कश्मीर में अल्लाह सभी को सुरक्षित रखें।
-गौहर खान, अभिनेत्री

यह वक्त भी गुजर जाएगा। कश्मीर!
-जायरा वसीम, कश्मीरी मूल की पूर्व अभिनेत्री

अब अगर कोई खूबसूरत कश्मीरी लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार है तो मैं वहां पर एक बड़ा सा बंगला खरीदने के लिए तैयार हूं। ...चलिए धरती पर मौजूद जन्नत में एक खूबसूरत जिंदगी जीते हैं।
-कमाल राशिद खान, फिल्म समीक्षक व अभिनेता

मैं लाल चौक पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विशाल प्रतिमा की स्थापना का प्रस्ताव देता हूं, जिन्होंने धारा 370 से कश्मीर की आजादी के लिए खुद को न्योछावर कर दिया।
-विवेक अग्निहोत्री, फिल्म निर्माता

अतुलनीय साहसिक कदम। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कश्मीर वासियों की जिंदगी बेहतर होगी।
-गुल पनाग, अभिनेत्री

यह आंदोलन कश्मीर की सही पहचान बनाएगा। निवेशक आम आदमी के लिए रोजगार पैदा करेंगे। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। युवा गलत दिशा में नहीं जाएंगे और इस प्रकार राज्य में हिंसा कम होगी।
-मोहित रैना, जम्मू में जन्मे अभिनेता

मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कहूंगा, लेकिन भाजपा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। धारा 370 को जाना ही पड़ा। जो खतरनाक परिणाम की चेतावनी दे रहे थे, उन्हें शर्म आनी चाहिए। एक देश, एक कानून।
-विक्रांत मैसी, अभिनेता

मैं कश्मीर व कश्मीरियों के शांतिपूर्ण विकास के लिए शुभकामनाएं देती हूं।
-रवीना टंडन, अभिनेत्री

यह कवायद काफी समय से लंबित थी। आतंकवादमुक्त भारत के लिए यह ऐतिहासिक निर्णय है। मैं इस पर काफी लंबे समय से बल दे रही थी और आश्वस्त थी कि अगर कोई ऐसा साहसिक कदम उठा सकता है तो वह हैं-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभी देशवासियों को बधाई। हम उज्ज्वल भविष्य के लिए साथ हैं।
-कंगना रनोट, अभिनेत्री

जम्मू-कश्मीर से बाहरी व्यक्ति के साथ शादी के बाद मेरे मूल अधिकार छिन गए थे। यह बहुत बड़ा अन्याय था, क्योंकि जब कोई पुरुष बाहरी लड़की से शादी करता था तो उसके अधिकार बरकरार रहते थे। वहीं, लड़की द्वारा बाहरी पुरुष से विवाह करने से अधिकार छिन जाते थे। सरकार के इस कदम के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं अब भी राज्य का हिस्सा हूं।
-एकता कौल, कश्मीरी मूल की टीवी अभिनेत्री

सरकार का यह कदम प्रशंसनीय है। लोग इसका इंतजार कर रहे थे।
-विद्युत जामवाल, जम्मू में जन्मे अभिनेता

सरकार का कदम प्रशंसनीय है। उम्मीद है राज्य में शांति लौटेगी।
-अनुभव सिन्हा, फिल्म निर्देशक"

जितनी बड़ी राजनीतिक उतनी बड़ी वैचारिक जीत

आशुतोष झा • नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह। फाइल

राजनीतिक विस्तार के लिहाज से भाजपा अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अमित शाह भले ही कहते रहे हों कि पार्टी का स्वर्णिम काल अभी नहीं आया है, लेकिन विचारधारा के स्तर पर भाजपा ने स्वर्णिम काल की सीमा को छू लिया है। अखंड भारत की वकालत करते रहे जनसंघ से लेकर भाजपा तक के एजेंडे में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा ही सबसे बड़ी बाधा था। जनसंघ संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी मौत के पीछे भी कश्मीर का यही विशेष दर्जा कारण था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में साहसिक कदम के साथ इसे पूरा कर दिया है। मोदी सरकार-2 के पहले दो-तीन महीने में ही तीन तलाक विधेयक कानून बन चुका है। अयोध्या मसले पर रोजाना सुनवाई शुरू हो चुकी है और कश्मीर अखंड भारत का हिस्सा बन चुका है। हालांकि इस बड़ी जीत के साथ ही एक राजनीतिक संदेश भी साफ गया है कि मोदी अपने वादों पर खरे उतरेंगे। मोदी के साथ-साथ भाजपा अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह का कौशल भी स्थापित हो गया है।

फैसले ने साबित किया, घोषणापत्र में किए वादे अधूरे नहीं रहेंगे : भाजपा के तीन वैचारिक मुद्दे ऐसे थे जिसे लेकर सहयोगी दलों में भी दरार दिखती रही थी। इन्हीं मुद्दों के कारण भाजपा को अस्पृश्य भी माना जाता था और ये तीन मुद्दे-अयोध्या, धारा-370 और समान नागरिक संहिता, हमेशा से भाजपा के घोषणापत्र का भी हिस्सा रहे हैं। तीन तलाक के जरिये समान नागरिक संहिता का एक हिस्सा भाजपा ने दुरुस्त कर दिया है। अयोध्या राम मंदिर पर लंबी लड़ाई और आंदोलन चलता रहा है, लेकिन अब मंगलवार से कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द कोई फैसला आएगा। ऐसे में जम्मू- कश्मीर के लिए धारा-370 पर प्रहार कर अखंड भारत की सोच को तेज करने का प्रयास सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। दरअसल इसमें हाथ जलने का सबसे ज्यादा खतरा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी ने बड़ी दूरदर्शिता और ठोस प्रयास के साथ इसे भी अमलीजामा पहना दिया है। बस लोकसभा से इसे पारित होने की देर है और उसमें संदेह नहीं है। इस बड़े फैसले ने राजनीतिक विस्तार की भी संभावना बढ़ा दी है।

कुशल प्रशासक भी साबित हुए शाह

इस पूरे क्रम में शाह केवल चुनावी रणनीतिकार ही नहीं, कुशल प्रशासक के रूप में स्थापित हो गए हैं। उनके अध्यक्षीय काल में ही भाजपा ने असम, त्रिपुरा समेत उत्तर पूर्व के उन राज्यों में भी झंडा गाड़ा था जहां कभी भाजपा का जड़ें भी नहीं रही थीं। पहले वाम और फिर तृणमूल के गढ़ बने पश्चिम बंगाल में भी भाजपा ने अभूतपूर्व छलांग लगाई तो केरल में भी जीत हासिल किया। गृहमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने जिस तरह से कश्मीर के अलगाववादियों पर नकेल लगाई और फिर तर्कपूर्ण और कानून सम्मत तरीके से जम्मू-कश्मीर का हल निकालकर राज्यसभा में इसे पारित कराया, उसने सबको चौंका दिया है। ध्यान रहे कि 17वीं लोकसभा में भाजपा के कई बड़े नेता सदन से बाहर हैं, लेकिन शाह ने अपनी मौजूदगी से वह कमी कभी खलने नहीं दी। बेझिझक तर्कों के साथ वह विपक्ष का जवाब देने से कभी चूके नहीं। तीन तलाक जैसे विधेयक के पारित होते वक्त शाह की मौजूदगी सत्ताधारी दल के लिए बड़ा बल था। सोमवार को जब राज्यसभा में बड़ी बाधा दूर हुई तो प्रधानमंत्री ने शाह की पीठ थपथपा कर यह जता भी दिया कि उन्हें अपने पुराने सेनापति पर भरोसा है।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी छाया रहा मुद्दा

जेएनएन, नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत सरकार के फैसले की दुनियाभर में चर्चा हो रही है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया के कई प्रमुख अखबारों व टीवी चैनलों ने इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है। अमेरिका के चर्चित अखबार 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' ने अनुच्छेद 370 हटने और कश्मीर में सेना की तैनाती को लेकर खबर दी है। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अनुच्छेद 370 हटाने का मुद्दा हालिया आम चुनाव के अपने घोषणापत्र में भी शामिल किया था।

'वाशिंगटन पोस्ट' ने अपनी रिपोर्ट में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में अस्थिरता बढ़ने की आशंका व्यक्त की है। न्यूयॉर्क स्थित राजनीतिक विशेषज्ञ अंकित पांडा के हवाले से वाशिंगटन पोस्ट ने कहा, 'यह अनुमान लगाना कठिन है कि इस फैसले का परिणाम आगे क्या होने वाला है।'

ब्रिटेन के प्रमुख अखबार 'द गार्जियन' ने लिखा कि भाजपा लंबे समय से अनुच्छेद 370 हटाने की बात करती रही है। हालांकि, पहली बार इस दिशा में ठोस कदम उठाया गया है। यह फैसला भविष्य में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की विरासत का प्रतीक बन सकता है। इसके साथ ही अखबार ने फैसले पर पाकिस्तान की ओर से पुरजोर विरोध होने की भी बात की है। कतर के टीवी चैनल 'अलजजीरा' ने भी अपनी वेबसाइट पर अनुच्छेद 370 के हटने से जुड़ी कई खबरों को जगह दी है। उसने अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार के फैसले का समर्थन और उसके विरोध में खड़े प्रमुख नेताओं के बयान को भी शामिल किया है। उधर, पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' की वेबसाइट भी मोदी सरकार के इस फैसले से जुड़ी खबरों से भरी है। उसने कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के साथ ही नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के बयानों को तरजीह दी है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के मायने क्या हैं, इसे लेकर भी रिपोर्ट दी गई है।

कानून की कसौटी पर सौ फीसद दुरुस्त

माला दीक्षित • नई दिल्ली

- **संविधानविदों की राय में संविधान सम्मत है सरकार का कदम**
- **अगर संसद से संकल्प पत्र नहीं भी पास होता तो भी राष्ट्रपति का आदेश पूरी तरह संवैधानिक होता**

जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर देश भर के नागरिकों को इस केंद्र शासित प्रदेश में समान अधिकार देने का सरकार का कदम कानून की कसौटी पर सौ फीसद दुरुस्त है। संविधानविदों का मानना है कि सरकार की कार्यवाही में कोई कानूनी या संवैधानिक खामी नहीं है। सरकार ने अनुच्छेद 370 में बदलाव की जो प्रक्रिया अपनायी है वह संविधान सम्मत है।

जम्मू और कश्मीर में भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है उसे कानूनी तौर पर परखना जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत से लोग सरकार के कदम को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में हो सकते हैं। ऐसे में यह समझना होगा कि सरकार का कदम कितना और कैसे कानून की कसौटी पर सही साबित होता है। इस बारे में संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप कहते हैं कि वैसे तो किसी भी आदेश या कार्यवाही को कोई भी अदालत में चुनौती दे सकता है लेकिन उनकी राय में सरकार की कार्यवाही सौ फीसद ठीक है। संवैधानिक रूप से उसमें कोई खामी नहीं है और ना ही प्रक्रिया में किसी कानूनी या संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन हुआ है। कश्यप अनुच्छेद 370 को खत्म करने की संवैधानिक प्रक्रिया बताते हुए कहते हैं कि राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर की संविधानसभा की सहमति से इसे समाप्त या इसमें बदलाव कर सकते हैं। चूंकि जम्मू कश्मीर में अब संविधानसभा नहीं है इसलिए उसकी उत्तराधिकारी विधानसभा को माना जाएगा। लेकिन आजकल राज्य में विधानसभा भी नहीं है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू है। ऐसे में राष्ट्रपति के पास ही शक्तियां हैं और वह उसके तहत आदेश जारी कर सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को विशेष दर्जा देने वाला प्रावधान कहना गलत है। यह अनुच्छेद अस्थाई प्रावधान है। विशेष दर्जा और अस्थाई प्रावधान में अंतर होता है। राज्य के विशेष दर्जे का प्रावधान अनुच्छेद 371 में नगालैंड के बारे में है। कश्यप यहां तक कहते हैं कि इसके लिए संसद से संकल्पपत्र भी पास कराने की जरूरत नहीं थी। अगर संसद से संकल्प पत्र नहीं भी पास होता तो भी राष्ट्रपति का आदेश पूरी तरह संवैधानिक और कानूनी होता। पहले भी राष्ट्रपति के आदेश से ही जम्मू कश्मीर के बारे में अनुच्छेद 35ए आदि में बदलाव किया गया है। हालांकि संसद से संकल्प पत्र पास होने से उसे और भी ज्यादा कानूनी मजबूती मिल गई है।

जाने-माने वकील और पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी भी इस बात से सहमत हैं कि जम्मू कश्मीर के स्थाई निवासियों को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधान खत्म करने के लिए संसद में जाने की भी जरूरत नहीं थी। राष्ट्रपति 1954 के आदेश की तरह ही आदेश जारी कर इसे खत्म कर सकते थे। रोहतगी तो यहां तक कहते हैं कि कोर्ट में इसे चुनौती देना विफल होगा। पूर्व सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे भी प्रक्रिया को सही और कानून सम्मत बताते हैं।

स्वामी बोले, गुलाम कश्मीर को वापस लेना हो सरकार का अगला एजेंडा

नई दिल्ली, प्रेट्र : राज्यसभा के मनोनीत सदस्य सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सोमवार को कहा कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद सरकार का अगला एजेंडा गुलाम कश्मीर को वापस हासिल करना होना चाहिए।

अनुच्छेद 370 को खत्म करने संबंधी प्रस्ताव का समर्थन करते हुए स्वामी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कश्मीर मसले पर मध्यस्थता करने के लिए अब कुछ नहीं रह गया है। अब वह सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भारत से गैरकानूनी तरीके से हासिल जमीन को वापस करने के लिए कह सकते हैं। उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र को वापस लेना हमारे लिए अगला एजेंडा है। मुझे उम्मीद है कि जिस निर्णायक क्षमता से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने यह कदम उठाया है, वह अगला कदम भी उठाएंगे, खासकर तब जबकि हम संसद के प्रस्ताव के मुताबिक उसे वापस हासिल करने के लिए तैयार हैं।'

कहा, नरसिम्हा सरकार के कार्यकाल में संसद सर्वसम्मति से पारित कर चुकी है इस आशय का प्रस्ताव

सुब्रह्मण्यम स्वामी फाइल

इस क्रम में उन्होंने बताया कि नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल में संसद ने गुलाम कश्मीर को वापस लेने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक अनुच्छेद 370 अस्तित्व में था, अन्य तत्व उसका फायदा उठा रहे थे। यही नहीं, हाल में इमरान खान जब अमेरिकी राष्ट्रपति से मिले और अमेरिकी राष्ट्रपति ने गलती से कह दिया कि वह मध्यस्थता करने के इच्छुक हैं तो कुछ तत्व तो बेहद उत्साहित हो गए थे।

कांग्रेस के नेता कानून से अंजान: कानून से अंजान रहने के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए स्वामी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकता है और उसके लिए संविधान में संशोधन की कोई जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा, 'संविधान सभा ने अपनी कार्यवाही 1956 में समाप्त की थी और जम्मू-कश्मीर के संविधान की प्रस्तावना की सिफारिश की थी। जो कहता है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अविभाज्य हिस्सा होगा। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यह जम्मू-कश्मीर के संविधान में भी है। संविधान में अनुच्छेद 370 का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता कानून से बिल्कुल अंजान हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि कानून क्या कहता है।' स्वामी ने कहा कि मोदी सरकार कानून के आधार पर ही आगे बढ़ रही है।

ट्विटर पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़, चेतन ने भी किया समर्थन

नई दिल्ली, आइएएनएस : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली अनुच्छेद 370 को खत्म करने का प्रस्ताव रखा ट्विटर पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। लोग तो वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत तय मान बधाई तक देने लगे। मशहूर लेखक चेतन भगत ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया।

भगत ने ट्वीट किया, 'एक देश, एक प्रणाली। आतंकवाद से जूझ रहा कश्मीर भारत के लिए काफी महंगा साबित हुआ है। रक्षा बजट में लाखों-करोड़ों रुपये का अलग से प्रावधान करना पड़ता है। सैनिकों की जानें जा रही हैं। इस बीच इस मुद्दे का हल ढूंढने के लिए फैंसी संगोष्ठियों का दिखावा भी चलता रहता है। अब समय आ गया है कि इन्हें रोका जाए।

लोगों ने तो आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत तय बताते हुए अभी से बधाई देनी शुरू कर दी। एक ने लिखा, 'आगामी लोकसभा में जीत के लिए बधाई। अनुच्छेद 370। मोदी है तो मुमकिन है।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'एक झंडा, एक देश और एक संविधान! कश्मीर हमारा है। अनुच्छेद 370।'

चेतन भगत फाइल

हालांकि, सरकार के इस कदम की आलोचना भी हुई। कर्नाटक के गायक व एक्टिविस्ट टीएम कृष्णा ने ट्वीट किया, 'अगर यह लोकतांत्रिक संकट नहीं है तो मैं नहीं जानता कि यह क्या है? कृपया अब जाग जाएं।' अधिवक्ता सुहरित ने लिखा, 'यह पूरी तरह अवैध है। जैसा कि गुलजारी लाल नंदा ने चार दिसंबर 1964 को लोकसभा में कहा था, अनुच्छेद 370 ही जम्मू-कश्मीर में भारतीय कानून को लागू करने का एक मात्र माध्यम है।'

स्वर्णिम इतिहास | प्रजा परिषद अध्यक्ष प्रेमनाथ डोगरा के प्रस्ताव पर डॉ. मुखर्जी ने की थी घोषणा

कानपुर से किया था कश्मीर की आजादी का एलान

बृजेश दुबे • कानपुर

आज जिस अनुच्छेद-370 के विशेष प्रावधानों के खत्म होने का जश्न पूरा देश मना रहा है, उसका एलान क्रांतिधरा कानपुर से हुआ था। भारतीय जनसंघ के पहले अधिवेशन में तत्कालीन अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर की प्रजा परिषद के अध्यक्ष प्रेमनाथ डोगरा के प्रस्ताव को मानते हुए एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान.. नहीं चलेंगे का नारा दिया था। पं. डोगरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के खास बुलावे पर आए थे। बाद में उन्होंने प्रजा परिषद का विलय जनसंघ में कर दिया था।

जनसंघ का यह अधिवेशन कानपुर के फूलबाग में 29 से 31 दिसंबर 1952 तक चला था। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रचारक बलराज मधोक, नानाजी देशमुख, पं. दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, कुशाभाऊ ठाकरे जैसी हस्तियां शामिल हुई थीं। यहीं अनुच्छेद-370 के पुरजोर विरोध का एलान हुआ था। संघ के क्षेत्र संघ चालक वीरेंद्रजीत सिंह 'पराक्रमादित्य' बताते हैं, अधिवेशन से एक दिन पहले पं. मुखर्जी ने घर आकर मां सुशीला देवी व पिता बैरिस्टर नरेंद्रजीत सिंह से अधिवेशन पर लंबी बात की थी।

बकौल वीरेंद्रजीत सिंह मेरी मां, कश्मीर के राजा हरि सिंह के दीवान बद्रीनाथ की बेटी थीं। 1935 में विवाह के बाद कानपुर आ गईं। तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सर संघचालक माधवराव सदाशिव गोलवलकर 'गुरुजी' को कहा था कि वह कश्मीर के विलय के लिए राजा हरि सिंह को समझाएं। राजपरिवार से घनिष्ठता के कारण मां ने 16 अक्टूबर 1947 को गुरुजी की मुलाकात राजा हरि सिंह से कराई थी। गुरुजी ने अपनी पुस्तक में भी इसका जिक्र किया है। 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट आफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर के वक्त मेहर चंद महाजन भी थे, जिन्हें पटेल ने राजा हरि सिंह का सलाहकार नियुक्त किया था। बाद में वह देश के चीफ जस्टिस भी हुए।

पराक्रमादित्य बताते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के कई प्रावधानों का मां ने भी विरोध किया था। वे इसे बेटे-बेटी में भेदभाव व समाज को बांटने वाला मानती थीं। इसी कारण डॉ. मुखर्जी व मधोक जी भी घर आकर कश्मीर पर चर्चा करते थे।

वीरेंद्रजीत सिंह कहते हैं, यह डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को शांति देने वाला फैसला है। इसे भाजपा मात्र की उपलब्धि में न बांधें। यह जनमानस की उपलब्धि है।

दमन से कमजोर नहीं पड़ेगा हमारा आंदोलन : फूलबाग में हुए अधिवेशन में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रजा परिषद के आंदोलन को सही बताते हुए इसे बदनाम करने का विरोध भी किया। डॉ. मुखर्जी ने कहा, 'नेहरू व शेख अब्दुल्ला दोनों ही जम्मू में भयंकर दमन की नीति चला रहे हैं, किंतु मैं असंदिग्ध रूप से यह घोषणा करता हूं कि दमन से समस्या हल नहीं होगी। जितना दमन होगा, उतने घातक परिणाम होंगे। दोनों यह भी जानते हैं कि दमन के बावजूद हमारे आंदोलन कमजोर नहीं पड़े।'

...देख लो ऐ दुनिया वालों, यह कश्मीर हमारा है...

कानपुर : जनसंघ के पहले अधिवेशन में बतौर प्रतिनिधि शामिल हुए पूर्व पार्षद कर्नलगंज (पुरानी शराब की गद्दी) निवासी 85 वर्षीय कमलाकांत बाजपेई बेहद प्रफुल्लित और खिलखिलाते हुए स्मृतियों के पन्ने उलटते हैं। कहते हैं, फूलबाग में पूरा पंडाल खचाखच भरा था। करीब 400 लोग रहे होंगे। जब डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेंट्रल स्टेशन के एक नंबर प्लेटफॉर्म पर उतरे तो नारा गूंजने लगा, 'जागो हिंदू वीरों, कश्मीर जा रहा है...'। आज के फैसले ने बता दिया... देख लो ऐ दुनिया वालो, ये कश्मीर हमारा है...।

1951 में स्थापना के बाद जनसंघ का पहला अधिवेशन हुआ था कानपुर में

भारत माता ने मोहा मन

कमलाकांत बताते हैं, संस्कार भारती के योगेंद्र बाबा ने भारत का नक्शा बनाया था। जमीन पर 20 गुणा 20 फीट की माटी की प्रतिमा बनाई थी। इसे देखने लोग दूर-दूर से आते थे।

क्या हैं केंद्र शासित प्रदेश के मायने

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर राज्य को पुनर्गठित कर दो हिस्सों में बांट दिया है। जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म हो गया है और उसकी जगह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से जम्मू-कश्मीर जहां देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होगा वहीं लद्दाख दूसरे नंबर पर होगा। सामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से यह जानना जरूरी हो जाता है कि किसी क्षेत्र को केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश क्यों रखती है तथा केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में अंतर क्या है।

केंद्र शासित प्रदेश मुख्यतः परिस्थिति विशेष को ध्यान में रख कर बनाए जाते हैं। ताकि उस प्रदेश की विशेष परिस्थितियों में उसका शासन-प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के आधीन हो। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बीच सबसे बढ़ा अंतर शासन और प्रशासन का होता है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन होता है और वहां उपराज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से प्रशासनिक कामकाज देखता है। जबकि राज्यों में विधानसभा होती है और चुनी हुई सरकार होती है। राज्य का प्रशासनिक मुखिया राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद देश में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या बढ़कर नौ हो गई है। जम्मू-कश्मीर को भी सामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए और उसकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने उसे दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया है। केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस व्यवस्था भी केंद्र सरकार के आधीन होती है यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आती है। जबकि राज्यों में पुलिस राज्य सरकार के अधीन होती है क्योंकि पुलिस राज्य का मुद्दा है। सीमित शक्ति वाले राज्य जैसे दिल्ली में विधानसभा और राज्य सरकार होते हुए भी पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के आधीन है। यहां तक कि भूमि और पब्लिक आर्डर भी दिल्ली का केंद्र के तहत आता है।

अब क्या होगा : राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधान समाप्त कर दिए हैं। इसके साथ ही अनुच्छेद 35ए भी स्वतः समाप्त हो गया है। अनुच्छेद 35ए 1954 में प्रेसीडेन्शियल आर्डर के जरिये संविधान में शामिल किया गया था। जो कि जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों के विशेष अधिकारों की बात करता था। इसके जरिये राज्य की विधानसभा को राज्य के स्थाई निवासी परिभाषित करने का हक दिया गया। राज्य सरकार ने इस अधिकार का उपयोग करते हुए घोषित किया कि राज्य के संविधान लागू होने यानी 1954 से 10 वर्ष पहले से जो लोग राज्य में निवास कर रहे हैं वे ही राज्य के स्थायी निवासी माने जाएंगे और 1944 से पहले राज्य में रहने वाले जिन लोगो के पास स्थायी निवास प्रमाणपत्र होगा, वे ही राज्य द्वारा दिए जाने वाले सभी मूल अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे। 35ए में कहा गया था कि स्थाई निवासी को ही राज्य में सरकारी नौकरी, राज्य में अचल संपत्ति खरीदने, राज्य में बसने और राज्य सरकार की छात्रवृत्तियों को पाने का अधिकार होगा। इस प्रावधान के कारण जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों और देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले नागरिकों के साथ भेदभाव होता था। भारत के अन्य हिस्सों का निवासी जम्मू-कश्मीर में न तो अचल संपत्ति खरीद सकता था और न ही बस सकते थे। यहां तक कि चुनाव में खड़े होने और वोट देने का अधिकार भी उन्हें नहीं था। अब ये अधिकार मिल सकेंगे।

जम्मू-कश्मीर में अब होंगे उप राज्यपाल

नई दिल्ली, प्रेट्र : नए बने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की कमान अब उपराज्यपाल के हाथों में होगी, वहीं परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों की संख्या को 107 से बढ़ाकर 114 किया जाएगा। यह देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य होगा। दूसरे नंबर पर लद्दाख होगा। जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। बता दें कि वर्तमान में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 89 हैं। इनमें से 87 का चुनाव जहां जनता करती है, वहीं दो सदस्यों को नामित किया जाता है। 87 सीटों में से जम्मू क्षेत्र में 37, लद्दाख क्षेत्र में चार और कश्मीर घाटी में 46 सीटें पड़ती हैं। 24 सीटें खाली रहती हैं, क्योंकि यह गुलाम कश्मीर में पड़ती हैं। सोमवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक-2019 को पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के बाद जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा सीटों की संख्या को 107 से बढ़ाकर 114 किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर में एक मंत्रि परिषद भी होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकेगी।

30 से बढ़ाकर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 करने के विधेयक को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है। फिलहाल शीर्ष अदालत में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल 31 न्यायाधीशों का प्रावधान है।

राजस्थान में उन्मादी हिंसा हुई तो दोषियों को होगा आजीवन कारावास

सख्त रुख ▶ मणिपुर के बाद इसको लेकर कानून बनाने वाला दूसरा राज्य बना

पांच लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान, सहयोगियों को भी होगी सजा

जागरण संवाददाता, जयपुर

अशोक गहलोत

राजस्थान विधानसभा फाइल फोटो

प्रेमी जोड़ों को मारने पर भी होगी ताउम्र जेल

राजस्थान विधानसभा में सोमवार को ऑनर किलिंग के खिलाफ विधेयक पारित हो गया। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि प्रेमी जोड़ों को मारने पर दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। विधेयक में खाप पंचायत को गैर कानूनी घोषित करने के साथ ही इसमें शामिल होने वाले लोगों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। प्रेमी जोड़ों को विवाह करने के बाद परेशान करने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है।

मणिपुर के बाद राजस्थान उन्मादी भीड़ की हिंसा (मॉब लिंचिंग) को लेकर कानून बनाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। राजस्थान में अब उन्मादी हिंसा की घटना में पीड़ित की मौत पर दोषियों को आजीवन कारावास और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा भुगतनी होगी। पीड़ित के गंभीर रूप से घायल होने पर 10 साल तक की सजा और 50 हजार से 3 लाख रुपये तक का जुर्माना दोषियों को भुगतना होगा। उन्मादी हिंसा में किसी भी रूप से सहायता करने वाले को भी वही सजा मिलेगी जो, हिंसा करने वाले को मिलेगी।

राज्य में बढ़ती उन्मादी हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने सोमवार को विधानसभा में 'राजस्थान लिंचिंग संरक्षण विधेयक-2019' में पेश किया, जो पारित हो गया। भाजपा ने इस विधेयक का विरोध किया। विधेयक में उन्मादी हिंसा को गैर जमानती, संज्ञेय अपराध बनाया गया है। उन्मादी हिंसा की घटना के वीडियो, फोटो किसी भी रूप में प्रकाशित अथवा प्रसारित करने पर भी एक से तीन साल तक की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना देय होगा। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि दो व्यक्ति भी अगर किसी को मिलकर पीटते हैं तो उसे उन्मादी हिंसा माना जाएगा।

ये आएगा उन्मादी हिंसा के दायरे में : विधेयक में धर्म, जाति, भाषा, राजनीतिक विचारधारा, समुदाय और जन्म स्थान के नाम पर भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को उन्मादी हिंसा माना गया है। इसमें दो या दो से ज्यादा व्यक्ति को उन्मादी हिंसा की परिभाषा में शामिल किया गया है। इंस्पेक्टर रैंक का अफसर ही इससे जुड़े मामलों की जांच करेगा। इस तरह के मामलों की प्रदेश स्तर पर पुलिस महानरीक्षिक रैंक व जिलों में उप अधीक्षक रैंक के अधिकारी निगरानी करेंगे। इस तरह के मामलों की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी।

विधेयक में प्रावधान किया है कि पीड़ित को राजस्थान विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत सहायता दी जाएगी और दोषियों से जो जुर्माना वसूला जाएगा, उसे पीड़ित को दिया जाएगा। विधेयक पर हुई चर्चा में विधायकों द्वारा जताई गई आशंकाओं का जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पालना में उन्मादी हिंसा कानून बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 2014 से उन्मादी हिंसा के 200 से अधिक मामले सामने आए हैं, इनमें से 86 प्रतिशत राजस्थान के हैं। देश में शांत प्रदेश माना जाने वाला राजस्थान उन्मादी हिंसा स्टेट के रूप में पहचाने जाने लगा।

लोकसभा अध्यक्ष ने जताई इच्छा, भव्य और आकर्षक बने संसद भवन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : संसद भवन को विस्तार देने के साथ उसके आधुनिकीकरण की मांग सोमवार को फिर लोकसभा में उठी। हालांकि, यह मांग इस बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने खुद ही की। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वर्ष 2022 में देश की आजादी का 75वां वर्ष पूरा हो रहा है। इस दौरान नव भारत के निर्माण के लिए जो संकल्प लिए जा रहे है, उनमें संसद भवन के विस्तार और आधुनिकीकरण को भी सम्मिलित किया जाए। मौजूदा संसद भवन अपने निर्माण के 92 वर्ष पूरा कर चुका है।

लोकसभा अध्यक्ष ने सोमवार को सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा, सबकी आकांक्षा है कि दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद भवन भव्य और आकर्षक बने। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक लोकतंत्र के बढ़ते स्वरूप ने देश की इस सबसे पवित्र और महान धरोहर का उत्तरदायित्व भी बढ़ाया है। लोकसभा के सभी सदस्यों की ओर से उन्होंने सरकार को यह भी भरोसा दिलाया कि संसद की पवित्रता और गरिमा को अक्षुण्ण रखा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि सदन में इससे पहले भी कई मौकों पर नए संसद भवन के निर्माण की मांग उठ चुकी है। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, वह भवन का पुराना और मौजूदा जरूरत के अनुरूप न होना है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी नए भवन की जरूरत बताई थी। लेकिन अब तक इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

मध्य प्रदेश में अब मिलावटखोरों को आजीवन जेल का प्रस्ताव

नईदुनिया, भोपाल

कमलनाथ फाइल फोटो

मिलावटखोरी को लेकर मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में हुई कार्रवाई के बाद अब पुलिस को और अधिकार देने की तैयारी चल रही है। इसमें आइपीसी की धारा में बदलाव कर पुलिस को कार्रवाई के लिए 'संज्ञेय' अपराध यानी हस्तक्षेप करने योग्य अपराध की श्रेणी में लाने का विचार चल रहा है। वहीं पड़ोसी राज्यों की तरह मिलावटखोरों को आजीवन कारावास देने का प्रस्ताव बनाया गया है। अभी यह मामला पुलिस मुख्यालय से मंत्रालय भेजा गया है।

प्रदेश में हाल ही में नकली दूध, मिलावटी मावा व पनीर की फैक्ट्रियां पकड़ी गईं। इसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। मगर बड़े पैमाने पर मिलावट की सामग्री बनाने वाले और उसके व्यापार में संलग्न गिरोह तक पहुंचने वाली एसटीएफ असहाय दिखाई दी, क्योंकि आईपीसी की धारा 272 और 273 में इसे असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

इसमें पुलिस पूरी तरह से स्वास्थ्य के अमले पर निर्भर रहती है, जिससे सूचना मिलने के बाद कार्रवाई में देरी होती है। इससे मिलावटखोरों को भागने व मिलावट की सामग्री को ठिकाने लगाने का मौका मिल जाता है। इसके बाद ही यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें खानपान की सामग्री बनाने और बेचने वालों पर आपराधिक कार्रवाई के लिए आइपीसी के धारा 272 व 273 की धारा 274 व 275 में परिवर्तन करने को लिखा गया है। आइपीसी की इन धाराओं में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा सहित कुछ अन्य राज्यों ने बदलाव किया है। मप्र में अभी इन धाराओं के अपराध में अधिकतम छह महीने की सजा होने से आसानी से जमानत मिल जाती है।

मिलावटखोरी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार के सभी विभाग एक हैं। मिलावटखोरों को आजीवन कारावास दिलवाने और पुलिस को कार्रवाई के अधिकार दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे।
– तुलसी सिलावट, स्वास्थ्य मंत्री

खानपान की सामग्री और दवा बनाने व बेचने वालों पर कार्रवाई आईपीसी की धाराओं में असंज्ञेय अपराध है, जिससे पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती। मिलावटखोरी रोकने आइपीसी की धाराओं में परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को भेजा है।
– अशोक अवस्थी, एडीजी, मप्र एसटीएफ

हुड्डा ने 154 वादों पर सरकार से पूछे सवाल, सीएम कल देंगे जवाब

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

हरियाणा विधानसभा सत्र

- **पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, धारा 370 हटाना भाजपा का चुनावी वादा था, वादे पूरे करने चाहिए**
- **अभय सिंह चौटाला ने की किसानों की बात, जयप्रकाश जेपी ने एसवाईएल का मसला उठाया**

हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में भाजपा सरकार के 154 वादों पर जम कर हंगामा हुआ। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के मुद्दे पर चल रही बहस के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से 154 वादों का हिसाब मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन के आखिरी दिन बुधवार को वे हर बात का जवाब देंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि किसी को सदन छोड़कर भागना नहीं होगा।

हुड्डा ने सदन में कहा कि धारा 370 हटा कर भाजपा ने अपना चुनावी वादा पूरा किया है। किसी भी दल को अपने चुनावी वादे पूरे करने चाहिए, लेकिन सरकार बताए कि उसने जनता से जो 154 वादे किए थे, उनमें से कितने पूरे किए हैं? कुछ इसी तरह की बात अभय सिंह चौटाला ने भी की।

अभय ने कहा कि भाजपा को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने तथा किसानों से किए वादे भी पूरे करने चाहिए। धारा-370 हटाने का कलायत से निर्दलीय विधायक जयप्रकाश ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को सुलझाया है, उसी तरह एसवाईएल के मुद्दे का भी समाधान होना चाहिए।

अभय ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के धारा 370 हटाने के केंद्र सरकार के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा को एक और प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजना चाहिए, जिससे दूसरे राज्यों में लगी अन्य तमाम तरह की पाबंदी को हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान सहित कई राज्यों में ऐसे कानून हैं कि वहां दूसरे राज्यों के लोग न तो कारोबार कर सकते हैं और न ही जमीन खरीद सकते हैं।

लोकसभा ने ट्रांसजेंडरों से जुड़े विधेयक को दी मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा ने ट्रांसजेंडरों से जुड़े एक विधेयक को सोमवार को पारित कर दिया। इसके माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उनके विभिन्न अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। स्थगन नोटिस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को बोलने नहीं देने पर कुछ विपक्षी दलों के भारी शोरशराबे के बीच ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019 को लोकसभा ने ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक को 19 जुलाई को पेश किया गया था।

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि बिल के पारित होने से ट्रांसजेंडर समुदाय के हितों की रक्षा होगी। विधेयक में ट्रांसजेंडर लोगों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करने की व्यवस्था की गई है। विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए एक कार्य प्रणाली बनाने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जुलाई को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019 को मंजूरी दी थी।

तीन और विधायक बने भाजपाई, इनमें दो इनेलो के

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- **नसीम अहमद का तीन महीने में ही कांग्रेस से मोह भंग, निर्दलीय देसवाल भी भगवा में रंगे**
- **अभय के करीबी रामचंद्र कांबोज ने पढ़े मुख्यमंत्री मनोहर लाल की शान में कसीदे**

चंडीगढ़ में सोमवार को भाजपा में शामिल हुए विधायक नसीम अहमद, रामचंद्र कांबोज और जसबीर देसवाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा भाजपा के प्रधान सु भाष बराला के साथ। संजय धिल्डियाल

मेवात क्षेत्र के इनेलो विधायक नसीम अहमद, इनेलो से इस्तीफा देने वाले रामचंद्र कांबोज और सफीदों से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले जसबीर देसवाल ने सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष सुभाष बराला की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली। इनेलो विधायकों के भाजपा में शामिल होने का सिलसिला पिछले कई माह से चल रहा है। नसीम अहमद लोकसभा चुनाव के दौरान इनेलो को छोड़कर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर और पार्टी प्रभारी गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हुए थे। नसीम को कांग्रेस रास नहीं आई और उन्होंने अपना राजनीतिक भविष्य भाजपा में सुरक्षित माना।

सफीदो के निर्दलीय विधायक जसबीर देसवाल ने पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बहन वंदना शर्मा को हराया था। चुनाव हारने के बाद सरकार ने वंदना शर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग की सदस्य बना दिया। देसवाल पिछले पांच साल से भाजपा को बाहर से समर्थन दे रहे थे, लेकिन सोमवार को उन्होंने भी औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली।

सिरसा जिले की रानियां सीट से विधायक रामचंद्र कांबोज ने इनेलो नेताओं पर आपसी कलह को समाप्त न करने और परिवार की लड़ाई के कारण पार्टी के नुकसान का आरोप लगाकर विधायक पद से इस्तीफा देते हुए इनेलो को अलविदा कर दिया था। कांबोज भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला से पहले ही मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने भी भाजपा का दामन थाम लिया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुका है। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों के बल पर आज भाजपा सबसे बड़ा दल बन चुका है। आज हरियाणा में भाजपा का कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है।
–सुभाष बराला, हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष।

भाजपा लगातार मजबूत होती जा रही है। हरियाणा के इतिहास में यह पहला मौका है जब सत्तारूढ़ दल के साथ इतनी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि जुड़ रहे हैं।
–मनोहर लाल, मुख्यमंत्री

तीनों विधायकों ने कहा कि वह किसी भी सौदेबाजी के तहत भाजपा में नहीं आए हैं। उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी, उसे निभाने का प्रयास किया जाएगा।

सजा निलंबित करने की सज्जन कुमार की याचिका पर सुनवाई मई में

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की सजा निलंबित करने की याचिका पर अगले साल मई में सुनवाई करेगा। 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है और वह अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं।

जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि यह 'सामान्य मामला' नहीं है और कोई आदेश पारित करने से पहले सुनवाई की जरूरी है। हाई कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद सज्जन कुमार ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था।

सज्जन कुमार को दक्षिण दिल्ली के छावनी इलाके के राज नगर पार्ट 1 इलाके में 1-2 नवंबर, 1984 को पांच सिखों की हत्या और राज नगर पार्ट 2 में एक गुरुद्वारे में आग लगाने के मामले में सजा हुई है।

बता दें कि 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके दो सिख सुरक्षा गार्डों द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगा भड़का था। सज्जन कुमार ने पिछले साल 17 दिसंबर को सुनाए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

छग में अब एपीएल परिवारों को भी मिलेगा सस्ता अनाज

नईदुनिया, रायपुर

- **चार साल पहले निरस्त हुआ था सामान्य परिवारों का राशन कार्ड, आज से फिर बनेगा**

छत्तीसगढ़ में चार साल बाद सामान्य परिवारों को फिर से यूनिवर्सल फूड स्कीम का लाभ मिलेगा। इन परिवारों को कांग्रेस सरकार नया राशन कार्ड बनाकर देगी, क्योंकि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 2015 में इनका कार्ड निरस्त कर दिया था। सामान्य वर्ग के परिवारों का राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू कर दी जाएगी। पहले इन परिवारों से आवेदन लिया जाएगा और अगले माह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राज्य के सभी वर्गों का राशन कार्ड बनाने का वादा किया था।

अब दोगुनी संख्या में बनेगा सामान्य परिवारों का कार्ड : अभी सरकार ने 65 लाख बीपीएल और सामान्य परिवारों का राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें 58 लाख 50 हजार बीपीएल कार्डधारक माने जा रहे हैं। शेष 6.50 लाख परिवार सामान्य वर्ग के माने जा रहे हैं। 2015 में जब सामान्य परिवारों का राशन कार्ड निरस्त किया गया था, तब इस वर्ग के कार्ड की संख्या तीन लाख थी। अब दोगुनी से ज्यादा संख्या में सामान्य परिवारों का कार्ड बनेगा। पूर्ववर्ती सरकार में आयकरदाताओं का कार्ड नहीं बना था, अब उनका भी कार्ड बन जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में कमी दूर करने सरकार बढ़ाएगी डॉक्टरों का वेतन: वहीं, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए सरकार डॉक्टरों का वेतन 20 से 30 फीसद तक बढ़ाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले सरकारी डॉक्टरों की जानकारी एकत्र करने में जुट गया है।

स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के अनुसार डॉक्टरों को दी जाने वाले सुविधाओं में शासन स्तर पर इजाफा किया जाना है। इससे वे पूरी लगन से प्रैक्टिस करने के साथ ही लोगों को स्तरीय चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे। सीएमएचओ डॉ. प्रमोद महाजन ने बताया कि शासन स्तर पर डॉक्टरों की वेतन बढ़ोतरी की कवायद शुरू की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टरों की जानकारी भेजी जाएगी।

विधेयकों पर विधानसभा में घिर गई पंजाब सरकार

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

ब्रह्म मोहिंदरा फाइल फोटो

पंजाब विधानसभा में पेश होने वाले बिलों को लेकर पंजाब सरकार सोमवार को सदन में बुरी तरह घिर गई। विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक ने भी इस पर आपत्ति जताई। वहीं, स्पीकर राणा केपी सिंह ने भी संसदीय कार्यमंत्री ब्रह्म मोहिंदरा को खरी-खरी सुना दी। चारों तरफ से घिरने के बाद मोहिंदरा ने स्वीकार किया कि उनका विभाग पेश होने वाले बिल समय पर देने को लेकर फेल हो गया है। इसके बाद पंजाब आबकारी (संशोधन) बिल 2019 और महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब खेल यूनिवर्सिटी बिल 2019 बगैर किसी बहस के मात्र छह मिनट में पास हो गया। जिस समय बिल पास हुआ सदन में न तो अकाली दल और न ही आप विधायक मौजूद थे।

पंजाब सरकार के लिए सबसे विचित्र स्थिति तब पैदा हो गई स्पीकर ने मुख्यमंत्री को बिल पेश करने के लिए कहा। वेल में काम रोको प्रस्ताव रद करने के विरोध में नारेबाजी कर रहे आप विधायकों ने स्पीकर से सवाल उठा दिया कि बिल पेश होने जा रहा है। बिल की कॉपी अभी मिली है। इस पर बहस कैसे हो सकती है। स्पीकर ने बात को संभालते हुए कहा कि बिनजेस एडवाजरी कमेटी में भी मामला आया था। संसदीय कार्य मंत्री ने भरोसा दिलवाया है कि बिल समय पर आएगा। इस पर ब्रह्म मोहिंदरा ने कहा कि बिल की कॉपी सभी विधायकों के घर पर भिजवा दी गई है। आप विधायकों ने मंत्री की बात को सिरे से खारिज कर दिया और कहा बिल नहीं मिला है। इसके बाद पूरी सरकार बगले झांकने लगी।

वड़िंग ने किया समर्थन : सरकार की स्थिति तब असहज हो गई, जब कांग्रेसी विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने विपक्ष का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि पांच मिनट पहले अगर बिल की कॉपी मिलेगी तो बहस क्या होगी।

स्पीकर से बोले अरोड़ा- सरकार आपको भी गुमराह कर रही : आप विधायक अमन अरोड़ा ने स्पीकर राणा केपी सिंह को आड़े हाथों ले लिया। स्पीकर वेल में नारेबाजी कर रहे विधायकों को कह रहे थे कि वह बिल पर बहस कर लें। अमन अरोड़ा ने कहा, आप कहते हो, बिल पर पढ़ कर बहस कर लो। पांच मिनट पहले बिल मिल रहा है। ऐसे में इसे कैसे पढ़ा जा सकता है और कैसे बहस हो सकती है। इस पर स्पीकर भी इस बात को स्वीकार किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने कहा, आप ठीक कह रहे हो। अमन अरोड़ा यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, सरकार आपको भी गुमराह कर रही है। बीएसी की बैठक में सरकार ने कहा था कि बिल समय पर मिलेगा। इसके बावजूद अगर बिल समय पर नहीं। अगर सरकार स्पीकर को गुमराह कर रही है, तो विधायकों का क्या होगा। इस पर स्पीकर ने कोई जवाब नहीं दिया।

स्पीकर राणा केपी सिंह ने भी ब्रह्म मोहिंदरा को खरी-खरी सुना दी। बिल समय पर नहीं आने पर अपना रोष जताया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने माना की अफसर व उनका दफ्तर समय पर बिल पहुंचाने में फेल हुआ है।

छह मिनट में बगैर बहस पास हुए दो बिल : द पंजाब एक्साइज (संशोधन) बिल 2019 पास हो गया। इस बिल के पास होने से शराब के गोदामों पर भी एक्साइज ड्यूटी लगेगी, जोकि पहले नहीं लगती थी। पहले केवल डिस्टलरी पर ही एक्साइज ड्यूटी लगती थी। इस बिल के पास होने से पंजाब के बाहर से आने वाली शराब, जिसे गोदाम में रखा जाएगा, उस पर भी एक्साइज ड्यूटी लगेगी।

पीसीएस भर्ती में भी यूपीएससी का पैमाना

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवाओं (पीसीएस) के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में बैठने के मौकों की गिनती बढ़ाने के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) का पैमाना अपनाने का फैसला किया है। इसके तहत जनरल कैटेगरी के लिए चार से बढ़ाकर छह, पिछड़ी श्रेणियों के नौ और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए अनगिनत मौके शामिल किए गए हैं।

केंद्रीय आयोग के नियमों के मुताबिक एससी श्रेणी के लिए आयु सीमा 42 साल होगी, जबकि जनरल के लिए 37 और पिछड़ी श्रेणियों के लिए 40 साल होगी। इसका एलान सोमवार को विधानसभा में सदन के नेता और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक सवाल के जवाब में किया। विधायक लखवीर सिंह लक्खा की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब में कैप्टन ने कहा कि सरकार इस संबंध में तबदीली लाने के लिए पिछले कुछ हफ्तों से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मौजूदा पंजाब सिविल सेवाएं नियमावली-2009 के अनुसार पीसीएस में सभी कैटेगरी के लिए चार मौके हैं।

फैसले की उम्मीद

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधानपीठ करेगी सुनवाई, पहले सुना जाएगा रामलला और निर्मोही अखाड़े का मुकदमा

अयोध्या राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट में आज से रोजाना सुनवाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

बहुप्रतीक्षित अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद पर मंगलवार से रोजाना सुनवाई शुरू होगी। मामले में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधानपीठ सुनवाई करेगी। पीठ के अन्य न्यायाधीश एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण व एस. अब्दुल नजीर हैं।

गत शुक्रवार को कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट देखने के बाद कहा था कि मध्यस्थता का कोई नतीजा नहीं निकला है इसलिए मामले पर छह अगस्त से रोजाना सुनवाई की जाएगी और सुनवाई तब तक जारी रहेगी जब तक सभी पक्षों की बहस पूरी नहीं हो जाती।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में राम जन्मभूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। इसमें एक हिस्सा भगवान रामलला विराजमान, दूसरा निर्मोही अखाड़ा व तीसरा हिस्सा सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को देने का आदेश था। इस फैसले को भगवान राम सहित हिंदू-मुस्लिम सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में ये अपीलें 2010 से लंबित हैं और कोर्ट के आदेश से फिलहाल अयोध्या में यथास्थिति कायम है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 14 अपीलें, तीन रिट पीटिशन और एक अन्य याचिका लंबित है। सुनवाई की शुरुआत मूल वाद संख्या 3 और 5 से होगी। मूल वाद संख्या 3 निर्मोही अखाड़ा का मुकदमा है और मूल वाद संख्या पांच भगवान रामलला विराजमान का मुकदमा है। कोर्ट ने शुक्रवार को मामले में बहस करने वाले वकीलों और पक्षकारों से आग्रह किया था कि जिन साक्ष्यों और दलीलों आदि को वे कोर्ट में पेश करने वाले हैं उसके बारे में पहले से बता दें ताकि कोर्ट स्टाफ उसे कोर्ट के सामने पेश करने के लिए तैयार रखे।

इससे पहले, कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के जरिये सुलझाने की कोशिश के लिए तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल को भेजा था। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में करीब पांच महीने मध्यस्थता चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला जिसके बाद कोर्ट में मामले की मेरिट पर सुनवाई का फैसला लिया है।

- **सर्वोच्च न्यायालय में कुल 14 अपीलें, तीन रिट पीटिशन और एक अन्य याचिका लंबित है**

सजीव प्रसारण की प्रशासनिक स्तर पर सुनवाई को शीर्ष कोर्ट राजी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह अयोध्या मामले की दिन-प्रतिदिन सुनवाई के सजीव प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) या रिकार्डिंग मामले में दायर याचिका पर प्रशासनिक स्तर पर सुनवाई करने पर विचार कर सकता है। बता दें कि अयोध्या मामले की शीर्ष कोर्ट की संविधान पीठ में मंगलवार से रोजाना सुनवाई होगी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य ने एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने अयोध्या मामले की दिन-प्रतिदिन सुनवाई के सजीव प्रसारण या रिकार्डिंग का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ के सामने उन्होंने अपनी इस याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था।

गोविंदाचार्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह से पीठ ने कहा कि हमें नहीं पता कि हमारे पास कोर्ट में सुनवाई के दौरान सजीव प्रसारण या रिकार्डिंग के लिए उपकरण हैं या नहीं। इस पर सिंह ने कहा कि यदि कोर्ट की कार्यवाही के सजीव प्रसारण में कोई दिक्कत है तो उसकी रिकार्डिंग तो की जा सकती है। उनकी याचिका पर पीठ ने तत्काल सुनवाई से इन्कार करते हुए कहा कि यह मामला संस्थागत है। पीठ ने कहा कि वह उसके प्रशासनिक स्तर सुनवाई को विचार कर सकता है।

बता दें कि 26 सितंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मामलों के सजीव प्रसारण की अनुमति दी थी। याचिका में इसी अनुमति को आधार बनाकर सजीव प्रसारण की अपील की गई थी।

कह के रहेंगे माधव जोशी

Downloaded from: www.iascgl.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 6 अगस्त 2019

दैनिक जागरण

एक बड़ी सफलता कई नाकामियों का हिसाब बराबर कर देती है

एक निशान-एक विधान

मोदी है तो मुमकिन है नारे के साथ सत्ता में लौटी मोदी सरकार ने वह कर दिखाया जिसका सपना देश न जाने कब से देख रहा था। आजादी के बाद जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के जरिये विशेष अधिकारों से लैस करने की ऐतिहासिक गलती को ठीक करने के लिए जिस राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत थी उसका प्रदर्शन किया जाना समय की मांग थी। यह मांग इसलिए और बढ़ गई थी, क्योंकि मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौटी थी और उसने यह वादा भी कर रखा था कि वह अनुच्छेद 370 को हटाएगी। इसके अतिरिक्त इस सच की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह अनुच्छेद अलगाववाद का जरिया बन गया था। बीते कुछ दशकों में कश्मीर के स्वार्थी नेताओं और पाकिस्तानपरस्त तत्वों ने कश्मीर घाटी में एक ऐसा माहौल बना दिया था कि वहां का एक वर्ग यह मानने लगा था कि वह शेष देश से इतर है। धीरे-धीरे यह भाव न केवल अलगाववाद में तब्दील हो रहा था, बल्कि कश्मीर की राजनीतिक समस्या को खतरनाक तरीके से मजहबी आवरण भी धारण कर रही थी। कश्मीर के विशेष अधिकारों को उसकी आजादी की बेतुकी मांग का जरिया बनाने की जैसी कोशिश हो रही थी और पाकिस्तान जिस तरह आग में घी डालने का काम कर रहा था उसे देखते हुए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो गया था कि कोई ठोस फैसला लिया जाए। यह स्वागतयोग्य है कि मोदी सरकार ने ऐसा फैसला लेने का साहस दिखाया। अपने साहसिक फैसले के जरिये मोदी सरकार ने केवल भाजपा की पुरानी मांग को ही पूरा नहीं किया, बल्कि कश्मीर के हालात ठीक करने के लिए लीक से हटकर एक बड़ी पहल भी की। कश्मीर पर यह बड़ी पहल अगस्त में आई एक और क्रांति की तरह है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही जम्मू-कश्मीर का नए सिरे से गठन करने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिए गए हैं। अब लद्दाख जम्मू-कश्मीर से अलग होकर बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा युक्त केंद्र शासित प्रांत। इसके सकारात्मक नतीजे मिलने ही चाहिए। मोदी सरकार ने अलगाववाद को पोषित करने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के साथ ही विभेदकारी 35-ए को निष्प्रभावी करके जम्मू-कश्मीर को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने की दिशा में तो ठोस कदम उठाया ही, राष्ट्रीय एकीकरण को भी नए सिरे से बल प्रदान किया। एक निशान-एक विधान की भावना वाले इस फैसले से केवल कश्मीर का समुचित विकास ही सुनिश्चित नहीं होगा, बल्कि कश्मीर के आम लोगों को शेष भारत से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वे खुद को पहले भारतीय मानना शुरू करेंगे।

आखिर सरकार के फैसले का विरोध कर रहे राजनीतिक दल किस आधार पर अनुच्छेद 370 को पसंद कर रहे हैं?

इस पर हैरानी नहीं कि अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के फैसले का कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समेत कुछ अन्य दलों ने विरोध किया, लेकिन इन दलों के नेताओं की ओर से ऐसी कोई दलील नहीं दी जा सकी जिसे दमदार कहा जा सके। यह आश्चर्यजनक है कि विपक्षी दल ऐसी कोई दलील का इंतजाम तब नहीं कर सके जब वे यह अच्छी तरह जान रहे थे कि मोदी सरकार कश्मीर पर कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है और यह फैसला अनुच्छेद 370 और 35-ए से संबंधित हो सकता है। यह सही है कि लोकतंत्र में विरोध के लिए विरोध की राजनीति भी होती है, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं कि राष्ट्र की दिशा-दशा तय करने वाले किसी ऐतिहासिक फैसले पर भी ऐसी राजनीति की जाए। समझना कठिन है कि आखिर सरकार के फैसले का विरोध कर रहे राजनीतिक दल किस आधार पर अनुच्छेद 370 को पसंद कर रहे हैं? क्या वे इससे अनजान हैं कि यह विषम परिस्थितियों में किया गया एक अस्थायी प्रावधान था? क्या वे इससे परिचित नहीं कि अनुच्छेद 370 के साथ 35-ए ने किस तरह आम कश्मीरियों और खासकर वहां के वंचित, दलित और पिछड़े तबकों के अधिकारों पर कुठाराघात किया है? अगर इन विभेदकारी अनुच्छेदों ने किसी का हित किया है तो केवल कश्मीर के मुट्ठी भर नेताओं का। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि जो अनुच्छेद अस्थायी था उसे कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाले तत्व के रूप में पेश किया जा रहा था। कश्मीर के भारत से जुड़ाव के लिए किसी अस्थायी संवैधानिक व्यवस्था को आधार बताना देश की हजारों बरस पुरानी सांस्कृतिक विरासत की अनदेखी के अतिरिक्त और कुछ नहीं।

कश्मीर पर बड़ा फैसला

विवेक काटजू

यदि पाक अनुच्छेद 370 के मसले को सुरक्षा परिषद में उठाए तो भारत को यही संदेश देना होगा कि अब परिषद का कश्मीर मुद्दे से कोई सरोकार नहीं

स्वतंत्र भारत के राष्ट्र जीवन में यह एक ऐतिहासिक पड़ाव है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को संसद में बताया कि जम्मू-कश्मीर राज्य मौजूदा स्वरूप में समाप्त किया जा रहा है और उसके स्थान पर अब दो केंद्रशासित प्रदेश होंगे। पहला जम्मू-कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में नहीं। इस बड़े बदलाव के पीछे कई कारण भी बताए गए हैं। लद्दाख के मामले में कहा जा रहा है कि केंद्रशासित दर्जा लद्दाखियों की आकांक्षाएं पूरी करने में मददगार होगा। इससे भी महत्वपूर्ण मसला जम्मू-कश्मीर का है। जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की पहल के पीछे की वजह आंतरिक सुरक्षा स्थिति बताई गई है। इस स्थिति के लिए सीमा पार आतंकवाद जिम्मेदार है। यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय को साफ संकेत है कि तीन दशकों से आतंकवाद का दामन पकड़े रहने वाले पाकिस्तान को अब इससे बाज आना चाहिए। पाकिस्तानी पोषित आतंकवाद ने जम्मू-कश्मीर की जनता का जीवन नरक बना दिया है। अब सरकार ने जो कदम उठाया है उससे यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि इससे पाक प्रायोजित आतंक पर लगाम लग पाएगी। गृहमंत्री ने यह भी एलान किया कि जम्मू-कश्मीर का जो विशेष दर्जा था वह भी वापस लिया जाएगा। इसके साथ ही यह आस लगाई जा सकती है कि राज्य की जनता खासतौर से कश्मीर घाटी के लोगों के विकास की जरूरतों पर विशेष ध्यान देते हुए इस इलाके की प्रगति के लिए तेजी से कदम उठाए जाएंगे।

अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक वर्ग को कठघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि कश्मीरी नेताओं ने कश्मीरी अवाम की तरक्की पर ध्यान नहीं दिया और अपनी स्वार्थ सिद्धि एवं राजनीति चमकाने में ही लगे रहे। सरकार के ये कदम विशेषकर जम्मू-कश्मीर को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह भारत से जोड़ने में सहायक हो सकते हैं। अब तक जैसे जम्मू-कश्मीर के लोग भारत के अन्य भागों में कारोबार कर सकते थे, जमीन-जायदाद खरीद सकते थे वैसे ही उम्मीद की जा सकती है कि भारत के अन्य राज्यों के लोग भी कश्मीर में जाकर वहां की विकास प्रक्रिया में पूर्ण रूप से शामिल हो सकते हैं। घाटी में खासतौर से इस बात को लेकर डर रहा है कि अगर ऐसा कदम उठाया जाएगा तो फिर कश्मीर की जनसांख्यिकी में बदलाव आ सकता है। ये आशंकाएं सही नहीं हैं। भारत के अन्य प्रदेशों के लोग किसी कतार में नहीं खड़े हैं कि वे जल्द से जल्द कश्मीर में जा बसेंगे। ऐसे में फौरी तौर पर ही नहीं, बल्कि भविष्य में भी घाटी की जनता को यह आश्वासन दिलाने की महती आवश्यकता है कि न केंद्र सरकार और न ही कोई अन्य राजनीतिक शक्ति उनके धर्म या उनकी परंपराओं में किसी तरह का हस्तक्षेप करना चाहती है। हां, अलगाववाद को कभी मंजूर नहीं किया जा सकता और धार्मिक कट्टरपंथी तत्वों पर नियंत्रण रखना और कट्टरपंथी विचारधारा को समाप्त करना जरूरी है। पाकिस्तान के 'फिफ्थ कॉलम' यानी पाकिस्तानपरस्त तत्वों को भी खत्म करना है, लेकिन सरकार का दायित्व है कि वह कश्मीर की आम जनता को विकास का भरोसा दिलाते हुए यह भी विश्वास दिलाए कि उसके रोजमर्रा के जीवन में भी कोई दखलंदाजी नहीं होगी।

अवधेश राजपूत

यह साफ है कि कश्मीर के राजनीतिक वर्ग पर सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रहार किया है। इसी कारण अपने सभी मतभेदों को भुलाते हुए वे एकजुट हो गए हैं। वास्तव में यह वह राजनीतिक वर्ग है जो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार और शेख अब्दुल्ला के बीच हुए समझौते के बाद अस्तित्व में आया। उस करार के तहत अब्दुल्ला ने कश्मीर को स्वतंत्र भारत का एक हिस्सा माना और कश्मीर के लिए स्वतंत्रता का दावा त्याग दिया। इसके बदले जम्मू-कश्मीर का विलय भारत में स्वायत्तता की शर्त पर हुआ। स्वतंत्रता और स्वायत्तता में जमीन-आसमान का फर्क है। 1953 में भारत सरकार को जब लगा कि शेख अब्दुल्ला स्वायत्तता को छोड़कर स्वतंत्रता की दिशा ढूंढ रहे हैं तो सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन राज्य में ऐसे राजनीतिक तत्व थे जिन्हें स्वायत्तता मंजूर थी और उन्होंने भारत सरकार के साथ सहयोग जारी रखा। 1971 के बाद कश्मीर की राजनीति ने नई करवट ली और शेख अब्दुल्ला ने स्वतंत्रता का सपना छोड़ दिया और भारत सरकार के साथ समझौता करके राज्य सरकार की बागडोर संभाली। चार दशकों से ज्यादा की इस अवधि में भारत सरकार ने कश्मीर की बुनियादी संवैधानिक स्वायत्तता कायम रखी जिसकी वजह से वहां के राजनीतिक वर्ग को यह भरोसा हुआ कि यह यथास्थिति बरकरार रहेगी। शायद उन्होंने संघ परिवार की कश्मीर को लेकर विचारधारा को नजरंदाज किया। इसी कारण राज्य की सियासी बिरादरी को लग रहा है कि उसने भारत सरकार से स्वायत्तता को लेकर जो सहमति वाला समझौता किया था उसमें अब उसके साथ विश्वासघात हुआ है। यह सोच गलत है।

कश्मीर के संवैधानिक परिवर्तन से पाकिस्तान व्याकुल के साथ-साथ क्रोधित भी है। पाकिस्तान सरकार ने एलान किया है कि वह पूरी कोशिश करेगी कि भारत इन कदमों को वापस ले। पाक इस्लामिक देशों के संगठन यानी ओआइसी का दरवाजा पहले ही खटखटा चुका है। सुरक्षा परिषद में भी वह इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप सहित दुनिया के अन्य दिग्गज नेताओं पर भी इसमें हस्तक्षेप का दबाव डालेगा। वह यह भी दुष्प्रचार करेगा कि भारत के इस फैसले से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा जिससे विश्व शांति खतरे में पड़ सकती है। वह अपने प्रतिनिधिमंडल भेजकर महाशक्तियों की दृष्टि कश्मीर पर केंद्रित करने की कोशिश कर सकता है। संभव है कि पाक सरकार ट्रंप को यह संदेश भेजे कि मौजूदा हालात में वह उससे अफगान मसले पर सहयोग की अपेक्षा न करें, क्योंकि अब उसका पूरा ध्यान अपने पूर्वी मोर्चे पर होगा।

भारत सरकार ने राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया है, लेकिन अब उसको आंतरिक मोर्चे पर यह साबित करना पड़ेगा कि यह कदम भारत के राष्ट्रीय हितों को पोषित करेगा। सरकार को ऐसे तत्वों को प्रोत्साहन देना होगा जो कश्मीर घाटी के लोगों में भारत के प्रति अच्छी भावनाएं विकसित कर सकें ताकि स्थानीय लोग भारतीय संघ के प्रति लगाव रखते हुए प्रत्येक स्तर पर भारतीय राष्ट्र जीवन का हिस्सा बन सकें। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को यह स्पष्ट करना होगा कि यह संवैधानिक कदम भारत के आंतरिक मामलों से जुड़ा है और इसमें किसी देश या संस्था का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा। खासतौर से अगर पाक इस मामले को सुरक्षा परिषद में उठाने की कोशिश करे तो भारत को यह संदेश मजबूती से देना पड़ेगा कि अब परिषद का कश्मीर के मामले से कोई सरोकार नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय कूटनीति का भी एक इम्तिहान होगा।

(लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)
response@jagran.com

दुरुस्त हुई एक ऐतिहासिक गलती

आखिरकार दशकों के इंतजार के बाद जम्मू-कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लिया गया। इससे एक ऐतिहासिक गलती को ठीक किया गया। गत दिवस गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 को हटाने का संकल्प पत्र पेश किया। इस हेतु केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी कर भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू कर दिया। चूंकि अनुच्छेद 370 के तहत ऐसा करने के लिए जम्मू-कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश की आवश्यकता होती इसलिए राष्ट्रपति ने संविधान के निर्वचन के लिए प्रदत्त अनुच्छेद 367 में एक धारा जोड़ते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर संविधान सभा से आशय राज्य विधानसभा समझा जाए। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में संविधान सभा दोबारा बुलाने की संभावना और जरूरत समाप्त हो गई। चूंकि फिलहाल राज्य में विधानसभा भंग है और वहां राज्यपाल शासन लागू है इसलिए विधायी शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्यपाल के केंद्र का प्रतिनिधि होने के कारण उसकी शक्तियां संसद में निहित हैं। यहां यह समझना जरूरी है कि अनुच्छेद 370 को संवैधानिक पेचीदगियों के चलते संवैधानिक संशोधन करके खत्म नहीं किया गया और न ही उसमें संशोधन किया गया, बल्कि सरकार ने इसी अनुच्छेद का इस्तेमाल कर इसके प्रावधानों का अर्थ बदल दिया।

एक तरह से अनुच्छेद 370 का संवैधानिक शुद्धिकरण करने की कोशिश की गई ताकि यह जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण में बाधा न रह जाए। भविष्य में इस संबंध में कुछ और कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि बीते सात दशकों में विसंगतियों की सूची काफी लंबी हो चुकी है। इसके साथ ही अनुच्छेद 35ए जैसे प्रावधान जिसके तहत जम्मू-कश्मीर राज्य को मूल निवासी की परिभाषा तय करने की शक्ति प्राप्त थी, के भी समाप्त होने का रास्ता खुल गया। अनुच्छेद 35ए के निष्प्रभावी होने बाद अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में बस सकेगा और संपत्ति भी खरीद पाएगा। यह देखने वाली बात होगी कि इन संवैधानिक बदलावों का सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35ए को लेकर लंबित याचिकाओं पर क्या असर होगा, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि गृहमंत्री ने जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक भी पेश कर दिया है। इसके पारित होने पर सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण लद्दाख एक केंद्र शासित राज्य बन जाएगा, जिसमें कोई विधानसभा नहीं होगी। लद्दाख में पहले ही हिल काउंसिल को काफी अधिकार प्राप्त हैं और संभावना है कि उन्हें जारी रखा जाए। लद्दाख क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से यह मांग थी कि लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाए। लद्दाख के भूभाग पर चीन भी दावा जताता रहा है। फिलहाल सामरिक रूप से अतिसंवेदनशील इस क्षेत्र का प्रशासन एक आइएएस अधिकारी के हाथ में होता है। अब इस क्षेत्र को उपराज्यपाल और मुख्य सचिव चलाएंगे।

दिव्य कुमार सोती

अन्याय की हद तब हुई जब कश्मीरी नेताओं ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ कालोनियां तक नहीं बनने दीं

जबसे कश्मीर में अलगाववाद की समस्या शुरू हुई तबसे जम्मू आधारित पार्टियों और सामाजिक संगठनों की यह मांग रही कि उन्हें कश्मीर से अलगकर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। इसके लिए प्रजा परिषद जैसी जम्मू की पार्टियां बड़े आंदोलन भी कर चुकी हैं। इसके अलावा विस्थापित कश्मीरी पंडित भी अपने लिए एक छोटे केंद्र शासित प्रदेश की मांग करते रहे हैं। इसके विरोधी इसे सांप्रदायिक आधार पर राज्य को बांटने की योजना बताकर इसकी आलोचना करते रहे। इस मांग को मानने में एक जोखिम यह था कि मुस्लिम बहुल कश्मीर के पूरी तरह अलग राज्य होने पर अन्य समुदायों का वहां के शासन में दखल बिल्कुल ही समाप्त हो जाए। शायद इसीलिए मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर को साथ ही रखते हुए उसे केंद्र शासित राज्य का दर्जा देने की व्यवस्था की। इसी के साथ प्रदेश में परिसीमन का रास्ता भी साफ हो गया, जिसे कश्मीर की पार्टियों ने विधानसभा में प्रस्ताव लाकर 2026 तक टाल दिया था जबकि पूरे देश में 2006 में परिसीमन हुआ था। मोदी सरकार के ताजा फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार तो होगी, पर दिल्ली सरकार की तरह कई महत्वपूर्ण अधिकार उसके पास नहीं होंगे। इससे केंद्र सरकार को आतंकवाद को कुचलने में मदद मिलेगी।

अनुच्छेद 370, 35-ए और परिसीमन के जरिये घाटी के नेताओं ने कश्मीर में जेहाद को संरक्षण देकर कई गंभीर समस्याएं पैदा कीं। इन समस्याओं ने कश्मीर को हर प्रकार की देश विरोधी गतिविधि का गढ़ बना डाला और पाकिस्तान को भारत के अंदर युद्ध छेड़ने का मैदान मुहैया कराया। इसके चलते पिछले सात दशकों में हमें हजारों सैनिकों और नागरिकों को गंवाना पड़ा। अनुच्छेद 370 और 35-ए जैसे संवैधानिक प्रावधानों का लाभ उठाकर ही ऐसी स्थिति पैदा की गई कि लाखों कश्मीरी पंडितों और सिखों को रातोंरात अपना घरबार छोड़कर भागना पड़ा। 1947 में पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए शरणार्थियों को पूरे देश में नागरिकता मिल गई, लेकिन जम्मू-कश्मीर पर सात दशक से राज करते रहे घाटी के नेताओं ने वहां यह भी नहीं होने दिया। अन्याय की हद तब हुई जब कश्मीरी नेताओं ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ कालोनियां तक नहीं बनने दीं। यही नहीं घोर सांप्रदायिक माहौल ने घाटी में कट्टरपंथ को इतनी हवा दी कि बात अलगाववाद से आगे बढ़ती-बढ़ती बुरहान वानी और जाकिर मूसा के जरिये कश्मीरी युवाओं को बगदादी के इस्लामिक स्टेट जैसे शासन के सपने दिखाने तक आ गई। कश्मीर की मस्जिदें राजनीति का केंद्र बना दी गईं और कश्मीरी युवाओं का शेष भारत से संवाद तकरीबन खत्म कर दिया गया। इसका असर यह हुआ कि घाटी के युवाओं का जेहादी विचारों के अलावा किसी और प्रकार के विचारों के संपर्क ही खत्म हो गया। उम्मीद की जाती है कि ताजा संवैधानिक बदलावों के बाद शेष भारत के लोगों का वहां आना-जाना, बसना और व्यापार करना बढ़ेगा जिससे घाटी में ताजा हवा के झोंके आएंगे।

(लेखक काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

परिवर्तन

किसी पुष्प की कली के प्रस्फुटन और एक शिशु के इस धरती पर प्रादुर्भाव के बारे में संजीदगी से सोचें तो यह सत्य समझते देर नहीं लगती है कि ये दोनों कोई सामान्य कुदरती घटनाएं नहीं हैं। इन दोनों घटनाओं की कोख में दुनिया की धारणीयता और ब्रह्मांड-विस्तार के भ्रूण छुपे हैं। कलियों के प्रस्फुटन में महज एक फूल के समग्र जीवन-चक्र का रहस्य ही नहीं छुपा होता है, बल्कि इसमें कायनात के समस्त जीवों, प्राणियों और पादपों के अस्तित्व की निरंतरता भी जीवित हो उठती है। किसी कली से पुष्प और शिशु से मानव-निर्माण की प्राकृतिक प्रक्रिया में जो सबसे सारगर्भित दर्शन सामने आता है, वह यह है कि इस नश्वर संसार में परिवर्तन एक शाश्वत और चिरंतन सत्य है।

शून्य से शिखर और जन्म से मृत्यु-परिवर्तन अबाध गति से चलता रहता है। इससे समय भी अछूता नहीं है। वक्त का हर लम्हा अपनी रफ्तार से निरंतर गुजरता-सा जा रहा है। अर्थात इस दुनिया की सबसे स्थायी शै परिवर्तन है, लेकिन दुर्भाग्यवश हर व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तनों से घबराता है। वह जीवन को एक ढर्रे पर जीना चाहता है, परिवर्तन के करवटों से महफूज रहने का हर संभव प्रयास करता है और जीवन में कुछ अप्रत्याशित और अनियोजित घट जाए तो खुद को अभिशप्त महसूस करता है। नदियों के पानी के बहाव में आईने सरीखी पारदर्शिता होती है, क्योंकि यह निरंतर बहता रहता है। परिवर्तनों से घबराने वाले व्यक्ति 'कंफर्ट जोन' में रहना पसंद करते हैं और यही कारण है कि उनके सपनों के संसार का क्षितिज काफी छोटा होता है। वक्त के साथ हर पल बदलने वाला और हवा के बदलते रुख के साथ खुद को समायोजित करके चलने वाला इंसान ही जीवन में उन ख्वाबों को साकार कर पाता है जिनकी चाहत इस धरती पर जन्म लेने वाले हर इंसान को होती है। जीवन चलने का नाम है। जीवन का स्थिर होना ही इसका अवसान है, मृत्यु है। जीवन है तो परिवर्तन है, परिवर्तन की गैर-मौजूदगी ही जीवन का अंत है और यही संसार का नियम है।

श्रीप्रकाश शर्मा

हथियारों की होड़ बढ़ने की आशंका

मंजूषा

परमाणु हथियारों के नियंत्रण को लेकर अमेरिका और रूस के बीच 1987 में हुई इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज (आइएनएफ) संधि खत्म हो गई है। इस संधि को शीतयुद्ध के तनाव वाले माहौल से दुनिया को शांति और सहअस्तित्व के दौर में लाने का श्रेय दिया जाता है। इससे दुनिया में नए परमाणु हथियारों के विकास की होड़ शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। माना जा रहा है कि अगला दशक हथियारों की होड़ के एक नए दौर का गवाह बन सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले वर्ष अक्टूबर में यह एलान किया था कि वह इस संधि से अमेरिका को अलग कर रहे हैं। इसके बाद बीते एक फरवरी को अमेरिका ने आइएनएफ संधि को निलंबित कर दिया था। जवाब स्वरूप रूस ने भी संधि को निलंबित कर दिया। अब दोनों देश एक-दूसरे को जिम्मेदार बताते हुए औपचारिक तौर पर इस संधि से अलग हो गए हैं।

आइएनएफ संधि पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्वाच्योव ने हस्ताक्षर किए थे।

आइएनएफ संधि खत्म होने से दुनिया में अंतरिक्ष सैन्यीकरण और परमाणु हथियारों के विकास की होड़ शुरू हो सकती है

इस संधि के तहत मध्यम दूरी यानी 5500 किलोमीटर तक मार करने वाली कई मिसाइलों को प्रतिबंधित किया गया था। अमेरिका का आरोप था कि रूस कई वर्षों से ऐसे हथियार विकसित कर रहा है जो इस संधि का उल्लंघन है। इससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों खासकर यूरोप को खतरा पैदा हो गया है। इस पर रूस का कहना था कि खुद अमेरिका नई मिसाइलें विकसित करना चाह रहा है इसलिए इस संधि से हटने के लिए बहाना बना रहा है। इससे अब दोनों देशों के बीच 2010 में हुए न्यू स्टार्ट समझौते पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इसकी अवधि 2021 में खत्म होने वाली है, लेकिन ट्रंप प्रशासन इसे भी आगे बढ़ाने का नहीं दिख रहा है। इसके तहत परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित किया जाना था।

दरअसल ट्रंप प्रशासन इसे एक खराब समझौता मानता है, लिहाजा वह नए सिरे से संधि करने पर अड़े हैं। ट्रंप प्रशासन चीन को भी इसमें शमिल करना चाहता है। हालांकि चीन इसमें शामिल होने की बात सिरे से खारिज करता रहा है। ऐसे में इस संधि के टूटने से एक बात साफ है कि परमाणु सशस्त्रीकरण पर अंकुश लगाने वाला दौर अब समाप्ति के मुहाने पर है। हथियारों की होड़ का एक नया दौर शुरू होने वाला है। इसकी आशंका इससे मिलती है कि अमेरिका में एक नए अंतरिक्ष बल के गठन के प्रस्ताव पर काम शुरू हो गया है। इसके अलावा फ्रांस ने भी घोषणा किया है कि उसकी एयर फोर्स में जल्द ही एक स्पेस कमान गठित की जाएगी जिसका काम खास तौर पर फ्रांस के उपग्रहों की रक्षा करने का होगा। जाहिर है जब अमेरिका और रूस जैसे देश संहारक हथियारों का उत्पादन बढ़ाएंगे को ऐसे माहौल में फिर बाकी देश भी चुप नहीं बैठे रहेंगे। वे भी अपनी सुरक्षा को लेकर सक्रियता दिखाएंगे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शीतयुद्ध से मुक्ति के लगभग तीस साल बाद दुनिया अंतरिक्ष सैन्यीकरण और परमाणु सशस्त्रीकरण के एक नए दौर में प्रवेश कर रही है।

(लेखिका शिक्षिका हैं)

तसलीमा को मिले भारत की नागरिकता

'पैरों तले जमीन की तलाश' शीर्षक से लिखा तसलीमा नसरीन का आलेख पढ़ा। उसे पढ़ने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि सच में हमारी सरकार उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। एक तरफ करोड़ों बांग्लादेशी गैर कानूनी रूप से भारत में रह रहे हैं और दूसरी तरफ एक महिला कानूनी रूप से रहने की इजाजत मांग रही है तो उसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि तसलीमा नसरीन को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए।

अरुण दीक्षित, लखीमपुर

ऐतिहासिक कदम

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35-ए को समाप्त कर मोदी सरकार ने लौह पुरुष सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा करते हुए एक बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है। इस ऐतिहासिक कदम को देश और दुनिया कभी नहीं भूल सकती। यह वही कश्मीर है जो पाकिस्तानी आतंकियों का बड़ा अड्डा बना हुआ है। हर रोज हमले होते रहते हैं। यहां कश्मीरी पंडितों की दर्दनाक व्यथा देखी ही नहीं जाती थी। यही नहीं छत्तीसिंहपुरा में सिखों के नरसंहार की दुखद घटना भी भूली नहीं जाती। हद तो तब हो गई जब अपने ही निर्दोष और देश के रक्षक सेना के जवानों को पत्थरबाजों ने नहीं बख्शा। बहरहाल सरकार के इस कदम से अब कश्मीर के लोगों का भी विकास होगा, नए-नए कल कारखाने लगेंगे और लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा। अभी तक यहां के लोग सिर्फ टूरिज्म पर ही आश्रित हैं। असल में यह देश में एक नई क्रांति है जिससे निश्चित ही देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी।

वेद मामूरपुर ,नरेला

मेलबाक्स

विरोधियों का भी मिला समर्थन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए साहसिक फैसले ने देश के इतिहास को बदल कर रख दिया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय भूगोल के जिस रूप रूप की चर्चा होती है उसे बिना किंतु-परंतु के एक रंग में रंगने का प्रयास 370 को हटाकर किया गया है। इतिहास, भूगोल, समाज, संस्कृति में बदलाव और समन्वय लाकर राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। ऐतिहासिक फैसले, ऐतिहासिक निर्णय ने करोड़ों भारतवासी को खुश कर दिया। हालांकि सामान्य लोगों को इससे क्षणिक कोई लाभ नहीं दिखता, लेकिन हमारी राष्ट्रीयता, राष्ट्रवादी भावना और राष्ट्रीय एकता की जब जब बात आएगी तब तब यह फैसला लाभान्वित करने का एहसास दिलाएगा। न केवल 370 को हटाया गया, बल्कि एक साथ चार फैसले लिए गए। लद्दाख को अलग कर के केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह इंदिरा गांधी के साहसिक फैसले को विरोधियों का भी समर्थन मिलता था, ठीक उसी तरह मोदी कैबिनेट के इस फैसले को बहुत से विरोधियों ने भी समर्थन दिया है। इतिहास में ऐसे साहसिक फैसले यदा कदा ही दिखते हैं।

mkumarbaluachak@rediffmail.com

बड़ा फैसला

संपादकीय, 'बड़े फैसले का इंतजार' अभी खत्म हो गया है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने का एलान कर के मोदी सरकार ने साहसपूर्ण कदम उठाया है। राजकीय गतिविधियां जिस तरह तेजी से बदल रही थीं, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि कश्मीर का हल ढूंढने के लिए भारत सरकार कोई बड़ा फैसला करने जा रही है। वही हुआ भी। कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत किए किए जाने से कश्मीरी नेता ही नहीं, पाक नेता भी परेशान हो गए थे। कश्मीर के विकास का रोड़ा बने 370 की वास्तविकता को कश्मीरी भी भली भांति समझ गए हैं। कश्मीर को स्वतंत्रता का दर्जा बहाल करने से विकास अवरुद्ध हुआ था। इस अवरोध को दूर करने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध होने का भरोसा बार बार जताती रही है। क्या कश्मीरी नेताओं को घाटी को सदैव आतंकित रखकर ही राजनीति करनी होती है। अब उम्मीद है कि कश्मीरी नागरिक मुख्य धारा से जुड़ेंगे। जिसकी वजह से घाटी में गोलियों की आवाज नहीं गूंजेगी। अब घाटी में भाईचारे का माहौल तो बनेगा ही, विकास की मुख्यधारा से सभी कश्मीरी जुड़ जाएंगे। आतंकवाद को खत्म करने का यह बेहतरीन कदम है। मंजिल तो दूर है, राह आसान नही है, पर मुमकिन है।

डॉ. नूतनकुमार सी.पाटणी, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

आजकल

भारत से अब सीधे जुड़ा जम्मू-कश्मीर

सुशील कुमार सिंह
निदेशक, वाईएस रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन

अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर सात दशक से विशेष राज्य के दर्जे के साथ कई बाध्यताएं समेटे हुए था। यथा नीति निर्देशक तत्व और वित्तीय आपात वहां लागू नहीं किए जा सकते थे। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, पर वहां अभी भी बरकरार था। जाहिर है कि ऐसी तमाम बाध्यताओं से अब यह प्रांत मुक्त हो जाएगा। पांच अगस्त के इस ऐतिहासिक दिन को देखते हुए औपनिवेशिक काल की अगस्त क्रांति की याद ताजा हो गई है। गौरतलब है कि इतिहास में दर्ज 9 अगस्त, 1942 अगस्त क्रांति के लिए जाना जाता है। तब यह अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन था। इस क्रांति के ठीक पांच बरस बाद 15 अगस्त, 1947 को देश में स्वतंत्रता का महोत्सव मनाया गया। तत्पश्चात सालों की मेहनत के बाद 26 जनवरी, 1950 को देश में संविधान नए रूप रंग के साथ भारत को नई दिशा और दशा देने के लिए धरातल पर उतर चुका था, पर उत्तर के हिमालय में बसा जम्मू-कश्मीर शेष भारत से अलग पहचान लेकर एक अलग प्रतिबिंब के साथ सात दशकों से विवादित बना रहा। इस विवाद से मुक्ति पाने का मार्ग कई बार खोजने का प्रयास समय-समय की सरकारों द्वारा किया गया, पर अनुच्छेद 370 से स्वतंत्रता नहीं मिली। अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर मांगें प्रबल होती गईं। इसी दौरान अनुच्छेद 35ए की पहेली ने इस प्रदेश को कई समस्याओं में उलझा दिया और हुक्मरानों के लिए ये दोनों चुनौती बन गए। अनुच्छेद 35ए से उठे विवाद को देखते हुए मामला पिछले साल अगस्त में शीर्ष अदालत की चौखट पर गया, जबकि अनुच्छेद 370 को लेकर भी इसी अगस्त माह में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना प्रबल हो गई। मगर संविधान के भीतर इतिहास की लिखावट भी इसी समय अलग रूप ले रही थी, जिसका संदर्भ पांच अगस्त को उभर कर सामने आया जब गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 को खात्म करने का एलान किया। वाकई यह एक और अगस्त क्रांति का आगाज था।

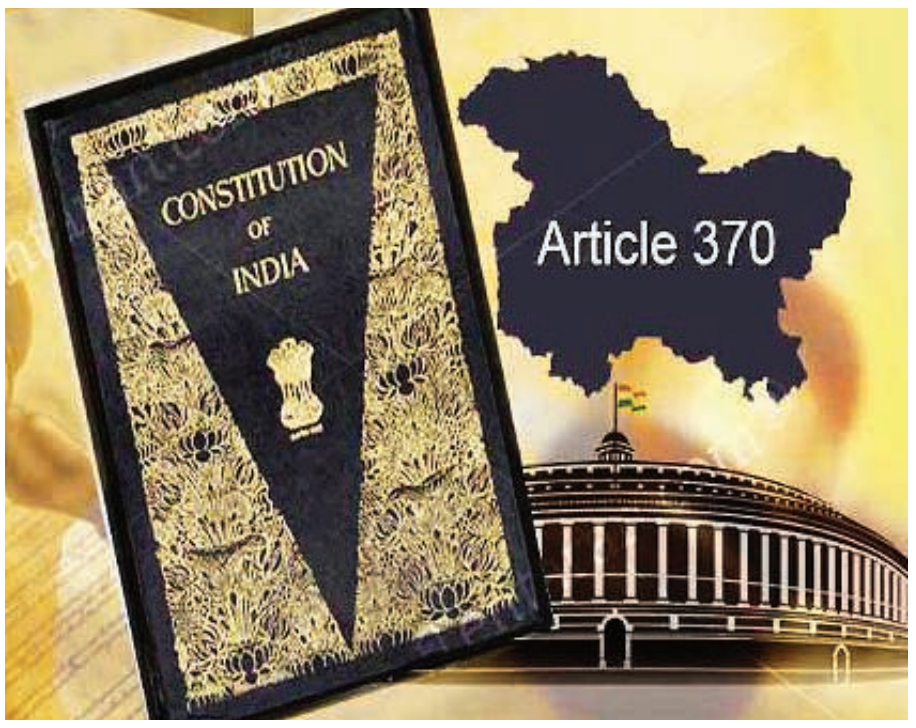

अब जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया जाएगा। प्रदेश को नया रूप दिया जाएगा और नई पहचान भी। जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। इतना ही नहीं इसके साथ लद्दाख का हिस्सा अब इसके साथ नहीं रहेगा। कहा जाय तो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अंतर यह है कि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। इस तरह अब भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश नौ हो गए हैं। जम्मू-कश्मीर का क्षेत्रफल, आबादी और वहां के नियम-कानून सब बदल जाएंगे। जो संविधान में निहित नीति-निर्देशक तत्व वहां नहीं लागू होते थे वे सब अब वहां बहाल हो जाएंगे। नौकरी, संपत्ति और निवास के विशेष अधिकार समाप्त हो जाएंगे। जाहिर है कि यह क्षेत्र भी आम भारत हो जाएगा। अन्य राज्यों के लोग जमीन लेकर बस सकेंगे, उसका अलग झंडा नहीं होगा। हर जगह तिरंगा होगा। दोहरी नागरिकता जैसे प्रावधान खात्म हो जाएंगे। अनुच्छेद 35ए के तहत जिस जकड़न से प्रदेश जकड़ा हुआ था उससे भी इसे मुक्ति मिल जाएगी। गौरतलब है कि यदि जम्मू-कश्मीर की लड़की अगर किसी बाहर के लड़के से शादी करे तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे-यह नियम भी अब वहां से समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 35ए के कारण करीब 80 फीसद पिछड़े और दलित हिंदू समुदाय स्थायी निवास प्रमाण पत्र से वंचित थे। सही मायने में वे पांच अगस्त को स्वतंत्र हुए हैं। इतना ही नहीं जो कश्मीरी पंडित तीन दशक पहले वहां से पलायन कर चुके हैं उनकी वापसी के मार्ग भी खुल गए हैं। जाहिर है अनुच्छेद 370 और 35ए का उपनिवेश जम्मू-कश्मीर अब राहत की सांस ले रहा है।

जम्मू-कश्मीर पर्यटन का बड़ा केंद्र है। कश्मीर की ज्यादा आबादी मुस्लिम, जबकि जम्मू में 65 फीसद हिंदू और 30 फीसद मुसलमान रहते हैं। ईश्वर ने कश्मीर घाटी को बड़ी विधिवत से बनाया है। यहां जल की बहुलता है, सरोवर की भरमार है और खूबसूरत मीठे पानी की झीलें हैं, पर आतंक और अलगाव की कड़वाहट से भी घाटी पटी रही है। मोदी का एक शासनकाल निकल गया, विरोधी अनुच्छेद 370 को लेकर ताना देते रहे, पर उन्हें क्या मालूम कि प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार अपनी दूसरी पारी में बड़े मौके खोज रही है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने का एलान एक ऐतिहासिक घटना है। यह कोई मामूली बात नहीं है कि जिस अनुच्छेद को हटाने के लिए सरकारों के माथे पर बल आते रहे उसी को मोदी सरकार ने एक झटके में तहस-नहस कर दिया। जिस प्रकार जम्मू-कश्मीर का बंटवारा किया गया है वह भी आवश्यक था। लद्दाख को अलग करके एक नई तरकीब के साथ देश चलाने की कोशिश की गई है। गौरतलब है कि लद्दाख उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच है। इसके उत्तर में चीन तो पूरब में तिब्बत की सीमाएं हैं। जाहिर है सामरिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है।

सरकार ने जिस तर्ज पर अनुच्छेद 370 को खत्म करने की बात कही है उससे कइयों के होश उड़ गए हैं। कांग्रेस के नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने पांच अगस्त को इतिहास का काला दिन बताया है, जबकि बसपा, एआइडीएमके, बीजद सहित कई दल सरकार के इस निर्णय के साथ हैं। दुविधा यह है कि क्या कांग्रेस अनुच्छेद 370 का अभी भी समर्थन कर रही है या फिर अपनी राजनीतिक जमीन की फिराक में अनाप-शनाप पर उतारू है। जिस अनुच्छेद को लेकर बीते कई दशकों से चर्चा गर्म रही है और जम्मू-कश्मीर को मुख्यधारा में लाने के लिए कवायद जारी रही आज जब उस पर परिणाम आया है तो कांग्रेस के सुर इतने तल्ख क्यों? गुलाम नबी आजाद जम्मू-कश्मीर के मर्म को शायद बेहतर समझते हैं इसलिए तेवर कड़े हैं, पर क्या शेष कांग्रेसी भी ऐसा ही विचार रखते हैं।

राजनीतिज्ञों को यह समझ लेना ठीक रहेगा कि अनुच्छेद 370 महंगाई और बेरोजगारी जैसा मुद्दा नहीं था। यह संविधान का वह रोग था जिसकी दवा खोजने में सात दशक लग गए। घाटी को समस्या से निजात दिलाने की कई कोशिशों का यह अंतिम निष्कर्ष है। फिलहाल सरकार के साहस को सलाम किया जाना चाहिए। देश में कमोबेश कहीं-कहीं तनाव भी होगा, पर अनुच्छेद 370 के खात्मे की घोषणा से पूरे भारत में महोत्सव सा माहौल तो है ही।

आखिरकार पूरी हुई दशकों पुरानी मांग

उमेश चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार

बहुसंख्यक सोच को स्वीकार किया जाना लोकतांत्रिक समाज की आम मान्यता रही है, पर जम्मू-कश्मीर में 1948 से लगातार बहते रहे खून और उसके अंदर लगातार पनपती रही अलगाव की भावना भारतीय बहुसंख्यक सोच को आजादी के बाद से ही लगातार चिंतित करती रही है। जम्मू-कश्मीर की समस्या, उसके लिए संविधान के भाग 21 में किए गए खास प्रावधान अनुच्छेद 370 भी भारतीय बहुसंख्यक जनसंख्या के लिए परेशानी का सबब रही है। 23 जून, 1953 को यह परेशानी ही थी कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक और नेहरू कैबिनेट के उद्योग मंत्री रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रीनगर जेल में अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। जम्मू-कश्मीर में सक्रिय तत्कालीन प्रजा परिषद से लेकर आज की भारतीय जनता पार्टी के साथ ही भारत का बहुसंख्यक समाज मानता रहा है कि जम्मू-कश्मीर के संविधान में खासतौर पर अधिकृत अनुच्छेद 370 को हटाया जाना ही सही मायने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सही श्रद्धांजलि होगी।

जाहिर है इस कदम से भारत में जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण की राह में बाधाएं खत्म हो जाएंगी और सही मायने में भारतीय संविधान जम्मू-कश्मीर में लागू होगा। अब सवाल यह है कि आखिर जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने और दोनों ही हिस्सों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला केंद्र सरकार को क्यों लेना पड़ा? इसका जवाब तलाशने वालों को विधेयक पेश करते वक्त गृह मंत्री द्वारा दिए गए भाषण पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर को भारत से मिली निधि का राज्य के सिर्फ तीन परिवारों ने अपनी कमाई का स्रोत बना लिया। जाहिर है कि उनका इशारा राज्य के शासन में लंबे समय तक रहे अब्दुल्ला, मुफ्ती और परिवार की तरफ रहा। भारत सरकार मान रही है कि जब तक जम्मू-कश्मीर में बाकी राज्यों की तरह लोकतंत्र रहेगा, वहां व्यवस्था पर पूरी तरह काबू पाना आसान नहीं होगा। सत्तर साल के लोकतंत्र के बावजूद कश्मीर घाटी में कभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय दल अपना प्रभाव नहीं बढ़ा सके। जनता दल अपने उफान के दिनों में भी वहां अपना प्रभाव नहीं जमा सका। उलटे वहां के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद महाराष्ट्र और मुफ्ती मोहम्मद सईद उत्तर प्रदेश से चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री बनते रहे।

कश्मीर में सही मायने में बहुसंख्यक लोकतंत्र का भी प्रभाव नहीं रहा। इसकी वजह यह रही कि 2006 में विशेष प्रावधान से मिले अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री रहते फारूख अब्दुल्ला ने वहां विधानसभा सीटों का परिसीमन नहीं होने दिया। इसकी वजह से कश्मीर घाटी में कम जनसंख्या होने के बावजूद वहां ज्यादा यानी 44 और जम्मू में ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद 37 सीटें ही विधानसभा के लिए निर्धारित रहीं। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि हिंदू बहुल जम्मू हिस्से में राष्ट्रीय पार्टियों का प्रभाव रहा है, जबकि कश्मीर घाटी में इसके उलट स्थिति रही है। इसका असर पिछली पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार में भी दिखा। पीडीपी जहां अलग सुर अलापती रही, वहीं भाजपा अपने राष्ट्रीय एजेंडे पर आगे बढ़ने की कोशिश करती रही। शायद केंद्र सरकार सोचती है कि जम्मू-कश्मीर में व्यवस्था तभी बन सकती है, जब वहां की कानून-व्यवस्था का जिम्मा केंद्र सरकार के हाथ होगा।

यही वजह है कि वहां पुडुचेरी और दिल्ली की तरह केंद्रीय व्यवस्था के तहत विधानसभा का प्रस्ताव किया है। राज्य के बौद्ध बहुल लद्दाख इलाके को अपनी अलग संस्कृति और परंपरा की वजह से अरसे से जम्मू-कश्मीर से अलग करने की मांग होती रही है। नए प्रस्ताव के मुताबिक अब वह पूरी तरह केंद्रीय इलाका होगा, जहां केंद्र सरकार चंडीगढ़ की तरह प्रशासक के जरिए शासन करेगी। वैसे यह भी माना जा जा रहा है कि केंद्र सरकार का यह फैसला भी आखिरी नहीं होने जा रहा। जब एक बारगी जम्मू-कश्मीर में भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा तो देर-सबेर वहां फिर से पूर्ण राज्य की स्थिति बहाल की जा सकेगी।

खरी-खरी

'उनके' चरित्र का चित्रण

जगदीश ज्वलंत

वे चरित्रवान हैं। यही उनकी समस्या है। गले की फांस भी। यह भ्रम है और इस पर उन्हें दृढ़विश्वास भी। जबसे उनके नाम के आगे प्रतिष्ठित, वरिष्ठ, गणमान्य जैसे अप्रत्याशित, असंगत संबोधन जुड़े हैं, तभी से उनकी नींद भी हराम होने लगी है। उनकी बचकानी प्रवृत्तियां, ओछी हरकतें और टुच्चे संस्कार उनके चरित्र को बार-बार मिट्टी में मिलाने को आमादा थे। उसे बचाते-बचाते कई बार वे स्वयं मिट्टी में मिलते-मिलते बचे। आखिर कब तक? जिंदगी के मजे भी लें, कि चरित्र ही बचाते रहें? गिरे चरित्र वालों को देखकर उन्हें ईर्ष्या होने लगती। देखो, पट्ठे मजे कर रहे हैं। और एक इधर हम हैं। न खुलकर खा सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। ऊपर से सबके अभिवादन स्वीकारो, एहसान मानो, हिसाब रखो, जवाब दो। प्रतिष्ठा का पहाड़ अब उठाना कठिन था। उनका पारंपरिक, पैतृक कमीनापन बाहर आने को आतुर था। दोहरा चरित्र, स्वभाव व जीवन जीते-जीते वे अब ऊब चुके थे। किंतु करें क्या? सांप-छछूंदर की स्थिति थी।

प्रसिद्धि पराकाष्ठा पर थी। पाठ्यपुस्तकों तक उनकी (घुस) पैठ हो चुकी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि चरित्र जैसी टुच्ची चीज बनाई किसने? पता चलता तो वे उसे ही हटा देते। नैन-मटक्का, छेड़छाड़, तांक-झांक, पीछा करना जैसी हरकतें उन्हें दिलचस्प लगतीं व आमंत्रित करतीं। दलाली, घूसखोरी, कमीशनबाजी के फलदार बगीचे उन्हें लुभाते। वे अपनी वानर प्रवृत्ति पर अंकुश लगा मन-मसोसकर रह जाते। चरित्र का फंदा जो था।

चरित्र ने फिर गंभीर समस्या खड़ी की। आज वे महिला सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। मंच के सामने ही वह बैठी थी, जिसने इनका सार्वजनिक सम्मान कॉलेज के समय में कर डाला था। उसके पास ही वह बैठी थी, जिससे थाने में राजीनामा करवाया था। दोनों के हाथ में गुलदस्ते थे। भय था कि उसी से न मार दें! वे मनहूसियत की हद तक गंभीर हो चले थे। भय से उपजी गंभीरता भी अतिथि पद की गरिमा और शोभा बढ़ा जाती है। अतिथि-परिचय के लिए उसे ही आमंत्रित किया गया जिसका उन्हें भय था। आज उसे आंख उठाकर भी नहीं देख पा रहे थे। कहीं चरित्र का सच्चा-चित्रण कर दिया तो? तभी कार्यक्रम का दुर्भाग्य कहें या उनका सौभाग्य, बत्तीगुल। पावर-कट। चलिए, पावर आने तक इंतजार है। देखते हैं, किसमें आता है!

ट्वीट-ट्वीट

भारतमाता के माथे की पुरातन पीर हरने के लिए सरकार का आभार! प्रत्येक नागरिक से अनुरोध है कि दशकों से लंबित इस शल्यक्रिया के दौरान देश के साथ रहें! ये ऐतिहासिक क्षण हैं। 'दर्द कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए।'
कुमार विश्वास@DrKumarVishwas

कश्मीर में हमारी दो फैक्ट्रियां और एक खूबसूरत ट्युलिप गार्डन हुआ करता था। आतंकवाद के कारण उन्हें बंद करना पड़ा। अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद उम्मीद है कि वहां निवेश वापस लौटेगा। कश्मीर पर यह कहावत सही है कि अगर कहीं जन्नत है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है।
हर्ष गोयनका@hvgoenka

एक राज्य को समाप्त कर दिया जाता है। राज्य की जनता को प्रभावित करने वाला खतरनाक फैसला लेने से पहले वहां के पूर्व मुख्यमंत्रियों को नजरबंद करने पर आप क्या सोचते हैं? क्या होगा अगर अगली बारी आपके राज्य की हो?
रामचंद्र गुहा@Ram_Guha

पंजाब डायरी

बदले-बदले से सरकार नजर आते हैं!

अमित शर्मा
स्थानीय संपादक, पंजाब

दो महीने पहले संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में देश भर में सबसे अधिक सीटें कांग्रेस की झोली में डाल पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह इन दिनों बड़े बदले-बदले से नजर आ रहे हैं। चुनावी नतीजों के एकदम बाद से आई बदलाव की यह बयार उनकी कार्यशैली में अब हर फ्रंट पर देखने को मिल रही है। अमरिंदर सिंह का असली व्यक्तित्व, जो पिछले दो वर्षों में कहीं गुम या दुबक गया सा लगता था, अचानक आम चुनावों में देश भर में कांग्रेस को मिली शिकस्त और पंजाब में 'कैप्टन' की कांग्रेस की बढ़त से लौट आया सा लगता है।

अपने राजनीतिक सफर में लगभग ढाई साल पहले जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दूसरी बार मुख्यमंत्री बन सत्ता संभाली तो उस समय हर व्यक्ति के मन में अमरिंदर सिंह की 'शाही दबंगाई' से राज करने वाले उस बेबाक नेता की छवि थी जिसने अमरिंदर सिंह को पिछले कार्यकाल (2002-07) में 'पाणिया दा राखा' (रक्षक) का रुतबा दिलाया। अमरिंदर सिंह से प्रदेश की जनता इस कदर आस लगाए बैठी थी मानो इस बार बतौर मुख्यमंत्री केवल रक्षक नहीं, बल्कि पंजाब, पंजाबी व पंजाबियत के भी रक्षक बन कर उभरेंगे। विश्वास और उम्मीद के पंख इसलिए भी अधिक फैले, क्योंकि चुनाव से ऐन पहले अमरिंदर सिंह ने स्वयं यह एलान कर डाला कि यह चुनाव उनके राजनीतिक सफर का अंतिम पड़ाव है और वह इसे ऐतिहासिक बनाने का हरसंभव प्रयास करेंगे। अपनी दूसरी पारी के शुरुआती दिनों में तो अमरिंदर सिंह ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिनमें स्वराज की महक तो थी, लेकिन वह महक सरकारी फाइलों के पन्नों में ही दब कर रह गई। अवैध खनन का किस्सा हो या नशे का मुद्दा, सरकारी तंत्र में बढ़ते भ्रष्टाचार की कहानियां हों या फिर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था-इन तमाम बातों पर मुख्यमंत्री के बेबाक बोल तो यदा कदा सुनने को मिले, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला।

दो साल बीतते-बीतते ऐसी स्थिति आ पहुंची कि जनता तो जनता, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक और मंत्री तक उसी 2002 वाले अमरिंदर सिंह को तलाशते दिखने लगे। अपने पिछल कार्यकाल में अफसरशाही पर अच्छी पकड़ रखने वाले अमरिंदर इस कार्यकाल में अफसरों के मोहताज दिखने लगे। एक समय में पार्टी हाईकमान को सीधे-सीधे चुनौती देने वाले अमरिंदर सिंह गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी के आगे बेबस दिखाई देने लगे। मार्च 2017 में 'चाहता है पंजाब कैप्टन की सरकार' का नारा बुलंद करने वाले पंजाब में ऐसा अहसास होने लगा मानो कैप्टन की सरकार तो बन गई, लेकिन कैप्टन गायब हो गए। चर्चा में कुछ रहा तो केवल यही कि प्रदेश की सरकार को मुख्यमंत्री चला रहे हैं या ब्यूरोक्रेट्स। आमजन में यह राय घर करने लगी कि इस स्वघोषित अंतिम राजनीतिक पारी में अमरिंदर सिंह की सरकार चलाने में कोई विशेष रुचि नहीं है। पिछले दो वर्षों में यही मसला अनेक बार पार्टी स्तर पर ही नहीं उठा, बल्कि अपनी ही पार्टी के नेतागण इसका जगह-जगह व्याख्यान करने लगे। फिर आए लोकसभा चुनाव। बिना उनकी सहमति से राहुल गांधी द्वारा करवाई गई सिद्धू की पंजाब कांग्रेस में सीधी एंट्री को लेकर दो साल तक कड़वे घूंट पीते अमरिंदर सिंह ने लोकसभा चुनावी नतीजों के अगले ही दिन सिद्धू को इस कदर आड़े हाथों लिया कि अंततः सिद्धू को मंत्री पद से त्यागपत्र दे अपने घर की चारदीवारी तक सीमित होना पड़ा। पिछले दो महीनों में अमरिंदर सिंह ने अलग-अलग विभागों की इतनी बैठकें ले डालीं जितनी शायद कुल मिलाकर उन्होंने पिछले दो वर्षों में नहीं कीं। वही अमरिंदर सिंह, जिन्होंने नशे के मुद्दे पर पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों के बीच समय-समय पर सार्वजनिक तौर पर हुए गाली गलौच के चलते चुप्पी साधते हुए अपने ही फैसले (नशा खत्म करने को लेकर बनाई टास्क फोर्स के मुखिया को पुलिस महानिदेशक के दायरे से बाहर रखना) को वापस लिया, उन्हीं अमरिंदर सिंह ने इस बार इस मुद्दे पर अखबारों में छपी खबरों का ही संज्ञान ले डाला। पूरी अफसरशाही को यह कहते हुए चेतवानी दे डाली कि जिस अफसर को बतौर मुख्यमंत्री उनके फैसले पसंद नहीं वह पंजाब से बाहर तैनाती का रास्ता अपना ले। आम जन से जुड़े मसलों जैसे आर्थिक दृष्टि से संपन्न किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा बंद करने जैसे प्रस्ताव जो पिछले ढाई साल से ठंडे बस्ते में थे, उन्हें भी मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में प्राथमिकता प्रदान कर स्वयं दोबारा उठाया गया है।

सवाल है कि 2017 में सत्ता संभालने से लेकर दो महीने पहले तक अमरिंदर सिंह की सरकार चलाने को लेकर विमुखता की वजह क्या रही होगी? निःसंदेह यह विमुखता नहीं, बल्कि पंजाब कांग्रेस के कप्तान कहे जाने वाले अमरिंदर सिंह की एक सोची-समझी राजनीति का ही हिस्सा थी। कहते हैं राजनीति का खेल है ही 'सही समय पर सही वार' और अमरिंदर सिंह तो ठहरे इस खेल के पुराने खिलाड़ी। सो इधर लोकसभा चुनाव के नतीजे निकले और उधर अमरिंदर सिंह का बदला-बदला सा अंदाज, जिसे देख आज हर कोई-चाहे वह पार्टी कार्यकर्ता या फिर अफसरशाही अथवा विश्लेषक-सभी में यह सुगबुगाहट है कि बदले-बदले से सरकार नजर आते हैं!

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू किया जाना चाहिए?

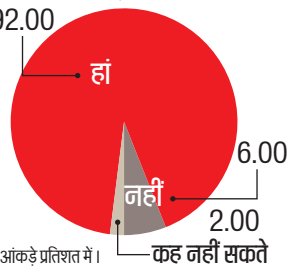

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या अनुच्छेद 370 को खत्म करने पर कुछ दलों की आपत्ति उचित है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

सब कुछ मुमकिन है यहां मोदी जी के राज,
श्री सेवनटी पर गिरी इसीलिए तो गाज।
इसीलिए तो गाज विपक्षी शोर मचाएं,
अरु हाथी की चाल शाह जी चलते जाएं।
मत करना चैलेंज नहीं नामुमकिन अब कुछ,
जब हैं मोदी-शाह समझिए मुमकिन सब कुछ।
- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

हिंदी कविता पर गैरजरूरी चिंता

पीयूष द्विवेदी
कला-संस्कृति मामलों के जानकार

हिंदी कविता अभी मरी नहीं है, वह जीवित है और मंचीय कवियों के कंठ में सांस ले रही है और उम्मीद है कि देर-सबेर यहीं से वह अपने अस्तित्व का नया अध्याय लिखेगी

हिंदी के कवि मंगलेश डबराल अभी पिछले दिनों अचानक एक फेसबुक पोस्ट लिखकर नकारात्मक रूप से ही सही, चर्चा में आ गए। उन्होंने लिखा, 'हिंदी में कविता, कहानी, उपन्यास बहुत लिखे जा रहे हैं, लेकिन सच यह है कि इन सबकी मृत्यु हो चुकी है। हालांकि ऐसी घोषणा नहीं हुई है और शायद होगी भी नहीं, क्योंकि उन्हें खूब लिखा जा रहा है, लेकिन हिंदी में अब सिर्फ जय श्रीराम और वंदे मातरम् और मुसलमान का एक ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान जैसी चीजें जीवित हैं। इस भाषा में लिखने की मुझे बहुत ग्लानि है। काश, मैं इस भाषा में न जन्मा होता!' डबराल की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर लेखकों, साहित्य में रुचि लेने वाले सामान्य लोगों के बीच चर्चाओं-बहसों का दौर शुरू हो गया। ज्यादातर मुद्दों की तरह इस पर भी दो खेमे बन गए। एक खेमा डबराल के विरोध में तो दूसरा उनके बचाव में जुट गया। विरोधियों को ज्यादा आपत्ति उनकी ग्लानि वाली बात पर थी। लोग सवाल उठा रहे थे कि जिस भाषा ने इन कविवर को इतना मान-सम्मान दिया, आज उसमें लिखने को लेकर ये ग्लानि व्यक्त करने जैसी कृतघ्नता कैसे कर सकते हैं। वहीं बचाव करने वाले पोस्ट को अभिधा के बजाय व्यंजना में समझने की बात कहते हुए डबराल के पक्ष में दलीलें देने लगे। हालांकि हिंदी के विषय में पूर्वाग्रहजनित मनमाफिक धारणाएं प्रस्तुत करते हुए उसमें लिखने के प्रति ग्लानि व्यक्त करने में कौन-सी व्यंजनात्मकता छुपी है, ये बात बहुत विचार करने पर भी समझ में नहीं आती। बहरहाल विवाद बढ़ता देख कविवर ने अपनी पोस्ट संपादित करते हुए उसमें से चुपचाप ग्लानि वाली बात हटा दी है, लेकिन क्या इस पोस्ट का केवल इतना ही हिस्सा आपत्तिजनक है, जो इसे हटाकर डबराल सवालों से बच जाना चाहते हैं। वास्तव में ये पूरी पोस्ट ही भ्रामक, तथ्यहीन और कुंठाओं की उपज प्रतीत होती है।

कहानी, कविता, उपन्यास जैसी विधाओं की मृत्यु की घोषणा एवं अनर्गल ढंग से हिंदी को सांप्रदायिक करार देने की कोशिश इस पोस्ट की सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बात है। मंगलेश डबराल को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर उन्होंने किस आधार पर हिंदी के सांप्रदायिकरण का दावा किया है? यह भी कि उक्त तीन प्रमुख विधाओं को मृत बताने के पीछे उनके पास क्या तर्क, क्या तथ्य हैं? क्या आज इन विधाओं में जो साहित्य लिखा जा रहा है, उसको उन्होंने सम्यक प्रकार से पढ़ा है?

यह आवश्यक नहीं कि जिसे वे बेहतर साहित्य मानते हों वाही बेहतर हो और जो उनकी दृष्टि में उत्तम न हो, उसे अस्वीकार दिया जाए। साहित्य किसी एक व्यक्ति की थाती नहीं, पूरे समाज की एक परंपरा है। विधाओं की मृत्यु की घोषणा करने से पूर्व यह बात मंगलेश डबराल को सोचनी चाहिए थी। वे आज के लेखन पर तर्कों के साथ सवाल खड़े कर सकते थे, मगर उसे मृत घोषित कर देना कदापि उचित नहीं है।

किसी विधा के जीवित होने का प्रमाण क्या है? यही न कि उसमें कितना साहित्य रचा जा रहा है और उसे कितनी स्वीकृति मिल रही है। सो हिंदी कहानी और उपन्यास आज भी बड़ी मात्रा में रचे जा रहे हैं एवं समकालीन समस्याओं, चुनौतियों और जीवन की जटिलताओं को अभिव्यक्त करने के सशक्त माध्यम के रूप में स्थापित हैं। विषयवस्तु से लेकर भाषा-शैली तक इन विधाओं ने पूर्व की तुलना में बहुत विकास किया है। आज वरिष्ठ लेखक नरेंद्र कोहली की कलम से 'वरुणपुत्री' जैसा पुरातनता, आधुनिकता, पुराण और विज्ञान के साथ-साथ फैंटेसी को भी समाहित किया उपन्यास निकल रहा है। वरिष्ठ लेखिका चित्रा मुद्गल किन्नरों पर केंद्रित 'पोस्ट बॉक्स नंबर-203 नाला सोपारा' की रचना की हैं। रत्नेश्वर जैसे लेखक भी हैं, जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग जैसी विश्वव्यापी समस्या पर शोध के साथ 'रेखना मेरी जान' लिखा है और आगे पानी पर एक शोधपूर्ण उपन्यास लाने में जुटे हैं। ये सब हाल के वर्षों में आए कुछ उपन्यासों के नाम हैं, ऐसी और भी अनेक कृतियां इस दौरान आई हैं, इन उदाहरणों का आशय बस इतना है कि वर्तमान समय में हिंदी उपन्यास का फलक लगातार विस्तार को प्राप्त हो रहा है। नए लेखक भी लिख और बिक दोनों रहे हैं तथा अपने साहित्यिक काल के निर्माण में जुटे हैं। हिंदी कहानी भी अलग-अलग प्रयोगों के साथ अपनी भूमिका का संतोषजनक निर्वहन कर

रही है। हालांकि इन विधाओं के साथ कुछेक चुनौतियां एवं समस्याएं भी हैं, मगर इनके अस्तित्व पर कोई संकट हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बात हिंदी कविता की करें तो यह ठीक है कि आज उसकी दशा कहानी एवं उपन्यास जैसी विधाओं की अपेक्षा बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती। हिंदी में कविताएं रची तो आज भी खूब जा रही हैं, लेकिन उनमें कविता के वे तत्व नहीं दिखाई देते जिनके जरिये वह जनसामान्य से सहज ही जुड़ाव स्थापित कर लेती थी। आज मुख्यधारा की हिंदी कविता केवल बौद्धिक चारदीवारी के भीतर विमर्श की वस्तु बनकर रह गई है।

वास्तव में एक विधा के रूप में हिंदी कविता के विनाश की शुरुआत वामपंथी विचारधारा से प्रभावित प्रगतिवादी युग से ही हो गई थी। प्रगतिवादी युग में हिंदी कविता को छायावाद के कल्पना-लोक से हकीकत की जमीन पर लाकर सामाजिक यथार्थ से जोड़ने के नाम पर वामपंथी रचनाकारों द्वारा जिस तरह से इसकी शिल्पगत कसौटियों को एक-एक कर भंग करने की कु-परंपरा का सूत्रपात किया गया, उसी ने हिंदी कविता की वर्तमान दुर्दशा की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। हिंदी कविता की इस दुर्दशा में आज उसके हाल पर व्यथित हो रहे मंगलेश डबराल और उनके साथी कवियों का दोष भी कम नहीं है। इन्होंने जो काव्य-रचना की है, वह केवल इन लोगों के आपसी विचार-विमर्श तक सीमित है, जनसामान्य के लिए उसमें कोई आकर्षण नहीं है। इस दुर्दशा के बावजूद हिंदी कविता अभी मरी नहीं है, वह जीवित है और मंचीय कवियों के कंठ में सांस ले रही है और उम्मीद है कि देर-सबेर यहीं से वह अपने अस्तित्व का नया अध्याय लिखेगी। अतः मंगलेश डबराल यदि हिंदी साहित्य की समृद्ध की दिशा में कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम उन्हें विधाओं की मृत्यु का बेसुरा राग गाना तो बंद ही कर देना चाहिए।

37.4 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम तापमान दिल्ली में सोमवार को। यह सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर पर 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मंगल-बुध को मध्यम बारिश की संभावना है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 6 अगस्त 2019

सखी ▶ हाई कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी को मानसून के दौरान निगरानी रखने के दिए आदेश, कहा

जलभराव से हाईटेक तरीके से निपटें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

बारिश में जलभराव के दौरान होने वाली समस्या पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाएं जो मानसून के दौरान जलभराव और जाम की स्थिति में खुद काम करना शुरू कर दे। बारिश शुरू होते ही वाटर पंप चालू कर दिया जाए। बिजली के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि बिजली ठप होने पर जनरेटर अपने आप काम करना शुरू कर दे।

न्यायमूर्ति सीएस सिस्तानी और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग को मानसून के दौरान शहर की निगरानी रखने के निर्देश दिए। याचिका पर अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। पिछली तारीख पर पीठ ने कहा था कि जलभराव व जाम की समस्या से निपटने के लिए कमांडों की तरह काम करें। दिल्ली सरकार ने 30 जुलाई को कोर्ट से कहा था कि मानसून के दौरान आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा था कि बारिश के दौरान तेज प्रवाह से आने वाले पानी को जल संग्रहण के लिए ट्रांसफर करना काफी मुश्किल है। कोर्ट ने यह दिशा-निर्देश 2018 की मीडिया में आई खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते जनहित याचिका पर दिए।

शाह के सवाल का जवाब ढूंढ़ रही नौकरशाही

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सवाल का जवाब ढूंढ़ने के लिए दिल्ली की नौकरशाही लगी हुई है। गत दिनों निगमबोध घाट पर जलभराव देख कर उन्होंने अधिकारियों से पूछा था कि यहां पर जलभराव क्यों होता है? लोग श्मशान घाट कैसे आते होंगे? उनके इन सवालों के बाद दिल्ली सरकार की नौकरशाही सक्रिय है। मुख्य सचिव विजय देव ने नगर निगम व लोक निर्माण विभाग से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने इस समस्या के हल के बारे में भी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।

गत 21 जुलाई को दिल्ली की तीन बार मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित का निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार के समय तेज बारिश के बाद दक्षिणी गेट पर जलभराव हो गया था। शाह ने इसके बाबत अधिकारियों से जवाब मांगा था।

निगमबोध श्मशान घाट के संचालन समिति के मुख्य प्रबंधक सुमन गुप्ता का कहना है कि दक्षिणी गेट पर पानी भर जाने की समस्या वर्षों पुरानी है। उन्होंने शीला दीक्षित से भी कई बार शिकायत की थी। लेकिन समस्या का हल नहीं हो सका है क्योंकि रिंग रोड की तरफ का भी पानी इधर आता है जो आगे यमुना में जाता है। मगर यमुना की तरफ का इलाका ऊंचाई पर है। ऐसे में पानी ढंग से नहीं निकल पाता और बारिश होते ही जलभराव हो जाता है। वहीं घाट के दक्षिणी गेट पर दुकान चला रहे पवन कुमार बताते हैं कि बारिश होने पर यहां घुटनों तक पानी भरता है। कई बार तो बगैर बारिश के भी पानी भर जाता है।

पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अंतेष्टि के दौरान हुई बारिश के कारण निगम बोध घाट पर पानी भर गया था। गृहमंत्री ने अधिकारियों से इसका कारण पूछा था। (फाइल फोटो)

पोक्सो एक्ट में खामियों पर विचार करेगा हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : नाबालिग दुष्कर्म पीड़ितों को मुआवजा देने के मामले पर गैर सरकारी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन के सुझावों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने विचार किया। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष एनजीओ ने जांच अधिकारी, बाल कल्याण समिति, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, कानूनी सहायता वकील और अभियोजक द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं का उल्लेख करते हुए अंतरिम और अंतिम मुआवजे की रिपोर्ट तैयार करने के लंबे दौर का पीड़ित पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाया। अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।

एनजीओ की याचिका में दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (डीसीपीसीआर) द्वारा किए गए अध्ययन पर विचार करने की मांग की गई है, जिसमें पोक्सो एक्ट-2012 की खामियों को उजागर किया गया था। एनजीओ की तरफ से अधिवक्ता प्राभसहाय कौर ने डीसीपीसीआर की रिपोर्ट पेश करते हुए हाई कोर्ट को दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं और उनके परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों से अवगत कराया।

एनजीओ ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 99 फीसद पीड़ितों को मुआवजा योजना 2016 के तहत पूर्ण मुआवजा राशि नहीं मिली है। इस साल शुरुआत में जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि हर तीन में से एक दुष्कर्म पीड़ित द्वारा सामाजिक कलंक और स्वास्थ्य संबंधी चिंता के कारण स्कूल छोड़ दिया जाता है।

दिल्लीवालों की जुबानी सुनने को मिलेगी दिल्ली की कहानी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जिन्होंने दिल्ली को जी भर के जिया और जिनकी हर सांस समर्पित की है, ऐसे लोगों की जुबानी यहां की कहानी सुनाने की योजना दिल्ली अभिलेखागार विभाग ने बनाई है। इसमें दिल्ली की 30 प्रसिद्ध शख्सियतों से बातचीत का ऑडियो-वीडियो रिकार्ड संरक्षित किया जाएगा। अब तक पूर्व उपप्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, इतिहासकार आरवी स्मिथ, दिल्ली घराने के खलीफा उस्ताद इकबाल अहमद खान, चित्रकार कृष्ण खन्ना, उर्दू लेखक गुलजार देहलवी समेत कुल 20 लोगों के नाम तय किए गए हैं। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इसकी औपचारिक शुरुआत की गई। उद्घाटन समारोह में इतिहासकार सोहेल हाशमी, आरवी स्मिथ, इरफान हबीब, ऊषा पुरी ने दिल्ली से जुड़ी अपनी यादें साझा कीं।

कला संस्कृति व भाषा विभाग की सचिव रिंकू डुग्गा ने कहा कि लोगों की जिंदगी असली दिल्ली से रूबरू कराएगी। यह भी बताया कि इतिहास दर्ज किए जाने की प्रक्रिया में आम लोग भी शामिल होंगे। इसके लिए इच्छुक लोग अभिलेखागार से संपर्क कर सकते हैं। एक समिति मिलकर तय करेगी कि उनकी आवाज में इतिहास दर्ज किया जाए या नहीं। इसके बाद अभिलेखागार की टीम साक्षात्कार करेगी।

प्रतिक्रियाएं

मौखिक इतिहास बाकि अन्य इतिहास के संकलन से बिल्कुल अलग है। इसे तत्काल शुरू कर देना चाहिए क्योंकि जितना विलंब होगा, उतना ही इतिहास की घटनाओं को सुनने से हम वंचित होंगे। ओरल हिस्ट्री के जरिये वे भी इतिहास को जान सकेंगे जो लिखना- पढ़ना नहीं जानते।

-प्रो. इरफान हबीब, इतिहासकार

शहर से जुड़े बहुत से किस्से, कहानियां हैं, जो लोगों के बीच हैं। यह कार्यक्रम लोगों तक पहुंचे और उनकी दिल्ली से जुड़ी यादों को संरक्षित करेगा। इससे शोध करने वाले छात्रों को भी मदद मिलेगी।

-सोहेल हाशमी, इतिहासकार

यह शहर लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने वाला है। भले ही लोग कई मायनों में अलग हों लेकिन उनके जायके में समानता है।

-अभिनंदिता, दिल्ली सरकार की कल्चरल एडवाइजर

न्यूज गैलरी

दिल्ली विश्वविद्यालय ने जारी किया सातवां कटऑफ

नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने सोमवार को रात नौ बजे सातवां कटऑफ जारी कर दिया है। सामान्य वर्ग के लिए नॉर्थ कैंपस के हंसराज कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स में 97.25 फीसद, हिंदू कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स में 97.50 फीसद कटऑफ निर्धारित किया गया है। इस कटऑफ के तहत सामान्य वर्ग के लिए किरोड़ीमल कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए 97 फीसद, इंग्लिश ऑनर्स के लिए 95.75, हिंदी ऑनर्स के लिए 87.50, बीकॉम के लिए 96.25 फीसद कटऑफ जारी हुआ है। सामान्य वर्ग के लिए रामजस कॉलेज में बीकॉम में 95.75 फीसद, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमन में बीकॉम ऑनर्स के लिए 97.50 फीसद, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 98.62 फीसद कटऑफ निर्धारित हुआ है। छात्रों के पास गुरुवार तक दाखिले का अवसर है। डीयू से संबद्ध नॉन कॉलेजिएट वुमेंस एजुकेशन बोर्ड (एनसीवेब) का भी 5वां कटऑफ जारी कर दिया गया है। इसके तहत बीकॉम व बीए प्रोग्राम कोर्स में दिल्ली की रहने वाली छात्राएं दाखिले ले सकती हैं। (जासं)

डॉ. महेश वर्मा आइपीयू के कुलपति बने

नई दिल्ली : मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान के निदेशक-प्रिंसिपल प्रोफेसर (डॉक्टर) महेश वर्मा को गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ (आइपी) विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति पांच साल की अवधि के लिए होगी। दिल्ली सरकार के सचिव (उच्च शिक्षा) संदीप कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने प्रोफेसर (डॉक्टर) महेश वर्मा को आइपी विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्ति किया है। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि वह एक-दो दिन में आइपी के कुलपति का कार्यभार संभाल लेंगे। (जासं)

एयरपोर्ट पर विदेशी मुद्रा के साथ तस्कर गिरफ्तार

नई दिल्ली : आइजीआइ एयरपोर्ट पर कस्टम ने बड़ी संख्या में विदेशी मुद्रा के साथ भारतीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। वह थाई एयरवेज की उड़ान से बैंकॉक जाने की जुगत में था। उसके पास से 42 लाख 61 हजार मूल्य की विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। कस्टम अधिकारी ने बताया की तीन अगस्त को एक संदिग्ध शख्स विदेश यात्रा के लिए आइजीआइ एयरपोर्ट पहुंचा। अधिकारियों ने उसके बैग की जांच की तो उससे विदेशी मुद्रा बरामद हुई। कस्टम अधिकारी अब यह जांच कर रहे हैं कि तस्कर कहां से विदेशी मुद्रा लेकर आया था और उसे कहां खपाया जाना था। (जासं)

आशियाने की दरकार पर असुविधाओं की मार

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

तमाम कोशिशों के बावजूद 2014 और 2017 की तरह एक बार फिर से आवंटियों ने डीडीए फ्लैट लौटाने शुरू कर दिए हैं। ड्रा आने के दो सप्ताह में ही फ्लैट लौटाने वालों की संख्या एक हजार का आंकड़ा पार कर गई है, जो कई हजार तक पहुंच सकती है। उधर, डीडीए का कहना है कि उसकी ओर से कुछ भी छिपाया नहीं गया था।

25 मार्च को लांच हुई आवासीय योजना 2019 का ड्रा 23 जुलाई को हुआ था। 17,922 फ्लैटों वाली इस योजना के लिए पहले तो आवेदन ही कम आए। इसलिए ड्रॉ में केवल 10,294 फ्लैट शामिल किए जा सके। इनमें से भी आवंटन महज 8,438 का हो पाया। डीडीए ने इन फ्लैटों के लिए अभी मांग एवं आवंटन पत्र जारी करना भी शुरू नहीं किया है कि सफल आवंटियों ने फ्लैट लौटाने शुरू कर दिए हैं। 30 आवंटियों ने तो ड्रॉ वाले दिन ही अपने फ्लैट वापस कर दिए थे। इसके बाद से लगातार डीडीए के पोर्टल पर फ्लैट लौटाने का सिलसिला चल रहा है। यह क्रम अभी मांग और आवंटन पत्र जारी होने के 15 दिन बाद तक चलेगा। ज्यादातर फ्लैट नरेला वाले ही लौटाए जा रहे हैं। फ्लैट लौटाने वाले आवंटियों की शिकायत लोकेशन अच्छी न होना, सुविधाओं के अनुपात में कीमतें ज्यादा होना, आसपास का माहौल अच्छा न होना तथा नागरिक सुविधाओं का अभाव है। हालांकि डीडीए ने फ्लैट लौटाने वाले आवंटियों को जरूरतमंद मानने से ही इन्कार कर दिया है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि डीडीए ने योजना लांच करते हुए कुछ भी छिपाया नहीं था। यहां तक कि इच्छुक आवेदकों को आवेदन से पहले फ्लैट दिखाने तक की व्यवस्था की गई थी।

फ्लैटों की बदहाली और असुविधाओं के चलते ही 2014 में भी तकरीबन 25 हजार में से 14 हजार लोगों ने फ्लैट लौटा दिए थे। 2017 में 12,617 में हजारों आवंटियों ने अपने फ्लैट वापस कर दिए थे। इसलिए इस बार डीडीए ने अनेक रियायतें भी ऑफर की थीं। लेकिन फ्लैटों की दुर्दशा व स्थिति में कोई सुधार नजर नहीं आया।

> योजना लांच करते समय सब कुछ साफ-साफ बता दिया था। वेबसाइट पर सभी जगह की लोकेशन भी डाल दी थी ताकि आवेदन से पूर्व ही आवेदक वस्तुस्थिति जांच लें। नागरिक सुविधाएं धीरे-धीरे विकसित होती हैं, एकदम से नहीं। हमें तो यही लगता है कि जो भी आवंटी अपना फ्लैट वापस कर रहे हैं, उन्हें घर की जरूरत ही नहीं है।
>
> **-तरुण कपूर, उपाध्यक्ष, डीडीए**

अस्पतालों में ड्यूटी पर लौटे डॉक्टर, मरीजों को राहत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) विधेयक के खिलाफ चार दिनों की हड़ताल के बाद सोमवार को अस्पतालों में कामकाज सामान्य रहा। एम्स सहित सभी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर ड्यूटी पर लौट आए। इससे मरीजों को बड़ी राहत मिली है। अस्पतालों में इमरजेंसी के अलावा ओपीडी में भी सामान्य रूप से मरीजों का इलाज हुआ। एम्स में चार दिन के बाद ओपीडी में चिकित्सा सुविधाएं सामान्य होने के कारण मरीजों की भीड़ भी अधिक देखी गई। हालांकि एम्स के मेडिकल के छात्रों ने एनएमसी बिल का विरोध जारी रखा है।

उल्लेखनीय है कि एक अगस्त को एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोर्डा) ने हड़ताल की घोषणा की थी। उस दिन से ही एम्स में ओपीडी सेवा प्रभावित थी। हालांकि दिल्ली सरकार के ज्यादातर अस्पतालों में तीन अगस्त को ही डॉक्टर ड्यूटी पर लौट आए थे। लेकिन एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, हिंदू राव व एक अन्य अस्पताल में हड़ताल जारी थी। एम्स आरडीए व फोर्डा ने रविवार शाम को ही हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों में मतभेद सामने आ गया था क्योंकि ज्यादातर हड़ताल वापस लेने के पक्ष में नहीं थे। हालांकि सुबह रेजिडेंट डॉक्टर ड्यूटी पर लौट आए। इसलिए मरीजों के इलाज में कोई परेशानी नहीं आई। सफदरजंग अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर सुबह करीब 10 बजे ड्यूटी पर लौटे इसलिए ओपीडी सेवा थोड़ी देर से शुरू हुई।

एनएमसी बिल के खिलाफ एम्स परिसर में गले में फंदा डालकर विरोध प्रदर्शन करते मेडिकल छात्र। उन्होंने मरीजों से भी विधेयक के खिलाफ समर्थन मांगा। जागरण

इंस्पेक्टर राज होगा खत्म : डॉक्टरों की ओर से हड़ताल वापस लिए जाने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने ट्वीट कर कहा कि डॉक्टर साथियों द्वारा हड़ताल खत्म करने का फैसला इस बात का सबूत है कि हर एक नागरिक देश की तरक्की में योगदान देने का तैयार है। एनएमसी बिल से देश भर में मेडिकल शिक्षा में एकरूपता आएगी। एमबीबीएस के अंतिम वर्ष में एक कॉमन परीक्षा नेक्स्ट देना होगा। इससे मेडिकल शिक्षा में व्यापक सुधार होगा और इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता अमेरिका, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया सहित कई देशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी उपयोगिता स्वीकार की है।

आइएमए ने आठ अगस्त को हड़ताल की बात दोहराई : एनएमसी बिल के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) ने विरोध जारी रखा है। इसी क्रम में एसोसिएशन ने सोमवार को एक बार फिर देशव्यापी हड़ताल की घोषणा करते हुए कहा कि आठ अगस्त को 24 घंटे के लिए स्वास्थ्य सेवाएं ठप रखी जाएंगी। एसोसिएशन ने देशभर के डॉक्टरों से आठ अगस्त को ओपीडी व इमरजेंसी में भी हड़ताल करने अपील की है।

मेडिकल छात्रों ने गले में फंदा डाल किया विरोध

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक के खिलाफ मेडिकल के छात्रों व रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध जारी रखने का फैसला किया है। सोमवार को एम्स में छात्र एसोसिएशन ने अस्पताल परिसर में सांकेतिक रूप से गले में फंदा डालकर विधेयक का विरोध किया। इस दौरान जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने अस्पताल परिसर में सड़क के किनारे बैठकर मरीजों का इलाज करते हुए विरोध जताया। इस दौरान अस्पताल पहुंचे मरीजों से भी विधेयक के खिलाफ समर्थन मांगा। एम्स छात्र एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. मुकुल कुमार ने कहा कि हड़ताल खत्म करने का मतलब यह नहीं कि मेडिकल के छात्र व रेजिडेंट डॉक्टर विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल, अस्पतालों में लंबे समय तक हड़ताल से लोगों को ही नुकसान उठाना पड़ता है। मरीजों की हित में हड़ताल खत्म की गई है। उन्होंने कहा कि एनएमसी विधेयक के प्रावधानों से मेडिकल शिक्षा में सुधार नहीं होगा, बल्कि उससे मुश्किलें और बढ़ेंगी। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दवा लिखने का अधिकार देने से झोलाछाप डॉक्टर बढ़ेंगे।

हर शहर में बनेगा जमीयत सद्भावना मंच

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

धार्मिक सद्भाव और विश्वास को बढ़ाने के लिए देश के हर शहर में जमीयत सद्भावना मंच का गठन किया जाएगा। यह फैसला जमीयत उलेमा ए हिंद के नेतृत्व में तालकटोरा इनडोर स्टेडियम में आयोजित अमन व एकता सम्मेलन में लिया गया। उन्मादी हिंसा की अमानवीय घटनाओं और सांप्रदायिक उन्माद के बीच देश में धार्मिक सद्भावना व भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में विभिन्न धर्मों के प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। इसमें विभिन्न राज्यों से आए हजारों श्रोताओं की भी मौजूदगी रही। इस अवसर पर एक संयुक्त घोषणा पत्र पढ़ा गया। मौलाना महमूद मदनी के अलावा परमार्थ आश्रम के संस्थापक स्वामी चिदानंद सरस्वती, जैन धर्म के डॉ. आचार्य लोकेश मुनी, बुद्धिस्ट लामा लव बजांग और आर्कबिशप अनिल जोसेफ थॉमस व बंगला साहिब गुरुद्वारा के ज्ञानी रंजीत सिंह ने इस घोषणा पत्र का समर्थन किया।

घोषणा पत्र में निहत्थे और कमजोर लोगों पर सामूहिक हमले और सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार कर जनता में भय और निराशा पैदा करने की निंदा करते हुए कहा गया कि यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सम्मेलन में केंद्र व राज्य सरकारों से उन्मादी हिंसा के खिलाफ तुरंत प्रभावी कानून बनाने की मांग की गई।

जमीयत उलेमा ए हिंद के महासचिव और इस सम्मेलन के आयोजक मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि देश में शांति के माहौल के लिए हर जिला और शहर में जमीयत सद्भावना मंच स्थापित करेगा जिनमें हर वर्ग व हर धर्म के नागरिकों को शामिल किया जाएगा। इस मंच की तरफ से संयुक्त बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित सम्मेलन में विचार रखते महमूद मदनी। साथ में अन्य धर्म के गुरु। सम्मेलन में उन्मादी हिंसा के खिलाफ तुरंत प्रभावी कानून बनाने की मांग की गई। जागरण

कैदियों को नहीं मतदान का अधिकार : आयोग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : कैदियों को मतदान का अधिकार देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट में कहा कि कैदियों को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत मतदान का अधिकार नहीं है और इसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है।

निर्वाचन आयोग के पोल पैनल ने मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष शपथ पत्र दाखिल कर कहा कि मतदान का अधिकार जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 62 के तहत एक वैधानिक अधिकार है। हाई कोर्ट में तीन विधि छात्र प्रवीण कुमार चौधरी, अतुल कुमार दुबे और प्रेरणा सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। विधि छात्रों ने देशभर की जेलों में बंद सभी कैदियों को मतदान का अधिकार देने और उन्हें सुविधा प्रदान करने की मांग की थी।

उन्होंने कैदियों को मतदान के अधिकार से वंचित करने के प्रावधान को चुनौती दी थी। वकील कमलेश मिश्रा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि मतदान के अधिकार से वंचित करना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मुख्यधारा के राजनीतिक निर्णय से कैदियों को दूर करना है।

डीयू में विभागों के पाठ्यक्रम को बदलने पर शिक्षक आमने-सामने

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में कुछ विभागों के कोर्सों के पाठ्यक्रम बदलने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। डीयू के अकादमिक सदस्य एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। डीयू ओवरसाइट कमेटी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए इंग्लिश, हिस्ट्री, पोलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी जैसे चार विभागों के एक सेमेस्टर के पाठ्यक्रम को पास कर दिया। इसे लेकर शिक्षक आमने-सामने आ गए हैं।

डीयू के अकादमिक परिषद (एसी) के सदस्य डॉ. रसाल सिंह ने बताया कि ओवरसाइट कमेटी द्वारा चारों विभागों के कोर्स के पाठ्यक्रम के शेष पांच सेमेस्टर को फिर से वापस विभागों को भेज दिया गया है। इन विभागों के कोर्स के पाठ्यक्रम के पांचों सेमेस्टर को कम से कम एक महीने के लिए डीयू की वेबसाइट पर डालकर अधिक से अधिक शिक्षकों, अन्य हितधारकों, छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए इनमें व्यापक संशोधन करने की भी विभागों को हिदायत गई है। डॉ. रसाल सिंह ने कहा कि इन चारों विभागों के पाठ्यक्रमों में विभाजनकारी और विवादास्पद सामग्री मौजूद है। उसे हटाया जाए। उन्होंने कहा कि इनकी जगह भारतीय पाठ्यक्रम को तरजीह देने की सलाह ओवरसाइट कमेटी ने दी है।

164 अंग्रेजी के शिक्षकों ने डीयू के कुलपति को लिखा पत्र

डीयू के 164 अंग्रेजी के शिक्षकों ने कुलपति प्रो. योगेश त्यागी को रविवार को पत्र लिखा है। इसमें आरोप लगाया है कि डीयू की राइट विंग के शिक्षक संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (एनडीटीएफ) से जुड़े अकादमिक परिषद के आठ सदस्यों की तरफ से पाठ्यक्रम बदलने पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। ये सदस्य गलत सूचनाएं विश्वविद्यालय में फैला रहे हैं। वहीं इस मामले में एनडीटीएफ के अध्यक्ष प्रो. राकेश पांडेय ने इन शिक्षकों के आरोपों का खंडन किया है। प्रो. पांडेय ने कहा है कि चारों विभागों के कोर्स के पाठ्यक्रम में कुछ विवादित सामग्री मौजूद थी, जिस पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी और उन्हें बदलने के लिए वापस भेजा गया था।

राजपूताना स्कूल के छात्रों को स्थानांतरित करने का निर्देश

जासं, नई दिल्ली : जर्जर इमारत में पढ़ने को मजबूर दिल्ली कैंट स्थित राजपूताना राइफल्स हीरोज मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को दिल्ली हाई कोर्ट ने तत्काल दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि स्कूल की जर्जर इमारत को देखते हुए फौरी तौर पर सेना व दिल्ली सरकार के स्कूलों में इन बच्चों को समायोजित किया जाए। पीठ ने कहा कि 300 बच्चों को अस्थाई रूप से दो स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। इसमें एक कैंट बोर्ड और दूसरा दिल्ली सरकार द्वारा संचालित है।

गैर सरकारी संगठन सोशल जूरिस्ट की तरफ से दायर जनहित याचिका पर मुख्य पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्चों को छह महीने के लिए परिवहन की व्यवस्था करें। पीठ ने यह फैसला सेना पर छोड़ दिया कि वह स्कूल का पुनर्निर्माण करे या फिर उक्त भूमि को किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग करे। पिछली तारीख पर मुख्य पीठ ने कहा था कि आखिर क्यों बच्चे कॉरिडोर, छज्जे और पेड़ के नीचे बैठने को मजबूर हो रहे हैं।

योजना

बल्डिंग में नीचे अराइवल और ऊपर के तल पर बनाया जाएगा डिपार्चर टर्मिनल, पहली बार टर्मिनल में 22 एयरोब्रिज का कराया जाएगा निर्माण

जून 2022 में मिलेगा अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त टर्मिनल-वन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (आइजीआइ) पर चल रहा टर्मिनल-वन का विस्तार कार्य जून 2022 में पूरा हो जाएगा। इसके बाद टर्मिनल का क्षेत्रफल तीन गुना बढ़ जाएगा। इसके साथ ही यात्री सुविधाओं में भी इजाफा होगा। बिल्डिंग में नीचे अराइबल और ऊपर के तल पर डिपार्चर टर्मिनल बनाया जाएगा। यही नहीं पहली बार टर्मिनल में 22 एयरोब्रिज (डिपार्चर एरिया को विमान से जोड़ने वाले पुल) का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा यहां पर तमाम आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी।

सोमवार को प्रेसवार्ता में जीएमआर ग्रुप के उप प्रबंध निदेशक आइ प्रभाकर राव ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में आइजीआइ एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों की संख्या में खासी वृद्धि हुई है। भीड़ को देखते हुए डायल ने टर्मिनल-थ्री की तर्ज पर टर्मिनल-वन के विस्तार की योजना बनाई है। इसके तहत तीन चरणों में टर्मिनल व एयरसाइड सहित लैंडसाइड में विस्तार कराने की योजना है। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से टर्मिनल-वन के दोनों टर्मिनल को मिलाकर एक किया जा रहा है। वर्तमान में अलग-अलग टर्मिनल से अराइवल और डिपार्चर विमानों का संचालन किया जाता है, लेकिन विस्तार के बाद आने और जाने वाले विमानों का एक ही टर्मिनल से संचालन किया जा सकेगा। इसमें टर्मिनल-थ्री की तरह अत्याधुनिक सुविधाएं भी जुटाई जाएंगी ताकि यात्रियों को वहां ज्यादा सुविधाएं मिल सकें। टर्मिनल-वन के पूर्ण विस्तार के बाद अगले चरण में टर्मिनल-टू को धवस्त कर उसकी जगह टर्मिनल-फोर का निर्माण कराए जाने की योजना है।

अत्याधुनिक तकनीक का होगा प्रयोग : पहली बार देश के किसी टर्मिनल में 22 एयरोब्रिज बनाए जाएंगे। साथ ही अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इसमें चेहरे को पढ़ने वाले कैमरे, ऑटोमेटेड ट्रे रिट्रीवल सिस्टम (एटीआरएस), इंडिविजुअल कैरियर सिस्टम (आइसीएस), कामन यूजेज सेल्फ सर्विस (सीयूएसएस) व सेल्फ बैगेज ड्रॉप क्योस्क प्रमुख हैं। इसके अलावा वहां अन्य सुविधाएं जुटाई जाएंगी।

टर्मिनल-वन बनने के बाद ऊपर की तरफ से कुछ इस तरह दिखेगा। फोटो : सौजन्य डायल

तीन चरणों में कराए जाएंगे विस्तार कार्य : आइजीआइ एयरपोर्ट पर बढ़ते यात्रियों की संख्या के मद्देनजर भविष्य की योजना बनाई गई है। वर्ष 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आइजीआइ एयरपोर्ट के मास्टर प्लान 2016 को मंजूरी दी थी। मास्टर प्लान तीन चरणों में लागू किया जाएगा। फेज 3ए के तहत 2018 से 2021 तक, फेज 3बी के अंतर्गत 2021 से 2025 तक जबकि फेज चार के चरण का विस्तार व निर्माण कार्य 2026 से शुरू होगा। अनुमान है कि 2021 में आइजीआइ की यात्री क्षमता 80 मिलियन, 2025 में 102 मिलियन और फेज-चार के दौरान 119 मिलियन प्रतिवर्ष पर पहुंच जाएगी।

यह भी होगा

टर्मिनल के एयर साइड में चौथे रनवे, एलिवेटेड क्रास टैक्सी-वे और एप्रन एरिया का भी निर्माण कराया जा रहा है।

इसकी क्षमता दो करोड़ से बढ़कर चार करोड़ यात्री प्रतिवर्ष हो जाएगी।

मेट्रो से जुड़ जाने से घरेलू एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा होगा।

टर्मिनल-तीन और टर्मिनल-एक को मिलाकर फ्लाइट ऑपरेशन के लिए 11-29 रनवे के समानांतर चौथे रनवे का निर्माण कराया जाएगा।

1000 करोड़ रुपये बासमती निर्यातकों का फंसा पड़ा है ईरान में। करनाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई बड़े निर्यातकों को दिक्कत यह है कि उन्हें न तो ईरान सरकार इन्कार कर रही है न ही राशि जारी की जा रही है। ऑल इंडिया राइस निर्यातक एसोसिएशन के उपप्रधान ने स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

अदालत ने कुलदीप सेंगर और शशि को तिहाड़ भेजा

उन्नाव दुष्कर्म कांड ▶ केस से जुड़े तीन मामलों पर आज होगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

तीस हजारी कोर्ट में उन्नाव कांड में आरोपित विधायक कुलदीप सेंगर। जागरण

उन्नाव दुष्कर्म कांड में आरोपित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह को भारी सुरक्षा के बीच सोमवार को तीस हजारी सत्र अदालत (पश्चिम) में पेश किया गया। पहले दिन सामूहिक दुष्कर्म के मामले में ही सुनवाई हुई। अब बुधवार को इस केस में आरोप तय करने पर बहस शुरू होगी। वहीं, मंगलवार को इससे जुड़े तीन अन्य मामलों की सुनवाई होगी। इनमें पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत का मामला भी शामिल है। अन्य आरोपितों को भी अदालत में पेश किया जाएगा।

तीस हजारी अदालत ने गत शनिवार को ही आरोपितों के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह को सोमवार सुबह दिल्ली ले आई। दोनों आरोपितों को अदालत में गोपनीय जगह रखा गया था। सुनवाई पहले 12.30 बजे के लिए तय थी, लेकिन इसमें कुछ बदलाव करते हुए आरोपितों को दो बजे अदालत में लाया गया। पेशी के दौरान कोर्ट रूम के बाहर पुलिस और वकीलों के बीच बहस और धक्का-मुक्की भी हुई।

आरोपितों के वकील ने लगाया मीडिया ट्रायल का आरोप : अदालत में आरोपितों की तरफ से पेश हुए वकीलों ने कहा कि इस केस का मीडिया ट्रायल शुरू हो गया है। उनके मुवक्किलों को अदालत के फैसले से पहले ही दोषी करार दिया जा रहा है। वहीं, सीबीआइ की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए अभी विशेष अभियोजक नियुक्त करने की अधिसूचना हुई है। अब वे इस मामले में पेश होंगे। इसके बाद अदालत ने सुनवाई बुधवार के लिए तय कर दी।

परिवार के दो लोगों से मिलवाया गया : आरोपित विधायक सेंगर के वकीलों ने अदालत में कहा कि परिजनों से मिलने का मौका दिया जाए। इस पर अदालत ने दो लोगों को आरोपितों से मिलने का मौका दिया। इसके बाद सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा के आदेश पर भारी सुरक्षा के बीच आरोपितों को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। आरोपित सेंगर के अधिवक्ता संदीप दुबे ने बताया कि फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजने का आदेश हुआ है। वहीं, पीड़ित पक्ष की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता धर्मेंद्र मिश्रा ने बताया कि इस प्रकरण से जुड़े तीन मामलों की सुनवाई मंगलवार को होगी, जबकि सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोप तय करने पर बुधवार से बहस होगी।

पुलिस और वकीलों के बीच धक्का-मुक्की: आरोपित कुलदीप सेंगर और शशि सिंह की अदालत में पेशी के दौरान मजबूत सुरक्षा घेरा होने के बावजूद वकीलों और पुलिस में बहस हो गई। कुछ वकील कोर्ट रूम के अंदर जाने पर अड़े रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इस पर दोनों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई।

लखनऊ से दिल्ली एम्स लाई गई दुष्कर्म पीड़िता

जासं, लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कालेज (केजीएमसी) अस्पताल से विमान से लाया जाए और दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कर उसका उपचार कराया जाए। इसके बाद पीड़िता को लखनऊ यातायात पुलिस ने सोमवार शाम ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 38 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा दिया। शाम 06:24 बजे ट्रॉमा सेंटर से सीआरपीएफ और पुलिस की सुरक्षा में एंबुलेंस निकली और 33 किमी की दूरी तय कर 07:02 बजे एयरपोर्ट पहुंच गई। यहां से एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया गया है। पीड़िता के इलाज के लिए एम्स में एनेस्थीसिया व क्रिटिकल केयर के विशेषज्ञ डॉ. रंजन त्रिखा के नेतृत्व में चार चिकित्सकों की टीम गठित हुई है।

बता दें कि उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता पिछले सप्ताह कार और ट्रक की टक्कर में बुरी तरह घायल हो गई थी। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने यह निर्देश देने से कुछ मिनट पहले ही इस महिला और उसके घायल वकील को एम्स स्थानांतरित करने का मामला शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया था, क्योंकि उसके परिवार की ओर से इस तरह का अनुरोध करने के लिए कोर्ट में कोई उपस्थित नहीं था।

▶ मां की तरफ से अनुरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

▶ कहा, घायल वकील का परिवार भी जब भी चाहे कर सकता है अपील

रायबरेली में हुए सड़क हादसे में घायल उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को सोमवार शाम ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एयरपोर्ट पहुंचाया गया। वहां से उसे एयर एंबुलेंस से दिल्ली एम्स ले जाया गया जागरण

कुछ देर बाद परिवार के सदस्य की ओर से एक वकील पीठ के समक्ष पेश हुआ। वकील ने कोर्ट से अपील की कि पीड़िता की मां चाहती हैं कि उनकी बेटी को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थानांतरित कर दिया जाए। पीड़ित की ओर से पेश वकील डी रामकृष्ण रेड्डी की अपील का संज्ञान लेते हुए पीठ ने उसे केजीएमसी से एम्स स्थानांतरित करने का आदेश दिया। पीठ ने इस मामले की सुनवाई शुक्रवार के लिए निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया कि घायल वकील का परिवार भी यह राहत प्राप्त कर सकता है और इसके लिए जब भी आवश्यकता हो कोर्ट में अपील कर सकता है।

दुष्कर्म पीड़िता की सुरक्षा में लापरवाही पर सीबीआइ की निगाह

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उप्र के उन्नाव (माखी) दुष्कर्म पीड़िता की कार दुर्घटना मामले में सीबीआइ की जांच में एक बार फिर स्थानीय पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। सीबीआइ ने सोमवार को 15 पुलिसकर्मियों से पूछताछ की, इनमें सात माखी थाने में तैनात पुलिसकर्मी शामिल थे। साथ ही पीड़िता की पिता की हत्या के गवाह की मौत के मामले से जुड़े अभिलेख माखी थाने से लिए जबकि फतेहपुर में ट्रक मालिक के भाई प्रसपा नेता और चालक के परिजनों से पूछताछ की।

सीबीआइ अधिकारियों ने लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय में पीड़िता की सुरक्षा में तैनात रहे पुलिसकर्मियों को उन्नाव पुलिस लाइन से तलब किया। सूत्रों का कहना है कि इन पुलिसकर्मियों की कॉल डिटेल भी निकाली जा रही है। सीबीआइ की एक टीम पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिये गये ट्रक चालक आशीष व क्लीनर मोहन को रायबरेली लेकर गई और दुर्घटना स्थल पर छानबीन की। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से उनका सामना भी कराया गया। सीबीआइ के साथ फारेंसिक विशेषज्ञ भी मौजूद थे। सीबीआइ ने बांदा के मौरंग व्यवसायी सोहराब से भी पूछताछ की है।

नौ आरोपितों की भूमिका की जांच: दुर्घटना के बाद रायबरेली में दर्ज कराई गई एफआइआर में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के साथ नामजद अन्य नौ आरोपितों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सभी नौ आरोपितों को सीबीआइ ने नोटिस देकर पूछताछ के लिए तलब किया है।

न्यूज गैलरी

रुद्रप्रयाग के बांसवाड़ा में 17 घंटे बाद खुला केदारनाथ हाईवे

देहरादून : प्रदेशभर में रुक-रुककर हो रही बारिश का क्रम जारी है। करीब 17 घंटे से रुद्रप्रयाग के बांसवाड़ा के पास केदारनाथ हाईवे सोमवार सुबह 10 बजे खुला। बदरीनाथ हाइवे भी सुबह तीन घंटे चमोली के लामबगड़ में अवरुद्ध रहा। उधर, कुमाऊं मंडल के अधिकांश क्षेत्रों में मध्यम बारिश हुई। बारिश-भूस्खलन से प्रदेश में 79 संपर्क मार्ग अवरुद्ध हैं। देहरादून में बीते रविवार रात करीब एक बजे से शुरू हुई बारिश सुबह छह बजे थमी। इस दौरान 23 :3 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि आने वाले 24 घंटे में विशेषकर देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी पिथौरागढ़ एवं नैनीताल में भारी हो सकती है। (जासं)

तीन गुलदारों के शव मिलने के बाद कॉर्बेट में भी अलर्ट

रामनगर(नैनीताल) : राजाजी टाइगर रिजर्व समेत आसपास के वन क्षेत्र में दो अगस्त को तीन गुलदारों के शव मिलने से बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व(सीटीआर) में भी अलर्ट जारी हो गया। शिकारियों के घुसपैठ की आशंका को देखते हुए एहतियातन सीटीआर में भी सुरक्षा बढ़ा दी है। हर गतिविधि पर पेट्रोलिंग के साथ ही थर्मल कैमरे व ड्रोन उड़ाकर निगरानी की जा रही है। निदेशक व एसडीओ ने जंगल के संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करने के निर्देश वन कर्मियों को दिए। कार्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल ने बताया कि पेट्रोलिंग तो रोजाना हो रही है। घुसपैठ की गतिविधियों पर भी बराबर नजर रखी जा रही है। (जासं)

गाजियाबाद में हादसे में सैन्य अफसर की पत्नी की मौत

गाजियाबाद : नागद्वार करहैड़ा के पास सड़क हादसे में एयरफोर्स के जूनियर वारंट आफिसर की पत्नी की मौत हो गई। बिहार के कटिहार के सुदामापुरी गांव निवासी कमल नयन मिश्र भारतीय वायु सेना में जूनियर वारंट आफिसर हैं। वह हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के आवासीय परिसर में रहते हैं। रविवार शाम वह पत्नी करुण के साथ बाइक से राजनगर एक्सटेंशन निवासी दोस्त से मिलने जा रहे थे। नागद्वार करहैड़ा के पास हिंडन पुल पर चढ़ते ही एक ट्रक ने पीछे से उनकी बाइक में टक्कर मार दिया। वह बाइक सहित गिर गए, जबकि पत्नी करुण ट्रक के पिछले पहिए में फंसकर घिसट रही थीं। उन्होंने चिल्लाते हुए किसी तरह ट्रक रुकवाया। घायल पत्नी को लेकर वह अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। (जासं)

झारखंड में माओवादियों ने दो की हत्या की

जागरण संवाददाता,खूंटी/अड़की : अड़की थानांतर्गत बलानी सरायकेला सीमा पर रविवार देर रात माओवादियों ने दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में मृतकों की पहचान उसके परिजनों ने अड़की के रुरवांग गांव निवासी सुंदर नाग तथा लुपिन नाग के रूप में की।

माओवादियों ने गोली सिर पर मारी है। साथ ही एक मोटरसाइकिल को जलाकर राख कर दिया है। घोर नक्सल प्रभावित इलाके में एक बार फिर दहशत कायम करने के लिए माओवादियों ने हत्या कर मृतकों के शव पर पोस्टर भी रखा है। पोस्टर में लिखा था कि दोनों युवक माओवादियों के नाम पर लेवी वसूलने का काम करते थे इसलिए उनकी हत्या की गई। घटनास्थल से दो खोखे भी बरामद किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार घटना देर रात की है। गांव के ही एक बजुर्ग व्यक्ति ने देर रात धू-धूकर जलती मोटरसाइकिल देखी थी। इसके बाद हत्या की जानकारी मिली। सुबह होते-होते ग्रामीणों के बीच हत्या की खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया। खूंटी एसपी आलोक ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि खूंटी के समीपवर्ती चाईबासा-कोरबा सीमा में माओवादियों ने दो लोगों की हत्या की है।

गुजरात के आइएएस ने महिला पर लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

▶ गुरुग्राम के रहने वाले दहिया के पहले पत्नी से तलाक लेने पर संशय

पहली पत्नी के रहते दिल्ली की एक युवती से विवाह रचाकर चर्चा में आए गुजरात के आइएएस अधिकारी गौरव दहिया ने जांच समिति के समक्ष हाजिर होकर पीड़िता के खिलाफ ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। उधर, पुलिस ने दहिया को नोटिस भेजकर सात दिनों में जवाब मांगा है। बता दें कि मूलरूप से हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले गौरव पहले राज्य के नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के डायरेक्टर थे। महिला द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में भेज दिया गया था।

दरअसल, गुजरात पुलिस ने गत दिनों दिल्ली जाकर पीड़िता के बयान दर्ज किए थे। अपने आरोपों के समर्थन में पीड़िता ने पुलिस को कई फोटो, वाट्सएप पर भेजे संदेश आदि सुबूत के तौर पर पेश किए थे। इसके बाद गांधीनगर पुलिस ने आइएएस दहिया को जवाब देने को बुलाया, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। सोमवार को गौरव दहिया ने राज्य सरकार की जांच समिति के समक्ष पेश होकर उक्त युवती पर ब्लैकमेल का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उक्त महिला के साथ उनके संबंध रहे हैं, लेकिन सब सहमति से हुआ। वे अपनी पत्नी को नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह पत्नी के साथ इस पीड़िता से अहमदाबाद के होटल में मिल चुके हैं।

दरअसल, इस मुलाकात में महिला ने विवाद होने पर पुलिस को बुला लिया था। जांच समिति को पीड़िता ने बताया था कि 28 फरवरी 2018 को उन्होंने विवाह किया था और 23 नवंबर 2018 को एक बेटी का जन्म हुआ। पीड़िता का कहना था कि जनवरी 2019 में पहली पत्नी से तलाक के दस्तावेज दहिया ने उसे दिखाए थे, लेकिन दहिया का कहना है कि उनका तलाक नहीं हुआ। बता दें कि फिलहाल आइएएस दहिया एक तीसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशन में रहते हैं।

इस महिला ने दिल्ली की पीड़िता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है। उसने वाट्सएप में एक पोस्ट के जरिये बताया कि दिल्ली की युवती गौरव दहिया के साथ उसके संबंधों को लेकर कई तरह के आरोप लगा रही है, जिससे उसकी मानहानि हुई है।

मेडिकल टीम को बंद मिला जौहर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल

जागरण संवाददाता, रामपुर: प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक के आदेश पर मेडिकल अफसरों की टीम सोमवार को मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज पहुंची। टीम यहां अस्पताल बंद देखकर लौट गई।

सांसद आजम खां ने जौहर यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज भी बनवाया है, जिसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। उन्होंने कॉलेज शुरू करने के लिए मेडिकल काउंसिल से अनुमति मांगी है। इसके लिए जरूरी है कि मेडिकल कॉलेज शुरू होने से पहले वहां तीन साल से अस्पताल चल रहा हो, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं हों और मरीज भी आते हों। मेडिकल काउंसिल पहले इसकी जांच कराती है। इसके बाद ही अनुमति देती है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक के आदेश पर सोमवार को इसकी जांच के लिए चिकित्सा अधिकारियों की टीम जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची, लेकिन यहां मेडिकल कॉलेज और अस्पताल सब बंद था। रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचकर जानकारी करनी चाही, लेकिन रजिस्ट्रार भी उपलब्ध नहीं थे। टीम ने अस्पताल के गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया और जिलाधिकारी को मामले से अवगत करा दिया।

पत्रकारों को मालेगांव मामले की इन कैमरा सुनवाई पर आपत्ति

मुंबई, प्रेट्र : मालेगांव विस्फोट मामले में पत्रकारों के एक समूह ने विशेष अदालत में कैमरे के सामने सुनवाई की एनआइए की याचिका के खिलाफ अर्जी दी है। महाराष्ट्र के नाशिक जिले के मालेगांव कस्बे की मस्जिद में 29 सितंबर, 2008 को हुए विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और 100 लोग घायल हुए थे। मामले में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आरोपित हैं।

कैमरे के समक्ष सुनवाई में न्यायाधीश, दोनों पक्षों के वकील, वादी और प्रतिवादी ही उपस्थित रहते हैं। इस तरह की सुनवाई में मीडिया और जन सामान्य की उपस्थिति नहीं होती। इस सुनवाई की जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। पिछले सप्ताह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने अदालत में कैमरे के समक्ष सुनवाई की अर्जी दी थी। इसके लिए मामले का संवेदनशील होना बताया था।

इसे 38 गवाहों की सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी बताया था। एनआइए ने अपनी अर्जी में कहा था कि यह उस इलाके में हुई वारदात का मामला है जहां पर एक खास समुदाय के लोगों की बहुलता है। इससे सुनवाई की जानकारी सार्वजनिक होने पर तनाव बढ़ेगा और गवाहों की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। सोमवार को एनआइए की इस अर्जी के खिलाफ विभिन्न अखबारों और टीवी न्यूज चैनलों के 11 पत्रकारों ने अर्जी दी।

▶ मामले में भाजपा सांसद प्रज्ञा और ले. कर्नल पुरोहित हैं आरोपित

▶ कैमरे के समक्ष सुनवाई में न्यायाधीश, दोनों पक्षों के वकील, वादी और प्रतिवादी ही उपस्थित रहते हैं।

▶ महाराष्ट्र के मालेगांव कस्बे की मस्जिद में 29 सितंबर, 2008 को हुए विस्फोट में छह लोग मारे गए थे

उन्होंने जानकारियों को गोपनीय न रखे जाने की अपील की। अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट और गायत्री गोखले की ओर से दाखिल इस अर्जी में पत्रकारों ने मामले की रिपोर्टिंग के अपने अधिकार और उसकी जानकारी जनता को देने का हवाला दिया है। कहा है कि मामले को गोपनीय रखने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होगा। न्यायाधीश विनोद पडालकर ने पत्रकारों की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। मंगलवार को इस पर एनआइए की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा।

सीमा से 12 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कोलकाता : सीमा सुरक्षा बल के साउथ बंगाल फ्रंटियर के जवानों ने अभियान चलाकर अवैध रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहे 12 बांग्लादेशी घुसपैठियों सहित दो भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही सीमावर्ती मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और नदिया जिले के विभिन्न स्थानों से फिर 1149 बोतल प्रतिबंधित फेंसिडिल (सिरप) और 81 मवेशियों को जब्त किया है। तस्कर इन प्रतिबंधित सामानों को अंतरराष्ट्रीय सीमा से बांग्लादेश ले जाने की कोशिश कर रहे थे।

साउथ बंगाल फ्रंटियर मुख्यालय की ओर से बताया गया कि एक गुप्त सूचना पर नदिया जिले के महाकोला सीमा चौकी पर तैनात 81वीं बटालियन के जवानों ने महाकोला व उसके निकटवर्ती गांवों में विशेष अभियान चलाकर तस्करी के प्रयास को नाकाम किया। सीमा के पास दो तस्करों की संदिग्ध गतिविधि दिखने पर जवानों ने उन्हें रूकने की चुनौती दी। हालांकि, जवानों को देखकर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पीछा कर एक तस्कर रकीबुल सरदार (32) को पकड़ लिया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकलने में सफल रहा। तलाशी के दौरान पांच बैग मिले जिसमें 653 बोतल फेंसिडिल बरामद हुए।

पहाड़ी दरकी, बस पर मलबा गिरा

पहाड़ों में वर्तमान में भूस्खलन जारी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के साथ सटी हसन वैली के समीप सोमवार दोपहर एक पहाड़ी दरक गई। पहाड़ी का मलबा एक होटल के कर्मचारियों को लेकर जा रही बस पर गिरा। इससे एक कर्मचारी घायल हो गया जिसे आइजीएमसी में दाखिल करवाया गया है। पहाड़ी दरकने से सड़क करीब दो घंटे तक बाधित रही। जागरण

एसिड अटैक मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने दिया सरकारों को अंतिम मौका

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आखिरी मौके के तौर पर राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और अन्य को चार हफ्ते के भीतर एसिड अटैक मामलों पर जवाब दाखिल करने को कहा।

संबद्ध पक्षों को खुलेआम हो रही एसिड की बिक्री पर भी जवाब देना है। शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार समेत 42 प्रतिवादियों के लिए नोटिस जारी किए हैं। केवल 13 प्रतिवादियों ने मामले में जवाब दाखिल किए हैं। फरवरी 2018 में दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ सुनवाई कर रही है।

याचिका दाखिल करने वाली अधिवक्ता अनुजा कपूर ने कहा, शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए निर्देशों के क्रियान्वयन संबंधी प्रतिवादियों के जवाब को शपथ पत्र के रूप में स्वीकार किया जाए। जिन राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया और जिन्होंने आदेश का पालन नहीं किया, उनकी अलग-अलग सारणी बनवाई जाएं। अभी तक केंद्रीय गृह मंत्रालय, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त गोवा, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने ही जवाब दाखिल किए हैं। जनहित याचिका में एसिड पीड़ितों के पुनर्वास और उन्हें अन्य सुविधाएं देने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दिशानिर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पीड़ितों को न्यूनतम तीन लाख रुपये और अधिकतम 12 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया है।

▶ सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी दिशानिर्देशों को लागू करने का मामला

सुप्रीम कोर्ट फाइल

आगरा में तीन तलाक में पहली गिरफ्तारी, शौहर को जेल भेजा

जागरण संवाददाता, आगरा : बीवी को तीन तलाक देने वाले शौहर को पुलिस ने सोमवार को जेल भेज दिया। ताज नगरी में तीन तलाक के पहले मुकदमे के साथ ही यह पहली गिरफ्तारी भी है। दंपती ने सात महीने पहले लव मैरिज की थी। कारोबारी ने बीवी को मोबाइल पर मायके वालों से बात करने पर प्रतिबंध लगा रखा था। खंदारी क्षेत्र निवासी फरहीन का निकाह सात महीने पहले लोहामंडी निवासी जमीरउद्दीन के साथ हुआ था। रविवार को थाने पहुंची फरहीन ने शौहर पर तीन तलाक देकर घर से निकालने का आरोप लगाया। पुलिस ने कारोबारी के खिलाफ मुस्लिम महिला प्रोटेक्शन एक्ट एवं दहेज उत्पीड़न और मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। गिरफ्तार शौहर ने बताया कि दोनों ने अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया था। जमीरउद्दीन ने बीवी को मोबाइल नहीं दे रखा था। अपने मोबाइल से ही बीवी को बात करने देता था। बीवी पर मायके वालों से बातचीत करने पर प्रतिबंध लगा रखा था। इस पर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। इस पर शौहर ने उसे तलाक दे दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपित को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।

थोड़ी राहत

कुंभ के पहले हुई थी बंदी, अब पचास फीसद क्षमता पर संचालन की अनुमति, सरकारी मशीनरी की कछुआ चाल, 209 टेनरियां अभी भी रहेंगी बंद

चल सकेंगी कानपुर की सिर्फ 26 टेनरियां

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

गंगा में जीरो डिस्चार्ज वाली 28 टेनरियों का ही संचालन कुंभ के दौरान हुआ था। प्रतीकात्मक

कुंभ के पहले एक साथ बंद कर दी गई उत्तर प्रदेश में कानपुर और उन्नाव की टेनरियों को खोलने की प्रक्रिया कछुआ चाल से चल रही है। लंबे इंतजार के बाद संचालन की अनुमति दी भी तो सिर्फ 26 को ही। चमड़ा उद्योग हजारों करोड़ रुपये का नुकसान उठा चुका है, तब जाकर 50 फीसद क्षमता पर टेनरियों के संचालन की अनुमति दी जा रही है।

प्रदेश सरकार ने कुंभ में स्वच्छ गंगाजल मुहैया कराने के लिए कानपुर व उन्नाव की सभी टेनरियां बंद कर दी थीं। सरकार ने यह निर्देश दिए थे कि गंगा में जीरो डिस्चार्ज वाली टेनरियां व उद्योग ही संचालित हो सकते हैं। इसके तहत कानपुर की 263 में से 28 टेनरियों का संचालन कुंभ के दौरान भी होता रहा।

बंद हुई टेनरियों के संचालन की अनुमति कुंभ खत्म होने के बाद भी इसलिए नहीं मिली, क्योंकि सरकार को गंगा में फिर से प्रदूषण फैलने का खतरा लग रहा था। कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के पूरी क्षमता से न चलने के कारण सरकार ने टेनरियों को 50 फीसद क्षमता पर ही संचालित करने की शर्त लगाई। पिछले दिनों टेनरी संचालकों ने अपनी इकाइयां 50 फीसद क्षमता पर संचालित करने का शपथ पत्र दिया। इसके बाद संबंधित विभागों की टीम ने टेनरियों का सर्वे शुरू किया। इस प्रक्रिया को भी एक माह से ज्यादा का समय हो चुका है।

अब कानपुर के जिलाधिकारी ने सत्यापन के बाद इनके प्रस्ताव शासन को भेजे हैं, जिसके आधार पर सरकार ने 26 टेनरियों के संचालन की अनुमति दी है। 209 टेनरियों को अभी भी खुलने का इंतजार है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव आशीष तिवारी ने बताया कि जिन टेनरियों का सत्यापन डीएम करके भेज रहे हैं, उनके संचालन की अनुमति दी जा रही है।

> लगभग सभी टेनरियों का सर्वे हो चुका है। आधी से अधिक टैनरियों की रिपोर्ट भी शासन को भेजी जा चुकी है। इसके बाद भी पता नहीं क्यों अनुमति देने में इतनी देर की जा रही है। इससे उद्योग प्रभावित हो रहा है और कारोबारी हतोत्साहित हो रहे हैं।
>
> **-असद के इराकी**
> **महासचिव, लेदर इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन, कानपुर**

मुजफ्फरपुर व मधुबनी में भगदड़, दर्जनों कांवड़िये जख्मी

मुजफ्फरपुर, जागरण टीम : सावन की तीसरी सोमवारी पर मुजफ्फरपुर और मधुबनी में श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ में दर्जनों कांवड़िये जख्मी हो गए। इनमें अधिकतर महिलाएं हैं। जख्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक के लिए रविवार की देर रात से ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं की जुटान हो गई थी। देर रात करीब दो बजे के बाद भीड़ अनियंत्रित हो गई। अचानक गेट खुलने के बाद यह भीड़ बेकाबू हो गई। इसमें कई श्रद्धालु गिर गए। इनमें कई को चोट भी लगी। इसी तरह की स्थिति मधुबनी के रहिका में हुई। यहां के कपिलेश्वर शिवालय पर भगदड़ में दो दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए। जयनगर की कमला नदी से जल लेकर चले शिवभक्त भारी तादाद में शिवालय के द्वार पर जमा हो गए। फिर करीब एक बजे रात में शिवालय का पट खुलते ही वहां अफरातफरी मच गई। भगदड़ हो जाने से दो दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए।

डेरा प्रमुख की पैरोल के लिए पत्नी हाई कोर्ट की शरण में

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

▶ हाई कोर्ट ने जेल अधीक्षक को पांच दिन में निर्णय लेने का दिया आदेश

▶ गुरमीत सिंह की मां के बीमार होने को पैरोल का बनाया आधार

डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमित सिंह को पैरोल देने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है। डेरामुखी की पत्नी हरजीत कौर ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में बताया हैं कि गुरमीत सिंह की मां यानी उसकी सास नसीब कौर बीमार हैं और उनकी आयु 85 साल है।

पिछले दिनों उसकी सास को हार्ट अटैक भी आया था, लेकिन वह अपना इलाज नहीं करवा रही हैं। कुछ दिन बाद उनकी एंजीयोग्राफी होनी है। ऐसे में उसकी इच्छा है कि गुरमीत सिंह उसके पास हो। जब तक उसका बेटा उसके पास नही आएगा वह इलाज नही कराएगी। इसी वजह से उन्होने रोहतक जेल के जेल अधीक्षक को 29 जुलाई को एक मांगपत्र देकर गुरमीत सिंह को पैरोल देने की मांग की थी। मगर जेल प्रशासन उनकी मांग पर कोई विचार नहीं कर रहा।

हाई कोर्ट में वकीलों द्वारा वर्क सस्पेंड के कारण मामले में कोई वकील कोर्ट में पेश नही हो सका। हरजीत कौर की तरफ से गुरमीत सिंह के बेटे जसमीत सिंह ने पैरवी की। हाई कोर्ट ने जेल अधीक्षक रोहतक को आदेश दिया कि वह जेल विभाग द्वारा जारी 2014 के नियमों के तहत अच्छे आचरण के तहत गुरमीत सिंह को पैरोल देने पर विचार करे। अगर वह ऐसा करने में अक्षम हैं तो अपने उच्च अधिकारियों को यह मांग पत्र भेजे व पांच दिन में निर्णय लें।

ज्ञात रहे कि इससे पहले भी गुरमीत सिंह ने अपनी दत्तक बेटी की शादी में जाने के लिए पैरोल की मांग को लेकर हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी जो बाद में उसने वापस ले ली थी। उसके बाद उसने खेती के लिए जेल अधीक्षक से पैरोल मांगा, लेकिन वह अर्जी भी बाद में वापस ले ली गई थी।

न्यूज गैलरी

अफगान पुलिस के जवान ने सात सहकर्मियों की जान ली

काबुल : अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में रविवार को पुलिस के एक जवान ने गोलियां बरसाकर अपने सात सहकर्मियों की जान ले ली। वारदात को अंजाम देने के बाद जवान भागने में कामयाब रहा। तालिबान ने दावा किया है कि पुलिस जवान उसके संगठन में शामिल हो गया है। कंधार में पिछले हफ्ते भी ऐसी ही एक घटना में अफगान सैनिक ने दो अमेरिकी सैनिकों की जान ले ली थी। उस वारदात में हमलावर भी घायल हो गया था, जिसे तालिबान ने हीरो कहकर संबोधित किया था। (एपी)

श्रीलंका में इस साल डेंगू से 47 की मौत

कोलंबो : श्रीलंका में इस साल दो लाख से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। देश में डेंगू से अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है। श्रीलंका सरकार के अनुसार पूरे देश में डेंगू का कहर है। मच्छर के काटने से होने वाले इस रोग से राजधानी कोलंबो सबसे ज्यादा प्रभावित है। (आइएएनएस)

पत्नी और सास-ससुर की हत्या में भारतवंशी पर आरोप तय

न्यूयॉर्क : अमेरिका में पत्नी और सास-ससुर समेत ससुराल के तीन सदस्यों की हत्या के मामले में भारतवंशी गुरप्रीत सिंह पर आरोप तय कर दिए गए हैं। बटलर काउंटी की ग्रांड ज्यूरी ने 37 वर्षीय गुरप्रीत पर जघन्य हत्या से जुड़े चार मामलों में मुकदमा चलाने का निर्देश जारी किया है। गुरप्रीत ने गत 28 अप्रैल को ओहायो के हैमिल्टन शहर स्थित अपनी ससुराल में गोलीबारी कर पत्नी समेत चार लोगों की जान ले ली थी। गुरप्रीत ने सास-ससुर के अलावा पत्नी की चाची की भी हत्या कर दी थी। जांच में सभी मृतकों के सिर में कम-से-कम दो गोलियों के निशान मिले थे। गुरप्रीत को फिलहाल बटलर काउंटी जेल में रखा गया है। (प्रेट्र)

दुबई में नौकरी का झांसा देकर छह लोगों से ठगी

दुबई : दुबई में एक फर्जी कंपनी ने नौकरी देने का झांसा देकर भारत के छह लोगों से ठगी की। ठगी का शिकार हुई तमिलनाडु की इशरत फातिमा ने 'खलीज टाइम्स' को बताया कि जिस एचआर कंसल्टेंसी कंपनी में वह काम करती थी, उसमें नियुक्ति के लिए उन्होंने अपने छोटे भाई, एक चचेरे भाई और उनके दोस्तों को एक-एक लाख रुपये देने के लिए मनाया। फातिमा ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मुझे फंसाया गया क्योंकि मैं कंपनी में एक महीने काम कर चुकी थी और वेतन भी मुझे समय पर मिल गया था। अब मेरा परिवार मुझसे खफा है और सब मुझसे रुपये वापस कराने के लिए कह रहे हैं। लेकिन, पांच लाख मैं कहां से जुटाउंगी, मैं भी अपने पैसे गंवा चुकी हूं। इसकी शिकायत भारतीय दूतावास में दर्ज करा दी गई है। (प्रेट्र)

हांगकांग में हड़ताल से जनजीवन हुआ ठप

विरोध ▶ प्रस्तावित प्रत्यर्पण कानून के खिलाफ चल रहा है प्रदर्शन, 200 उड़ानें रद

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फिर दागे आंसू गैस के गोले

हांगकांग, रायटर : दुनिया के प्रमुख आर्थिक केंद्र हांगकांग में सोमवार को हड़ताल के कारण जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया। हड़ताल से सबसे ज्यादा परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई। 200 से ज्यादा उड़ानें रद कर दी गईं। इस दौरान सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने फिर आंसू गैस के गोले दागे। शहर में कई जगहों पर हजारों प्रदर्शनकारी जमा हो गए थे। पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई।

चीन समर्थित हांगकांग की मुख्य कार्यकारी कैरी लैम ने प्रदर्शनकारियों को आगाह करते हुए कहा कि वे शहर को बेहद खतरनाक हालात की ओर धकेल रहे हैं और चीन की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने इस्तीफे की मांग को दोबारा खारिज करते हुए कहा कि उनकी सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दृढ़ है। जबकि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन जारी रखने की बात करते हुए लैम पर आरोप लगाया कि वह लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज कर हालात बिगाड़ रही हैं।

हांगकांग में गत जून से प्रस्तावित प्रत्यर्पण कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस विवादित कानून में आरोपितों को मुकदमा चलाने के लिए चीन में प्रत्यर्पित करने का प्रावधान है। चीन के नियंत्रण वाले हांगकांग में 1997 के बाद यह सबसे बड़ा विरोध-प्रदर्शन बताया जा रहा है। ब्रिटेन ने 1997 में इस शर्त के साथ चीन को हांगकांग सौंपा था कि वह इसकी स्वायत्तता बरकरार रखेगा।

अब तक चार सौ से ज्यादा लोग गिरफ्तार : हांगकांग में नौ जून से विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। तब से चार सौ से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए करीब एक हजार राउंड आंसू गैस के गोले दागे जा चुके हैं।

चीनी झंडा समुद्र में फेंकने वाले पर 90 लाख का इनाम हांगकांग, एएनआइ : हांगकांग के पूर्व नेता सीवाइ लींग ने चीनी झंडा समुद्र में फेंकने वाले व्यक्ति के बारे में सूचना देने वाले को 90 लाख रुपये इनाम देने का एलान किया है।

हांगकांग में सोमवार को सुरक्षा बलों ने लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। आंसू गैस के कनस्तर को वापस सुरक्षा बलों पर फेंकता प्रदर्शनकारी। एएफपी

ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिकी मिसाइलों की तैनाती से किया इन्कार

कहा, मिसाइलों के लिए अपनी जमीन का नहीं होने देगा इस्तेमाल

एएफपी : चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अमेरिका द्वारा एशिया में मिसाइल तैनाती के एलान के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपना रुख साफ कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वह अपनी जमीन पर अमेरिकी मिसाइल तैनात नहीं होने देगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मौरिसन ने सोमवार को कहा, 'इसको लेकर हमारी अमेरिका से कोई बात नहीं हुई है। यह मुद्दा बातचीत में हमारे समक्ष नहीं रखा गया।' मौरिसन का यह बयान अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और विदेश मंत्री माइक पोंपियो की ऑस्ट्रेलिया से रवानगी के तुरंत बाद आया है।

बीते शनिवार को एस्पर ने ऑस्ट्रेलिया में कहा था कि अमेरिका एशिया में अपनी इंटरमीडिएट-रेंज की नई मिसाइलें तैनात करना चाहता है। उन्होंने हालांकि यह नहीं बताया था कि अमेरिका ये मिसाइलें कहां तैनात करेगा? यह जवाब उन्होंने तब दिया था जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका एशिया में मध्यम-दूरी की अपनी नई मिसाइलों को तैनात करने की योजना बना रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा, अमेरिका अब इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज (आइएनएफ) संधि से बंधा हुआ नहीं है।

संधि टूटने के बाद बदली रणनीति : बता दें कि अमेरिका आइएनएफ संधि से अलग हो गया। उसने रूस पर इस संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया। दोनों देशों के बीच 1987 में यह संधि हुई थी। इसपर तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने हस्ताक्षर किए थे। संधि के तहत दोनों देश इस बात पर राजी हुए थे कि वे पारंपरिक और परमाणु लैस मीडियम-रेंज मिसाइलों को सीमित करेंगे। अमेरिका और रूस के बीच बढ़ी कड़वाहट से यह संधि टूट गई।

चीन से मुकाबला करने को स्वतंत्र: अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा था कि संधि से अलग होने के बाद अमेरिका अब चीन से मुकाबला करने को स्वतंत्र है। चीन के पास ज्यादातर मिसाइलें ऐसी हैं जो संधि के तहत प्रतिबंधित थीं। चीन ने उस संधि पर हस्ताक्षर भी नहीं किए। उन्होंने कहा कि चीन को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका कुछ समय से इसपर विचार कर रहा है। एस्पर ने कहा, मैं यह बताना चाहता हूं कि उनके 80 फीसद मिसाइल अन्वेषण आइएनएफ रेंज सिस्टम के हैं, इसलिए उन्हें हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी ऐसी क्षमता चाहते हैं।

स्कॉट मौरिसन। फाइल

नस्लवादी सोच की ट्रंप ने की निंदा, मृत्यु दंड की वकालत

- दो नरसंहारों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने की सुधारों की बात
- ऑटोमैटिक हथियारों की बिक्री के प्रावधान सख्त करने के दिए संकेत

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिका में टेक्सास और ओहियो में हुए 29 लोगों के नरसंहार के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को श्वेत श्रेष्ठता वाली सोच की निंदा की। कहा- इस तरह की अतिवादी घटनाओं को रोकने के लिए इंटरनेट की निगरानी, मानसिक स्वास्थ्य के सुधारों और मृत्यु दंड का दायरा बढ़ाया जाए।

टेक्सास के वॉलमार्ट स्टोर में 20 लोगों की हत्या करने वाले आदमी ने बताया है कि उसने नस्लवाद से प्रभावित होकर नरसंहार को अंजाम दिया। वह अमेरिका की श्वेत नस्ल को श्रेष्ठ मानने वाला है। उसके निशाने पर मेक्सिकन मूल के लोग थे। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रंप ने कहा कि इस तरह की सोच को हमें अपनी एकजुटता से हराना है। घृणा के लिए अमेरिका में कोई स्थान नहीं है। घृणा और बदले की भावना मनुष्य की आत्मा को बर्बाद कर देती है। ट्रंप ने इस दौरान अपनी आव्रजन संबंधी और नस्लवादी टिप्पणियों का कोई जिक्र नहीं किया। टेक्सास की घटना के 13 घंटे बाद ओहियो में एक अन्य व्यक्ति ने नौ लोगों को फायरिंग कर मार डाला।

ट्रंप ने कहा, न्याय विभाग के अधिकारी और जांचकर्ता ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे घरेलू आतंकवाद और घृणास्पद अपराधों में शामिल लोगों को मृत्यु दंड का प्रावधान किया जा सके। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के सुधारों को भी लागू करने की आवश्यकता जताई। इससे सोशल मीडिया में सक्रिय हत्यारों को वारदात से पहले ही ढूंढ़ पाने में आसानी हो जाएगी। ट्रंप ने ऑटोमैटिक हथियारों की बिक्री के प्रावधान सख्त करने के संकेत दिए। ऑटोमैटिक हथियारों की बिक्री से पहले खरीददार की पृष्ठभूमि की जानकारी और उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी बनाया जा सकता है।

लंदन में किशोर ने छह साल के बच्चे को दसवें माले से धकेला

लंदन, एएफपी : रविवार को 17 वर्षीय किशोर ने लंदन के टेट मॉडर्न गैलरी म्यूजियम की दसवीं मंजिल से एक छह वर्षीय बच्चे को धक्का दे दिया था। पुलिस के अनुसार, उस बच्चे की स्थिति अब स्थिर है। वहीं, किशोर को हत्या की कोशिश करने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है।

इस घटना के बाद टेम्स नदी के तट पर स्थित म्यूजियम को खाली करा दिया गया था। सोमवार को इसे फिर से खोल दिया गया। टेट की तरफ से आए बयान के अनुसार, बच्चा दसवें माले से पांचवें माले पर गिर गया था। वहां से उसे एयरलिफ्ट कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, अधिकारी घटना की परिस्थितियों का पता लगाने में जुटे हैं। टेट ने दुर्घटना पर खेद जताते हुए जांच में पुलिस का हरसंभव सहयोग करने की बात की है। फिलहाल पुलिस ने इस बात से इंकार कर दिया है कि संदिग्ध और पीड़ित पहले से एक-दूसरे को जानते थे।

मिस्र में कारों की टक्कर से कैंसर अस्पताल में लगी आग, 19 की मौत

काइरो, एपी : मिस्र की राजधानी काइरो में कई कारों की भीषण टक्कर से हुए विस्फोट के कारण देश के प्रमुख कैंसर अस्पताल में आग लग गई। काइरो के मशहूर तहरीर चौराहे पर रविवार रात हुए इस हादसे में 19 लोगों की जान चली गई और 30 लोग जख्मी हो गए।

गृह मंत्रालय के अनुसार, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट से निकल रही एक कार तीन अन्य कारों से टकरा गई। जोरदार टक्कर से हुए धमाके के कारण निकली आग की लपटों की चपेट में अस्पताल का एक हिस्सा भी आ गया। आग से उस हिस्से के कई खिड़की-दरवाजे जल गए। आग पर हालांकि बाद में काबू पा लिया गया। अस्पताल में मौजूद मरीजों को भी दूसरे अस्पतालों में पहुंचा दिया गया। अस्पताल के ठीक सामने स्थित बैंक के सुरक्षा अधिकारी अब्देल-रहमान मुहम्मद ने कहा, 'धमाका इतना तेज था कि बैंक के प्रवेश द्वार पर लगा शीशा चकनाचूर हो गया।'

मिस्र की राजधानी काइरो में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट से निकल रही एक कार तीन अन्य कारों से टकरा गई। इसके बाद लगी आग बुझाते लोग। रायटर

अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते के प्रयास जारी

दोहा, एएफपी : अफगानिस्तान में 18 साल से चल रही जंग को खत्म करने के लिए समझौते पर पहुंचने के लिए अवरोधकों को दूर करने के प्रयास जारी हैं। अमेरिका और तालिबान दोहा में रविवार को भी बातचीत हुई। वर्ष 2001 में हमला कर तालिबान को सत्ता से उखाड़ फेंकने वाला अमेरिका अब अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी और जंग का खत्मा चाहता है। लेकिन, सबसे पहले अमेरिका आर्तकियों से आश्वासन चाहता है कि वे अलकायदा का साथ छोड़ दें और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी समूहों को रोकें। यह वार्ता अभी आठवें चरण में है।

तालिबान के एक सूत्र ने बताया कि अफगानिस्तान मामलों के अमेरिकी दूत जलमय खलीलजाद और तालिबान के सह संस्थापक तथा संगठन की राजनीतिक इकाई के प्रमुख मुल्ला बरादर के बीच सीधी वार्ता आयोजित कराने की कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान में होने वाले चुनाव और अमेरिका में 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रपति चुनाव से पहले वाशिंगटन एक सितंबर तक तालिबान के साथ शांति समझौते की उम्मीद कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते शुक्रवार को हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि हमने बहुत प्रगति की है। हम बात कर रहे हैं। खलीलजाद ने ट्वीट कर कहा कि हम शांति समझौते पर बात कर रहे हैं, वापसी के लिए करार नहीं कर रहे।

वॉलमार्ट को लोगों ने लिया आड़े हाथ, कहा-बंदूकें बेचना बंद करो

न्यूयॉर्क, एएफपी : अमेरिका की दिग्गज रिटेल चेन वॉलमार्ट के स्टोर में एक हफ्ते में दो बार गोलीबारी की घटना के बाद लोगों ने कंपनी को आड़े हाथों लिया है। वॉलमार्ट अपने स्टोर में हथियार भी बेचती है, जिसके चलते लोगों ने कंपनी की आलोचना शुरू कर दी है।

रविवार को टेक्सास के एल पासो कस्बे में वॉलमार्ट के स्टोर में हुई घटना के बाद जब कंपनी ने सहानुभूति जताते हुए ट्वीट किया तो लोगों का गुस्सा निकल आया। लोगों का कहना था कि संवेदना जताने के बजाए हथियार बेचना बंद करो।

बता दें कि अमेरिका में सेकेंड अमेंडमेंड बिल के तहत प्रत्येक व्यक्ति को हथियार रखने का अधिकार मिला हुआ है। यह बंदूक संस्कृति अमेरिका पर बहुत भारी पड़ती रही है। रिटेल चेन वॉलमार्ट भी अपने स्टोर में हथियारों की बिक्री करती है। वॉलमार्ट के संस्थापक सैम वॉल्टन को हथियारों से बहुत लगाव था, इतना कि अमेरिकी बंदूक निर्माता रेमिंगटन ने उनके नाम पर हंटिंग रायफल का नाम रखा था, लेकिन कंपनी का कहना रहा है कि वह केवल शिकार करने और निशानेबाजी के लिए ही बंदूकें बेचती है।

हालांकि, वॉलमार्ट वर्षों से अपनी बंदूक नीति में बदलाव करती है, जैसे कि 1993 में उसने हैंडगन बेचना बंद कर दिया था। कंपनी ने 2015 में अर्ध स्वचालित हथियार बेचना भी बंद कर दिया था और फरवरी 2018 में फ्लोरिडा के पार्कलैंड की शूटिंग के बाद, जिसमें एक हाईस्कूल में 17 लोगों की मौत हो गई थी।

वॉलमार्ट ने अपने स्टोर से बंदूक, गोला-बारूद खरीदने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से ऊपर कर दी थी। हालांकि, कंपनी के पास बंदूकें और गोला-बारूद बेचने से रोकने की कोई योजना नहीं है। विगत है कि शनिवार को टेक्सास के एल पासो कस्बे में वॉलमार्ट के स्टोर में एक युवक ने गोलीबारी कर 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था।

इसके चार दिन पहले मिसिसिपी में वॉलमार्ट के ही स्टोर में एक असंतुष्ट कर्मचारी ने गोलीबारी कर अपने दो साथियों की हत्या कर दी थी और कई पुलिस वालों को घायल कर दिया था।

टेक्सास में गोलीबारी की घटना में मारे गए लोगों को कैंडल मार्च निकाल कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान लोगों ने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जाकर कर मृतकों के प्रति शोक जताया। एएफपी

आरोपित पर चल सकता है आतंकवाद का केस

ह्यूस्टन, प्रेट्र : टेक्सास के एल पासो में वॉलमार्ट के स्टोर पर 20 लोगों की हत्या केमामले में आरोपित 21 वर्षीय पैट्रिक क्रुसियस को घरेलू आतंकवाद और घृणा अपराध जैसे आरोपों का और सामना करना पड़ सकता है। हमले के कुछ समय पहले ही आरोपित ने अप्रवासियों के विरोध में सोशल मीडिया में पोस्ट किए थे। जांचकर्ता उसकी भी जांच कर रहे हैं। एल पासो के डिस्ट्रिक अटार्नी जैमे एस्पारजा ने कहा कि वह आरोपित को हर हाल में फांसी की सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। टेक्सास के पश्चिमी जिले के यूएस अटार्नी जॉन बैश ने कहा कि उनका कार्यालय आरोपित के खिलाफ घरेलू आतंकवाद का मुकदमा चलाने की पूरी कोशिश करेगा। साथ ही न्याय विभाग संघीय घृणा अपराध के आरोपों पर भी विचार कर रहा है, जिसमें मृत्युदंड की सजा तक हो सकती है।

शिकागो में भी गोलीबारी

ह्यूस्टन, प्रेट्र : गोलीबारी की दो भीषण घटनाओं से अमेरिकी अभी उबर भी नहीं पाए थे कि रविवार दोपहर एक और घटना सामने आ गई। यहां शिकागो में एक खेल मैदान के पास संदिग्ध बंदूकधारी ने गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। इस हमले में सात लोग घायल हो गए। इससे पहले अमेरिका में गोलीबारी की दो अलग-अलग घटनाओं में 30 लोगों की मौत हो गई थी। बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर लोगों को निशाना बनाया।

गोलीबारी पर जॉन लिजेंड ने ट्रंप पर साधा निशाना, की आलोचना

लॉस एंजलिस, प्रेट्र : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आलोचक रहे प्रसिद्ध गायक जॉन लिजेंड ने अल पासो एवं ओहायो में हुई गोलीबारी के बाद एक बार फिर से ट्रंप पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि वह 'हत्यारों को प्रेरित करते हैं।' लिजेंड ने कई ट्वीट कर राष्ट्रपति को इस समस्या का एक हिस्सा बताया।

उन्होंने कहा कि अल पासो और डेटॉन की घटना से मुझे पीड़ा हो रही है। हमारा देश अक्सर ऐसे आघात झेल रहा है और हमारे नेताओं को इस बारे में तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हथियारों को लोगों की पहुंच से दूर करें और ऐसे कई आतंकवादियों को प्रेरित करने वाली श्वेत राष्ट्रवाद की बुरी विचारधारा से लड़ें।

उन्होंने कहा कि जब भी हम राष्ट्रपति की ऐसी नस्ली टिप्पणियों और उनकी कट्टर नीतियों की आलोचना करते हैं तो यह कोई शैक्षणिक सवाल नहीं होता और न ही कोई राजनीतिक खेल, बल्कि यह लोगों के जीवन और मौत से जुड़ा होता है। वह (ट्रंप) इस समस्या का हिस्सा हैं। उन्होंने एक साक्षात्कार का वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें वह इस साल न्यूजीलैंड में हुई गोलीबारी के बाद ट्रंप की आलोचना करते नजर आ रहे हैं।

हिरासत केंद्र भेजे गए मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति गफूर

- सरकारी धन के गबन के मामले में आरोपी हैं अहमद अदीब अब्दुल
- बीते गुरुवार को पहुंचे थे तूतीकोरिन, भारत ने ठुकरा दी थी शरण की मांग

माले, एपी : मालदीव के पूर्व उप राष्ट्रपति अहमद अदीब अब्दुल गफूर को सोमवार को यहां हिरासत केंद्र भेज दिया गया। उन्होंने सरकारी धन के गबन के मामले में पूछताछ से बचने के लिए भारत भागने का प्रयास किया था।

अदीब गत गुरुवार को समुद्री मार्ग से तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह पहुंचे थे। लेकिन वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण उन्हें भारत में दाखिल नहीं होने दिया गया था। इसके बाद मालदीव की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर स्वदेश लाने की पुष्टि की थी। उन्हें रविवार रात एक सैन्य पोत से मालदीव की राजधानी माले लाया गया था। अदीब को सोमवार सुबह देश के धूनीधू हिरासत केंद्र भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, एक लंबित मामले में कोर्ट के आदेश पर अदीब के पासपोर्ट को पहले ही जब्त किया जा चुका है। भ्रष्टाचार और आतंकवाद के मामले में वह हाल ही में जेल से बाहर आए थे।

मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति गफूर वैध दस्तावेज के बगैर बीते गुरुवार को भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे और देश में आने की कोशिश कर रहे थे। गंभीर आरोपों के बीच मालदीव छोड़ने वाले गफूर को भारत सरकार ने अपनी धरती पर नहीं उतरने दिया था। वह समुद्र के बीच अपनी बोट पर बने रहे, भारतीय एजेंसियों के अधिकारियों ने वहीं जाकर उनसे पूछताछ की थी। उनके पास यात्रा संबंधी कोई दस्तावेज नहीं था और वह बिना सूचना के भारत आए थे। इसके बाद नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में विचार-विमर्श के बाद उन्हें वापस लौटाने का फैसला किया गया था। इस दौरान गफूर ने मालदीव में अपनी जान का खतरा बताते हुए राजनीतिक शरण की भी मांग की लेकिन भारत सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया।

लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं ऐश्वर्या

- ससुराल पक्ष के खिलाफ अपना मुंह खोल सकती हैं राबड़ी की बड़ी बहू

राज्य ब्यूरो, पटना : तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय का तलाक प्रकरण अब लालू प्रसाद के परिवार की मुश्किलों में इजाफा कर सकता है। राबड़ी की बड़ी बहू के हालिया तेवर बता रहे हैं कि घर का झगड़ा अब बाहर भी निकल सकता है। अपने पारिवारिक मसले पर अभी तक सिर्फ तेज प्रताप ही बोल रहे हैं। ऐश्वर्या राय का परिवार चुप है। सूत्रों का दावा है कि अब दूसरी तरफ का मोर्चा भी खुलने वाला है।

लालू प्रसाद के बड़े पुत्र और विधायक तेज प्रताप द्वारा अदालत में तलाक की अर्जी देने के बावजूद ऐश्वर्या सुलह के प्रयास और उचित वक्त के इंतजार में हैं। यही कारण है कि पिछले आठ महीने से मायके नहीं जा रही हैं। अपने ससुराल में ही डटी हुई हैं। दोनों परिवारों को उम्मीद थी कि समय के साथ दोनों के बीच सुलह का रास्ता भी निकल आएगा, लेकिन तेज प्रताप को करीब से जानने वाले अब ऐसी किसी संभावना को खारिज करते हैं। राबड़ी देवी के सरकारी आवास से अलग उन्होंने पटना में अपने लिए एक सरकारी आवास भी आवंटित करा लिया है। पिछले आठ महीने से वह अपनी माता के आवास में नहीं जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सारण सीट से ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय की राजद से उम्मीदवारी का तेज प्रताप ने मुखर रूप से विरोध किया था किंतु लालू परिवार पर इसका असर नहीं हुआ। चंद्रिका को राजद का सिंबल दे दिया गया।

ससुराल में ही रह रही ऐश्वर्या : तेज प्रताप द्वारा कोर्ट में तलाक की अर्जी देने के आठ महीने बाद भी ऐश्वर्या अभी राबड़ी के सरकारी आवास में ही रहती है। सूत्रों का दावा है कि ऐश्वर्या के लिए ससुराल में अनुकूल माहौल नहीं है। ऐसे में भी ऐश्वर्या के लालू परिवार में बने रहने के कई मायने निकाले जा रहे हैं।

रूस के कजान वर्ल्ड स्किल्स में बिहार के दो युवा दिखाएंगे प्रतिभा

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार के दो मेधावी युवाओं का चयन रूस के कजान सिटी में 22 से 27 अगस्त तक होने वाले 'वर्ल्ड स्किल्स कम्पीटिशन-2019' के लिए किया गया है। पटना निफ्ट में फैशन टेक्नोलॉजी की छात्रा मेधा देवगन और गोपालगंज के छात्र अंकित आनंद इस छह दिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अंकित कर्नाटक में एक फैशन इंस्टीट्यूट के छात्र हैं और इनका चयन भी बिहार कोटे से हुआ है।

बिहार कौशल विकास मिशन के मुख्य कार्य पदाधिकारी एवं श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने सोमवार को बताया कि ये दोनों देश भर में चुने गये उन 48 प्रतिभागियों में शामिल हैं जो रूस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में विभिन्न ट्रेड में अपनी-अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। विश्व स्तरीय कौशल प्रतियोगिता में पहली बार बिहार को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है।

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, शादी के लिए जगह की कमी

- ऐसे कार्यक्रमों को होटलों और मोटलों में कराने की राज्य सरकार की नीति से कम होंगी लोगों की दिक्कतें
- भोजन की बर्बादी, जल प्रबंधन और कार्यक्रम में शामिल लोगों की सुरक्षा का भी रखा जाएगा ध्यान

नई दिल्ली, प्रेट्र : दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में शादियां और सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जगह की खासी कमी है। लेकिन ऐसे कार्यक्रमों को होटलों, मोटलों और कम घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में कराने की राज्य सरकार की नीति से लोगों की दिक्कतें कम होंगी।

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा है कि उसकी नीति दिल्ली के लोगों के लिए खासी फायदेमंद रहेगी। इन प्रावधानों को न मानने वालों के लिए इसमें जवाबदेही और जुर्माने के भी प्रावधान हैं।

जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की खंडपीठ से राज्य सरकार ने कहा कि यह नीति दिल्ली के लोगों के लिए बड़े जनहित वाली है। कार्यक्रमों के लिए जगहों की कमी के चलते लोगों को खासी परेशानी होती है। दिल्ली सरकार ने बताया कि भोजन की बर्बादी, जल प्रबंधन और कार्यक्रम में शामिल लोगों की सुरक्षा का भी खयाल रखा जाएगा।

अगले साल मई से तीन हजार नई बसें होंगी शामिल

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 1385 लो फ्लोर एसी बसें समेत 3,035 बसों को अगले साल मई से दिल्ली की सरकारी ट्रांसपोर्ट प्रणाली में शामिल कर लिया जाएगा। अतिरिक्त हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा है कि 1000 गैर एसी सीएनजी क्लस्टर बसों को चलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह प्रक्रिया अगले साल फरवरी में ही पूरी हो जाएगी।

आरबीआइ की समीक्षा बैठक शुरू

नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की समीक्षा बैठक सोमवार से शुरू हो गई। ज्यादातर विश्लेषक मानते हैं कि गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली यह समिति लगातार चौथी बार रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती कर सकती है। हर दो महीने में होने वाली इस बैठक की दास चौथी बार अध्यक्षता कर रहे हैं। इससे पहले लगातार तीन बार उन्होंने रेपो रेट में कटौती की थी। (प्रेट्र)

अगर भारत को आइटी सेक्टर में दुनियाभर में अपना प्रभुत्व बरकरार रखना है, तो उसे अपनी शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव लाने की जरूरत है।

— एनआर नारायण मूर्ति
पूर्व चेयरमैन, इन्फोसिस

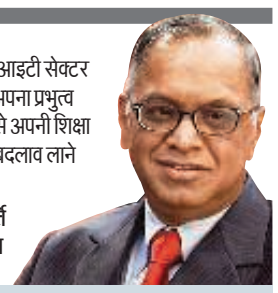

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना	चांदी	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट)
36,699.84 ▼ 418.38	10,862.60 ▼ 134.75	₹ 36,970 प्रति दस ग्राम ▲ ₹800	₹ 43,100 प्रति किलोग्राम ▲ ₹1,000	₹ 70.73 ▲ ₹1.13	$ 60.69 प्रति बैरल

कारपोरेट हलचल

श्रीवास्तव बने ओएनजीसी में निदेशक

राजेश कुमार श्रीवास्तव ने ओएनजीसी में निदेशक (एक्सप्लोरेशन) का पद भार संभाल लिया। उन्होंने एके द्विवेदी से कार्यभार ग्रहण किया जो 31 जुलाई को सेवानिवृत हो गए। श्रीवास्तव लखनऊ विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग (जियोलॉजी) में पोस्ट ग्रेजुएट हैं।

संस्कृत अकादमी में आयुर्वेद पर संगोष्ठी

दिल्ली संस्कृत अकादमी ने 'दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर अकादमी के सचिव डॉ. जीतराम भट्ट ने अपने संबोधन में कहा कि आधुनिक चिकित्सा में भी आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से आम लोगों के उपचार पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। तिबिया आयुर्वेद महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. भगवान सहाय ने भी संबोधित किया।

कॉरपोरेट कम्यूनिकेशन पर स्कोप समिट

सार्वजनिक उपक्रमों की शीर्ष संस्था स्कोप ने कॉरपोरेट कम्यूनिकेशन समिट 2019 का आयोजन किया। स्टील राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने इस समिट का उद्घाटन किया। समिट में सार्वजनिक उपक्रमों के कॉरपोरेट कम्यूनिकेशन विभाग से जुड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

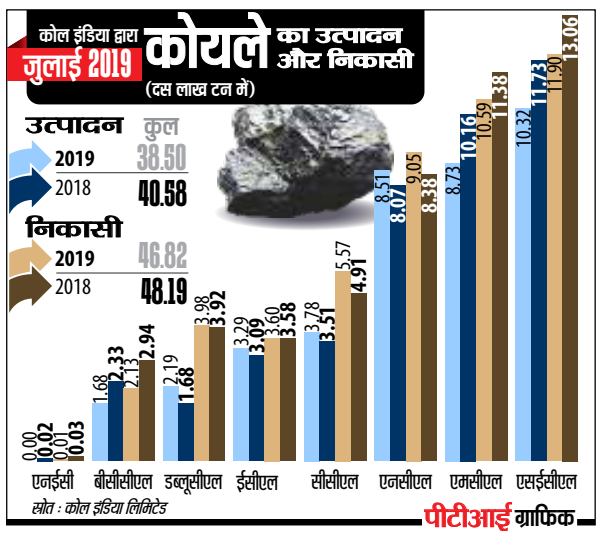

बर्जर पेंट्स का मुनाफा 32 फीसद बढ़ा : चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बर्जर पेंट्स का मुनाफा 32 फीसद बढ़कर 176.8 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान कंपनी की आय 15.7 फीसद बढ़कर 1,716.5 करोड़ रुपये हो गई (प्रेट्र)

विदेशी निवेशकों की सुध लेगी सरकार

तैयारी ▶ अगले कुछ दिनों में आर्थिक मामले विभाग के सचिव करेंगे एफपीआइ के साथ बैठक

पांच जुलाई से अब तक निवेशकों के डूब चुके हैं 15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों पर मंदी के साए को देखते हुए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) को लेकर सरकार के रुख में नरमी आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि वह एफपीआइ का पक्ष सुनने के लिए तैयार हैं। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अतानु चक्रवर्ती जल्द उनके साथ बैठक करेंगे।

सीतारमण ने सोमवार को बैंक प्रमुखों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों द्वारा सवाल-जवाब के दौरान यह बात कही। उन्होंने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब चालू वित्त वर्ष के आम बजट में दो करोड़ रुपये से पांच करोड़ रुपये तक कर-योग्य आय पर सरचार्ज 15 फीसद से बढ़ाकर 25 फीसद करने और पांच करोड़ रुपये से अधिक कर-योग्य आय पर सरचार्ज बढ़ाकर 37 फीसद करने का फैसला किया है। इसके चलते विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने घरेलू बाजार से निवेश की निकासी शुरू कर दी है। एफपीआइ जुलाई में पूंजी बाजार से 2,958 करोड़ रुपये निकाल चुके हैं। विदेशी निवेशकों द्वारा की गई इस निकासी की वजह से शेयर बाजार में बीते एक महीने में निवेशकों को 15 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।

निर्मला सीतारमण ने बैठक के दौरान बैंकों को स्पष्ट हिदायत दी है कि आरबीआइ द्वारा रेपो दरों में कटौती का फायदा अनिवार्य रूप से ग्राहकों को पहुंचाया जाना चाहिए। एएनआइ

सीतारमण ने कहा कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव अतानु चक्रवर्ती विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। वह उनका पक्ष सुनने के लिए हैं। विदेशी मुद्रा में सॉवरेन बांड जारी करने की सरकार की घोषणा के बारे में पूछे जाने पर सीतारमण ने कहा कि अब तक इस पर कुछ खास प्रगति नहीं हुई है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और सिटी बैंक के अधिकारी भी शामिल हुए। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन ने भी इस बैठक में भाग लिया।

वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए इस सप्ताह वे अलग-अलग क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगी। बैंकों के साथ बैठक इसी दिशा में पहला कदम है। वह मंगलवार को एमएसएमई और बुधवार को ऑटोमोबाइल क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगी। इस बैठक में सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद वह गुरुवार को उद्योग संगठनों के साथ और शुक्रवार को वित्तीय बाजार के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगी। वित्त मंत्री रविवार को रियल एस्टेट उद्योग के प्रतिनिधियों और मकान खरीदारों से मिलेंगी।

सोमवार की बैठक में ये मुद्दे थे : बैंकों के साथ बैठक में एनबीएफसी, ऑटोमोबाइल और एमएसएमई क्षेत्र की कर्ज संबंधी जरूरतें और ब्याज दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचने के मुद्दे पर चर्चा की गई। साथ ही बैंकों ने सर्विस टैक्स से संबंधित मुद्दा उठाया जिसका राजस्व सचिव और केंद्रीय परोक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) के चेयरमैन ने इसका संज्ञान लिया। चालू वित्त वर्ष में कर्ज वृद्धि दर 12 फीसद है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 13.3 फीसद थी। बैठक में यह भी तय किया गया कि सरकारी बैंक ऑनलाइन लोन उपलब्ध कराने के उनके पोर्टल से ही आने वाले दिनों में व्यक्तिगत लोन, ऑटो लोन और होम लोन भी मुहैया कराएंगे। फिलहाल इस पोर्टल पर एमएसएमई को पांच करोड़ रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है। उनके लिए यह लोन एक घंटे के भीतर मंजूर हो जाता है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की सेल में गिरावट के मद्देनजर बैंकों ने वाहन खरीदने के लिए लोन मुहैया कराने पर भी प्रतिबद्धता जताई है।

सरकार ने बैंकों को बताया कि दिसंबर, 2018 से अब तक रिजर्व बैंक रेपो दर में 0.75 फीसद की कटौती कर चुका है, इसलिए बैंकों को उधारी में यह लाभ ग्राहकों को देने की जरूरत है। बैंकों ने बैठक में आरबीआइ के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उनकी उधारी दरों की समीक्षा करने की प्रतिबद्धता जताई।

इंडियन बैंक का शुद्ध लाभ 74 फीसद उछला

चेन्नई, प्रेट्र : सरकारी क्षेत्र के कर्जदाता इंडियन बैंक के शुद्ध मुनाफे में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 74.55 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। इस उछाल के साथ चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में बैंक का शुद्ध मुनाफा 365.37 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में बैंक का मुनाफा 209.31 करोड़ रुपये था। पिछले पूरे वित्त वर्ष (अप्रैल, 2018 - मार्च, 2019) में बैंक का शुद्ध मुनाफा 321.95 करोड़ रुपये रहा था।

बैंक के नतीजों की जानकारी देते हुए एमडी व सीईओ पद्मजा चुंदुरू ने कहा कि समीक्षाधीन तिमाही के दौरान बैंक ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस अवधि में सभी सेग्मेंट में बैंक का प्रदर्शन उम्दा रहा है। उन्होंने कहा कि समीक्षाधीन अवधि में बैंक का लाभ लगभग 75 फीसद तक इसलिए बढ़ सका, क्योंकि बैंक ने नए फंसे कर्ज (एनपीए) पर लगाम लगाने में सफलता हासिल की है।

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इंडियन बैंक की कुल आय बढ़कर 5,832.11 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 5,131.96 करोड़ रुपये रही थी। चुंदुरू के मुताबिक आरएएम यानी रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेक्टर ने समीक्षाधीन अवधि में अच्छा प्रदर्शन किया। इनमें रिटेल सेक्टर में 25 फीसद, कृषि में 25 फीसद और छोटी व मझोली कंपनियों (एमएसएमई) के सेक्टर में 10 फीसद विकास दर्ज किया गया।

ऑर्डर में बढ़ोतरी से पटरी पर लौटा सर्विस सेक्टर

- नए ऑर्डर में अक्टूबर, 2016 के बाद सबसे बड़ा उछाल दर्ज
- 53.8 पर पहुंचा पीएमआइ इंडेक्स जुलाई अंत में
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों से नए ऑर्डर बढ़े

उद्योग को उम्मीद है कि मजबूती का यह सिलसिला अब जारी रहेगा। फाइल

नयी दिल्ली, प्रेट्र : नए कारोबारी ऑर्डर बढ़ने से जुलाई में घरेलू सर्विस सेक्टर का बिजनेस पटरी पर लौट आया है। इसके कारण रोजगार सृजन में भी तेजी आई। एक मासिक सर्वे रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। पिछले माह नए कारोबारी ऑर्डर अक्टूबर, 2016 के बाद सबसे तेज गति से बढ़े। नतीजतन आइएचएस मार्किट इंडिया का सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी सूचकांक बढ़कर 53.8 पर पहुंच गया, जो जून में 49.6 पर था। यह उत्पादन में एक वर्ष में सबसे तेज वृद्धि का संकेत देता है। सूचकांक का 50 से ऊपर रहना विस्तार का संकेतक है, जबकि 50 से नीचे का सूचकांक बताता है कि कारोबार में सिकुड़न आ रही है।

आइएचएस मार्किट की प्रधान अर्थशास्त्री पॉलिएना डि लीमा ने कहा कि पीएमआइ के आंकड़े नए कामकाजी ठेकों में वृद्धि की ओर इशारा कर रहे हैं। ये कारोबारी गतिविधियों में मजबूत सुधार का संकेत देते हैं। सर्वेक्षण प्रतिभागियों ने कारोबारी गतिविधियों में तेजी को बजट, मजबूत मांग और नए ग्राहकों से जुड़ा बताया है।

लीमा का कहना था कि सेवा क्षेत्र को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, दोनों से नए कारोबारी ऑर्डर मिले हैं। निर्यात से जुड़े नए कामकाज में जुलाई में लगातार पांचवें महीने के दौरान तेजी आई है। इस बीच, आइएचएस मार्किट इंडिया कंपोजिट पीएमआइ आउटपुट सूचकांक जुलाई में 53.9 पर पहुंच गया। यह आठ महीने का उच्च स्तर है। जून में यह 50.8 पर था। यह दर्शाता है कि पिछले नवंबर के बाद से नए कारोबारी ऑर्डर की संख्या बढ़ी है।

रोजगार के मौके बढ़े : मांग से जुड़ी परिस्थितियों में मजबूती और आर्थिक परिदृश्य में तेजी के अनुमानों से पिछले महीने में रोजगार सृजन में वृद्धि दर्ज की गई। यह वर्ष 2011 की शुरुआत के बाद से सबसे मजबूत वृद्धि है। सर्वे रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जुलाई में सेवा अर्थव्यवस्था को लेकर कारोबारी उम्मीद बढ़ी है। कंपनियों को लगता है कि विज्ञापन के प्रयास और बाजार की परिस्थितियों को मजबूत कर आने वाले 12 महीनों में वृद्धि हासिल की जा सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार अर्थव्यवस्था की सुस्ती दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) रेपो रेट में और कमी कर सकता है। जून की समीक्षा में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 0.25 फीसद की कमी की थी।

सोना सर्वकालिक उच्च स्तर पर, चांदी 1,000 रुपये मजबूत

▶ 37,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंचा सोना, चांदी भी 43,000 रुपये प्रति किलोग्राम के पार पहुंची

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले कुछ सप्ताह से सुस्त, मगर उछाल की ओर रुख रखने वाला सोना सोमवार को 800 रुपये मजबूत होकर 36,970 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सोने का यह सर्वकालिक उच्च स्तर है। चांदी ने भी सोमवार को 1,000 रुपये की छलांग दर्ज की गई। सराफा बाजार में कारोबार के आखिर में चांदी का भाव 43,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।

अमेरिका और चीन में गहराते ट्रेड वार को देखते हुए विदेशी बाजारों में सोने की मांग में बड़ा उछाल दर्ज किया गया। इसके चलते घरेलू बाजारों में भी निवेशकों ने सोने पर खूब दांव खेला। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह अमेरिका ने चीन के 300 अरब डॉलर मूल्य के आयात पर 10 फीसद शुल्क बढ़ाने का फैसला किया था। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये के भाव में बड़ी कमजोरी के चलते भी ग्राहकों ने सोने में निवेश बढ़ाया। न्यूयॉर्क में सोने का भाव 1.13 फीसद उछाल के साथ 1,457.30 डॉलर, जबकि चांदी का भाव 1.51 फीसद मजबूती के साथ 16.53 डॉलर प्रति औंस

कई मुद्राओं की कमजोरी का मिला फायदा।

(28.35 ग्राम) पर पहुंच गया। नई दिल्ली में 99.9 फीसद खरा सोना 800 रुपये चढ़कर 36,970 रुपये, जबकि 99.5 फीसद खरा सोना इतना ही बढ़कर 36,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सोने की आठ ग्राम गिन्नी का भाव 100 रुपये चढ़कर 27,600 रुपये पर पहुंच गया। चांदी का सप्ताह आधारित डिलिवरी भाव 1,039 रुपये उछलकर 42,403 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। चांदी के सिक्कों का भाव प्रति सैकड़ा 85,000 रुपये खरीद और 86,000 रुपये बिक्री पर बरकरार रहा।

भ्रामक विज्ञापनों की 132 शिकायतें सही

- कुल 231 शिकायतों की विज्ञापन नियामक ने की थी जांच
- 67 शिकायतों को नियामक ने जांच के बाद कर दिया खारिज
- ज्यादातर विज्ञापनों में तथ्यों का किया गया भ्रामक प्रस्तुतीकरण

आइफोन के विज्ञापन भी पाए गए भ्रामक। प्रतीकात्मक

मुंबई, प्रेट्र : विज्ञापन नियामक भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआइ) ने मई में 132 विज्ञापनों के खिलाफ शिकायतों को सही ठहराया है। टेटले ग्रीन टी, टैंग और आइफोन एक्सएस समेत कई अन्य कंपनियों के विज्ञापन भ्रामक पाए गए। एएससीआइ ने कहा कि मई में उसे 231 विज्ञापनों के खिलाफ शिकायतें मिली। इसमें से 67 को खारिज कर दिया गया।

एएससीआइ के तहत स्वतंत्र तौर पर काम करने वाली उपभोक्ता शिकायत परिषद (सीसीसी) ने 164 विज्ञापनों का विश्लेषण किया और उनमें से 132 विज्ञापनों के खिलाफ की गई शिकायतों सही थीं। इसमें 69 शिकायतें शिक्षा, 41 स्वास्थ्य, दो सौंदर्य प्रसाधन, चार खाद्य एवं पेय और 16 अन्य श्रेणियों के विज्ञापनों से जुड़ी हैं। एएससीआइ ने अपनी रिपोर्ट में संतूर एलो फ्रेश साबुन, एपल के आइफोन एक्सएस और कई अन्य विज्ञापनों को भ्रामक पाया है।

टैंग का विज्ञापन चिंताजनक : मांडलेज इंडिया के उत्पाद टैंग के विज्ञापन में दावा किया गया है कि बच्चों को आठ ग्लास पानी पीना चाहिए जो एक मुश्किल काम है, लेकिन टैंग से यह मुमकिन है। इस विज्ञापन से यह भ्रम फैलता है कि बच्चों को आठ ग्लास टैंग पीना चाहिए। इसे लेकर एएससीआइ ने चिंता जताई है कि यह विज्ञापन उत्पाद को पानी के विकल्प के तौर पर पेश करता है। इसलिए यह विज्ञापन भ्रामक है।

टेटले का विज्ञापन विरोधाभासी : टाटा ग्लोबल बेवरेजेज की टेटले ग्रीन टी के प्रिंट विज्ञापन में दावा किया गया है एक ऊर्जावान जीवन जीने के लिए 10 में से नौ लोग ग्रीन टी पीना 'पसंद' करते हैं, जबकि इसी के टीवी विज्ञापन में पसंद करने की जगह 'परामर्श देने' शब्द का उपयोग किया गया है। यह विरोधाभास को दिखाता है। इसके अलावा विज्ञापन में अन्य ब्रांड उत्पादों के नमूने या उपभोक्ताओं के आंकड़े भी नहीं दिखाए गए हैं। इसके अलावा विज्ञापन से लगता है कि ऊर्जावान जीवन के लिए अकेला यह एक उत्पाद काफी है, जो भ्रामक है।

यस बैंक की रेटिंग और घटाएगा मूडीज

मुंबई, प्रेट्र : ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने निजी क्षेत्र के घरेलू कर्जदाता यस बैंक की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दो महीने के अंदर मूडीज ने दूसरी बार कहा कि वह बैंक की रेटिंग को और घटाने पर विचार कर रहा है। एजेंसी का कहना है कि बैंक की संपत्ति गुणवत्ता लगातार घट रही है और संकटग्रस्त क्षेत्रों में उसका एक्सपोजर खासा है। एजेंसी ने बैंक की विदेशी और स्थानीय मुद्राओं में लंबी अवधि की जमाओं की बीए1 रेटिंग को भी भविष्य में और डाउनग्रेड करने के लिए फिलहाल वॉच की कैटेगरी में रखा है। गौरतलब है कि एजेंसी ने 12 जून को बैंक की रेटिंग को और डाउनग्रेड करने यानी घटाने के लिए समीक्षाधीन रखा था। एजेंसी का कहना था कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में यस बैंक का एक्सपोजर काफी है। इन कंपनियों में बैंक का कर्ज खासा फंस सकता है। इसके अलावा भी बैंक की असेट क्वॉलिटी या संपत्ति की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। बैंक के लिए चिंता का विषय यह है कि एजेंसी के मुताबिक उसकी संपत्ति की गुणवत्ता में और क्षरण हो सकता है।

वीडियोकॉन की विदेश स्थित तेल व गैस संपत्तियों की बिक्री करेगा एसबीआइ

- कंपनी पर 600 अरब रुपये से ज्यादा की है देनदारी
- ब्राजील व इंडोनेशिया स्थित तेल-गैस संपत्तियों की बिक्री करेगा एसबीआइ

देश-विदेश के योग्य बोलीकर्ता 22 अगस्त तक दे सकेंगे इओआइ। प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, रायटर : देश के सबसे बड़े सरकारी कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विदेश स्थित तेल व गैस संपत्तियों की बिक्री की योजना बनाई है। सोमवार को बैंक ने विज्ञापनों के माध्यम से यह जानकारी दी। बैंक का वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज पर अरबों रुपये बकाया है। कंपनी की ये संपत्तियां ब्राजील और इंडोनेशिया में हैं।

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की कंपनी वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज देश की चुनिंदा उन कंपनियों में शामिल है, जिन पर सबसे ज्यादा कर्ज है। कंपनी को अपने परिचालन और वित्तीय कर्जदाताओं को कुल मिलाकर करीब 600 अरब रुपये चुकाने हैं। पिछले वर्ष अक्टूबर में एसबीआइ की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग शाखा एसबीआइ कैपिटल को वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की विदेश स्थित तेल व गैस संपत्तियों के मूल्यांकन और बिक्री का जिम्मा दिया गया था। एसबीआइ ने कहा कि उसने कंसल्टेंसी कंपनी डेलॉय को इन संपत्तियों का खरीदार खोजने के लिए सलाहकार नियुक्त किया।

प्रक्रिया में शामिल एक बैंकर ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। इसके तहत देश-विदेश के योग्य पक्षों को इन संपत्तियों की खरीद के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये इच्छुक खरीदार 22 अगस्त तक अभिरुचि (ईओआइ) दाखिल कर सकेंगे। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज ने इस बारे में पूछे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया।

देश के तेल क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगते देख वीडियोकॉन ने ब्राजील और मोजांबीक की तेल व गैस संपत्तियों में लगभग एक दशक पहले निवेश करना शुरू किया था। हालांकि बिगड़ते आर्थिक हालातों के चलते कंपनी ने वर्ष 2014 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) के नेतृत्व में सरकारी कंपनियों के एक कंसोर्टियम के हाथों मोजांबीक की अपनी बेहद महत्वपूर्ण तेल व गैस संपत्तियों की बिक्री कर ली।

वजह

चीन की मुद्रा के भाव में बड़ी गिरावट से एशियाई बाजार रहे हलकान, डॉलर के मुकाबले रुपये के टूटने से भी शेयर बाजारों पर दिखा असर

वैश्विक सुस्ती से शेयर बाजारों की चाल धीमी

जेएनएन, नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर के घटनाक्रमों से भी शेयर बाजारों को मामूली उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा। प्रतीकात्मक

अमेरिका व चीन के बीच ट्रेड वार गहराने का साफ असर सोमवार को घरेलू शेयर बाजारों पर दिखा। चीन की मुद्रा युआन में डॉलर के मुकाबले दशक की सबसे बड़ी गिरावट से एशियाई बाजार हलकान रहे। ऐसे माहौल में घरेलू शेयर बाजारों को भी सकारात्मक दिशा नजर नहीं आई। सोमवार को बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 418.38 अंक यानी 1.13 फीसद लुढ़ककर 36,699.84 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 134.75 अंक यानी 1.23 फीसद फिसलकर 10,862.60 अंक पर स्थिर हुआ।

कंपनियों के उम्मीद से कमजोर तिमाही नतीजे और ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिक्री लगातार घटने की वजह से घरेलू शेयर बाजार का रुझान पहले से कमजोर था। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली संविधान की धारा 370 खत्म करने के फैसले से भी घरेलू शेयर बाजारों को खासा नुकसान झेलना पड़ा और सेंसेक्स व निफ्टी पांच महीनों के नए निचले स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयर और निफ्टी के 50 में से 39 शेयर गिरकर बंद हुए। निफ्टी बैंकिंग के 12 में से 10 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। छोटी-मझोली कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट आई। बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 1.26 फीसद और स्मॉलकैप इंडेक्स 1.69 फीसद गिरकर बंद हुआ।

दबाव में तेल-गैस शेयर : तेल-गैस कंपनियों के शेयर काफी दबाव में रहे। बीएसई का तेल-गैस सूचकांक करीब दो फीसद गिरकर बंद हुआ। इसके अलावा निफ्टी पर सरकारी बैंकों का इंडेक्स 1.73 फीसद और प्राइवेट बैंकों का इंडेक्स 1.88 फीसद टूटा। निफ्टी बैंकिंग में 1.97 फीसद गिरावट दर्ज की गई।

आईटी शेयरों में मामूली तेजी : आइटी सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स में गिरावट आई। निफ्टी का आइटी इंडेक्स 0.63 फीसद बढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा ऑटो इंडेक्स में 1.29 फीसद, मेटल में 1.78 फीसद, फार्मा में 0.77 फीसद, रियल्टी में 1.79 फीसद, एफएमसीजी में 0.53 फीसद और फाइनेंशियल सर्विसेस इंडेक्स में 1.37 फीसद की गिरावट दर्ज की गई।

रुपये में बड़ी गिरावट : डॉलर के मुकाबले रुपये में छह साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी डॉलर का मूल्य एक बार 116 पैसे बढ़कर 70.76 रुपये पर पहुंच गया। हालांकि कारोबार के आखिर में यह 113 पैसे की बढ़त के साथ 70.73 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। दरअसल, ट्रेड वार गहराने की आशंका से चीन की मुद्रा युआन रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है। एक दशक से भी ज्यादा समय में पहली बार युआन प्रति डॉलर सात से नीचे के स्तर तक गिरा।

जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन का कब्जा लेना आज से होगा शुरू

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

जेवर एयरपोर्ट की बिड प्रक्रिया पूरी होने से पहले सौ फीसद जमीन पर कब्जा लेने की योजना है। बिड में शामिल होने वाली कंपनियों ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड (नियाल) के सामने यह शर्त रखी है। कंपनियों की मांग को देखते हुए एयरपोर्ट की जमीन पर कब्जा लेने की शुरुआत मंगलवार से होने जा रही है। यमुना प्राधिकरण जिला प्रशासन से जमीन पर कब्जा लेने की कार्रवाई करेगा। प्राधिकरण कब्जा लेने के लिए पहले ही अधिकारियों की टीम गठित कर चुका है। प्राधिकरण के सामने एयरपोर्ट की जमीन को अवैध कब्जे से बचाने की चुनौती होगी।

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। जिला प्रशासन पचास फीसद से अधिक मुआवजा बांट चुका है। लेकिन अभी तक यमुना प्राधिकरण को एयरपोर्ट की जमीन पर कब्जा नहीं मिला है। जमीन पर कब्जा लेने के लिए जिला प्रशासन ने यमुना प्राधिकरण को पत्र भेजा था। इसके बाद प्राधिकरण अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम गठित कर चुका है। मंगलवार से रन्हेरा गांव से जमीन पर कब्जा लेने की शुरुआत होगी।

अवैध कब्जे से जमीन को बचाना चुनौती

नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में अधिगृहीत जमीन पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। जेवर एयरपोर्ट की जमीन पर कब्जा लेने के बाद इसे भू-माफिया से बचाना प्राधिकरण के लिए चुनौती होगा। इसलिए प्राधिकरण जमीन पर कब्जा लेने के बाद वहां पिलर लगाएगा। जमीन को अवैध कब्जे से बचाने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। एयरपोर्ट के लिए चिह्नित जमीन के बाहर आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहा है।

वेस्टइंडीज का सूपड़ा साफ करना चाहेगा भारत

दोनों टीमों के बीच तीसरा व अंतिम टी-20 मुकाबला आज भारतीय टीम अंतिम एकादश में कर सकती है बदलाव

गयाना, प्रेट्र : पहले ही सीरीज पर कब्जा जमा चुकी भारतीय टीम मंगलवार को यहां तीसरे और अंतिम टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज का सूपड़ा साफ करने के इरादे से उतरेगी। इसके साथ भारतीय टीम के बल्लेबाजी क्रम में प्रयोग किए जाने की भी संभावना है। भारत ने रविवार को दूसरा मैच 22 रन से जीता, जिससे अमेरिकी चरण के सीरीज के दो मैच जीतकर उसने 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली।

पहले मैच में भारतीय टीम का प्रदर्शन बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला नहीं था, लेकिन विराट कोहली और उनकी टीम ने दूसरे मैच में दमदार वापसी करते हुए अपना दबदबा कायम किया। हालांकि, आंधी और बारिश की वजह से खेल जारी नहीं रह सका और मैच का नतीजा डकवर्थ-लुइस नियम से निकला। बल्लेबाजी क्रम में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आ रहा है, लेकिन भारत गेंदबाजी में प्रयोग के तौर पर नया संयोजन उतार सकता है। रविवार को हुई बारिश के बाद कोहली ने कहा, 'सीरीज जीतने से कुछ लड़कों को खिलाने का मौका मिलता है। हमेशा योजना पहले जीतने की होती है, लेकिन पहले दो मैच जीत ने टीम में बदलाव करने का मौका दिया है।'

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि संघर्ष कर रहे रिषभ पंत की जगह अंतिम एकादश में केएल राहुल को शामिल किया जाए। दिल्ली के युवा बल्लेबाज पंत ने पहले दो मैचों में चार और शून्य रन बनाए थे। कप्तान कोहली ने पूरी तरह से पंत का बचाव किया और 21 वर्षीय इस उभरते हुए सितारे को एक और मौका मिलते हुए देखना दिलचस्प होगा। ना तो रोहित शर्मा और ना ही शिखर धवन को आराम दिए जाने की संभावना है। अंगूठे में फ्रैक्चर की वजह से विश्व कप से हटने के बाद धवन के लिए यह पहली सीरीज है और उन्होंने पहले दो मैचों में कोई बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए हैं। वह वनडे और टेस्ट से पहले कुछ रन बनाने को लेकर उत्साहित होंगे।

इसकी काफी संभावना है कि लेग ब्रेक गेंदबाज राहुल चाहर को युवा तेज गेंदबाज नवदीप सैनी की जगह अंतिम एकादश में शामिल किया जाए। राहुल के चचेरे भाई दीपक चाहर भी अंतिम एकादश में जगह बना सकते हैं और रवींद्र जडेजा भी उनमें से एक हो सकते हैं जिन्हें आराम दिया जा सकता है। मेजबान टीम के लिए सशक्त प्रदर्शन करना चुनौती बना हुआ है। उन्हें सबसे छोटे प्रारूप में मजबूत माना जाता है, लेकिन वे अब तक अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। कीरोन पोलार्ड और कप्तान कार्लोस ब्रेथवेट जैसे बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। यदि वे मंगलवार को ऐसा करने में सफल रहते हैं तो अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं।

सैनी पर एक डीमेरिट अंक का लगा जुर्माना

लॉडरहिल (फ्लोरिडा), प्रेट्र : भारतीय तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को को यहां वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी-20 मैच में निकोलस पूरन को आउट करने के बाद आक्रामक रुख अख्तियार करने पर एक डीमेरिट अंक का जुर्माना लगाया गया है। यह वाक्या उस समय हुआ जब वेस्टइंडीज के पारी के दौरान सैनी ने पूरन का विकेट झटका। आइसीसी ने कहा, 'सैनी को खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ से संबंधित आइसीसी की आचार सहिंता के नियम 2.5 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, जो कोई ऐसा काम या इशारा करने से जुड़ा है जिससे आउट होने पर बल्लेबाज उकसावे में आक्रामक प्रतिक्रिया दे सकता है। उन्हें एक डीमेरिट अंक दिया गया है।' इस मैच में पदार्पण करने वाले सैनी पर मैदानी अंपायर नाइजल डुगुइड और ग्रेगरी ब्रेथवेट के अलावा तीसरे अंपायर लेस्ली रीफर और चौथे अंपायर पैट्रिक गस्टर्ड ने आरोप लगाए थे। सैनी ने आरोप स्वीकार कर लिया है और साथ ही मैच रेफरी जैफ क्रो द्वारा प्रस्तावित सजा को भी स्वीकार किया, जिससे औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।

भारतीय कप्तान विराट कोहली सोमवार को दिग्गज कैरेबियाई बल्लेबाज विवयन रिचर्ड्स से मिले। कोहली ने रिचर्ड्स के साथ की फोटो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए उन्हें सबसे बड़ा बॉस बताया। कोहली ने फोटो के साथ कैप्शन लिखा, 'सबसे बड़े बॉस के साथ' ● ट्विटर

तेज गेंदबाजों के सहयोग से स्पिनरों का काम आसान होता है : क्रुणाल

लॉडरहिल (फ्लोरिडा), प्रेट्र : वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में भारत की जीत में शानदार प्रदर्शन करने वाले ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने कहा कि शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों के सहयोग से बीच के ओवरों में स्पिनरों के लिए काम आसान हो जाता है। मैन ऑफ द मैच क्रुणाल ने 13 गेंद में 20 रन बनाने के बाद 3.3 ओवर में 23 रन देकर दो विकेट चटकाए, जिनमें निकोलस पूरन (19) और खतरनाक दिख रहे रोवमैन पॉवेल (54) के विकेट शामिल थे। क्रुणाल ने मैच के बाद कहा, 'आपके तेज गेंदबाज जब शुरुआती ओवरों में जल्दी विकेट लेते हैं तब आपका काम आसान हो जाता है। अगर हम दो-तीन विकेट गिरने के बाद गेंदबाजी के लिए आते हैं तो बीच के ओवरों में बेहतर तरीके से ध्यान दे सकते हैं।' दूसरे मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित की 51 गेंद में छह चौकों और तीन छक्कों की मदद से 67 रन की पारी की बदौलत पांच विकेट पर 167 रन बनाए। इसके बाद भारतीय टीम के नई गेंद के गेंदबाजों भुवनेश्वर कुमार और वाशिंगटन सुंदर ने पहले तीन ओवर में वेस्टइंडीज को दो विकेट पर आठ रन ही बनाने दिए। क्रुणाल ने कहा, 'दोनों मैचों में हमने शुरुआत में विकेट चटकाए। वाशिंगटन ने शानदार गेंदबाजी की और भुवनेश्वर तो विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं। यह देखना अच्छा है कि हर कोई गेंद और बल्ले से योगदान दे रहा हैं। मैं इस सीरीज में अपनी गेंदबाजी से खुश हूं। पहले मैच में मैंने चार ओवर गेंदबाजी की और इस मैच में तीन ओवर। पिच से स्पिनरों को मदद मिल रही थी। जब आप देश के लिए ऐसी पिचों पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो मनोबल बढ़ता है।'

भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, रिषभ पंत, क्रुणाल पांड्या, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, राहुल चाहर, भुवनेश्वर कुमार, खलील, दीपक चाहर, नवदीप सैनी।

वेस्टइंडीज : कार्लोस ब्रेथवेट (कप्तान), जॉन कैंपबेल, इविन लुइस, शिमरोन हेटमायर, निकोलस पूरन, कीरोन पोलार्ड, रोवमैन पॉवेल, कीमो पॉल, सुनील नरेन, शेल्डन कॉटरेल, ओशाने थॉमस, एंथोनी ब्रेंबले, जेसन मुहम्मद, खारे पियरे।

मैच पूरा होता तो शायद जीत जाते : पॉवेल

लंदन, एएनआइ : वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रोवमैन पॉवेल को लगता है कि यदि भारत के खिलाफ दूसरा मैच पूरा होता तो वे जीत सकते थे क्योंकि उनके हाथ में 'पर्याप्त विकेट' सुरक्षित थे। ईएसपीएन क्रिकइंफो ने पॉवेल के हवाले से कहा, 'मुझे लगता है कि विकेट थोड़ा सा बेहतर था। गेंद बल्ले पर बेहतर तरीके से आ रही थी। वह उतनी ज्यादा स्पिन नहीं हो रही थी जितनी कि एक दिन पहले हो रही थी। बतौर टीम मुझे लगता है कि हम सिर्फ एक ओवर पीछे थे। यदि मैच पूरा होता तो हम शायद जीत जाते या फिर बेहद करीब पहुंचते। मुझे लगता है कि हमारे हाथ में पर्याप्त विकेट थे। क्रीज पर कीरोन पोलार्ड और शिमरोन हेटमायर थे व कार्लोस ब्रेथवेट एवं कीमो पॉल का आना बाकी था। मुझे लगता है कि ये लोग खेल को आगे ले जाते। आखिर में भारत विजेता बना, लेकिन यह नहीं कहना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा पीछे थे।'

भारतीय कप्तान कोहली ने की सुंदर की जमकर तारीफ

लॉडरहिल (फ्लोरिडा), आइएएनएस : भारत के कप्तान विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर की तारीफ करते हुए कहा है कि वह भविष्य में बड़ी भूमिका अदा करने का दमखम रखते हैं। सुंदर ने दूसरे टी-20 मैच में तीन ओवर डाले थे जिनमें एक मेडन था। इस युवा गेंदबाज ने सिर्फ 12 रन खर्च किए और एक विकेट भी निकाला। सुंदर की गेंदबाजी की सबसे अच्छी बात यह रही कि वह विंडीज के तूफानी बल्लेबाजों की बड़े शॉट की चाहत को दबाने में सफल रहे। मैच के बाद कोहली ने कहा, 'वाशिंगटन ने जिस तरह से गेंदबाजी की, खासकर तब जब बल्लेबाज उन पर बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, वो शानदार है। लंबे समय तक बाहर रहने के बाद भी उन्होंने जो स्वभाव और संयम दिखाया है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। वह आने वाले कल में बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। अगर उनके बारे में कुल मिलाकर एक बात कहूं तो वह जो चाहते हैं उसे एकदम सही तरीके से लागू कर रहे हैं।'

सुंदर ● फाइल फोटो, एएफपी

अपनी पारी को बड़े स्कोर में बदलें रोहित

गौतम गंभीर

पिलक

क्रिकेट के खेल की गति अविश्वसनीय है। आयरलैंड जैसी कमजोर टीम के खिलाफ टेस्ट मैच में इंग्लिश टीम ने खुद को मैच से बाहर नहीं किया था। अब एशेज में एजबेस्टन का टेस्ट मैच भी यादगार बन गया। मुझे यकीन नहीं है कि हम भारत और वेस्टइंडीज के मैच को भी उसी स्थान पर रखेंगे।

मैं अमेरिका के लॉडरहिल जैसे स्थानों पर शीर्ष स्तरीय क्रिकेट की उम्मीद नहीं कर सकता। यहां का विकेट पैची था, खासकर पहले मैच में। दूसरे मैच में मौसम भारी पड़ा और पूरा मैच नहीं हो सका। दर्शकों के बैठने के लिए स्टैंड यहां पूरी तरह से अलग थे। मैदान के गीला होने पर यहां इसे सुखाने की पूरी व्यवस्था नहीं थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के देश में यह ए स्तर का मैदान नहीं है।

रोहित शर्मा जैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके बल्ले पर जीपीएस लगा हुआ है जो उनकी मदद कर रहा है। मुझे लगता है कि यही वह क्षण है जब रोहित को उनके फॉर्म के महत्व से अवगत कराने की जरूरत है। उन्हें अपनी पारी को बड़े स्कोर में बदलने की जरूरत है। इसके बाद उन्हें इस फॉर्म को टेस्ट क्रिकेट में लाने की जरूरत है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर उन्हें कुछ महीनों के लिए मेंटर के रूप में सलाह देते हैं तो वह पूरी तरह से टेस्ट बल्लेबाज हो सकते हैं। रोहित कभी-कभी टेस्ट क्रिकेट में ऊब जाते हैं। अगर देखा जाए तो भारत के अंतिम एकादश में पुजारा को तीसरे, विराट को चौथे और रोहित को पांचवें नंबर पर उतारा जा सकता है।

भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है और ऐसे में तीसरे मैच में हम टीम में कुछ बदलाव होते हुए देख सकते हैं। मैं विशेष रूप से रिषभ पंत पर ध्यान केंद्रित करूंगा। उनके पास महेंद्र सिंह धौनी की जगह भरने का यह बहुत बड़ा मौका है, लेकिन उनके लिए यह आसान नहीं होगा। उन्होंने अच्छा किया होगा तभी वह टीम में सुरक्षित हैं। नवदीप सैनी की सफेद गेंद के करियर में शुरुआत अच्छी रही। वह 150 किमी की रफ्तार से गेंद को फेंकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वह इस मौके की अहमियत को समझेंगे। मैं कई भविष्यवाणियां करके उन पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहता और मुझे लगता है कि वह टेस्ट क्रिकेट में काफी उपयोगी होंगे।

THE ULTIMATE INVERTER BATTERY

EXIDE INVATUBULAR

एक नजर में

रियान लॉकटी ने जीती 200 मीटर यूएस तैराकी चैंपियनशिप

लास एंजिलिस : छह बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता अमेरिका के रियान लॉकटी ने 200 मीटर व्यक्तिगत यूएस तैराकी चैंपियनशिप जीत ली। 14 महीने के प्रतिबंध के बाद लॉकटी अंतरराष्ट्रीय तैराकी में वापसी कर रहे हैं। 35 वर्षीय लॉकटी ने 1:57.76 का समय निकालकर 27वां राष्ट्रीय खिताब जीता और अगले साल टोक्यो ओलंपिक के लिए राष्ट्रीय टीम में शामिल होने की दावेदारी मजबूत कर दी। लॉकटी ने कहा, 'मेरी नजरें टोक्यो ओलंपिक पर हैं। उसके लिए मेरी तैयारी अच्छी चल रही है।' यूएस एंटी डोपिंग एजेंसी ने लॉकटी पर प्रतिबंध लगाया था। (एएफपी)

भारत से द्विपक्षीय मैच शुरू करना प्राथमिकता : पीएचएफ

कराची : पाकिस्तान हॉकी महासंघ के नवनियुक्त महासचिव आसिफ बाजवा ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय मैचों को फिर से आयोजित करना उनकी पहली प्राथमिकता है, जिससे महासंघ को वित्तीय संकट से बाहर निकाला जा सकता है। पिछले महीने महासचिव बनने वाले बाजवा ने कहा, 'यह कहना गलत होगा कि मुझे भारत के साथ द्विपक्षीय हॉकी संबंधों के मुद्दे पर किसी से बात करने का मौका मिला है। लेकिन यह मेरा मुख्य लक्ष्य है और मुझे उम्मीद है कि हॉकी में दोनों देशों के बीच की कड़वाहट दूर होगी। जिस तरह से मैं इसे देखता हूं। अगर हम उन्हें खेलने के लिए मना लेते हैं, तो पाकिस्तान में हॉकी को काफी बढ़ावा मिलेगा और यह हमारी आर्थिक तंगी को दूर करने में भी मदद करेगा।' भारत और पाकिस्तान के बीच इससे पहले आखिरी बार 2006 में द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज खेली गई थी। दोनों पड़ोसियों के बीच राजनीतिक तनाव के कारण वे सिर्फ ऐसे टूर्नामेंटों में खेलते है, जहां दो से ज्यादा टीमें होती हैं। माना जाता है कि बाजवा का शीर्ष भारतीय खेल प्रशासक नरेंद्र बत्रा के साथ अच्छे संबंध हैं, जो भारतीय ओलंपिक संघ व अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख भी हैं। (प्रेट्र)

टीम में कोई भी भूमिका निभाने के लिए तैयार हूं : दीप्ति

लंदन : विश्व की दूसरे नंबर की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने कहा कि वह भारतीय क्रिकेट टीम में एक ऑलराउंडर के रूप में वापसी करेंगी और उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे निभाने के लिए तैयार हैं। दीप्ति ने कहा, 'मैं एक बल्लेबाजी ऑलराउंडर के रूप में खुद की वापसी चाहती हूं। मैंने खुद को किसी भी स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार किया है। मुझे किसी भी स्थान पर टीम प्रबंधन बल्लेबाजी करने के लिए भेजता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं।' आइसीसी महिला विश्व कप 2017 में दीप्ति भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज थी। स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्ज, हरमनप्रीत कौर सहित दीप्ति इंग्लैंड महिला क्रिकेट सुपर लीग में हिस्सा लेंगी। दीप्ति टूर्नामेंट में वेस्टर्न स्ट्रोम की तरफ से खेलेंगी। इस लीग की शुरुआत मंगलवार को होगी। (एएनआइ)

शोएब अख्तर भी टेस्ट में जर्सी नंबर के खिलाफ

क्रिकेट डायरी

इस्लामाबाद, प्रेट्र : आइसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में खिलाड़ियों की जर्सी पर उनके नाम और नंबर लिखवाने का नया चलन शुरू हुआ है, जिसकी आलोचना ऑस्ट्रेलिया के दो दिग्गज ब्रैट ली और एडम गिलक्रिस्ट कर चुके हैं। अब इस सूची में पाकिस्तान के शोएब अख्तर का नाम भी जुड़ चुका है। अख्तर ने कहा है कि टेस्ट में सफेद जर्सी के पीछे नाम और नंबर लिखा देख खराब लगता है।

इस पूर्व गेंदबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) से इस फैसले को बदलने को कहा है। इस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज खेल रही हैं जो टेस्ट चैंपियनशिप के अंतर्गत आती है। इस सीरीज में दोनों टीमों के खिलाड़ियों की जर्सी के पीछे नाम और नंबर लिखे हुए हैं। आइसीसी ने सफेद जर्सी के पीछे नाम और नंबर का नियम इसलिए लागू किया ताकि प्रशंसक खिलाड़ियों के साथ जुड़ सकें। शोएब ने ट्वीट किया, 'सफेद किट पर खिलाड़ियों का नाम और नंबर लिखा जाना बेहद खराब लग रहा है। यह खेल को उस पारंपरिक भावना से बाहर निकालना है जिसके साथ अभी तक इसे खेला जाता था। इस फैसले को बदलना चाहिए।' ली ने भी इसकी आलोचना की थी और ट्विटर पर लिखा था, 'टेस्ट टीशर्ट के पीछे नाम और नंबर लिखे जाने के मैं पूरी तरह से खिलाफ हूं। आइसीसी आपने जो बदलाव किए हैं मैं उनको पसंद करता हूं लेकिन इस बार आपने यह गलत किया।' गिलक्रिस्ट ने भी इसे बकवास बताया था। उन्होंने कहा था, 'मैं अपनी माफी वापस लेता हूं। नाम और नंबर टीशर्ट के पीछे खराब लग रहे हैं। आप सीरीज का लुत्फ उठाइए।' उन्होंने इससे पहले एक और ट्वीट में लिखा था, 'शानदार, हमने शुरुआत कर दी है। मुझे पुराने ख्यालात रखने के लिए माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे नाम और नंबर पसंद नहीं आ रहे।

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने रिटायर की डेनियल विटोरी की जर्सी : न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) ने सोमवार को अपने पूर्व कप्तान और बायें हाथ के दिग्गज स्पिनर डेनियल विटोरी की 11 नंबर की जर्सी रिटायर कर दी। एनजेडसी ने श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रहे टेस्ट मैच से पहले अपने खिलाड़ियों की जर्सी का एलान किया। इसी मौके पर उसने विटोरी की जर्सी को रिटायर करने की जानकारी दी।

हसन ने कहा भारतीय क्रिकेटरों को भेजूंगा शादी का न्योता

कराची, प्रेट्र : पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हसन अली अगले महीने भारतीय लड़की शामिया आरजू के साथ निकाह करने जा रहे हैं। इंजीनियर शामिया और क्रिकेटर हसन की शादी दुबई के एक बड़े होटल में 20 सितंबर को होगी, जिसका एलान खुद हसन ने किया है। हसन ने यह भी कहा है कि वह अपनी शादी में भारतीय क्रिकेटरों को भी न्योता देंगे। हालांकि, अभी यह तय नहीं हैं कि हसन भारतीय टीम के किस-किस खिलाड़ी को अपनी शादी का न्योता देने वाले हैं। हसन ने कहा कि मैं कुछ भारतीय खिलाड़ियों को दुबई में शादी समारोह में आने का निमंत्रण दूंगा, अगर वे आए तो यह बहुत ही प्यारा होगा और मुझे अच्छा लगेगा। आखिर में हम सब पेशेवर क्रिकेटर हैं और हमें साथ में खुशियां मनानी चाहिए। शामिया इस समय अमीरात एयरलाइंस में फ्लाइट इंजीनियर हैं। हसन से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी भारतीय लड़कियों से शादी कर चुके हैं, जिनमें शोएब मलिक जैसे खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। इनके अलावा मोहसिन खान और जहीर अब्बास भी भारतीय लड़की के साथ निकाह कर चुके हैं।

आर्थर ने सरफराज को कप्तानी से हटाने की मांग की

कराची, प्रेट्र : पाकिस्तान टीम के प्रमुख कोच मिकी आर्थर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की क्रिकेट कमेटी से टीम के मौजूदा कप्तान सरफराज अहमद को हटाने की सिफारिश की है। आर्थर ने सरफराज को हटाने की सिफारिश इसलिए भी की है क्योंकि वह खुद अगले दो साल तक पाकिस्तान की टीम के साथ जुड़कर उसे ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। पीसीबी की क्रिकेट कमेटी ने पाकिस्तानी टीम के पिछले तीन साल के प्रदर्शन का रिव्यू किया है। कमेटी ने इसी साल इंग्लैंड और वेल्स में खेले गए विश्व कप का भी आंकलन किया है, जिसमें पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल से पहले ही बाहर हो गई थी। सूत्रों की मानें तो आर्थर ने सरफराज को कप्तानी से हटाने की सिफारिश करते हुए एक नया नाम भी सुझाव के तौर पर पेश किया है। आर्थर चाहते हैं कि सरफराज की जगह शादाब खान टी-20 और वनडे के लिए पाकिस्तान टीम के कप्तान बनें। इसके अलावा टेस्ट टीम के लिए पाकिस्तान की कमान बाबर आजम को मिले। आर्थर ने सरफराज की कमियों के बारे में भी बोर्ड से बखान किया है। पीसीबी के मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आर्थर ने क्रिकेट कमेटी से कहा है कि मुझे पाकिस्तान की टीम के साथ दो साल और रहने की जरूरत है, जिससे कि मैं टीम से यादगार परिणाम निकलवा सकूं। बता दें कि 2016 के मध्य से ही आर्थर पाकिस्तानी टीम के कोच हैं। बतौर प्रमुख कोच आर्थर की पाकिस्तान को दिलाई गई उपलब्धियों पर नजर डालें तो पाकिस्तान ने साल 2017 में भारत को हराकर आइसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। इसके अलावा काफी समय से पाकिस्तान की टीम टी-20 अंतरराष्ट्रीय की आइसीसी रैंकिंग में नंबर वन बनी हुई है। हालांकि, वनडे और टेस्ट में टीम का इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। आर्थर और बाकी सपोर्ट स्टाफ का कार्यकाल इसी 15 अगस्त को समाप्त हो रहा है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि आर्थर ने पीसीबी की क्रिकेट कमेटी के सामने अपना पक्ष रखते हुए बताया था कि क्यों पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन गिरा है। इस बारे में आर्थर ने बताया कि टीम के फील्डिंग कोच के हटाने के बाद टीम का फील्डिंग स्तर गिरा है, जो प्रदर्शन में काफी मायने रखता है। हालांकि, पीसीबी अधिकारी इस पक्ष से इत्तेफाक नहीं रखते।

इस महीने के मध्य में होगा कोच का चयन : सीओए

नई दिल्ली, प्रेट्र : कपिल देव की अगुआई वाले पैनल को अगस्त के मध्य तक भारतीय पुरुष टीम का अगला कोच नियुक्त करने के लिए बीसीसीआइ की कानूनी टीम ने हरी झंडी दे दी है। प्रशासकों की समिति (सीओए) ने सोमवार को यह जानकारी दी। देश के पहले विश्व कप विजेता कप्तान कपिल के अलावा भारतीय टीम के पूर्व कोच अंशुमन गायकवाड़ और पूर्व महिला कप्तान शांता रंगास्वामी नव नियुक्त क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) के सदस्य हैं।

सीओए प्रमुख विनोद राय ने बीसीसीआइ के 22 अक्टूबर को होने वाले चुनावों के बारे में कहा कि 26 राज्य संघ पूरी तरह से लोढ़ा सिफारिशों का पालन कर रहे हैं और उन्होंने राज्य इकाइयों के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। सीओए की आठ अगस्त को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले राजधानी में बैठक हुई, जिसमें कई मसलों पर चर्चा की गई। हितों के टकराव के घोषणापत्र की जांच करना उनके एजेंडा का प्रमुख विषय था। राय से पूछा गया कि क्या सीएसी को अगला मुख्य कोच नियुक्त करने के लिए मंजूरी मिल गई है, तो उन्होंने कहा कि हमने इसकी (घोषणापत्र) की जांच की। यह सही है। सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि सीएसी का फैसला अंतिम होगा और उम्मीदवारों का साक्षात्कार अगस्त के मध्य में होगा। इसके बाद नियुक्त की जाएगी। चुनाव के संदर्भ में लगता है कि राय को विश्वास है कि उनकी टीम ने अच्छी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि हम न्यायमित्र के साथ सलाह मशविरा करेंगे। कुल 26 राज्य इकाइयां चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, जबकि चार अन्य राज्य संघ शर्तों का पूरा पालन करते हैं, लेकिन उन्होंने अब तक चुनाव अधिकारी नियुक्त नहीं किया है। निश्चित तौर पर जिन्होंने (लोढ़ा सिफारिशों का) पालन किया है केवल वे ही बीसीसीआइ चुनावों में मतदान कर पाएंगे। भारतीय टीम के वर्तमान कोचिंग स्टाफ का कार्यकाल वेस्टइंडीज दौरे के कारण 45 दिन तक बढ़ाया गया है। इसमें मुख्य कोच रवि शास्त्री, गेंदबाजी कोच भरत अरुण, बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ और क्षेत्ररक्षण कोच आर श्रीधर शामिल हैं। इन सभी के साथ विश्व कप तक अनुबंध था। कपिल, गायकवाड़ और रंगास्वामी की समिति ने ही महिला टीम के मुख्य कोच के रूप में डब्ल्यूवी रमन की नियुक्ति की थी।

साहस ने हमें जोड़ा : मधुरिका

चेन्नई लॉयंस ने अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग के तीन मैच को जीतकर अंक तालिका में 24 अंक जुटा लिए हैं। टीम की अनुभवी पैडलर मधुरिका पाटकर अपनी टीम के प्रदर्शन से खुश हैं। उन्हें लगता है कि उनकी टीम को साहस ने जोड़ रखा है। इस टीम की सीनियर भारतीय खिलाड़ी **मधुरिका पाटकर** से **निखिल शर्मा** ने उनके अब तक के सत्र के बारे में बातचीत की। पेश हैं प्रमुख अंश :

साक्षात्कार

● **आप अपने इस बार के लीग के सत्र को किस तरह से देखती हैं?**

-यह सत्र मेरे लिए बहुत अच्छा गया है। मैंने अपने पहले मैच में डू होई के खिलाफ शानदार मैच खेला। मैं मैच नहीं जीत सकी, लेकिन जिस तरह से मैंने अपना खेल खेला उससे मुझे बेहद आत्मविश्वास मिला। इसके बाद मैंने सेबाइन विंटर और अर्चना कामथ के खिलाफ भी अच्छा खेला और दोनों के खिलाफ एक अंक जुटाने में कामयाब रही। इससे मेरी टीम जीतने में सफल रही। मैं अपने प्रदर्शन से खुश हूं कि टीम की जीत में योगदान दे सकी हूं।

● **अब लीग अपने अंतिम चरण पर है और चेन्नई लॉयंस अब यहां से लीग को कैसे देख रही है?**

-मुझे लगता है कि एक टीम के तौर पर हम अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपने आखिरी दो मुकाबलों में बेहतर करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि यह सिर्फ प्लेऑफ में क्वालीफाई करने की बात नहीं है, बल्कि लीग में किस स्थान पर समाप्त करते हैं उसका भी सवाल है। ऐसे में हमारा मंत्र है कि जाएं और सर्वश्रेष्ठ खेलें। आखिरी दो मैचों में से जितने अंक जुटा सकें जुटाएं।

● **टीम के तौर पर चेन्नई लॉयंस के बारे में क्या कहना चाहेंगी?**

-हमारी टीम के साहस ने ही हमें जोड़ रखा है। हम पिछले दो सप्ताह में एक इकाई के तौर पर बहुत गहराई से जुड़े हैं और हमें अपनी भूमिका के बारे में अच्छे से पता है। हमारी पहली टीम बैठक में शरत ने कहा था कि एक टीम के तौर पर हम सभी को योगदान देना होगा और अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा और किसी भी भूमिका में टीम को जिताना होगा।

● **गोवा चैलेंज से अपने आखिरी लीग मैच के बारे में क्या कहेंगी?**

-यह अच्छा मुकाबला था। हमने काफी लुत्फ उठाया। हर कोई कह रहा था कि गोवा और चेन्नई दो मजबूत टीम हैं और उन्हें 8-7 से हराना काफी संतोषजनक रहा। मिक्स्ड डबल्स की वजह से हम मुकाबला अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे। पेटरिसा सोल्जा और शरत कमल ने शानदार खेल दिखाया। मैंने भी अपनी टीम को फाइनल अंक दिलाया और जिससे नतीजा हमारे पक्ष में रहा।

पहले टेस्ट में इंग्लैंड को 251 रन से हराकर ली 1-0 की बढ़त, नाथन ने 45 रन देकर चटकाए छह विकेट

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया का जीत से आगाज

एशेज

बर्मिंघम, एएफपी : ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने अकेले दम पर इंग्लैंड की टीम को एशेज सीरीज के एजबेस्टन टेस्ट में पछाड़ कर रख दिया था। बाकी काम पहले टेस्ट के पांचवें दिन की स्पिनरों के लिए मददगार पिच पर ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर नाथन लियोन ने पूरा कर दिया। 45 रन पर छह विकेट लेकर नाथन ने ऑस्ट्रेलिया को पांच मैचों की एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में 251 रन से शानदार जीत दिला दी। यह 2001 के बाद ऑस्ट्रेलिया की इस मैदान पर किसी भी प्रारूप में पहली जीत है। साथ ही यह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत पहला टेस्ट था। इसी के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में कोई टेस्ट जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया पहली टीम बन गई। इस जीत से ऑस्ट्रेलिया को 24 अंक मिले हैं, जबकि इंग्लैंड को कोई अंक नहीं मिला है।

एशेज के इतिहास में इंग्लैंड की टीम मैच के पांचवें दिन सोमवार को दूसरा सबसे सफल लक्ष्य (398) हासिल करने की उम्मीद के साथ उतरी थी। एशेज का सबसे बड़ा लक्ष्य (404) ऑस्ट्रेलिया ने 1948 में हेडिंग्ले में हासिल किया था। हालांकि, इंग्लैंड की इस उम्मीद को दिन के दूसरे ओवर में ही पैट कमिंस ने रोरी बर्न्स (11) को पवेलियन भेजकर तोड़ दिया। दूसरे सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय (28) और जो रूट (28) ने जरूर दूसरे विकेट के लिए 48 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का थोड़ा सामना किया, लेकिन जैसे ही कप्तान टिम पेन ने लियोन को गेंद थमाई, हालात इंग्लैंड टीम के लिए बदतर होते चले गए। लियोन ने पहले रॉय को बोल्ड करके पवेलियन भेजा। इसके बाद उन्होंने जो डेनली (11) को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लियोन यहीं नहीं रुके, उन्होंने रूट के रूप में ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा विकेट दिलाकर जीत की नींव रख दी। इंग्लैंड इस मैच को ड्रॉ कराना चाहता था, लेकिन लियोन ने उन्हें यह मौका नहीं दिया। रूट के बाद जोस बटलर (01) को कमिंस ने चलता कर दिया। 85 रन पर पांच विकेट गंवा चुकी मेजबानों की हालत तब और खराब हो गई जब जॉनी बेयरस्टो (06) को भी कमिंस ने पवेलियन भेजकर इंग्लैंड को 100 रनों से पहले ही छठा झटका दे दिया। लियोन ने बेन स्टोक्स (06) को विकेटकीपर टिम पेन के हाथों कैच कराकर टेस्ट क्रिकेट में अपने 350 विकेट पूरे किए। इसके बाद लियोन ने मोइन अली (04) का विकेट लेकर पारी में अपने पांच विकेट पूरे किए। अगली ही गेंद पर लियोन ने क्रिस ब्रॉड (00) को पहली ही गेंद पर चलता करके हैट्रिक की ओर कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सके। निचले क्रम के बल्लेबाज क्रिस वोक्स (37) जरूर संयम भरी पारी खेलने में कामयाब रहे, लेकिन कमिंस ने उनके सफर का अंत करके ऑस्ट्रेलिया को शानदार जीत दिला दी।

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को यह शानदार जीत दिलाने में प्रतिबंध के बाद वापसी कर रहे स्टीव स्मिथ ने अहम भूमिका निभाई। पहली पारी में 122 रनों पर आठ विकेट गंवा चुकी ऑस्ट्रेलिया को स्मिथ ने ही संभालते हुए 284 रनों तक पहुंचा, जिसमें स्मिथ ने अकेले ही 144 रन बनाए थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को बर्न्स के शतक के बावजूद 374 रनों पर रोक दिया था। ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में 90 रनों से पिछड़ा था, लेकिन एक बार फिर स्मिथ ने शानदार खेल दिखाया। उन्होंने ट्रेविस हेड (51) के संग पहले चौथे विकेट के लिए 130 रनों की साझेदारी की और फिर मैथ्यू वेड (110) के संग पांचवें विकेट के लिए 126 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया की जीत की नींव रख दी थी। खास बात यह रही कि स्मिथ इस बार भी 142 रन बनाने में कामयाब रहे। इसी के साथ वह एक एशेज टेस्ट में दो शतक लगाने वाले पांचवें ऑस्ट्रेलियाई और कुल मिलाकर आठवें खिलाड़ी बने थे।

संक्षिप्त स्कोर बोर्ड

ऑस्ट्रेलिया पहली पारी : 284 (80.4 ओवर), (स्टीव स्मिथ 144, स्टुअर्ट ब्रॉड 5/86), **इंग्लैंड पहली पारी :** 374 (135.5 ओवर), (रॉरी बर्न्स 133, पैट कमिंस 3/84), **ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी :** 487/7 (घोषित, 112 ओवर), (स्टीव स्मिथ 142, बेन स्टोक्स 3/85), **इंग्लैंड दूसरी पारी :** 146 (52.3 ओवर), (क्रिस वोक्स 37, जेसन रॉय 28, नाथन लियोन 6/45), **परिणाम :** ऑस्ट्रेलिया 251 रन से जीता

टेस्ट में सर्वाधिक विकेट (ऑस्ट्रेलियाई)

गेंदबाज	टेस्ट	विकेट
शेन वॉर्न	145	708
ग्लेन मैकग्रा	124	563
डेनिस लिली	70	355
नाथन लियोन	87	352
मिशेल जॉनसन	73	313

इंग्लैंड के जो डेनली का विकेट लेने का जश्न मनाते ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन ● एपी

170 चयनित स्टाफ नर्स को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा श्रेणी में की गई गड़बड़ी के चलते चयनितों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। आयोग ने 2017 में स्टाफ नर्स की 3838 पदों की भर्ती निकाली थी। इसमें 1830 पदों का परिणाम घोषित किया गया, जबकि 1630 को ही नियुक्ति मिल पायी है।

मांग ▸ कानपुर ओईएफ में बनने वाली बुलेट प्रूफ जैकेटों की जरूरत

सशस्त्र सुरक्षा बलों ने दिखाई 'भाभा कवच' में दिलचस्पी

सुरक्षा बलों को भेजा गया प्रोफार्मा, पंजाब पुलिस भी जल्द देगी आर्डर

जागरण संवाददाता, कानपुर

सीमा से लेकर नक्सल क्षेत्रों तक तैनात सशस्त्र बलों की रक्षा अब 'भाभा कवच' करेगा। कानपुर की आर्डनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री (ओईएफ) में बनने वाली इस बुलेट प्रूफ जैकेट में सुरक्षा बलों ने दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने करीब डेढ़ लाख जैकेटों की जरूरत बताई है। जल्द ही आर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड को आर्डर मिलने की उम्मीद है।

जुलाई में नई दिल्ली में लगी अंतरराष्ट्रीय पुलिस प्रदर्शनी-2019 में आर्डनेंस फैक्ट्रियों के उत्पाद प्रदर्शित किए गए थे। जिसकी नोडल एजेंसी ओईएफ कानपुर को बनाया गया था। यहां ओईएफ में बने बेहद हल्के और सुरक्षित बुलेट प्रूफ जैकेट सशस्त्र बलों से लेकर पुलिस अफसरों तक को बेहद पसंद आए। सशस्त्र बलों के साथ ही पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, झारखंड व ओडिशा के पुलिस अधिकारियों ने इसके लिए संपर्क किया है।

ओईएफ के अपर महाप्रबंधक वीके चौधरी ने कहा कि पंजाब पुलिस से जल्द ही 500 जैकेट का आर्डर मिल सकता है। सुरक्षा बलों से लेकर अन्य राज्यों की पुलिस से वार्ता चल रही है। सभी को प्रोफार्मा इनवॉयस और टेस्ट रिपोर्ट भेज दी गई है। यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ बुलेट प्रूफ जैकेट है। वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और अफ्रीकी देशों में निर्यात की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

भाभा कवच की विशेषताएं

- सीने से लेकर पीठ के हिस्से तक 360 डिग्री सुरक्षा।
- 7.62 मिमी. हार्ड स्टील कोर बुलेट वाली एके-47, 5.56 मिमी. की इंसास और 7.65 मिमी. की एसएलआर के लिए अभेद्य।
- पारंपरिक 17 किलो के जैकेट के मुकाबले करीब आधा 9.2 किलोग्राम वजन।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित वजन से भी आधा किलोग्राम कम।
- वैश्विक बाजार में अपने सेगमेंट की सबसे सस्ती जैकेट।
- अमेरिका, इजरायल और जर्मनी से ही इस जैकेट की टक्कर।

सशस्त्र बलों की जरूरत

सीआरपीएफ ने 50,000, बीएसएफ ने 25,000, आइटीबीपी ने 20,000, सीआइएसएफ ने 25,000 और एसएसबी ने करीब 25,000 जैकेट की जरूरत बताई है।

...तो इसलिए मिला भाभा का नाम

बुलेट प्रूफ जैकेट को भाभा कवच का नाम इसलिए मिला है क्योंकि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इसके लिए कार्बन नैनो तकनीक उपलब्ध कराई है। जैकेट निर्माण में नवीनतम तकनीक के अलावा हाई डेंसिटी और हाई टेंसिटी फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है।

गाय की मौत पर पंचायत का फरमान- दान दो और भागवत कराओ

नईदुनिया, शिवपुरी : मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत मामोनीकलां ने सोमवार को गाय की मौत के मामले में नया फरमान जारी कर दिया है। अब एक परिवार से कहा गया है कि उसे भागवत सप्ताह और भंडारा भी कराना होगा। ऐसा नहीं करने तक परिवार का बहिष्कार जारी रहेगा।

मालूम हो, शुक्रवार को मामोनीकलां के भरत लोधी के खेत में एक गाय खड़ी फसल उजाड़ रही थी। उसने गाय को भगाया तो वह नाले में जा गिरी और उसकी मौत हो गई थी। इस पर गांव की पंचायत उसे गौ हत्या का दोषी मानते हुए भरत और उसके परिवार का हुक्का-पानी बंद कर दिया था। उसे गंगा स्नान करने को कहा गया। इस पर भरत प्रयागराज गया और सोमवार को गांव लौटा। 12 गांव सहित अपने गांव के तीन मंदिरों में 22 हजार रुपए दान किए। अब पंचायत ने उससे कहा है कि उसे भागवत सप्ताह और भंडारा भी करना होगा। तभी गांव व समाज के लोग उसके घर आना-जाना शुरू करेंगे।

दादा बोले-फसल के बाद कराएंगे भागवत: भरत के भाई मनोज लोधी ने बताया कि उनकी आमदनी का जरिया खेती है। पंचायत के फरमान के बाद उन्होंने जैसे-तैसे गंगा स्नान किया और गांव के मंदिरों में दान दिया। पंचायत के फरमान के बाद मजदूर भी काम पर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में खेती चौपट हो रही है। भरत के दादा दयाराम लोधी का कहना है कि फसल आने के बाद भागवत कथा कराएंगे, क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगता है। अभी हमारे पास पैसों की व्यवस्था नहीं है।

उद्योगों की जरूरत के अनुरूप बदलेगा पॉलीटेक्निक पाठ्यक्रम

विक्सन सिक्रोड़िया, कानपुर

पॉलीटेक्निक का पाठ्यक्रम उद्योगों की जरूरत के अनुसार तैयार किया जाएगा। नए सत्र से तीन वर्ष के बजाय हर वर्ष पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। इंडस्ट्री की लगातार बदलती कार्यशैली को देखते हुए पाठ्यक्रम में संशोधन की जरूरत महसूस की गई, अब सत्र 2020-21 के डिप्लोमा इंजीनियरिंग की 26 ब्रांच के विषय संशोधित होंगे।

जिन ट्रेड के पाठ्यक्रमों को संशोधित किया जाना है उनकी सूची शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान (आइआरडीटी) ने बना ली है। संशोधित पाठ्यक्रम प्रदेश के एक हजार से अधिक पॉलीटेक्निक में लागू होगा। पाठ्यक्रम में संशोधन करके नए विषय जोड़ने को देश की बड़ी कंपनियों से सुझाव लिए जाएंगे। विशेषज्ञों के सुझाव पाठ्यक्रम में शामिल होने के बाद संशोधित पाठ्यक्रम आइआरडीटी को भेजा जाएगा। आइआरडीटी संशोधित पाठ्यक्रम प्राविधिक शिक्षा परिषद बोर्ड को भेजेगा। पाठ्यक्रम लागू होने के बाद पॉलीटेक्निक शिक्षकों को उसकी जानकारी देने को कार्यशाला होगी जिसमें इंडस्ट्री विशेषज्ञ व शिक्षक दोनों शामिल होंगे। आइआरडीटी के निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि मार्च तक पाठ्यक्रम संशोधित हो जाएगा और अगले सत्र से लागू होगा। नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत पाठ्यक्रमों का संशोधन किया जा रहा है। पालीटेक्निक के छात्र हर वर्ष उस तकनीक से रूबरू होंगे जिसकी मांग इंडस्ट्री में है।

इन ट्रेड के बदलेंगे विषय

- एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल डिजाइन
- कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट
- केमिकल टेक्नोलॉजी (रबर एंड प्लास्टिक)
- केमिकल टेक्नोलॉजी (फर्टीलाइजर)
- पेंट टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी
- कंप्यूटर एप्लीकेशन
- कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग
- वेब डिजाइनिंग
- ग्लास एंड सिरेमिक्स
- इंडस्ट्रियल सेफ्टी
- ब्यूटी एंड हेल्थ केयर
- फैशन टेक्नोलॉजी
- मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेट्रियल प्रेक्टिस
- बायो टेक्नोलॉजी (टिश्यू कल्चर)
- आर्किटेक्चुरल असिस्टेंट स्लिप
- इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन
- एडवरटाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन
- केमिकल इंजीनियरिंग (पेट्रो केमिकल)
- मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट
- इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग
- टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट
- रटेल मैनेजमेंट

फाइल तीन दिन से अधिक रुकी तो नपेंगे अफसर : योगी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों में लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर तीखे हो गए हैं। पिछले दो दिन से आइएएस और आइपीएस अफसरों पर सख्ती के बाद सोमवार को उन्होंने वरिष्ठ अफसरों से भी नाराजगी जताई। चेतावनी दी कि अगर कोई फाइल किसी के पास तीन दिन से अधिक रुकी तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी। यह निर्देश मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के कार्यालय पर भी लागू होगा।

वह लोकभवन में बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र की पाइप पेयजल योजना की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दफ्तर में भी तीन दिन में फाइलों का निस्तारण हो जाए। दरअसल, पौने दो साल बाद भी विभागीय औपचारिकताओं के पेच के कारण पाइप पेयजल का कार्य शुरू न होने से वह नाराज हो गए। योगी ने कहा कि यह बहुत ही महत्वाकांक्षी और जनहित से जुड़ी परियोजना है। फाइलों पर अफसरों की बार-बार की टिप्पणी ठीक नहीं है।

हर हफ्ते दिल्ली जाने वाले अफसरों की जरूरत नहीं : कई अधिकारी शुक्रवार को दिल्ली चले जाते हैं और कई दिन बाद लौटते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर हफ्ते दिल्ली जाने वाले अधिकारियों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। कहा कि कुछ तो शुक्रवार से मंगलवार तक दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद जाते हैं। अगर किसी का वहां और यहां आवास हो तो दिल्ली का आवास छोड़ दें। सरकारी सुविधा एक ही जगह मिलती है।

एसआइटी ने शुरू की सोनभद्र प्रकरण की जांच

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सोनभद्र नरसंहार से जुड़े घटनाक्रम की जांच विशेष अनुसंधान दल (एसआइटी) ने सोमवार को शुरू कर दी। एसआइटी ने मामले में हजरतगंज कोतवाली में रविवार को दर्ज कराई गई एफआइआर को अपने थाने में दर्ज कर उसका परीक्षण शुरू कर दिया है। डीजी एसआइटी डॉ.आरपी सिंह के निर्देश पर डीआइजी जे.रवींद्र गौड़ की अगुवाई में एसआइटी की टीम मंगलवार को सोनभद्र में जांच करेगी।

उल्लेखनीय है कि सोनभद्र प्रकरण की रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र के जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल व पुलिस अधीक्षक सलमान जफर ताज पाटिल को हटाकर उनके खिलाफ अनुशासनिक जांच का आदेश दिया था। मामले में शासन के निर्देश पर हजरतगंज कोतवाली में तत्कालीन उप जिलाधिकारी, एएसपी व सीओ समेत 27 आरोपितों को नामजद करते हुए अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, षड्यंत्र व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में एफआइआर दर्ज की गई है।

बाबा विश्वनाथ के रंगों में नहाई काशी

जागरण संवाददाता, वाराणसी

देवाधिदेव महादेव को प्रिय सावन के तीसरे सोमवार पर गंगा तट से लेकर श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर तक श्रद्धा का सागर उमड़ता रहा। दर्शन और जलाभिषेक को आए शिव भक्तों के भावों के आगे सड़कों और गलियों का दायरा कम पड़ता रहा। बम बम बोल व हर हर महादेव का उद्घोष करते केसरिया रेला हर ओर बहता रहा। सुबह से रात तक हजारों लोग कतार में तो उससे कई गुना प्रभु को जलधार देने के इंतजार में रहे। पट बंद होने तक करीब सवा दो लाख श्रद्धालुओं ने काशीपुराधिपति का दर्शन-जलाभिषेक कर नाग पंचमी के दुर्लभ संयोग में दोहरा पुण्य लाभ अर्जित किया।

श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा को जल-दूध व बेल-मदार की धार देने अर्पित करने के लिए रविवार शाम से ही कतार लग गई थी। कांवड़ियों समेत शिव भक्तों ने पतित पावनी गंगा में डुबकी लगाई। कलश या पात्र जल से भरा और बाबा दरबार का रास्ता पकड़ लिया। कतार में सोते-जागते भोर होने का इंतजार किया। मंगला आरती के बाद आम दर्शनार्थियों के लिए मंदिर के पट खुले और रेला उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने जितना समय मिला, उतने में ही बाबा की सविधि पूजा आराधना कर मनोकामनाओं का पिटारा उनके चरणों में धर दिया। सूरज की किरणों के धरती पर आते-आते श्रद्धा-भक्ति की गंगा यमुना का पारावार न रहा। सुबह नौ बजे तक 80 हजार भक्तों ने दर्शन कर लिया तो कतार का एक सिरा बांसफाटक और गोदौलिया से दशाश्वमेध, गिरजाघर होते लक्सा को छू गया। वहीं दूसरी कतार चौक, नीचीबाग होते मैदागिन के पार पहुंच गई। इससे पांच किलोमीटर का इलाका बाबा की भक्ति गंगा में गोते लगाता और अघाता रहा। कुछ यही हाल बीएचयू परिसर स्थित विश्वनाथ मंदिर, महामृत्युंजय महादेव, कैथी मार्कंडेय महादेव और रोहनिया के शूलटंकेश्वर महादेव समेत शहर से लेकर गांव तक के शिवालयों में रही जहां श्रद्धा भक्ति की गंगा अविरल बहती रही।

वाराणसी में सावन के तीसरे सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु। जागरण

बदले पाठ्यक्रम पर पहली बार होगी पीसीएस की मुख्य परीक्षा

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग परीक्षाओं को लेकर बेहद गंभीर है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 25 जुलाई को परीक्षा कैलेंडर में पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा कराने का एलान हुआ। सोमवार को उसका विस्तृत कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि पहली बार पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा बदले पैटर्न और पाठ्यक्रम के अनुसार होगी। ज्ञात हो कि इसका पैटर्न बदलकर संघ लोकसेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा यानी आइएएस परीक्षा की तरह कर दिया गया है। यही वजह है कि मुख्य परीक्षा सिर्फ चार दिन में ही पूरी होगी, जबकि इस परीक्षा को कराने में पहले एक पखवारे से अधिक का समय लगता था। पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा 18 से 22 अक्टूबर तक चलेगी। परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ के केंद्रों पर कराई जाएगी।

मुख्य परीक्षा से करीब दो माह पहले कार्यक्रम जारी होने से प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को लाभ होगा। वहीं, नए पैटर्न में अब पीसीएस मेंस में दो के बजाए सिर्फ एक वैकल्पिक विषय होगा। इसके दो प्रश्नपत्र होंगे।

पंजाब के सीएम सुरक्षा में तैनात कमांडो की हत्या

जासं, मोहाली

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सुरक्षा में तैनात कमांडो सुखविंदर सिंह की हत्या के मामले में तीन आरोपितों को हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अदालत में पेश कर चार दिन के रिमांड पर लिया गया है।

शनिवार रात 24 वर्षीय सुखविंदर सिंह की मोहाली के फेज-11 स्थित वाकिंग स्ट्रीट नाइट क्लब के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। क्लब में डांस के दौरान किसी बात पर सुखविंदर का चरनजीत उर्फ साहिल व उसके दोस्तों आशीष व संदीप से झगड़ा हुआ था। क्लब वालों ने दोनों गुटों को बाहर निकाल दिया। इसके बाद साहिल ने लाइसेंसी .32 बोर के पिस्टल से सुखविंदर को गोली मार दी। पुलिस ने साहिल की पिस्टल व ऑडी कार अपने कब्जे में ले ली है। एसएसपी कुलदीप सिंह चाहल ने बताया कि तीनों आरोपित हत्या के बाद अपनी ऑडी कार में सवार होकर फरार हो गए थे। इनमें चरनजीत सिंह उर्फ साहिल मूल रूप से बहादुर नगर सुल्तानविंड रोड अमृतसर का रहने वाला है, जबकि उसके साथी आशीष कुमार गिदड़बाहा मुक्तसर साहिब व अतुल गुप्ता रोपड़ का निवासी है। तीनों चंडीगढ़ के सेक्टर-21 बी स्थित कोठी में रह रहे थे। साहिल का पहले गहनों का कारोबार करता था, लेकिन अब वह चंडीगढ़ के सेक्टर-9 में सकेरी स्ट्रीट नाइट क्लब चला रहा है। रात 12 बजे क्लब बंद होने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ मोहाली में देर रात तक चलने वाले डिस्कोथेक वाकिंग स्ट्रीट आ जाता था।

2016 में हुआ था भर्ती

फाजिल्का जिले के गांव रुडीवालां तारेवाला (जलालाबाद) के 24 वर्षीय सुखविंदर 2016 में पंजाब पुलिस में भर्ती हुए थे। बाद में उन्हें सीएम सुरक्षा में तैनात कर दिया गया। सुखविंदर के पिता बलजीत राज दो भाई हैं और संयुक्त परिवार है। बलजीत की दो बेटियां हैं, इसलिए उन्होंने बड़े भाई से सुखविंदर को गोद लिया था। सुखविंदर का एक भाई रजिंदर कनाडा में रहता है।

सीआरपीएफ को 5000 कार्बाइन देगी स्माल आर्म्स फैक्ट्री

श्रीनारायण मिश्र, कानपुर

जिन आर्डनेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण की तैयारी हो रही है, वे नित नई उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। स्माल आर्म्स फैक्ट्री (एसएएफ) कानपुर द्वारा निर्मित जेवीपी कार्बाइन सुरक्षा बलों और पुलिस को बेहद पसंद आ रही है। सटीक मारक क्षमता और कम झटके देने वाली इस कार्बाइन की मांग बढ़ती जा रही है। एसएएफ जल्द ही ज्वाइंट वेंचर प्रोटेक्टिव (जेवीपी) कार्बाइन का सबसे बड़ा आर्डर पाने जा रही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इस फैक्ट्री से पांच हजार से अधिक कार्बाइन खरीदने जा रहा है। इसका आर्डर प्रक्रिया में आ गया है और जल्द ही फैक्ट्री को मिल जाएगा। एसएएफ ने यह कार्बाइन डीआरडीओ के साथ मिलकर बनाई है।

2014-15 में बनी कार्बाइन में लगातार सुधार करने के बाद इसकी सप्लाई की जा रही है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने 640 कार्बाइन खरीदी थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और मणिपुर पुलिस ने भी 50 और 24 कार्बाइन खरीदी थी।

हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ने 896 और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने 200 कार्बाइन का आर्डर दिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, असम, मेघालय की पुलिस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ सशस्त्र सुरक्षा बल (एसएसबी) ने करीब दो हजार कार्बाइन का आर्डर दिया है। सटीक मारक क्षमता और कम झटके देने वाले इस हथियार से किसी भी परिस्थिति में निशाना लगाना आसान है। सीआरपीएफ ने 5296 कार्बाइन के आर्डर की प्रक्रिया पूरी कर ली है। फैक्ट्री में अपर महाप्रबंधक स्तर के एक अधिकारी ने बताया कि जल्द ही भुगतान आ जाएगा।

खास बातें

- बुलेट का व्यास 5.56 मिमी. है, जबकि कारतूस खोखे की लंबाई 45 की बजाय 30 मिमी. है। इसी वजह से चलाने में कंधे पर झटका बेहद कम आता है।
- छोटे बट के कारण इसकी लंबाई 750 मिमी. है। बैरल की लंबाई 300 मिमी. है।
- मारक क्षमता 200 मीटर तक है, लेकिन यह सौ मीटर तक बेहद प्रभावी है।
- तीन बुलेट की क्षमता वाली मैगजीन और फायर मोड सिंगल और आटो है।

देश के चुनिंदा संस्थान करेंगे एईएस के कारण और उसके निदान पर शोध

सुनील राज, पटना

▸ **बिहार के कुछ हिस्सों में हर वर्ष सैकड़ों नौनिहालों को लील जाती है यह बीमारी**

बिहार के कुछ हिस्सों में हर वर्ष एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम (एईएस) (एईएस) और दिमागी बुखार से बड़ी संख्या में नौनिहालों की मौत को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। प्रयास इस बात के शुरू किए गए हैं कि अगले वर्ष बीमारी अपने पांव फैलाए इसके पूर्व ही इसके कारणों का पता कर इस पर नियंत्रण कर लिया जाए। केंद्र सरकार ने देशभर के चुनिंदा स्वास्थ्य संस्थानों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक रिसर्च (अनुसंधान) टीम गठित कर दी है, जो यह पता करेगी कि वह कौन सी वजह है कि गर्मी के मौसम में मुजफ्फरपुर और बरसात में गया में यह बीमारी फैलती है। केंद्र सरकार की पहल पर बनाई गई इस टीम के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बीमारी के कारणों का पता करने की कोशिश शुरू कर दी है।

रिसर्च टीम में कई नामी मेडिकल संस्थान शामिल : केंद्र सरकार की पहल पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के शिशु रोग विशेषज्ञ प्रो. अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में रिसर्च टीम गठित की गयी है। टीम में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलुरु, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमिलॉजी चेन्नई और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के सीनियर और विशेषज्ञ डॉक्टर और पदाधिकारियों को शामिल किया गया है।

बीमारी के कारणों पर होगा शोध देश भर के डॉक्टरों की टीम मुजफ्फरपुर समेत प्रभावित इलाकों को दौरा करेगी और यह जानने के प्रयास करेगी कि आखिर किसी खास मौसम में बीमारी होने की वजह क्या है। इस दौरान टीम के सदस्य पीड़ित परिवारों से उनके बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री पर भी बात करेगी। बच्चे के बीमार पड़ने पर परिवार को पहला लक्षण क्या दिखा, कब अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमार पड़ने और अस्पताल पहुंचने के बीच का अंतर, बच्चे को दी गई दवाओं के साथ ही दूसरे अन्य पहलुओं पर टीम शोध करेगी।

बिहार ने मदद को बनाई एक अन्य टीम : देश के बड़े मेडिकल संस्थानों से जुटने वाले डॉक्टरों की मदद के लिए बिहार सरकार ने अलग से एक टीम गठित की है। राज्य सरकार द्वारा गठित टीम केंद्रीय टीम को हर प्रकार से स्थानीय स्तर पर सहयोग देगी। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई टीम में राजेंद्र मेमोरियल इंस्टीट्यूट के निदेशक, पीएसएम विभागाध्यक्ष, एसकेएमसीएच व आइजीआइएमएस और राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक को शामिल किया गया है।

907 बच्चे इस वर्ष इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए, 188 की हुई मौत : इस वर्ष एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम (एईएस) की चपेट में करीब नौ सौ बच्चे आए, इनमें 188 बच्चों को बचाया नहीं जा सका। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ एसकेएमसीएच में 459 एईएस पीड़ित बच्चे भर्ती किए गए, जिनमें से 154 बच्चों को बचाया नहीं जा सका। केजरीवाल व अन्य अस्पतालों में 448 बच्चे भर्ती किए गए, इनमें से 34 बच्चों को इलाज के बाद भी बचाया नहीं जा सका। सरकार का मानना है कि मौत की असल वजह है हाइपोग्लेशिमिया।

उत्तराखंड में अब मंत्रियों के लिए 20 लाख रुपये तक के वाहन

विकास गुसाईं, देहरादून

उत्तराखंड में मंत्री, न्यायाधीश और अधिकारी अब अधिक महंगे वाहनों में सफर कर सकेंगे। इसके लिए वाहन खरीद की सीमा बढ़ाने की संशोधित नीति बनाने की तैयारी है। प्रस्तावित नीति में मुख्यमंत्री, मंत्री और न्यायधीशों से अधिकारियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी के लिए 20 लाख रुपये तक के वाहन, दूसरी श्रेणी के लिए 15 लाख के वाहन और तीसरी श्रेणी के लिए 10 लाख के वाहनों की खरीद प्रस्तावित की गई है। वाहन खरीद न होने की सूरत में किराए पर वाहन लेने की व्यवस्था करते हुए इसका प्रति किमी अथवा मासिक किराया दर भी तय की गई है।

बता दें कि प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री, मंत्री, विभिन्न न्यायालयों के न्यायाधीश, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागीय अधिकारियों के लिए चार श्रेणियों में वाहन खरीद की व्यवस्था है। प्रथम श्रेणी के लिए वाहन खरीद की सीमा 14 लाख, दूसरी श्रेणी के लिए 12 लाख, तीसरी श्रेणी के लिए आठ लाख और चौथी श्रेणी के लिए वाहन खरीद की सीमा छह लाख रुपये है। कुछ समय पूर्व केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की। इसके अनुसार मैक्सी, टैक्सी के अलावा अन्य वाहन में जीपीएस और एबीएस लगाना अनिवार्य है। इससे वाहनों की कीमत बढ़ गई है।

वहीं, पुरानी व्यवस्था में वाहनों की खरीद कीमत कम होने के कारण कभी शासन की अनुमति तो कभी बिना अनुमति के इससे महंगे वाहन भी खरीदे गए। जब इस पर ऑडिट में सवाल उठने शुरू हुए तो शासन ने परिवहन विभाग को वाहनों की बढ़ती कीमत के मद्देनजर नए सिरे से वाहन खरीदने की सीमा तय करने को संशोधित नीति का मसौदा तैयार करने को कहा। इसके लिए परिवहन विभाग में एक समिति का गठन किया गया। यह समिति अब अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है।

किस श्रेणी में कौन होगा : पहली श्रेणी में मंत्री, न्यायाधीश और मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को रखा गया है। इन सबके लिए 20 लाख तक के वाहन की खरीद मंजूर करना प्रस्तावित किया गया है। दूसरी श्रेणी में प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को शामिल किया गया है।

इनके लिए 15 लाख तक के वाहनों की खरीद मंजूर की गई है। वहीं, तीसरी श्रेणी में विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों को रखा गया है इनके लिए 10 लाख रुपये तक के वाहन खरीद को मंजूरी देना प्रस्तावित है। प्रस्तावित मसौदे में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए वाहनों की खरीद को सीमा में नहीं बांधा गया है। इनकी सुरक्षा और व्यवस्था के हिसाब से विभाग इनके लिए सुविधानुसार कीमत पर वाहन खरीद कर सकेंगे।

किराये के वाहनों के लिए रेफरल रेट

सरकारी विभागों में किराये पर लिए जाने वाले वाहनों पर अब रेफरल रेट की व्यवस्था होगी। जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित समिति जो रेट तय करेगी उसे मानक माना जाएगा लेकिन टेंडर न्यूनतम के आधार पर ही दिया जाएगा, जो इस मानक से कुछ ऊपर-नीचे हो सकता है। इसके अलावा प्रति किमी अथवा मासिक आधार पर सरकारी वाहनों में चलाए जा रहे किराए के वाहनों की दरें भी प्रस्तावित की गई हैं।

उत्साहजनक

पथरीले और ढंगारी क्षेत्रों को हरा-भरा करने को चल रही 'सीड बॉल' की मुहिम, मसूरी से लगे थत्यूड़, मगरा, बुरांसखंडा क्षेत्रों में कई जगह सीड बॉल में फूटे अंकुर

सीड बॉल से संवरेगी प्रकृति, हरे-भरे होंगे पथरीले क्षेत्र

केदार दत्त, देहरादून

प्रकृति को संवारने के लिए 'सीड बॉल' की मुहिम उत्तराखंड में गति पकड़ने लगी है। पहाड़ों की रानी मसूरी से लगा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है, जहां थत्यूड़, मगरा व बुरांसखंडा के जंगलों में स्कूली बच्चों के माध्यम से फेंकी गई सीड बॉल में कई जगह अंकुर फूटे हैं। इस बार भी इन क्षेत्रों के अलावा धनोल्टी, अगिंडा के ढंगारी व पथरीले इलाकों में सीड बॉल फेंके गए हैं। विद्यार्थियों को प्रकृति के संरक्षण को प्रेरित करने की इस मुहिम के तहत उनसे स्थानीय प्रजातियों के बीज भी एकत्रित कराए गए हैं। बीज के एवज में उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।

दक्षिण भारत में छाप छोड़ने वाले केरल के सीड बॉल मॉडल की तर्ज पर ऐसी ही मुहिम विषम भूगोल वाले उत्तराखंड में आकार ले रही है। वन महकमे के अलावा हिमालयी जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी समेत अन्य संगठनों ने भी यह मुहिम शुरू की है। मसूरी वन प्रभाग की मसूरी से लगी जौनपुर रेंज में महकमे ने इसे सीड बॉल नाम दिया है, जबकि हिमालयी जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी ने सीड बम। तरीका सबका एक जैसा ही है। मिट्टी व गोबर के गोलों के बीच में बीज डालकर इन्हें सुखाया जाता है और उन क्षेत्रों में फेंका जा रहा है, जहां पौधारोपण के लिए पहुंचना मुमकिन नहीं है।

मसूरी की जौनपुर रेंज के बुरांसखंडा और साटागाड में 2017 में रेंज अधिकारी मनमोहन बिष्ट की पहल पर सीड बॉल की शुरुआत की गई थी। बिष्ट बताते हैं कि जब इन क्षेत्रों में पौधरोपण का कार्यक्रम शुरू किया गया तो बात सामने आई कि कई इलाकों में पहुंचना मुश्किल है। इसे चुनौती के रूप में लिया गया। जानकारी मिली कि केरल के कई क्षेत्रों में बीज के गोले बनाकर जंगलों में फेंके जाते हैं, जिसके बेहतर परिणाम आए हैं।

बिष्ट बताते हैं कि इसके बाद थोड़ा मंथन किया गया और यहां के विषम भूगोल, बारिश व तेज हवा को देखते हुए ढंगारी व पथरीली क्षेत्रों के लिए ऐसे बीज गोले बनाने की ठानी गई, जो वहां टिक सकें। इसके लिए गोबर की खाद, चिकनी मिट्टी व कीटनाशक मिलाकर छोटे-छोटे गोले बनाए गए और इनके भीतर डाले गए विभिन्न वृक्ष प्रजातियों के बीज। सूखने के बाद इन पर बाहर से लीसा, गोंद जैसे पदार्थ भी लगाए गए, ताकि जहां फेंके जाएं, वहां जमीन में टिक सकें।

दक्षिण भारत में छाप छोड़ने वाले केरल का सीड बॉल मॉडल उत्तराखंड में कारगर साबित हो रहा। प्रतीकात्मक

तमाम स्थानों पर फूटे हैं अंकुर

बुरांसखंडा, साटागाड, थत्यूड़, मगरा में फेंके गए सीड बॉल में कई जगह अंकुर फूटे हैं। इस बार भी इन क्षेत्रों के अलावा अगिंडा व धनोल्टी के ढंगारी क्षेत्रों में विद्यार्थियों की मदद से सीड बॉल फेंके गए हैं। बिष्ट बताते हैं कि भले ही यह मुहिम अभी शुरुआती दौर में हो, मगर ढंगारी व पथरीले क्षेत्रों में हरियाली लौटाने में यह खासी मददगार साबित होगी।

© Copyright Skymet Company 2019: All rights reserved.

मौसम विशेष

पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली में वर्षा में वृद्धि होगी। अनेक स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होगी। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में छाये हुए बादलों के साथ मौसम गर्म रहेगा। कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा जारी रहेगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	29/25/व	अहमदाबाद	32/27/व
कोलकाता	33/25/व	बड़ौदा	31/26/व
चेन्नई	35/27/आंबा	नागपुर	26/24/व
हैदराबाद	28/23/व	इन्दौर	28/23/आंबा
बंगलूरू	27/20/व	राँची	31/26/व
त्रिवेन्द्रम	26/23/व	पटना	36/29/व
गुवाहाटी	33/27/व	जमशेदपुर	33/27/आंबा
गंगटोक	18/09/व	पुणे	24/22/व

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

आजकल

मंगलवार 6 अगस्त 2019

14

www.jagran.com

दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला समुद्री जहाज स्पेन लौटा

1522 में आज ही दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला समुद्री जहाज विक्टोरिया 18 यात्रियों के साथ स्पेन लौटा था। यह जहाज चार दूसरे जहाजों के साथ एक खोज यात्रा के लिए निकला था। इसने 1519 में यात्रा शुरू की थी।

अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया

1945 में आज ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। इस हमले में एक लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। तीन दिनों के बाद अमेरिका ने दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया था।

भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह को जन्मदिन मुबारक हो

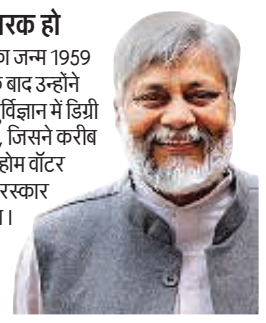

भारत के जल पुरुष के नाम से मशहूर राजेंद्र सिंह का जन्म 1959 में आज ही यूपी के बागपत में हुआ था। हाई स्कूल के बाद उन्होंने भारतीय ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय से आयुर्विज्ञान में डिग्री ली। 1975 में उन्होंने तरुण भारत संघ की नींव रखी, जिसने करीब एक हजार गांवों को पानी मुहैया कराया। इसी साल उन्हें स्टॉकहोम वॉटर प्राइज से नवाजा गया, जिसे पानी के लिए मिलने वाला नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 2001 मे उन्हें रमन मैग्सेसे अवॉर्ड से नवाजा गया। गार्डियन ने उन्हें दुनिया के उन 50 लोगों में शुमार किया है जो पृथ्वी बचा सकते हैं। उनका मानना है कि यदि जल को संरक्षित नहीं किया तो तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा।

शोध अनुसंधान

शोध में सामने आया मोटापे और बीमारियों के बीच संबंध

हालिया शोध में मोटापे और कई गंभीर बीमारियों के बीच संबंध के प्रमाण सामने आए हैं। इनमें दिल की बीमारियां, डायबिटीज, कैंसर और सांस व दिमाग से जुड़ी बीमारियां शामिल हैं। विज्ञान पत्रिका 'द लैंसेट डिजिटल हेल्थ' में प्रकाशित शोध में यह बात कही गई है। शोध में 3,37,536 लोगों में बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआइ) और विभिन्न बीमारियों के बीच संबंध पर अध्ययन किया गया। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस शोध में मोटापे के कारण शरीर पर पड़ने वाले सटीक असर को जानने के लिए जेनेटिक्स का सहारा लिया गया। इस दौरान मोटापे व बीमारियों के बीच संबंध को लेकर पहले से उपलब्ध प्रमाणों को पांच कसौटियों पर परखा गया। 14 बीमारियों को लेकर उपलब्ध प्रमाण पांचों कसौटियों पर खरे पाए गए। वहीं 26 बीमारियों से जुड़े प्रमाण कम से कम चार कसौटियों पर खरे उतरे। - एएनआइ

हीमोग्लोबिन के कम-ज्यादा होने से डिमेंशिया का खतरा

खून में हीमोग्लोबिन का स्तर कम या ज्यादा होने से आगे चलकर डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। विज्ञान पत्रिका न्यूरोलॉजी में प्रकाशित शोध में यह बात सामने आई है। शोधकर्ता एम. अरफान इकराम ने कहा, 'जिन देशों में एनीमिया (खून की कमी) की दर ज्यादा होती है, वहां डिमेंशिया का खतरा तीन गुना तक बढ़ जाता है।' डिमेंशिया एक दिमागी बीमारी है, जिसमें व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है। अध्ययन में 12,305 लोगों को शामिल किया गया था, जिनकी औसत आयु 65 वर्ष थी। इन पर औसतन 12 साल तक अध्ययन किया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि एनीमिया के शिकार लोगों में अल्जाइमर (याददाश्त कमजोर होना) का खतरा 41 फीसद और डिमेंशिया (याददाश्त चले जाना) का खतरा 34 फीसद बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, हीमोग्लोबिन का स्तर ज्यादा होने पर भी डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि हीमोग्लोबिन के स्तर और डिमेंशिया के बीच सीधे संबंध को जानने के लिए अभी और शोध की आवश्यकता है। - एएनआइ

फिर डाउन हुआ फेसबुक-इंस्टाग्राम यूजर रहे परेशान

सैन फ्रांसिस्को, आइएएनएस : सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम रविवार देर शाम डाउन हो जाने से भारत समेत दुनिया भर के यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्विटर पर कई यूजर्स ने शिकायत की कि वह अपने अकाउंट को लॉगिन तक नहीं कर पा रहे। हालांकि, घंटे भर से ज्यादा समय तक डाउन रहने के बाद अब फेसबुक दोबारा चालू हो गया।

लॉस एंजिल्स में यूनिवर्सल एनिमेशन स्टूडियो के आर्ट डायरेक्टर शॉन प्लेटर ने ट्वीट कर कहा वह फेसबुक पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे। शायद यह यहां काम नहीं कर रहा है। सीएनईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के अलावा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कुछ हिस्सों के लोगों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम का उपयोग करने में परेशानी आने की शिकायत की। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सर्वर मेंटीनेंस के कारण यह परेशानी आई। इस साल कई मौकों पर देखा गया है कि सोशल मीडिया के एप कई घंटों तक विभिन्न कारणों से डाउन रहे हैं।

आविष्कार ▶ अमेरिकी वैज्ञानिकों ने विकसित किया खास उपकरण

पट्टी से भी पतली डिवाइस करेगी सेहत की निगरानी

रोबोट की कृत्रिम त्वचा तैयार करने में भी किया जा सकेगा प्रयोग

यह अध्ययन 'साइंस एडवांसेज' में प्रकाशित हुआ है।

ह्यूस्टन, प्रेट्र : सेहत की निगरानी के लिए वैसे तो बहुत से उपकरण बाजार में मौजूद हैं, लेकिन इनके बड़े आकार की वजह से कई बार इनका प्रयोग मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या को देखते हुए वैज्ञानिकों ने एक ऐसी डिवाइस विकसित करने में सफलता हासिल की है, जो चोट पर बांधी जाने वाली पट्टी से भी पतली है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह इतनी महीन है कि यह आसानी से दिखाई भी नहीं पड़ती है। यह सिर्फ सेहत की निगरानी ही नहीं, बल्कि और भी कई कार्य करने में सक्षम है।

अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में एसोसिएट प्रोफेसर सुंजयांग यू के मुताबिक, पहनी जा सकने वाली यह डिवाइस ह्यूमन-मशीन इंटरफेसेज (एचएमआइ) व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण सूचना एकत्र करती है। वर्तमान में ऐसे कई मॉडल हैं जो ऐसा करने में सक्षम हैं, लेकिन बड़े आकार के कारण वे असुविधाजनक होते हैं। साथ ही वे उपकरण कई बार एक समय में एक से ज्यादा कार्य करने में भी सक्षम नहीं होते हैं।

साइंस एडवांसेज नामक जर्नल में इस डिवाइस के बारे में विस्तृत से जानकारी प्रकाशित की गई है। इसमें बताया गया है कि इस डिवाइस को पहनने के बाद भी व्यक्ति अपने सभी कार्य सामान्य रूप से जारी रख सकता है। यह डिवाइस इतनी पतली है कि आसानी से दिखाई भी नहीं देती। बकौल यू, कुछ माइक्रोन मोटी यह डिवाइस इतनी महीन है कि इसे पहनने के बाद आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपने कुछ पहना है। साथ ही यह बेहद कोमल है।

इस तरह रखेगी निगरानी : वैज्ञानिकों के मुताबिक, स्वास्थ्य की निगरानी के लिए इस डिवाइस में एप्लीकेशंस हैं। शरीर में किसी रसायन की अधिकता होने जैसी जोखिम भरी स्थितियों में यह डिवाइस आगाह करती है, जिससे समय रहते उचित कदम उठाया जा सकता है।

रोबोटिक्स के क्षेत्र में कारगर

इसे तैयार करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि इस डिवाइस की मदद रोबोटिक्स के क्षेत्र में भी ली जा सकती है। चूंकि यह डिवाइस डाटा एकत्र करने में सक्षम है, इसलिए इसका प्रयोग रोबोट की कृत्रिम त्वचा या अन्य रोबोटिक उपकरणों में भी किया जा सकता है।

हार्ट फेल होने के बाद भी सही से धड़केगा दिल

ने चर बॉयोटेक्नोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक लंदन स्थित कैम्ब्रिज विवि के शोधकर्ताओं ने हार्ट फेल के उपचार में बड़ी सफलता हाथ लगने का दावा किया है। शोधकर्ताओं ने स्टेम सेल का प्रयोग कर हृदय के क्षतिग्रस्त भागों को ठीक करने में सफलता हासिल की है। शोधकर्ताओं ने चूहों के क्षतिग्रस्त हृदय का उपचार करने के लिए इंसानी हृदय के विभिन्न हिस्सों से ली गई दो प्रकार की स्टेम कोशिकाओं का प्रत्यारोपण किया। इससे नष्ट हुई हृदय की मांसपेशियों को पुनर्जीवित किया जा सकता है।

ऐसे होगा इलाज

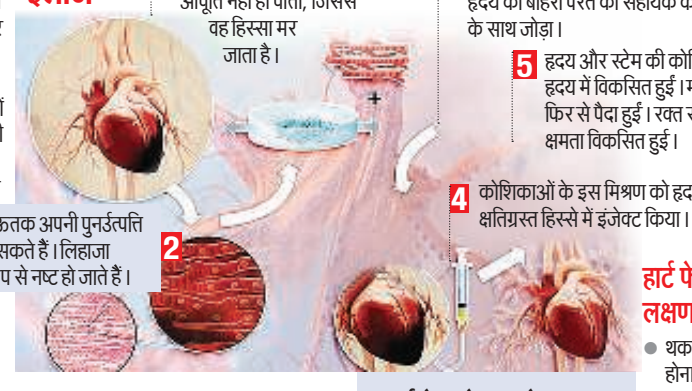

1 हृदयघात के दौरान उसके मांसपेशियों के कुछ हिस्सों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती, जिससे वह हिस्सा मर जाता है।

2 हृदय के ऊतक अपनी पुनर्उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। लिहाजा स्थायी रूप से नष्ट हो जाते हैं।

3 वैज्ञानिकों ने हृदय की मांसपेशियों की कोशिकाओं को लैब में विकसित किया और उन्हें हृदय की बाहरी परत की सहायक कोशिकाओं के साथ जोड़ा।

4 कोशिकाओं के इस मिश्रण को हृदय के क्षतिग्रस्त हिस्से में इंजेक्ट किया।

5 हृदय और स्टेम की कोशिकाएं हृदय में विकसित हुईं। मांसपेशियां फिर से पैदा हुईं। रक्त संचार की क्षमता विकसित हुई।

तेजी से होता स्टेम सेल का उपयोग

चिकित्सा विज्ञान में स्टेम सेल का उपयोग तेजी से किया जा रहा है। क्योंकि उनमें क्षतिग्रस्त या मृत ऊतकों को पुनर्जीवित करने की क्षमता होती है। ये कोशिकाएं हड्डी, मांसपेशियों, तंत्रिका, त्वचा, अंगों और शरीर के अन्य ऊतकों के आकार में विकसित हो सकती हैं।

यह रोगी हो सकते हैं लाभान्वित

संभावित रोगी जो एक दिन स्टेम सेल थेरेपी से लाभान्वित हो सकते हैं, उनमें रीढ़ की हड्डी में चोट, अल्जाइमर या पार्किंसंस रोग, स्ट्रोक, कैंसर और गठिया वाले लोग शामिल हैं।

इंसानों में विफल रहा प्रयोग

अतीत में हृदय की मांसपेशियों की कोशिकाओं को इंसानी हृदय में प्रत्यारोपित करने की कोशिश विफल रही है क्योंकि कोशिकाएं कुछ ही दिनों में मर गईं। लेकिन सहायक कोशिकाओं के जुड़ने से हृदय की कोशिकाओं को विकसित होने और परिपक्व होने में मदद मिली और नए ऊतक बने।

हार्ट फेल के मायने

हार्ट फेल होने का सीधा सा मतलब होता है कि ये पूरे शरीर में खून को पंप करने में अक्षम हो चुका है। हार्ट फेल आमतौर पर तभी होता है जब हृदय बहुत कमजोर या वसायुक्त (सख्त) हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपका हृदय काम करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में बेहतर काम करने के लिए इसे थोड़ी मदद की जरूरत होती है। यह किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन अधिक उम्र होने पर इसकी आशंका ज्यादा होती है।

हार्ट फेल के लक्षण

- थकान महसूस होना।
- मेहनत करने के बाद सांस फूलना
- टखनों और पैरों में सूजन
- लगातार खांसी, तेज हृदय गति व चक्कर आना।

मछली की आबादी में पड़ रहे असर के कारणों का अध्ययन करेगा संस्थान

- जलवायु परिवर्तन और अलनीनों के कारण भी प्रभावित होता समुद्री जैविक चक्र

कोच्चि, प्रेट्र: देश के विभिन्न शोध संस्थानों के विशेषज्ञ मंगलवार को सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएमएफआरआइ) में एकत्रित होंगे। वे अरब सागर में आयल सारडीन मछलियों की आबादी में विषमताओं के कारणों का अध्ययन करेंगे।

सीएमएफआरआइ ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि राष्ट्रीय स्तर की यह संगोष्ठी दक्षिण-पश्चिम तटों पर इस समुद्री मछलियों प्रजाति को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करने और उनसे बचने के तरीकों और साधनों को खोजने की कोशिश करेगी।

इस संगोष्ठी में शामिल होने वाले विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन, समुद्र विज्ञान, मत्स्य जीव विज्ञान और सामाजिक अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में काम करने वाले होंगे। बहु विषयक मंच पर विशेषज्ञ ऑयल सारडीन की मौजूदगी में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति पर चर्चा करेंगे। सीएमएफआरआइ के वैज्ञानिक ईएम अब्दुस्समद ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य समुद्र के सूक्ष्म-स्तर के पारिस्थितिक को पहचानना है, जिससे यह पता लग सके कि ऐसे कौन से कारक हैं जो महासागर में जैविक चक्र को प्रभावित करते हैं।

उन्होंने कहा कि हाल के अध्ययनों में इस बात की ओर इशारा करते हैं जलवायु परिवर्तन और विशेष रूप से अलनीनो का भी आयल सारडीन पर प्रभाव पड़ता है। इसी आधार पर सीएमएफआरआइ ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा था कि इस साल केरल के तटों से सारडीन की उपलब्धता में एलिनो की तीव्रता के कारण कमी आएगी। अलनीनो के अलावा समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि, समुद्र की उत्पादकता में उतार-चढ़ाव जैसे विभिन्न समुद्र संबंधी घटनाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जो आयल सारडीन को प्रभावित करते हैं।

चंद्रमा और बुध पर अनुमान से अधिक हो सकती है बर्फ

- ध्रुवों पर मिले छिछले गड्ढों में हो सकता है बर्फ का भंडार
- नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर से जुड़े शोधकर्ताओं ने किया दावा

वाशिंगटन, आइएएनएस : सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह बुध और चंद्रमा पर अब तक के अनुमान से ज्यादा बर्फ मौजूद हो सकती है। मैरीलैंड स्थित नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में लूनर रीकॉनिसंस ऑर्बिटर प्रोजेक्ट से जुड़े शोधकर्ता नोआ पेट्रो ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा, 'चंद्रमा पर बर्फ के भंडार होने की पुष्टि हो जाए तो इससे अगले चंद्र मिशन में फायदा मिलेगा। इससे चांद पर लंबी अवधि के लिए मानव मिशन भेजना आसान हो जाएगा।

धरती पर मौजूद टेलीस्कोप और रडार ने पहले भी बुध पर हिमनद की तरह के बर्फ के भंडार होने का पता लगाया था। बाद में नासा के मर्करी सर्फेस, स्पेस एनवायरमेंट, जियोकेमेस्ट्री एंड रेंजिंग यान (मैसेंजर) ने इन भंडारों की तस्वीरें भी उतारी थीं। चंद्रमा पर हालांकि अब तक ऐसे किसी भंडार का पता नहीं चला था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुए नए अध्ययन में चांद पर भी बर्फ का भंडार होने की बात सामने आई है। नेचर जियोसाइंस नामक जर्नल में छपे शोध के अनुसार बर्फ के संभावित भंडार चांद और बुध के ध्रुवों के पास स्थित गड्ढों में हो सकते हैं। मुख्य शोधकर्ता लियोर रुबेनेंको ने कहा, 'चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर पहले भी बर्फ होने का पता लगा था। अब वहां कुछ छिछले गड्ढे मिले हैं। हमारा अनुमान है कि उन गड्ढों का छिछलापन शायद बर्फ के भंडार के कारण ही है।' बुध और चंद्रमा अपने अक्षों पर इस तरह घूमते हैं कि उनके ध्रुव पर सूर्य की रोशनी ठीक से नहीं पहुंच पाती है। इसी कारण कई दशकों से माना जाता रहा है कि वहां मौजूद बर्फ के भंडार अरबों साल तक सुरक्षित रह सकते हैं।

बर्फ के भंडार खोजने में अहम होगा चंद्रयान-2

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा लांच किए चंद्रयान-1 ने चांद पर पानी होने का पता लगाया था। गत 22 जुलाई को इसरो ने अपना दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-2 लांच किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह मिशन चांद पर बर्फ के भंडार खोजने में सफल होगा।

चंद्रमा के क्रेटरों (गड्ढों) के पास बर्फ मिलने की संभावना ज्यादा है। प्रतीकात्मक

यह है उड़ने वाली कार...

जी हां, उड़ने वाली कार का सपना जल्द ही सच होने वाला है। टोक्यो के समीप एबीको में सोमवार को जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एनईसी कॉर्प ने अपनी उड़ने वाली कार (फ्लाइंग कार) का सफल परीक्षण किया। इस दौरान यह कार तीन मीटर की ऊंचाई तक गई और करीब एक मिनट तक हवा में एक ही जगह पर रही। यह कार एक विशाल ड्रोन जैसी है जिसमें चार प्रोपेलर (पंखे) लगे हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखकर परीक्षण जालनुमा स्ट्रक्चर में किया गया। यह कार लोगों को ले जाने में सक्षम और ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने में कारगर होगी। यह लगभग 3.9 मीटर लंबी, 3.7 मीटर चौड़ी और 1.3 मीटर ऊंची है, जिसका वजन लगभग 150 किलोग्राम है। एपी

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की मदद से स्तन कैंसर के नए प्रकार का पता चला

वाशिंगटन, एएनआइ : वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) की मदद से स्तन कैंसर के पैटर्न का अध्ययन करते हुए इसके पांच नए प्रकारों की पहचान की है। इस अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने कैंसर की गांठ से मिले जीन सीक्वेंस और मॉलीक्युलर डाटा का विश्लेषण एआइ की मदद से किया। इस दौरान उन्होंने स्तन कैंसर के एक ही श्रेणी के मामलों में कुछ सूक्ष्म अंतर का पता लगाया। इस फर्क के आधार उन सभी मामलों को कैंसर के अलग-अलग प्रकार के रूप में बांटा गया। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस खोज की मदद से स्तन कैंसर के इलाज को और सटीक बनाना संभव होगा। वैज्ञानिक इस तकनीक की मदद से कैंसर के अन्य मामलों में भी इसी तरह के सूक्ष्म अंतर का पता लगाने और इलाज को बेहतर करने की उम्मीद जता रहे हैं।

यह अध्ययन एनपीजे ब्रेस्ट कैंसर नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसमें शोधकर्ताओं ने पाया कि इम्यूनोथेरेपी के लिए दो प्रकार का कैंसर अन्य के मुकाबले ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं, जबकि एक में टैमोक्सिफेन पर निर्भर होने की अधिक संभावना थी। शोधकर्ता अब इस प्रकार के स्तन कैंसर के लिए ऐसे टेस्ट विकसित कर रहे हैं जिसका उपयोग व्यक्तिगत परीक्षणों को उपचार का एक मानक हिस्सा बनाने के लिए किया जाएगा। साथ ही क्लीनिकल ट्रायल में विभिन्न दवाओं के लिए रोगियों का चयन करने के लिए किया जाएगा।

इससे पहले लंदन के इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर रिसर्च के शोधकर्ताओं ने एआइ की मदद से लगभग इसी प्रकार आंत के कैंसर का पता लगाया था और अब चिकित्सा विज्ञानी (ऑकोलॉजिस्ट) क्लीनिकल ट्रायल में उनके आवेदनों का मूल्यांकन कर रहे हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस अध्ययन की मदद से स्तन कैंसर के इलाज के नए रास्ते तो खुलेंगे ही साथ ही नई दवाओं के लक्ष्यों की पहचान में भी आसानी से हो पाएगी। इस अध्ययन के मुख्य लेखक डॉ. अंगुराज सदानंदम ने कहा 'एआइ में ऐसी क्षमता है कि इसका बड़े स्तर पर उपयोग किया जा सकता है और हमें लगता है कि हम इस तकनीक को सभी कैंसर में लागू करने में सक्षम होंगे। इससे कैंसर के उपचार की नई संभावनाओं की राह भी खुल सकती है।'

यह अध्ययन एनपीजे ब्रेस्ट कैंसर नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। प्रतीकात्मक

अध्ययन

यूरोपियन रेसपिरेटरी जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं का दावा है कि विश्व में हर चार में से एक व्यक्ति के शरीर में टीबी का बैक्टीरिया मौजूद है...

विश्व की एक तिहाई आबादी पर मंडरा रहा टीबी का खतरा

लंदन, आइएएनएस : विश्व की एक-तिहाई आबादी पर तपेदिक यानी टीबी का खतरा मंडरा रहा है। एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है। यूरोपियन रेसपिरेटरी जर्नल में प्रकाशित हुए अध्ययन में बताया गया है कि विश्व में हर चार में से एक व्यक्ति के शरीर में टीबी का बैक्टीरिया मौजूद है। इसे क्षय रोग भी कहा जाता है। यह सबसे घातक संक्रामक रोग है। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकोलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है, जिससे हर साल लगभग 10 मिलियन लगभग एक करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। इससे लगभग दो मिलियन तकरीबन 20 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इसके अलावा कई अन्य लोग भी इसके बैक्टीरिया से ग्रसित होते हैं, लेकिन उन्हें सक्रिय टीबी नहीं होती है।

यह अध्ययन 3,51,811 लोगों पर किए गए परीक्षणों पर आधारित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने साल 2035 तक दुनिया से टीबी खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। डेनमार्क के आरहोस यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर क्रिश्चियन वेजसे ने कहा कि इस लक्ष्य को उन लोगों का इलाज किए बिना प्राप्त करना मुश्किल है, जिन्हें सक्रिय टीबी नहीं है। क्योंकि अगर शरीर में इसका बैक्टीरिया मौजूद है तो उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी टीबी हो सकती है। इस अध्ययन में बताया गया है कि वर्तमान में दुनिया की लगभग एक-चौथाई आबादी निष्क्रिय टीबी की चपेट में है। इस अध्ययन के लिए डेनमार्क और स्वीडन के शोधकर्ताओं ने 36 देशों के 88 निष्क्रिय टीबी के मामलों के वैज्ञानिक अध्ययनों की समीक्षा की। अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि इनमें से कई देशों की एक चौथाई आबादी निष्क्रिय टीबी की चपेट में है।

बीमारी के लक्षण

- लगातार तीन हफ्तों से खांसी का आना और आगे भी जारी रहना।
- खांसी के साथ मुंह से खून का आना।
- छाती में दर्द और सांस फूलना।
- वजन कम होना और थकान महसूस होना।
- शाम को बुखार आना और ठंड लगना।
- रात में पसीना आना।

सही और नियमित उपचार से टीबी ठीक हो सकती है। प्रतीकात्मक

संक्रामक है टीबी: टीबी आम तौर पर फेफड़ों पर हमला करता है, लेकिन यह शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता हैं। जब टीवी ग्रसित व्यक्ति खांसता, छींकता या बोलता है तो उसके साथ संक्रामक ड्रॉपलेट न्यूक्लिआइ उत्पन्न होता है जो कि हवा के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। ये ड्रॉपलेट न्यूक्लिआइ कई घंटों तक वातावरण में सक्रिय रहते हैं। इसलिए टीबी मरीजों को चाहिए कि वह जब भी खांसे तो कपड़े या रुमाल का प्रयोग करें।

टीबी के प्रकार

पल्मोनरी : अगर टीबी का जीवाणु फेफड़ों को संक्रमित करता है तो वह पल्मोनरी टीबी कहलाता है। टीबी का बैक्टीरिया 90 प्रतिशत से ज्यादा मामलों में फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसके मरीजों के सीने में दर्द और लंबे समय तक खांसी व बलगम जमा रहता है। लेकिन, लगभग 25 फीसद से ज्यादा मामलों में किसी भी तरह के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं।

एक्स्ट्रा पल्मोनरी : अगर टीबी का जीवाणु फेफड़ों की जगह शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित करता है तो इस प्रकार की टीबी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहलाती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी पल्मोनरी टीबी के साथ भी हो सकती है। अधिकतर मामलों में संक्रमण फेफड़ों से बाहर भी फैल जाता है और शरीर के दूसरे अंगों को प्रभावित करता है। जिसके कारण फेफड़ों के अलावा अन्य प्रकार के टीबी हो जाते हैं।

स्ट्रोक का खतरा कम करना है तो अग्ली कोलेस्ट्रॉल पर रखें काबू

लंदन, आइएएनएस : एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि शरीर में अग्ली (भद्दे) कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने से स्ट्रोक और मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन को कम करने में मदद मिलती है।

कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया कि वयस्कों के रक्त में अग्ली कोलेस्ट्रॉल के मिलने का मतलब है कि उनके रक्त में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत बढ़ गई है। रक्त में तीन प्रकार के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। अग्ली (भद्दा) कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। यह अध्ययन एथेरोस्क्लेरोसिस जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कहा इस अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन और स्ट्रोक के मामले में अग्ली कोलेस्ट्रॉल उतना ही महत्व रखता है जितना कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने डेनमार्क के एक लाख 40 हजार प्रतिभागियों को शामिल किया। शोधकर्ताओं के मुताबिक, हृदय संबंधी बीमारियों के लिए शायद अग्ली कोलेस्ट्रॉल एलडीएल के मुकाबले ज्यादा जिम्मेदार है। रक्त में इसके स्तर में कमी करने से स्ट्रोक के खतरे से बचा जा सकता है।

खतरनाक है स्ट्रोक

जब किसी कारण से मस्तिष्क में कोई रक्त वाहिका फट जाती है या रक्त का संचार अवरुद्ध हो जाता है तो मस्तिष्क को ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलना बंद हो जाता है, जिसके कारण कुछ मिनटों में ही कोशिकाएं मरने लगती हैं और मस्तिष्क का कुछ हिस्सा काम करना बंद देता है। कभी-कभी तो ब्रेन डेड भी हो जाता है। स्ट्रोक इतना प्रभावी होता है कि इससे दीर्घकालिक विकलांगता आ सकती है। इतना ही नहीं, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।